रक्तरंजित
जम्मू कश्मीर
रवींद्र जुगरान

रक्तरंजित
जम्मू कश्मीर

रक्तरंजित जम्मू कश्मीर

रवींद्र जुगरान

ज्ञान गंगा, दिल्ली

राष्ट्र की एकता एवं अखंडता
के लिए
शहीद हुए माँ भारती
के सपूतों
एवं
जीवन और मौत के बीच
संघर्षरत
जम्मू कश्मीर के
देशभक्त समाज को
सादर समर्पित

अनुक्रम

प्रस्तावना

हमारे मनीषियों ने भारतभूमि की माँ के रूप में पूजा की है। माँ भारती की एकता एवं अखंडता के लिए अनादिकाल से देशभक्त वीर पुरुष अपना बलिदान देते आ रहे हैं। देश के स्वर्णमुकुट जम्मू कश्मीर राज्य में इस समय राष्ट्रभक्त समाज और सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं।

भारत-विभाजन के समय से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर राज्य को हड़पने का षड्यंत्र लगातार करता आ रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने सन् १९४७, ६५ और ७१ में तीन बार भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध किए हैं। परंतु जब उसे इन युद्धों में भारतीय सेना के हाथों मुँहकी खानी पड़ी तो उसने परोक्ष युद्ध की नीति अपनाकर सन् १९८९ से आतंकवाद का रास्ता अपनाया। दिन-दहाड़े सामूहिक बलात्कार और हत्या के तांडव नृत्य होने लगे। मुट्ठी भर आतंकवादी देश की छाती को गोलियों से छलनी करने लगे। जिसके परिणामस्वरूप लगभग चार लाख हिंदुओं को घाटी छोड़कर जम्मू एवं देश के अन्य भागों में विस्थापितों का जीवन बिताना पड़ रहा है। घाटी में कुहराम मचाने के बाद आतंकवाद डोडा जिला में फैला, वहाँ इसने हिंदुओं को भयभीत करने के लिए अनेक अत्याचार किए। हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार किए, परंतु डोडा के देशभक्त समाज ने आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया और विस्थापित नहीं हुआ। आतंकवाद ने पूरे जम्मू क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए राजौरी-पुंछ जिलों और जम्मू में अपनी गतिविधियाँ शुरू कीं।

इस पुस्तक के लेखक श्री रवींद्र जुगरान ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर जम्मू कश्मीर में नासूर बने हुए आतंकवाद के सभी पहलुओं को रेखांकित किया है। आतंकवाद का प्रारंभ और उसके अंतर्गत घटी दर्दनाक घटनाओं का वास्तविक चित्रण किया है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आतंकवाद से संघर्ष करनेवाले वीरों और बलिदान देनेवाले देशभक्तों की घटनाओं का भी

वर्णन है, जिसे पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भूमिका का निष्पक्ष और तथ्यों सहित वर्णन करके सच्चाई को प्रकट करने का साहसिक कार्य लेखक ने किया है। जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं, राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रमुख नेताओं के साक्षात्कारों के माध्यम से जनता के मानस की झाँकी देने का भी उन्होंने सुंदर प्रयत्न किया है। साथ-ही-साथ उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर पर प्रत्येक दल के दृष्टिकोण की जानकारी भी प्राप्त होती है।

जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों की तथ्यपरक जानकारी देने के इस प्रयास के लिए लेखक बधाई के पात्र हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ की स्थिति समझकर इसकी एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए पूरा देश सन्नद्ध हो जाए, यही कामना है।

—कुप्.सी. सुदर्शन
सर-संघचालक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

मेरा नम्र निवेदन

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के अत्याचारों, कुकृत्यों और दिल को दहलानेवाले दृश्यों को देखकर मैं मर्माहत हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य करते हुए मैंने पाकिस्तान द्वारा प्रेरित उग्रवाद की घटनाओं को नजदीक से देखा और भोगा है। आतंकवाद की कथा-व्यथा को सुनकर और सन् १९९० से अनेक वर्षों तक वहाँ के दहशत और दुःख-दर्द जन-जीवन को देखकर मेरे मन में यह भावना जाग्रत् हुई कि जीवन और मृत्यु के बीच संघर्षरत जम्मू कश्मीर की वेदना-पीड़ा को रेखांकित किया जाए। सत्य के साक्षात्कार को शब्दों द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करने का मैंने एक प्रयास किया है।

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के अत्याचार एवं अमानुषिक आचरण देखकर क्रूर-से-क्रूर व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है; किंतु मजहब के नाम पर निर्दयता की घुट्टी पीनेवाले कट्टरपंथियों का हृदय ही शायद पत्थर का बना है। घाटी में दिन-दहाड़े हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटना से मानवता की छाती छलनी हो चुकी है। माताओं की गोद सूनी हो गई, बहनों की माँग से सिंदूर मिट गया, भाइयों की कलाइयाँ राखी के बिना खाली रह गईं। कुत्सित मानसिकता के कट्टरपंथियों के कलंक को कोख में पालने के लिए अनेक बहनों को विवश किया गया। घुट-घुटकर जीने को अभिशप्त वहाँ के लाखों लोग पलायन की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर हुए। इन लोगों की हृदय विदारक पीड़ा को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त समाज के लिए यह संकट नहीं, अपितु संघर्ष का कालखंड है। अस्मिता और अस्तित्व के लिए संग्राम-कर्म का क्षण है। आत्मोत्सर्ग की इस घड़ी में शौर्य-पराक्रम की मिसाल-प्रतिष्ठापना का अवसर प्रदेश के साहसी देशभक्त समाज को प्राप्त हुआ है। हमारा इतिहास शूरवीरों की गौरव-गाथाओं से

भरा पड़ा है। देशधर्म की रक्षा के लिए बलिदान की समृद्ध परंपरा का संरक्षण समय की माँग है और ये बलिदान की घड़ियाँ इतिहास में सदैव के लिए अमर बन जाएँगी।

आतंकवाद के कारण हिंदू-मुसलमान के बीच नफरत की भावना फैली है। यह ऐतिहासिक साक्ष्य है कि हमारे पूर्वज एक रहे हैं। मुगलकाल में तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया गया। इस सत्य को अनेक मुसलिम विद्वानों और नेताओं ने भी स्वीकार किया है। परिस्थितिजन्य विवशता में मुसलमान बन जाने के बावजूद कश्मीर के लोगों ने अपने पूर्वजों की परंपरा, रीति-रिवाज और संस्कारगत वैशिष्ट्य को किसी-न-किसी रूप में जीवंत बनाए रखा। कश्मीर घाटी के मुसलमानों में भाषा, रहन-सहन, पहनावा, शिष्टाचार और उपजातियों के रूप में भारत की सांस्कृतिक थाती अब भी विद्यमान है। मजहब बदल लेने से पूर्वज, परंपरा, परिवेश और राष्ट्रीयता नहीं बदल जाती। अतएव राष्ट्रधर्म की रक्षा करना संपूर्ण भारतीयों का कर्तव्य है, चाहे वह किसी भी मजहब का हो।

यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुझे जम्मू कश्मीर के पीड़ित-प्रताड़ित जनजीवन, राष्ट्रभक्त समाज और स्वयंसेवकों से मिली। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरे जिन मित्रों ने इस पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर-संघचालक माननीय श्री कुप्.सी. सुदर्शनजी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर मेरा यशोवर्द्धन किया है। मैं उनकी इस सहजता, सरलता और सजगता के प्रति विनयावनत रहते हुए अनुगृहीत हूँ। प्रकाशन की दृष्टि से पुस्तक का रूप छोटा हो जाने के कारण इसमें अनेकों महानुभावों के संगृहीत विचारों एवं साक्षात्कारों को मैं चाहते हुए भी सम्मिलित न कर सका। मेरी विवशता को समझते हुए वे मुझे क्षमा करेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने की कृपा अवश्य करें, यही आपसे मेरा नम्र निवेदन है।

डब्ल्यू जेड-१२३८/३, नाँगल राया,
नई दिल्ली-११००४६

—रवींद्र जुगरान

भौगोलिक-सांस्कृतिक परिदृश्य

ऐसी लोक-मान्यता है कि महर्षि कश्यप के तप-तपस्या के परिणामस्वरूप सतीसर के अगाध जल से कश्मीर घाटी का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप ने यहाँ सुंदर नगर बसाया, जिसमें धर्म और ज्ञान के प्रचार हेतु अनेक केंद्र बने। इसी कारण प्रारंभ में इसका नाम 'कश्यप-मृग' पड़ा, जो समय के साथ परिवर्तित होता हुआ 'कश्मीर घाटी' के नाम से विख्यात हो गया। कश्मीर प्रारंभ से ही ज्ञान का प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, जिसका स्पष्ट प्रमाण यहाँ का शारदा तीर्थ है। यह हमेशा तप-तपस्या की धर्मभूमि रही है। इसके इतिहास को देखने से पता चलता है कि पूर्व में यहाँ नागपूजा का बड़ा प्रचलन था। जिसकी पहचान आज भी यहाँ के अनेक नगरों एवं स्थानों के नाम से होती है, जैसे—अनंतनाग, कुक्कड़नाग, शीश्रमनाग (शेषनाग), कौंसरनाग, वैरीनाग, सुपारनाग, कप्परनाग, मैहलनाग, बुड्डूनाग आदि। यहाँ तक कि कश्मीर के श्री वासुकि नाग कालांतर में भद्रवाह जाकर वहाँ के प्रथम राजा बने, जो आज वहाँ आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान् शिव का बाबा अमरनाथ पावन तीर्थस्थल, श्रीनगर में माता क्षीर भवानी का प्राचीन मंदिर, आदि शंकराचार्य का धर्म-जागरणयात्रा के रूप में यहाँ आना और उनके नाम का शंकराचार्य पहाड़ी पर श्री शंकराचार्य मंदिर, अनंतनाग में 'मटन' नाम का पवित्र तीर्थ, जहाँ देश भर से हिंदू श्राद्धकर्म हेतु आते थे, बड़गाम में नंद महर्षि का समाधिस्थल चरारेशरीफ, जिसको मुसलिम समाज भी परम पवित्र मानता है, इत्यादि अनेक स्थल इसकी पवित्रता एवं गौरवमय धार्मिक स्वरूप के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह कल्हण जैसे विद्वान् का जन्मस्थान है।

भारत का नंदन वन

भारतमाता का नंदन वन और धरती का स्वर्ग कश्मीर, अपने प्राकृतिक

सौंदर्य के कारण सबका मन मोह लेता है। सागर तल से पाँच हजार दो सौ फीट की ऊँचाई पर झेलम नदी के दोनों किनारों पर बसा श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सन् १९४७ के आसपास घाटी में तीन जिले—श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला (वराहमूल) थे। बाद में श्रीनगर से बड़गाम, अनंतनाग से पुलवामा और वारामूला से कुपवाड़ा जिला बनाकर घाटी को छह जिलों में विभाजित कर दिया गया। पीर पंचाल की पर्वतमालाओं में नौ हजार फीट ऊँचाईवाले एक पर्वत को पार करते ही कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार आ जाता है। जवाहर टनल (लंबी यातायात सुरंग) को पार करते ही सर्वप्रथम घाटी के अनंतनाग और पुलवामा जिले आते हैं। उसके बाद छोटी सी खूबसूरत पहाड़ी पर बसा श्रीनगर आता है। फिर इसके उत्तर दिशा में बड़गाम जिला, नीचे की तरफ बारामूला और सीधा चलकर दाईं तरफ कुपवाड़ा जिला आता है।

अनंतनाग जिले की सीमाएँ डोडा जिला से मिलती हैं। बड़गाम, कुपवाड़ा और बारामूला जिलों की सीमाएँ पाकिस्तान की सीमा के साथ मिलती हैं। श्रीनगर इन सबके बीच में स्थित है। झेलम, डल और वुलर झीलें इसकी शोभा बढ़ाती हैं। स्थान-स्थान पर जल की मीठी चश्में हैं। सर्दी में घाटी में बिछी बर्फ की सफेद चादर मन में एक शांति का अनुभव कराती है। चिनार, चीड़ और देवदार के वृक्षों और अन्य जड़ी-बूटियों से घिरी हुई घाटी का पर्यावरण शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक है। फिरन, काँगड़ी, महिलाओं के सिर पर पटका (कपड़ा), हिंदू-मुसलमान की टोपी एवं पगड़ी—यहाँ की वेशभूषा है। यहाँ के लोग कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, गुज्जरी, डोगरी आदि भाषाएँ और बोलियाँ बोलते हैं। प्रारंभ में कश्मीर की यह हिंदू घाटी विदेशी आक्रमणकारी तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब के अत्याचारों के कारण इसलामिक परिवर्तन की आँधी में मुसलिम बहुल हो गई। समय के साथ-साथ इसलाम के पवित्र केंद्र हजरत-बल एवं अनेक छोटी-बड़ी मसजिदें भी आज यहाँ पर खड़ी हैं।

राजौरी-पुंछ

जम्मू कश्मीर राज्य के पुंछ और राजौरी दो जिले पूर्ण रूप से सीमावर्ती जिले हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर एक भव्य नगर रावण के दादा पुलस्त्य मुनि ने बसाया था। यहाँ इन्होंने तपस्या की थी। इस नगर का प्राचीन नाम पुलस्त्य नगर था जो समय के साथ बदलकर पुंछ हो गया। यहाँ आज भी पुलस्त्य नाम की एक नदी बहती है, जिसे लोग बहुत पवित्र मानते हैं।

यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समृद्ध परंपरा की नगरी रही है। पुंछ

के प्रवेश द्वार का विशाल बाँध ढयोडी इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसमें भगवान् गणेश सहित अनेक हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इसीके मंडी क्षेत्र में प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर है, जहाँ प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा में धार्मिक यात्रा जाती है। यह यात्रा पुंछ नगर के श्री दशनामी अखाड़े से प्रारंभ होती है। पुरानी पुंछ का श्रीराम मंदिर भी यहाँ की उल्लेखनीय सांस्कृतिक विरासत है।

प्राचीनकाल में पुंछ एक स्वतंत्र राज्य था। इसमें राजौरी का क्षेत्र भी सम्मिलित था। पुंछ का प्राचीन भव्य किला इस बात का साक्षी देता है। मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों के कारण यहाँ बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ। बगदाद से आनेवाले मजहबी इसलामिक सिपाहियों और पीर-फकीरों ने भी बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराके इसलाम का विस्तार किया। गाँव-गाँव में घूम-घूमकर इन लोगों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। गुज्जर मुसलमान की संख्या यहाँ अधिक है, जो कि अपना संबंध पृथ्वीराज चौहान से बताते हुए गौरवान्वित होते हैं। इसलिए अपने नाम के साथ चौहान लिखकर अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से पुंछ की स्वर्णकोट तहसील के मुसलमानों के पास आज भी उनके पूर्वजों के द्वारा लिखे हुए शिलालेख हैं, जिसमें उन्होंने अपनी आनेवाली पीढ़ी को लिखा है—'हम हिंदू हैं और आज समय की मजबूरियों के कारण इसलाम मजहब अपनाकर मुसलमान बन रहे हैं, आनेवाले समय में जब हालात ठीक हो जाएँगे तो तुम सब अपने पुराने धर्म में पुनः लौट आना और अपने पूर्वजों को भूलना नहीं।' इसलिए यहाँ के मुसलमानों ने अपनी बोली, वेशभूषा, पगड़ी और रीति-रिवाजों के रूप में अपनी सांस्कृतिक विरासत और हिंदू परंपरा को आज भी गौरव-बोध के साथ आत्मसात् किए हुए हैं।

बंदा वीर वैरागी यहाँ के लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने देश और धर्म की रक्षा करते हुए आक्रमणकारी मुगलों से टक्कर ली। इनका जन्म राजौरी-पुंछ की पवित्र घाटी में हुआ। एक बार युवा अवस्था में इन्होंने हिरणी का शिकार किया, परंतु इनको बाद में अपने इस कृत्य पर पश्चात्ताप हुआ और उनके जीवन में इस घटना से नया मोड़ आया। इन्होंने घरबार छोड़ नादेड़ जाकर आश्रम बनाया और तपस्या करने लगे। गुरु गोविंद सिंह से इनकी भेंट हुई। गुरुजी ने इनका मार्गदर्शन करते हुए कहा कि केवल माला जपकर धर्म नहीं बच सकता। औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदूधर्म को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, इसलिए हाथ में तलवार लेकर धर्म की रक्षा करो। इन्होंने उन्हें अपना गुरु मानकर उनके आदेशानुसार कार्य प्रारंभ कर मुगलों के साथ संघर्ष किया। मुगल सेना ने इनके अबोध पुत्र का कलेजा

निकालकर इनके मुँह में डाल दिया, परंतु इन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और देशधर्म की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। इसी प्रकार सन् १९४७ में पाकिस्तान के कबायली युद्ध में पुंछ को बचानेवाले ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की वीरता से सभी प्रेरणा लेते हैं। इस हमले में पुंछ की ढाई तहसीलें पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात् गुलाम कश्मीर में चली गईं। सन् १९४७ में राजौरी में बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्याएँ की गईं। जिनकी याद राजौरी में बना 'बलिदान भवन' दिलाता है।

जम्मू

महाराजा जम्मू लोचन द्वारा बसाए गए जम्मू में जिधर भी दृष्टि डालें तो कोई-न-कोई मंदिर अवश्य ही दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक मोहल्ले की प्रायः यही स्थिति है। इसी कारण जम्मू को 'मंदिरों का शहर' भी कहा जाता है। महाराजा जम्मू लोचन के राज्य में इतनी शांति, प्रेम-भाईचारा एवं विश्वास था कि मनुष्य तो क्या पशु भी आपसी वैरभाव को भूलकर प्रेम से रहते थे। इस विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि इनके शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट पर एक साथ पानी पीते थे। जम्मू के रणवीरेश्वर मंदिर के सामने मुख्य चौक में इस बात को दर्शाता हुआ एक प्रतीक स्मारक भी बना हुआ है जो महाराजा जम्मू लोचन के न्यायप्रिय कुशल प्रशासन और शांतिपूर्ण साम्राज्य का स्मरण कराता है। डोगरा महाराजाओं ने भी जम्मू को मंदिरों की धार्मिक नगरी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। जम्मू शहर में श्रीरघुनाथ मंदिर सबसे भव्य और विशाल है। श्रीरणवीरेश्वर मंदिर, माता वागें वाहु मंदिर आदि अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण भी यहाँ कराया गया। माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान जम्मू प्रदेश को पवित्र करता है।

जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की एकता और अखंडता के लिए देशभक्तों के द्वारा जो भी आंदोलन हुए उन सबका केंद्र जम्मू ही रहा है। चाहे वह सन् १९५२ की स्थिति के विरोध में पं. प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में 'प्रजा परिषद्' का आंदोलन हो या 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' का नारा लेकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चलाया गया जनसंघ का आंदोलन हो या फिर आतंकवाद का विरोध कर रहे राष्ट्रवादी संगठनों का आंदोलन हो। जम्मू की देशभक्त और धार्मिक जनता को भयभीत करने के लिए दस वर्ष पूर्व ही आतंकवादियों ने जम्मू में भी अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दीं। जिसके प्रमाण समय-समय पर होनेवाले बम विस्फोटों और हिंदुओं की हत्याओं के रूप में मिलते रहे। सतवारी में विद्यार्थियों से

भरी बस को उड़ाना, सब्जी मंडी और शालामार चौक पर बम विस्फोट, २६ जनवरी, १९९६ में गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर विस्फोट करके राज्यपाल श्री कृष्ण राव की हत्या का असफल प्रयास—जैसी घटनाएँ इसके प्रमाण हैं।

कठुवा

जिला कठुवा मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र का मिला रूप और इसका लखपुर जम्मू कश्मीर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। हीरानगर पूर्ण रूप से इसका सीमावर्ती क्षेत्र है। बिलावर की सुकराला माता का यहाँ बड़ा महत्त्व है, बसोहली की, भगवान् श्रीकृष्ण के चित्रों की भव्य चित्रकला प्रसिद्ध है। यहाँ जोडेवाली माता, एरूवा (एरावत हाथी का मंदिर) आदि अनेक प्राचीन मंदिर हैं। लोक-मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने वनवासकाल के समय इसका निर्माण किया था।

जिला कठुवा में भी आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू होने की अनेक घटनाएँ निरंतर प्राप्त हो रही हैं। इसके पहाड़ी क्षेत्र, जिनकी सीमा जिला डोडा के भद्रवाह क्षेत्र से लगती है, आतंकवाद से प्रभावित हैं। बिलावर, बसोहली, बनी आदि क्षेत्र के कुछ गाँव तो ऐसे हैं जहाँ हिंदू समाज बहुत कम संख्या में बचे हैं। यहाँ के अनेक मुसलिम युवकों का आतंकवादियों से संबंध है। आतंकवादी भद्रवाह के पहाड़ी रास्तों से होकर मछेड़ी के रास्ते से डोलामाता और फिर धमान से निकलते हुए डोडले में आते हैं तथा द्रबन के रास्ते से हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। धमान इनका केंद्र बनता जा रहा है। भद्रवाह के कैलास के रास्ते से आतंकवादी बनी में प्रवेश करते हैं और यहाँ के हिंदुओं को डरा-धमकाकर लूटपाट करते हैं। ये बनी के दंडी, खुद्दू के जंगली स्थानों में भी रहते हैं। बनी में इनके रहने के तीन प्रमुख स्थान—धमान, चंडियार और लुआंग हैं। सरथल क्षेत्र आतंकवादियों से काफी प्रभावित है। यहाँ सेना की चौकियाँ हैं, जिसके भरोसे गुज्जर समाज यहाँ रहता है। जब सेना वहाँ से निकलती है तो ये भी उस स्थान को आतंकवादियों के भय से छोड़ देते हैं। क्योंकि सेना के चले जाने के बाद आतंकवादी इन्हें तंग करते हैं। इन खतरों को देखते हुए बनी का हिंदू समाज अपनी जमीन आदि संपत्ति बेचकर अन्य स्थानों पर जा रहा है। झंडियार, भूंड, डोडला के जंगलों को साफ कर मुसलिम बस्तियाँ बस रही हैं। डुड्डू और बसंतगढ़ में तो आतंकवादी हथियारों का प्रशिक्षण भी देते हैं। इस प्रकार जिला डोडा की सीमा से लगा यह क्षेत्र मुसलिम बहुल बनता जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सन् १९८५ से पूर्व ऐसा दृश्य नहीं था। पिछले दस वर्षों से उत्तर प्रदेश के कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवियों का यहाँ आना-

जाना तेज हो गया और वे इसलामिक शिक्षा का प्रचार करने के बहाने मुसलमानों के दिल-दिमाग में अलगाववाद के कुत्सित विचार भरने लगे। यहाँ के भाईचारे में नफरत भरने लगे, जिसका परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है।

लद्दाख

समुद्र तल से चौदह हजार फीट की ऊँचाई पर बसा लद्दाख चारों ओर से ऊँची-ऊँची सफेद बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है; जो शांति का प्रतीक है। प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आँचल में समेटे शैल-शिखर भारत के सिरमौर है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ भगवान् बुद्ध का शांति-संदेश देती प्रतीत होती हैं। यहाँ का सीधा-सरल जीवन सहज ही लोगों को आकृष्ट करता है। 'अतिथि देवो भव:' का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ होता है। महात्मा बुद्ध के शांति उपदेशों से लद्दाख की घाटी गूँजती रहती है। लामा पद्मासंभव ने यहाँ तपस्या करके अपने जीवन को प्रकाशित किया। मुसलिम आक्रमणकारियों ने लद्दाख की शांति भंग करने के लिए अहिंसा की भूमि पर हिंसा फैलाई। परंतु यहाँ के राजा शिगें नामदयाल ने इन विदेशी हमलावरों से यहाँ की संस्कृति को बचाया। लेह घाटी में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की, जिससे लेह में इसलाम के धर्मपरिवर्तन की आँधी सफल न हो सकी। परंतु करगिल घाटी में इसलाम फैला और शांति, अहिंसा का संदेश देनेवाले हिंदू-बौद्धों को मजहबी अत्याचारों ने मुसलमान बना दिया और यह घाटी मुसलिम बहुल हो गई।

भौगोलिक स्थिति—लद्दाख क्षेत्र में दो जिले हैं—लेह और करगिल। ये पूर्ण रूप से सीमावर्ती क्षेत्र हैं। लेह जिले की सीमा पाकिस्तान और चीन की सीमाओं से लगती है। करगिल की सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगती है और अफगानिस्तान इसके काफी निकट है। लेह जिले के प्रमुख क्षेत्र—नुबरा, न्यूमा, खलसी और लेह हैं तथा करगिल जिले के प्रमुख क्षेत्र—चित्तन, सांगू, गस्से, द्रास, जंसकार और करगिल हैं। लेह और करगिल में जिला मुख्यालय तथा बड़े-बड़े बाजार हैं, जिनमें जम्मू, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नेपाल आदि स्थानों के लोग भी व्यापार के लिए आते-जाते हैं। विश्व की सबसे अधिक ऊँचाई पर बना सड़क मार्ग लद्दाख में चौदह हजार फीट की ऊँचाई पर बना है, जिसका नाम 'खड़जुमला सड़क मार्ग' है। श्रीनगर और मनाली (हिमाचल प्रदेश)—इन दोनों मार्गों से मई से अगस्त महीने तक बड़े आराम से जाया जा सकता है। लेह में चौकाल्सर सिटी नाम का हवाई अड्डा भी है। लद्दाख का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास है।

सिंधु दर्शन—जहाँ पर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पली-बढ़ी और विकसित हुई, जिसके कारण इस देश का नाम हिंदुस्थान (सिंधुस्थान) पड़ा, वह ऐतिहासिक पवित्र 'सिंधु नदी' लद्दाख-लेह से बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। जिसके दर्शन से भारत की मानव सभ्यता के उत्कर्ष का इतिहास आँखों के समाने उतर आता है। केंद्र और प्रदेश की सरकार तथा सामाजिक-धार्मिक संगठनों ने मिलकर अगस्त १९९७ में 'सिंधु दर्शन अभियान' प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष इस अभियान के लिए दिल्ली से लद्दाख के लिए विशेष बसें चलाई जाती हैं। सिंधु नदी के तट पर पूजन किया जाता है। उसके पवित्र जल से स्नान करते हैं। नाच-गान द्वारा लोक उत्सव जैसा भव्य वातावरण बन जाता है। इस अभियान में केंद्रीय मंत्री सहित देश की जानी-मानी हस्तियाँ भाग लेती हैं। लद्दाख के नागरिकों में इस अभियान से एक नई स्फूर्ति आ जाती है। वे यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए भरपूर सेवा भावना से कार्य करते हैं। इस कार्य में फांदे चोप्सा सहित अन्य सामाजिक-धार्मिक संगठन अभियान की सुव्यवस्था करते हैं। सिंधु दर्शन अभियान से भारत का प्राचीन गौरव और एकात्मकता का दर्शन होता है।

धार्मिक स्थल—यहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं से युक्त गोंपा (बौद्ध मंदिर) और उनके अहिंसा के संदेश का प्रचार करते हुए लामाओं के दर्शन सहज ही हो जाते हैं। बौद्ध मत का लेह में बुद्ध हिमिज गोंपा नाम से सबसे बड़ा भव्य मंदिर है। लामा एवं अन्य लोग यहाँ पर हर समय साधना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। फियान गोंपा, ठिक्से गोंपा; स्फीतू गोंपा और लामा यूरू आदि हिंदू-बौद्धों के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। लेह में भगवान् शिव का मंदिर और सिखों का एक गुरुद्वारा भी है। लद्दाखी चित्रकारी में सबसे अच्छा अल्छी गोंपा है, जोकि खलसी क्षेत्र में है। यहाँ पर ही भव्य जामा मसजिद है और मौलवी बशीर पीर की एक बड़ी इजारत भी। यहाँ ईसाइयों का चर्च भी है।

सामाजिक स्थिति—यहाँ के लोगों की वेशभूषा एक अलग प्रकार की है। लंबा ऊनी गोंचा, गरम कपड़े, परंपरागत टोपी और आभूषणों से सजी महिलाएँ। परंपरागत लोकगीत एवं नृत्य सबके मन को मोह लेते हैं। गाँवों में लोग अभी भी अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं। लद्दाख का क्षेत्रफल जम्मू एवं कश्मीर दोनों क्षेत्रों से दो गुणा है; परंतु विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। रोजगार के साधन बहुत कम हैं। इसलिए बेरोजगारी काफी है। यहाँ पर चांटांग में अच्छे पशमीना शॉल तैयार होते हैं।

डोडा

भारत की संपूर्ण धरती वीरभूमि रही है। हमने इसको माता कहा है। जम्मू कश्मीर में भी शौर्य-वीर का उज्ज्वल इतिहास रहा है। अपने पूर्वजों की वीरता और साहस गाथा सुनकर निर्बल-से-निर्बल व्यक्ति भी सबल बन जाता है।

हिमालय की गोद में बसा यह पावन स्थल धर्म-प्रचार, तप-तपस्या एवं ज्ञान की पीठ के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। समय-समय पर महर्षियों, संतों और वीरों ने अपनी तप-साधना एवं शौर्य द्वारा इस धरती को पवित्र किया है। वीरों ने अपने बलिदान से इस पावनभूमि को तेजयुक्त किया है। वास्तव में हमारे पूर्वजों ने ऐसे इतिहास का निर्माण किया जिससे संपूर्ण राष्ट्र प्रेरणा पाकर हजारों वर्षों से हिमालय की भाँति अडिग खड़ा है। उसी इतिहास में एक अंश इस जिले का भी है।

हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरे इस जिले की सीमा पत्नीटॉप से प्रारंभ होकर बनिहाल के पीर पंजाल की पर्वतमाला तक और हिमाचल प्रदेश के चंबा, पाँगी, लद्दाख के जंसकार, अनंतनाग एवं जम्मू के कठुवा, ऊधमपुर जिलों से इसकी सीमा लगती है। इस जिले का क्षेत्रफल ग्यारह हजार छह सौ इक्यानबे वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य के लद्दाख क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। सन् १९९८ में यहाँ की आबादी पाँच लाख अस्सी हजार थी।

डोडा के नामकरण के बारे में अनेक मान्यताएँ हैं। कहा जाता है कि डोडा और उसके आसपास के भेरमा, प्रेमनगर, कांडोर आदि क्षेत्रों में 'खसखाश' नामक नशीली फसल की खेती होती थी। स्थानीय जनता इसको अपनी बोली में 'डोडा' कहती है। दूसरी मान्यता के अनुसार मक्का की खेती यहाँ बहुत होती है, जो यहाँ का मुख्य खाद्यान्न है, जिसे स्थानीय बोली में 'डोडा' कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मियाँ डीडो यहाँ आए थे। यहाँ पर स्थित एक किला इसका साक्षी है। कुछ लोगों का मानना है कि डीडो का अपभ्रंश भी डोडा हो सकता है।

जिला डोडा को प्रारंभ में चार तहसीलों में बाँटा गया था—डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन। सन् १९७१ के बाद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चुनावों के मद्देनजर सात तहसीलों की रचना इस प्रकार की गई कि सभी तहसीलों में मुसलिम आबादी अधिक हो। तहसीलों की नई रचना में ठाठरी, भसेल और बनिहाल को शामिल किया गया।

प्रारंभ में डोडा में हिंदू बहुसंख्यक थे, किंतु बाद में शेख अब्दुल्ला ने विभिन्न भागों से आए मुसलमानों को हिंदुओं की जमीन पर बसाया। धीरे-धीरे डोडा शहर में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अब यहाँ केवल दस प्रतिशत हिंदू हैं।

डोडा तहसील में श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर, लाल द्रमण में मुठल नागयात्रा मंदिर, देसा क्षेत्र में रुद्र यात्रा मंदिर, घट क्षेत्र में माता चोंडा मंदिर (माता भवानी मंदिर), भागवा क्षेत्र में शिवशंकर और कालका माता का प्राचीन मंदिर हैं। भद्रवाह तहसील में श्रीवासुकि नाग मंदिर (गाठा गाँव), महाराज हरिसिंह के वजीर श्री शोभाराम द्वारा निर्मित श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर, पासरी मंदिर, चंबा महाराजा छत्र सिंह द्वारा निर्मित बाली मंदिर प्रमुख हैं। भसेल तहसील के ग्वाड़ी नामक गाँव में काली चंडी माता मंदिर है, जिसका ऐतिहासिक-सांस्कृतिक महत्त्व है। मणी महेश की यात्रा इसी मंदिर से प्रारंभ होती है। ठाहरी तहसील के बरशाला गाँव में जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख विजय के लिए जाते हुए लक्ष्मीनारायण मंदिर बनवाया था। किश्तवाड़ तहसील में श्रीस्थल माता मंदिर (सरथल क्षेत्र के अग्राल गाँव में), गौरी शंकर मंदिर (सरकूट), श्रीराम मंदिर और श्रीसत्यनारायण स्वामी मंदिर हिंदुओं के आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। रामबन तहसील में भगवान् श्रीराम का एक भव्य मंदिर है।

किश्तवाड़

जम्मू कश्मीर में डोगरा शासकों के राज्य से पूर्व किश्तवाड़ एक सबल राज्य के रूप में विद्यमान था। इसकी सीमा तहसील डोडा, रामबन, ठाठरी, नामसेन से लेकर रियासी के गुल गुलाबगढ़ नामक भूखंड के अंतिम छोर तक फैला था। 'राजतरंगिणी' के सुविख्यात लेखक-कवि श्री कल्हण ने इस प्रदेश को काष्टवार के नाम से रेखांकित किया है। कहा जाता है कि जब कश्मीर घाटी सतीसर के अगाध जल में डूबी थी तब किश्तवाड़ का भू-भाग प्रकट हो चुका था। यहाँ महर्षि कश्यप ने अपने शिष्यों के साथ वास किया था। इसलिए इसका प्राचीन नाम कश्यपवास था।

महाभारत कालखंड में भी इस राज्य का वर्णन आता है। अर्जुन ने कश्मीर के छोटे-छोटे राज्यों के साथ इस लोहित मंडल को भी जीत लिया था। लोहित मंडल का अर्थ केशरवाला प्रदेश है और उस समय किश्तवाड़ ही केशर की फसल देनेवाला राज्य था। महाभारत में इसका वर्णन है—

'ततः काश्मीर कान्वीशन् क्षत्रियान क्षत्रियर्षत्रः।
व्यजयल्लोहितं चैव मण्डलैदर्शभिः सह॥'

इसका एक नाम कष्टवारक या कष्टनिवारक भी कहा जाता है। पुराण में

इसका उल्लेख इस प्रकार हुआ है—

'कष्ट निवारकं देशं चन्द्रभागातटस्थितम्।
समागतः स नागेशः काश्मीरेभ्यो भयान्तितः॥'

सन् १११३ से ११७० तक महाराजा अग्रसेन ने यहाँ पर शासन किया। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने यहाँ अनेक मंदिर बनवाए।

जम्मू कश्मीर राज्य : एक परिचय

जम्मू कश्मीर बसाया	:	महाराजा जम्मू लोचन और महर्षि कश्यप ने
कुल क्षेत्रफल	:	२,२२,२३६ वर्ग कि.मी.—१०० प्रतिशत
पाकिस्तान के कब्जे में	:	७८,११४ वर्ग कि.मी.—३५.१५ प्रतिशत
पाकिस्तान ने चीन को दिया	:	५,१८० वर्ग कि.मी.—२.२१ प्रतिशत
चीन के कब्जे में	:	३५,५५५ वर्ग कि.मी.—१६.९२ प्रतिशत
वर्तमान में शेष क्षेत्रफल	:	१,०१,३८७ वर्ग कि.मी.—४५.६४ प्रतिशत

कुल क्षेत्र (३)

	जम्मू	*कश्मीर घाटी*	*लद्दाख*
क्षेत्रफल	२६ हजार वर्ग कि.मी.	१६ हजार वर्ग कि.मी.	९४ हजार वर्ग कि.मी.
समुद्र तल से ऊँचाई	५ सौ से १४ हजार फीट	५ हजार से १८ हजार फीट	९ हजार से २३ हजार फीट
भौगोलिक स्थिति	मैदानी एवं पहाड़ी	पूर्णरूप से पहाड़ी	बर्फीली पहाड़ियाँ
दिल्ली से दूरी	५८५ कि.मी.	८७९ कि.मी.	१,३१३ कि.मी.
जनसंख्या (८० लाख)	३७ लाख	४१ लाख	२ लाख
सरकारी जिले (१४)	६	६	२
भाषाएँ	डोगरी	कश्मीरी (उर्दू)	लद्दाखी (बुद्धिष्ठ)
लोकसभा क्षेत्र (६)	२	३	१
विधानसभा क्षेत्र (८७)	३७ (१२ मुसलिम बहुल)	४६ (सभी मुसलिम बहुल)	४ (२ मुसलिम बहुल)
प्रमुख धार्मिक स्थल	माता वैष्णो देवी	बाबा अमरनाथ, हजरतबल	बुद्ध हिमिज गोंपा

	जम्मू	कश्मीर घाटी	लद्दाख
कुल गाँव (६४४५)	३४०१	२८०५	२३९
कुल शहर (७२)	३६	३४	२
कुल पंचायतें (२६८३)			

जिलानुसार गाँव-शहर

जिला	गाँव	शहर
अनंतनाग	६१७	९
श्रीनगर	१७२	३
बडगाम	४६७	५
पुलवामा	५४०	६
बारामूला	६४३	९
कुपवाड़ा	३६६	२
जम्मू	१,०४७	१३
ऊधमपुर	५९७	६
डोडा	६५६	६
राजौरी	३७९	४
पुंछ	१७०	१
कठुवा	५५२	६
करगिल	१२७	१
लेह	११२	१

□

आतंकवाद की पृष्ठभूमि

सन् १९४७ के भारत-विभाजन के पश्चात् ही देश के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर को शेष भारत से अलग करने का षड्यंत्र पाकिस्तान द्वारा शुरू हो गया, जो सन् १९४७, ६५ और ७१ के पाकिस्तानी युद्धों से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। पुनः सन् १९८९ से अघोषित युद्ध और आतंकवाद के माध्यम से यह षड्यंत्र हो रहा है। घाटी के मुट्ठी भर मुसलमानों को बहकाकर, उन्हें सब्जबाग दिखाकर इसलामिक कट्टरपंथियों ने इनके हाथों में हथियार थमाकर, राज्य की जनता, विशेषकर अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार करने के लिए तैयार किया। इनके अत्याचारों से घाटी में शांति का संदेश देनेवाली बर्फ की सफेद चादर मारे गए मासूम लोगों का कफन बन गई। श्रीनगर की श्री (समृद्धि) भी चली गई, नगर भी उजड़ गया और हिंसा का केंद्र बन गया। सन् १९८६ में आतंकवाद का एक भयंकर रूप उभरा—हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया, उन्हें जलाया गया। परंतु श्री जगमोहन के वहाँ का राज्यपाल बन जाने पर ये घटनाएँ थम गईं। सन् १९८६-८८ तक की अवधि में आतंकवाद बिलकुल शांत हो गया था। हिंदू-मुसलमानों में जो कड़वाहट पैदा हो गई थी, फिर से भाईचारे में बदल गई। अल्पसंख्यक हिंदू समाज को लगा, अब ऐसा-वैसा कुछ नहीं होनेवाला है। उसने फिर से मकान बनाने एवं व्यापार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। परंतु भयंकर आतंकवाद की तैयारियाँ अंदर-ही-अंदर चलती रहीं। युवकों को हथियारों के प्रशिक्षण के लिए सीमा पार भेजा जा रहा था। हथियारों को स्थान-स्थान पर पहुँचाया जा रहा था। जमायते इसलामिया संगठन के मुल्ला-मौलवी गाँव-गाँव घूमकर मुसलिम समाज के दिलो-दिमाग में अलगाववाद एवं आतंकवाद के समर्थन का जहर भर रहे थे और आजादी का सब्जबाग दिखा रहे थे। सन् १९८६-८८ तक शांत रहने के बाद सन् १९८९ में पुनः घाटी में आतंकवाद ने अपना भयंकर अत्याचारी रूप दिखाया।

आतंकवादियों द्वारा गरदन हलाल करके की गई हत्या।

पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के षड्यंत्र का वर्णन अपनी पुस्तक 'ऑपरेशन टोपाक' में किया है। जिसके अंतर्गत आतंकवाद जम्मू कश्मीर में किस ढंग से काम करेगा और किस तरह आगे बढ़ेगा, उसमें स्पष्ट उल्लेख है। उसमें बताया गया है कि आतंकवाद सर्वप्रथम अपनी कार्यवाही कश्मीर घाटी से शुरू करके, जिला डोडा से होता हुआ राजौरी-पुंछ से बढ़ते हुए जम्मू के शेष क्षेत्रों को अपनी लपेट में लेगा।

इसी नीति के तहत राज्य में आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं। सर्वप्रथम कश्मीर घाटी में सितंबर १९८९ से प्रत्यक्ष रूप से अपनी कार्यवाही शुरू करके हिंदू समाज के प्रमुख व्यक्तियों को चुनकर उनकी हत्याएँ होने लगीं। आतंकवादियों के प्रमुख मकबूल भट्ट को फाँसी की सजा देनेवाले न्यायाधीश श्री नीलकंठ गंजू की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी प्रकार गुप्तचर विभाग के डी.एस.पी. श्री भान को बस से उतारकर सबके सामने गोली से छलनी कर दिया। आतंकवादियों ने १३ सितंबर, १९८९ को भाजपा के उपप्रधान श्री टिक्का लाल टपलू की हत्या कर दी। जनवरी १९९० में श्री प्रेमनाथ भट्ट को भी मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों मिलकर हिंदू समाज का नेतृत्व करते थे। इनकी हत्या से पूरा समाज हिल गया। हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। हिंदुओं की निर्मम हत्याएँ होने लगीं। मार्च १९९० में सिपाहियों को रहने की जगह देनेवाले वृजनाथ के घर में आतंकवादी घुस आए और उन्हें घर से बाहर निकालकर गोलियों से भून दिया। जब उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया तो आतंकवादियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। आतंकवादी वृजनाथ को अपनी गाड़ी से घसीटकर लगभग ढाई किलोमीटर ले गए। फिर उसके शव के ऊपर उसकी पत्नी के शव को भी फेंक दिया। आखिर इन सबका क्या दोष था? यही कि ये 'भारतमाता की जय' कहनेवाले देशभक्त हिंदू थे। इसी प्रकार टिक्कर गाँव की बबली, जो सरकारी कर्मचारी थी, अपना वेतन लेने कुपवाड़ा जा रही थी। रास्ते में आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उसको आरे से चीरकर, उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार माथे पर तिलक लगाए एक हिंदू को पकड़कर, उसके तिलक लगानेवाले स्थान पर छेनी से गहरा गड्ढा बना दिया और उसको तड़पा-तड़पाकर मार दिया। कई हिंदू जो अपने हाथों पर ॐ इत्यादि चिह्न अंकित कराते थे, आतंकवादियों ने उनके हाथों को ही जला दिया। अफगानी आतंकवादी शेख जमालुद्दीन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उसने सत्ताईस लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। यह कहकर उसने नैतिकता को शर्मिंदा कर दिया। इस तरह की अनेक दर्दनाक हत्याओं और व्यभिचार की घटनाओं से आतंकवादियों ने कश्मीर की धरती को देशभक्तों के खून से लाल कर दिया।

आतंकवाद का कारण : बेरोजगारी नहीं, बल्कि भारत से नफरत

कश्मीर घाटी में फैले आतंकवाद के विषय में जब यह बात कही जाती है

कि यह बेरोजगारी के कारण फैला, तो यह बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है। यह आतंकवाद गरीबी और बेरोजगारी से उपजा हुआ आतंकवाद नहीं है। कश्मीर घाटी में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसका अपना मकान न हो। सबके अपने मकान हैं और अच्छे ढंग के हैं। सबके अपने-अपने बाग-बगीचे हैं, जिससे काफी आय भी होती है। आर्थिक विकास के नाम पर पिछले चालीस वर्षों यानी सन् १९४७ से ८७ तक जो भी राशि केंद्र सरकार से मिली, वह जम्मू कश्मीर के नाम से मिली, किंतु उसका अधिकांश भाग कश्मीर घाटी में ही खर्च हुआ। यह राशि एक लाख करोड़ बनती है, जो तुलनात्मक दृष्टि से अन्य राज्यों को दी जानेवाली सहायता राशि से कई गुणा अधिक है। कश्मीर घाटी का प्रत्येक गाँव सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं से युक्त है। यातायात के पर्याप्त साधन हैं। मार्ग बंद होने पर वायुयान की सुविधा प्रदान की जाती है। रोजों और ईद के मौके पर मुरगे और बकरे हवाई जहाज द्वारा पहुँचाए जाते हैं। अत: यह आतंकवाद गरीबी और आर्थिक विकास के नाम पर नहीं है।

दूसरा, बेरोजगारी को इस आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया जाता है। परंतु राज्य में हिंदू और मुसलमान दोनों बेरोजगार हैं। बेरोजगारी यदि आतंकवाद का कारण होता तो हिंदू युवक भी उसमें सम्मिलित होते। फिर इसका नारा रोजगार होना चाहिए था। रोजी-रोटी के नारे लगने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ वे अलगाववाद के नारे दिए जाते हैं, जैसे—'हम क्या चाहते—आजादी, आजादी, आजादी', 'पत्थर माँगे आजादी', 'दरिया माँगे आजादी', 'कश्मीर माँगे आजादी', 'आजादी का मतलब क्या?'—'ला-इला-हि-इल-ला', 'यहाँ क्या चलेगा—निजामे मुस्तफा', 'हिंदुस्थानी कुत्तो वापस जाओ!' यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बेरोजगारी पूरे देश में है। प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ लोग बेरोजगार होते हैं। परंतु देश के बेरोजगारों ने न ही हथियार उठाए और न ही अलगाववाद के नारे लगाए। अत: स्पष्ट है कि कश्मीर घाटी में पाकपरस्त मजहबी इसलामी आतंकवादी हैं। भारत माँ के टुकड़े करने का षड्यंत्र है। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में मुसलिम लीग, जमायते इसलाम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की भूमिका आज जग-जाहिर हो चुकी है।

हिंदू समाज का घाटी से विस्थापन

कश्मीर घाटी में मजहबी आतंकवाद ने मुख्य रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया। हत्या, बलात्कार और अपहरण का तांडव नृत्य होने लगा। हिंदू समाज के

ऊपर दहशत की तलवार लटकाई गई। हिंदू जनसंख्या घाटी में न केवल अल्पसंख्यक थी अपितु इस प्रकार से बिखरी हुई थी कि वह सामूहिक रूप से इस आतंकवाद का मुकाबला करने में अपने-आपको असमर्थ महसूस कर रही थी। मात्र पाँच-छह गाँव ही ऐसे थे जहाँ हिंदुओं के साठ-सत्तर घर इकट्ठे थे। गाँव-गाँव में हिंदुओं को तंग-तबाह, अपमानित-प्रताड़ित करने और व्यभिचार की घटनाएँ सरेआम होने लगीं। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कष्ट पहुँचाने के लिए उनके घरों के सामने गो-मांस की दुकानें खोल दी गईं। अनंतनाग में जद मोहल्ला, बस अड्डा, पुलवामा की मंडी, श्रीनगर शहर, बारामूला शहर के देवी मंदिर के पास आदि अनेक स्थानों पर गो-हत्याएँ होने लगीं। पूरी घाटी का वातावरण हिंदू, हिंदी और हिंदुस्थान के विरुद्ध हो गया। हिंदुओं के घरों के बाहर चेतावनी के परचे चिपकने लगे, जिनपर लिखा रहता था—'या तो तुम सब मुसलमान बन जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, आजादी का नारा लगाओ, नहीं तो घाटी खाली कर दो, यहाँ से भाग जाओ और अपनी लड़कियों और औरतों को यहाँ छोड़ देना, उन्हें हम रखेंगे।' दिन-दहाड़े घाटी में आतंकवादी अपने समर्थकों के साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर बड़े-बड़े जलसे-जुलूस निकालने लगे। भाषणों में कहा जाता था—'हमें काफिरों (हिंदुओं) का खात्मा करना है। इनकी लड़कियाँ ले जानी हैं।'

१९ जनवरी, १९९० को आजादी के समर्थन में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें लाखों लोगों को बंदूक की नोक पर शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। इससे हिंदू एकदम भयभीत हो गए। रात्रि में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती निर्वस्त्र करके मशाल की रोशनी में जुलूस निकाले गए। बाप के सामने बेटी के साथ बलात्कार और बेटे के सामने माँ के साथ बलात्कार की घटनाएँ होने लगीं। प्रशासन एकदम असफल हो गया। मंत्री से लेकर संतरी तक सब आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए मजबूर होने लगे। १८ दिसंबर, १९८९ से २० जनवरी, १९९० तक का समय तो ऐसा लगता था कि कश्मीर में आतंकवादियों की सरकार चल रही है। २६ जनवरी, १९९० को कश्मीर की आजादी की घोषणा होगी, ऐसा सबको विश्वास था। जीवन और मौत से जूझ रहे घाटी के हिंदुओं का एक प्रतिनिधि मंडल सर्वश्री हीरालाल, अमरनाथ वैष्णवी, हीरालाल चड्ढा आदि प्रमुख लोगों के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिला और घाटी की स्थितियों से अवगत कराया। परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। समय पर कोई सहायता नहीं मिली। हिंदू अपनी प्राण रक्षा और युवा लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए रात के अँधेरे में उन्हें शहर में लाने लगे और सुबह चुपचाप जम्मू

भेजने लगे। कई लड़कियाँ जिन्हें आतंकवादी ढूँढ़ रहे थे, वे बुर्का पहनकर जम्मू पहुँची और अपनी आबरू को बचाया। कश्मीर की सात्त्विक धरती पर आसुरी शक्तियों का राज हो गया। यहाँ की नदियों में अमृत की जगह रक्त बहने लगा। जिन वनों में हमारे ऋषि-महात्मा निर्भय होकर तप करते थे, वे उग्रवादियों के शरणस्थल बन गए। पुत्र के मरने पर पिता को अग्नि देने के लिए मना किया गया। माँ के रोने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। नारियों के दाम लगाए जाने लगे। हिंदू समाज के सामने ऐसी विकट परिस्थितियों में दो ही मार्ग थे—या तो वे सब मुसलमान बन जाएँ, कश्मीर की आजादी का नारा लगाएँ और अपने घरों की आबरू को 'जिहाद' का नारा लगानेवालों के हवाले कर दें या फिर दूसरा रास्ता यह था कि अपना घरबार, लाखों की धन-संपत्ति को छोड़कर, अपने आत्मसम्मान और धर्म को बचाने के लिए घाटी छोड़कर विस्थापित हो जाएँ। कश्मीर घाटी के अधिकांश हिंदुओं ने दूसरा मार्ग अपनाया और घाटी से विस्थापित होकर नारकीय जीवन जीने को विवश हुए।

विस्थापित समाज की पीड़ा

सन् १९९० में हिंदुओं का विस्थापन पहला विस्थापन नहीं था। मुसलिम आक्रमणकारी तैमूरलंग के समय से यह विस्थापन चला आ रहा है। इतिहास के अनुसार अब तक छह बड़े विस्थापन और ग्यारह छोटे विस्थापन हो चुके हैं। भारत विभाजन के पश्चात् भी सन् १९४७ से १९८६ तक धीरे-धीरे विस्थापन होता रहा। कश्मीर की परिस्थितियाँ ऐसी विकट बनती जा रही थीं कि प्रत्येक हिंदू वहाँ अपने-आपको असुरक्षित समझ रहा था। सन् १९४७ में कश्मीर पर पाकिस्तान के कबायली हमले से तीस प्रतिशत कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन हो गया। बीस प्रतिशत विस्थापन सन् १९४७ से १९८६ तक हुआ।

जम्मू जैसे छोटे शहर में इन विस्थापितों के कारण काफी भीड़ हो गई। सभी धर्मशालाएँ, मंदिरों के आँगन, बस अड्डा, जिसको जहाँ जगह मिली, वह वहीं पड़ रहा। ऐसे विकट समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद्, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू रक्षा समिति, कश्मीरी पंडित सभा आदि राष्ट्रवादी संगठनों ने मिलकर इनके लिए संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल पर विस्थापितों की सहायता के लिए छब्बीस राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को मिलाकर ११ फरवरी, १९९० को जम्मू कश्मीर सहायता समिति का गठन किया गया और पूरे देश से सहायता का आह्वान किया गया। संपूर्ण देश ने अपना योगदान

दिया। मार्च १९९८ तक इस समिति द्वारा दो करोड़ पंचानवे लाख चार हजार नब्बे रुपयों की सहायता पीड़ित परिवारों को दी जा चुकी है। विस्थापितों के संघर्ष का केंद्र गीता भवन बना। सरकार ने आठ तंबुओं में कैंप लगाए, जो सुविधाविहीन थे। अधिकांश विस्थापित तंबुओं में रहने लगे; किंतु कुछ ने किराए का मकान ले लिया। कुछ विस्थापित देश के अन्य प्रदेशों और दिल्ली आदि स्थान पर चले गए।

इस अस्त-व्यस्त जीवन के कारण इनको काफी कठिनाइयाँ आने लगीं। कश्मीर की ठंडी घाटियों में रहने को अभ्यस्त ये लोग जम्मू की गर्मी में झुलसने लगे। कई बुजुर्गों की इस गरमी से मृत्यु हो गई। केशर की क्यारियों में चहकनेवाले बच्चों का बचपन छिन गया। तंबुओं में साँप-बिच्छू के काटने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। दो-तीन पीढ़ियों से जो संयुक्त परिवार में रहते थे, वे सब बिखर गए। जब बहू और बेटी को कपड़े बदलने होते थे तो पिता को तंबू से बाहर रहना पड़ता था और जब पिता को कपड़े बदलने होते थे तो बेटी और बहू को तंबू से बाहर रहना पड़ता। मुट्ठी शिविर के विस्थापित पूर्व सैनिक कैप्टन त्रिलोकी नाथ ने डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला को अपने दुःख-दर्द और पीड़ा बताते हुए हृदयाघात के कारण वहीं पर दम तोड़ दिया। विस्थापित परिवार के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। जमीन, बाग-बगीचे और रोजगार छूटने के कारण पूरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। सरकार ने सहायता के रूप में पहले एक परिवार को मात्र पाँच सौ रुपए मासिक दिए। फिर विस्थापितों द्वारा संघर्ष करने पर एक हजार और बाद में एक हजार आठ सौ रुपए की सहायता दी जाने लगी। सन् १९९६ से प्रत्येक परिवार को आठ-दस फीट का एक कमरा दिया गया। कुल पाँच विस्थापित शिविर—पुरखु, मिश्रीवाला, मुट्ठी, नगरोटा और बटरवालियाँ बनाए गए हैं।

दिसंबर १९९८ के सरकारी आँकड़ों के अनुसार—

जम्मू क्षेत्र के विभिन्न भागों में—२९,०७४ विस्थापित परिवार रह रहे हैं।

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में—१९,३३० विस्थापित परिवार रह रहे हैं।

घाटी में विस्थापितों की संपत्ति

जब हिंदू समाज घाटी में विस्थापित हुआ तो उसे यह उम्मीद थी कि सरकार इस आतंकवाद को दो-चार महीनों में समाप्त कर देगी और हम फिर से अपने-अपने घरों में लौट जाएँगे। इसलिए वे लोग अति आवश्यक वस्तुओं को ही साथ लाए थे। आज घाटी में विस्थापितों के घर, बाग-बगीचे संपत्तियाँ आदि नष्ट कर दी गई हैं। अधिकतर घरों की संपत्तियों को लूट लिया गया है। खाली पड़े

बड़े-बड़े मकानों को आग लगाकर जला दिया गया है। जवाहर नगर के विस्थापितों के मकानों पर मुसलमान समाज के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। बाग-बगीचों के फलों की आय का स्थानीय लोग लाभ उठा रहे हैं। मंदिरों की कीमती चीजों को लूटकर जला दिया गया है। बारामूला का देवी बल्ल और अनंतनाग का नागबल इसके उदाहरण हैं। अनंतनाग शहर के नागबल तीर्थ के पास हिंदुओं की जली हुई दुकानें थीं। उनपर कब्जा करके स्थानीय मुसलमान अपनी दुकानें चला रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के हिंदू क्षेत्र हिंदूवारा मोहल्ला में हिंदुओं के पचास घरों को जला दिया गया है। वहाँ अब एक भी मकान नहीं है। मंदिर का मात्र एक टीला शेष है। सरकार भी यह मानती है कि कश्मीर घाटी में हिंदू विस्थापितों के दस हजार मकानों को जलाया गया है। श्रीनगर के हवाकदल में जाएँ तो चारों तरफ जले हुए मकान ही दिखाई देंगे।

मुसलिम समाज का विस्थापन

कश्मीर घाटी से मुसलिम समाज का विस्थापन अक्तूबर १९९६ के चुनावों के बाद से प्रारंभ हुआ। इस विस्थापन में दो बातें थीं। कुछ विस्थापन तो आतंकवादियों के अत्याचार-उत्पीड़न के कारण हुआ और कुछ विस्थापन आतंकवाद का हौआ खड़ा करने के लिए षड्यंत्र के तहत हुआ। प्रारंभ में आतंकवादी-अलगाववादी नेताओं ने मुसलिम समाज को कश्मीर की आजादी का सब्जबाग दिखाकर अपने साथ मिलाया। परंतु कुछ समय पश्चात् जब लोगों ने देखा कि हमारा नेतृत्व करनेवाले अब्दुलगानी लोन, सैयद अली शाह गिलानी आदि नेताओं के बच्चे आजादी की जंग में शामिल नहीं होकर दिल्ली, बंगलौर और विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भारत सरकार की नौकरियों में हैं तो लोगों को लगा कि उन्हें बरगलाकर तथाकथित नेता अपने स्वार्थ की रोटी सेंक रहे हैं। इसलामिक जेहाद के नाम पर बहकाकर मुसलिम परिवार के बच्चों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करनेवाले नेताओं की वास्तविकता को जानने के बाद लोगों ने दबी जुबान से ही सही, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके प्रतिक्रियास्वरूप कुछ मुसलिम परिवारों को भी भारत का पिट्ठू बताकर उत्पीड़ित किया जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि कुछ निर्दोष मुसलिम परिवारों को भी विस्थापन की यातनाएँ झेलने के लिए विवश होना पड़ा। जनसामान्य मुसलिम परिवार का तथाकथित जेहाद से मोहभंग यह देखकर हुआ कि बंदूक उठानेवाले हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा? पर्यटकों के नहीं आने से परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है।

फिर कश्मीर की आर्थिक स्थिति दिल्ली की केंद्र सरकार पर निर्भर है। यह आतंकवाद आजादी की लड़ाई नहीं, बल्कि बरबादी और तबाही का रास्ता है। लोगों ने यह भी देखा कि हमारे तथाकथित अलगाववादी नेता दिन-दूने, रात-चौगुने के हिसाब से करोड़पति होते जा रहे हैं और हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा है।

दूसरी बात यह कि हिंदुओं के घाटी से विस्थापित होने के बाद आतंकवादी अपनी हवस की पूर्ति के लिए मुसलिम लड़कियों और उनके परिवारवालों को तंग करने लगे। जिन्होंने राज्य चुनाव में मतदान किया, उन्हें भी धमकियाँ दी जाने लगीं। इन सब कारणों से कुछ मुसलिम परिवार विस्थापित होकर जम्मू आ गए और किसी तरह जीवनयापन करने लगे। परंतु ऐसे परिवारों की संख्या कम थी।

दूसरे प्रकार का विस्थापन आतंकवादियों के अत्याचारों के कारण नहीं, बल्कि विस्थापन का बहाना करके एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। एक तो हिंदू विस्थापितों के महत्त्व को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरा राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनके कई कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो रहते तो कश्मीर में ही हैं, परंतु उनके नाम जम्मू में विस्थापितों की सूची में दर्ज हैं। ऐसे लोग तीन-चार महीनों के बाद कश्मीर से जम्मू आते हैं और विस्थापितों के नाम से मिलनेवाली प्रतिमाह एक हजार आठ सौ रुपए की चार महीनों की इकट्ठी राशि लेकर वापस कश्मीर घाटी चले जाते हैं। तीसरा, जम्मू में हिंदू बहुल जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने के लिए मुसलिम बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, जिससे जम्मू क्षेत्र को भी कश्मीर की भाँति आतंकित किया जा सके।

कश्मीर घाटी की वर्तमान स्थिति

कश्मीर घाटी के आम मुसलमानों को अब यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि आतंकवाद को समर्थन देने से उन लोगों को कोई लाभ मिलनेवाला नहीं है। मुसलिम समाज के कुछ युवक, जो बहकावे और लालच में आकर आतंकवादी बने और मारे गए, उनके परिवार आज दुःखी हैं। ऐसे परिवारों की दुर्गति देखकर आम मुसलमानों ने आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर दिया। परंतु आतंकवादियों के भय से वे लोग चुप हैं, खामोश हैं। घाटी से हिंदुओं के विस्थापित होने के बाद अब आतंकवादियों का निशाना वे लोग हो रहे हैं जो उनका साथ नहीं देते।

पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. ने स्थानीय आतंकवादियों की कमी को देखते हुए भाड़े के विदेशी आतंकवादियों को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भेजा है। अब आतंकवाद की बागडोर पूरी तरह विदेशी आतंकवादियों के हाथों में आ गई है। ये विदेशी आतंकवादी अब मुसलिम लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं। आतंकवादियों से लुटी हुई ऐसी लड़कियाँ और औरतें काफी संख्या में जम्मू आकर गर्भपात करवाती हैं। आतंकवादियों को जब यह पता चलता है कि महिलाएँ गर्भपात के लिए जम्मू जा रही हैं तो वे उन्हें वहाँ जाने से रोकते हैं। इसलिए आम मुसलमान घुटन का जीवन जी रहा है।

घाटी में आतंकवादियों के कहने से शासन में कई काम हो रहे हैं। आतंकवादी संगठन पत्र भेजकर अपने समर्थकों के काम करवाते हैं। आतंकवादी जब चाहें तब घाटी में हड़ताल, बंद, धरना, जुलूस निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं।

१४ जनवरी, १९९९ को सोपुर शहर में दिन-दहाड़े आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों पर बाजार में खरीददारी करते समय अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें इक्कीसवीं वाहिनी के सब-इंस्पेक्टर लक्ष्मी भाई और एक हवलदार एस.के. मोंडा गोली लगने से वहीं शहीद हो गए। इस हमले में छह नागरिक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। १४ जनवरी, १९९९ को ही कुपवाड़ा के गुंड मजार में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में आतंकवादी को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इसी दिन तीसरी आतंकवादी घटना में अनंतनाग जिले के चलगुल स्थान पर गोलियों से छलनी दो मुसलिम लोगों के शव बरामद किए।

२३ जनवरी, १९९९ को आतंकवादियों ने गांदरनल तहसील के भाजपा के प्रधान श्री मोहम्मद युसुफ डार की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी दिन दूसरी घटना में अनंतनाग जिले के रानीपोरा शहर के पास पुलिस को मोहम्मद अब्दुल्ला खान का गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ। आतंकवादियों ने अपहरण करके बाद में उसकी हत्या कर दी। २४ जनवरी, १९९९ को आतंकवादियों ने शाला बुग क्षेत्र में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता श्री बशीर अहमद खांडे के मकान पर हमला किया। इसी दिन सुलतानपुर (सुंबल) के मोहम्मद युसुफ मीर का शव चाके मुजगुंड क्षेत्र से बरामद हुआ। शव पर यातना के गहरे निशान थे। इस तरह की आतंकवादी घटानाएँ, हत्याएँ निरंतर हो रहीं हैं।

घाटी में हिंदुओं की स्थिति

इस समय घाटी में लगभग पाँच हजार हिंदू रह रहे हैं। इनमें कुछ कर्मचारी

हैं, कुछ व्यापरी और कुछ ऐसे हैं जिनको आय का कोई साधन नहीं है, गरीब हैं। खेती से ही अपना भरण-पोषण करते हैं। ये हिंदू घाटी में नारकीय जीवन जी रहे हैं। इन लोगों ने मजबूरी में आतंकवादियों के साथ समझौता किया है। उनकी हाँ में हाँ मिलाना इनकी विवशता है। इन लोगों को हिंदू होने और अपनी जन्मभूमि घाटी में रहने का 'कर' देना पड़ता है। इस 'कर' को जमायते इसलामिया का 'रूकून' कहा जाता है। इस 'रूकून' के तहत प्रत्येक महीने हिंदुओं से चाहे वह दुकानदार हो, कर्मचारी या बेरोजगार हो, एक निश्चित की हुई धनराशि ली जाती है। ग्रीष्मकाल में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होने के कारण सचिवालय के कर्मचारी छह महीने श्रीनगर में रहते हैं और उन्हें भी 'कर' देना पड़ता है। जो हिंदू 'कर' देने से मना करता है या शिकायत करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। घाटी छोड़कर जम्मू आनेवाले हिंदुओं को आतंकवादियों से अनुमति लेनी पड़ती है। हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर उनके साथ निकाह कराया जाता है।

२५ जनवरी, १९९८ को आतंकवादियों ने श्रीनगर जिलांतर्गत गंदरबल क्षेत्र के वनधामा गाँव में हिंदुओं के घरों में रात को हमला किया और देखते-ही-देखते तेईस हिंदुओं को गोलियों से छलनी कर दिया। यह गाँव डॉ. फारूख अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी घटना स्थल का दौरा किया। घाटी में हिंदुओं की इतनी बड़ी सामूहिक हत्या की यह पहली घटना थी, जिसने हिंदुओं को हिलाकर रख दिया। घाटी के हिंदू सुरक्षा बलों के भरोसे पर ही अपना जीवन बिता रहे हैं।

राज्य सरकार और प्रशासन

घाटी में राज्य सरकार के काम करने का अलग ढंग है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों का आतंकवादियों से संबंध है। कुछ आतंकवादी तो इनके रिश्तेदार भी हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन भी करते हैं। हुर्रियत के नेताओं की तो एक समानांतर सरकार चल रही है। प्रशासन के कई अधिकारी न केवल आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, बल्कि उन गतिविधियों में सक्रिय हैं। अनंतनाग जिले के जिला उपायुक्त के घर में बम बनानेवाले आतंकवादी पकड़े गए। यह ज्ञात हुआ कि ये जिला अधिकारी इस काम में स्वयं संलिप्त हैं। लेकिन सरकार ने उस जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। चार महीनों तक वह उसी जिले में कार्य करता रहा। घाटी का एक सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान से

आतंकवाद का प्रशिक्षण लेकर लौटते समय गिरफ्तार हो गया। वह दो साल तक जेल में रहकर भी सरकार एवं प्रशासन से अपना वेतन लेता रहा। राज्य सरकार द्वारा आत्मसमर्पित आतंकवादियों को सशस्त्र बल में भरती करना कितना उचित है, यह विचारणीय है। जो राष्ट्र की मुख्य धारा में वापस आए हैं उन्हें रोजगार के नाम पर अन्य विभागों की नौकरियाँ दी जा सकती हैं, ताकि वे अपना पालन-पोषण कर सकें।

जम्मू कश्मीर में अक्तूबर १९९७ में राज्य में सरकार बनने के बाद उसका पहला काम यह था कि जिस आतंकवाद के कारण प्रदेश में इतनी अशांति फैली, हत्याएँ हुईं, भाईचारा समाप्त हुआ, घाटी हिंदू विहीन हो गई, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाकर कार्य करे। परंतु डॉ. फारूख अब्दुल्ला की सरकार ने स्वायत्तता को प्राथमिकता दी और सरकार बनते ही दो समितियों का गठन किया। पहली, प्रदेश को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए और दूसरी, क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए। परंतु पिछले आठ वर्षों के आतंकवाद में स्वायत्तता कोई मुद्दा था ही नहीं। आतंकवादी तो कश्मीर को भारत से अलग करके आजाद कराने या फिर पाकिस्तान के साथ मिलाने की माँग करता है। राज्य की जनता ने तो इसकी माँग कभी नहीं की।

प्रदेश की बृहत्तर स्वायत्तता

राज्य की स्वायत्तता के लिए बनी दोनों समितियों ने अभी तक स्वायत्तता की परिकल्पना को स्पष्ट नहीं किया है। संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता के नाम पर विशेष दरजा प्राप्त है, तो इन समितियों के गठन का औचित्य क्या है? धारा ३७० के अंतर्गत प्रदेश को विशेषाधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की धाराएँ २४५, २४६ और २४९ के अतंर्गत संसद् द्वारा पारित कानून भारत के सभी राज्यों पर लागू हो जाते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य में संसद् द्वारा पारित किया हुआ कानून वहाँ की विधानसभा की स्वीकृति के बाद ही लागू किया जाता है। विधानसभा भंग होने की स्थिति में यह अधिकार प्रदेश के राज्यपाल को प्राप्त हो जाता है। यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा देश की संसद् से भी बड़ी है। आवश्यकता तो इस बात की है कि इन अधिकारों में कमी करके इस राज्य को देश के अन्य राज्यों के बराबर लाया जाए। स्वायत्तता के बारे में वर्तमान प्रदेश सरकार यह सोच है कि सन् १९५३ के बाद जो कानून केंद्र सरकार ने राज्य पर लागू किए थे वे सबके सब हटा लिये जाएँ। केंद्र के हाथ में केवल सुरक्षा, संचार और विदेश

नीति रहे। अत: स्वायत्तता के लिए बनी ये समितियाँ देश की एकता और अखंडता के लिए घातक हैं।

क्षेत्रीय स्वायत्तता

राज्य सरकार ने प्रदेश स्वायत्तता के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए भी एक समिति का गठन किया है। राज्य के तीन क्षेत्र हैं—जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इनकी स्वायत्तता के साथ-साथ इन तीनों क्षेत्रों की उपक्षेत्रीय स्वायत्तता की बात भी की गई है। यह जम्मू क्षेत्र के अनेक टुकड़े करने का षड्यंत्र है। जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी जिलों—डोडा, राजौरी और पुंछ को पहाड़ी उपक्षेत्र के नाम से जम्मू को अलग करने की बात कही गई है। ताकि हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू टुकड़ों में बँटकर बिखर जाए। अन्यथा क्षेत्रीय परिषद् के बाद उपक्षेत्रीय परिषद् की क्या आवश्यकता है? इसके माध्यम से ये कश्मीर घाटी के साथ डोडा, राजौरी, पुंछ और लद्दाख को जोड़कर जम्मू को सीमित कर देना चाहते हैं।

विदेशी चालें, विदेशी धन

कश्मीर के कई नेता स्वतंत्र देश के सत्ताधीश बनने के स्वप्न देखने के कारण पाकिस्तान की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की भौगोलिक और सामरिक स्थिति ऐसी है कि इससे सारे एशिया महाद्वीप पर निगरानी रखी जा सकती है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलिम नेताओं को बेवकूफ बनाकर यहाँ अपना एक सैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है, ताकि उभरती हुई भारत की शक्ति कमजोर हो जाए। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाए रखने के लिए विदेशों से धन आता है। खाड़ी के मुसलिम देशों से न केवल आतंकवादी आते हैं बल्कि अकूत धन भी आता है। इस धन को लाने में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. की संलिप्तता है। इसका खुलासा केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने १३ मार्च, १९९७ को विदेशी दान कानून, १९७६ के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर किया है। इन नेताओं ने हवाला के माध्यम से कश्मीर के नाम पर सऊदी अरब, ईराक, पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका से धन इकट्ठा किया है।

सुरक्षा बल और मानवाधिकार

देश के सैनिक-अर्धसैनिक बलों की बहादुरी और चौकसी के कारण ही

जम्मू कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों को हम बहुत हद तक नियंत्रित कर पाए हैं; किंतु यह नियंत्रण हमने मानवाधिकार की कीमत पर नहीं किया है। लोगों के मौलिक अधिकार को बहाल रखते हुए सेना ने आतंकवाद पर अंकुश रखा है। आतंकवाद ग्रस्त डोडा, राजौरी और पुंछ जिलों के लोग सेना के विश्वास पर ही टिके हैं। सैनिक कार्यवाही के कारण सन् १९९५ में आतंकवाद में काफी कमी आई थी।

सन् १९९७ में राज्य सरकार के गठन के बाद सेना की कार्यवाहियों पर राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे। अधिकतर आतंकवादियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की गतिविधियों और उनको संरक्षण देनेवालों की पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे लोग स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर काम करते हैं, ताकि कोई बेगुनाह उत्पीड़ित न हो और आतंकवादी न बचने पाएँ। इस कार्य में सेना का साथ देने के कारण कृष्ण, विनोद, बबलू, चमनलाल शान, मोहन सिंह आदि शहीद हो चुके हैं। ये युवक देशभक्ति की भावना के कारण सेना का सहयोग करते थे। घाटी में सेना को सहयोग देनेवाले युवकों के प्रमुख श्री मौलवी (नकली नाम) ने बताया कि सेना के साथ काम करनेवाले युवकों का पता चलने पर स्थानीय पुलिस उन्हें पकड़ती है। बार-बार थाने में बुलाती है और उनसे पूछती है कि तुम सेना के साथ क्यों जाते हो? क्या-क्या करते हो? किसको लूटा? किसकी हत्या की? स्थानीय पुलिस उन्हें झूठे मुकदमों में फँसाती है। उनको बार-बार तंग करती है और आतंकवादियों के द्वारा उनकी हत्या भी करवा देती है, ताकि कोई भी राष्ट्रभक्त युवक सेना का सहयोग करने का साहस न जुटा सके।

तीसरी बात यह है कि मानवाधिकार हनन का मिथ्या आरोप सुरक्षा बलों पर लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के एक सेना अधिकारी मेजर पाँच वर्ष बाद कश्मीर आए। उन्होंने बताया, ''मेरे ऊपर मानवाधिकार हनन का एक आरोप है, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। मैंने पाँच वर्ष पूर्व एक ऑपरेशन करके आतंकवादियों को मारा था और उन लोगों के पास से हथियार बरामद किए थे। परंतु पुलिस के सहयोग से स्थानीय लोगों ने हल्ला मचाया कि वे लोग आतंकवादी नहीं थे, निर्दोष नागरिक थे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि निर्दोष लोग सेना के साथ गोलाबारी क्यों करेंगे। मेरी संवेदनाएँ आहत हुई हैं कि जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष करनेवाले मेरे जैसे सैकड़ों अधिकारियों को मानवाधिकार के नाम पर ऐसे मुकदमों में घसीटा जाता है और केंद्र तथा राज्य सरकार मूक दर्शक

बनी रहती है। इससे सेना का मनोबल टूट रहा है। जब सेना के जवान इस तरह के केसों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, केरल, असम आदि राज्यों से घाटी में आते हैं तो वहाँ तैनात सुरक्षा बलों के जवान उनकी हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं कि अगर हम भी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारेंगे तो हो सकता है हमारा भी यही हाल हो।'' एक दूसरी घटना इस प्रकार है—श्रीनगर में सेना के कंपनी कमांडर से मेरी भेंट हुई। उसी समय उनके पास एक सूचना आई कि अमुक जगह आतंकवादी छिपे हुए हैं। मेजर ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे आश्चर्य से पूछा कि क्या बात है! आप क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर उन्होंने बताया—''मेरे दो जवानों पर पहले ही मानवाधिकार हनन का झूठा केस चल रहा है। जहाँ ये आतंकवादी हैं वहीं के लोग उन्हें खिलाते-पिलाते हैं, बुलाते हैं। यदि मैंने वहाँ कार्यवाही की तो आतंकवादियों के समर्थक मेरे ऊपर भी मानवाधिकार हनन का मिथ्या आरोप लगाकर केस बनाएँगे। मेरा कोर्ट मार्शल (सेना की सजा) होगा। मैं अपने सैनिक जीवन में कोई बदनामी नहीं ओढ़ना चाहता हूँ।''

घाटी में मानवाधिकार के नाम पर सेना को कमजोर बनाया जा रहा है। मानवाधिकार राज्य में आतंकवादियों को बचाने और सुरक्षा बलों को बदनाम करने का एक शस्त्र है। यहाँ स्थानीय पुलिस-प्रशासन में अनेक अधिकारी आई.एस.आई. के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मानवाधिकार के सदस्यों को आतंकवादियों के मानवाधिकार नजर आते हैं, परंतु आतंकवादियों के द्वारा मारे जानेवाले सेना के जवानों और घाटी से विस्थापित हुए चार लाख हिंदुओं के मानवाधिकार दिखाई नहीं देते हैं।

विस्थापित समाज की वापसी : सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

कश्मीर से विस्थापित हुए समाज की घाटी में वापसी अत्यंत आवश्यक है। भारत की सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है। कश्मीरी हिंदू अपनी सांस्कृतिक-साहित्यिक विरासत के लिए जाने-पहचाने जाते हैं। इन लोगों के विस्थापन से हमारी सांस्कृतिक थाती नष्ट हो रही है। शांत और निर्भय परिस्थितियाँ तथा देशभक्तिपूर्ण वातावरण बनाने की आवश्यकता है, ताकि घाटी लौटने पर पुनः विस्थापन का संकट पैदा न हो। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा—

१. प्रारंभ से ही किसी भी सरकार ने कश्मीर घाटी में भारतीय मूल्यों को

स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। घाटी में हिंदू और मुसलिम आबादी साथ-साथ निवास करती है। शिक्षा के माध्यम से इनके संस्कार का भारतीयकरण करना जरूरी है। उनके दिलों में हिंदुस्थान, हिंदू और हिंदी के प्रति सम्मान, प्यार और भक्ति का भाव पैदा हो, 'जय भारत', 'भारतमाता की जय', राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और भारतीय होने का गर्व हो। राष्ट्र मजहब से बड़ा है, पूरा भारत एक है और अपना देश है। ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करनी पड़ेंगी। विधानसभा में राष्ट्रगान, विद्यालयों में देशभक्ति के गीत और सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर महापुरुषों के प्रेरणास्पद संदेश-वचन लिखे जाएँ। कश्मीर के युवकों को देश के विभिन्न भागों का दर्शन कराया जाए। पाकिस्तान के झूठे प्रचार और कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवियों के गलत प्रचार से घाटी की जनता को दूर रखा जाए। ऐसे सब प्रयासों द्वारा वहाँ के जनमानस का भारतीयकरण किया जा सकता है।

२. घाटी के मुसलमानों को इस ऐतिहासिक सत्य का अहसास करवाना होगा कि तुम विदेशी आक्रमणकारी तैमूरलंग या बाबर की संतान नहीं हो। तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। परिस्थितियों के कारण मजहब बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते। कश्मीर के हिंदू और मुसलमानों के माँ-बाप एक हैं, खून एक है। तुम विदेशी नहीं हो, भारतीय हो।
३. आतंकवादी और अलगाववादी विचारों का समर्थन करनेवाले लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे देनी चाहिए कि तुम राष्ट्र की मुख्य धारा में लौटकर भारतीय नागरिक की तरह रहो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर देशद्रोह की कार्यवाही की जाएगी।
४. कश्मीर को देश के अन्य राज्यों के निकट लाने के लिए ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे देश के अन्य नागरिक घाटी में बस सकें, रह सकें। इससे भारत के अन्य प्रदेशों का दुराव कश्मीर से कम होगा। देश के अन्य भागों के लोगों से भेदभाव मिटेगा। साथ ही जनसंख्या का असंतुलन भी दूर हो जाएगा। कश्मीर 'हिंदू-मुसलिम भाई-भाई' के नारे की मिशाल बन सकेगा। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए जो अलग कानून है, जिससे यहाँ के लोग अपने को शेष भारत के लोगों से ऊपर मानते हैं, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है।
५. विस्थापितों को घाटी में बसाने के लिए आर्थिक सहयोग, राजनीतिक

अधिकार और सामाजिक सम्मान की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर होगी। उन्हें बसाने के लिए घाटी के छह जिलों में सुरक्षा क्षेत्र बनाकर बारह कॉलोनियाँ बनाई जाएँ। सामूहिक रूप से खेती करने के लिए सभी को भूमि दी जाए। सरकारी नौकरी, व्यापार-व्यवसाय तथा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता देने की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यक हिंदू समाज के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित किए जाएँ। इसके अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायत की सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। मजहब के आधार पर हिंदुओं के हो रहे उत्पीड़न को रोकने की व्यवस्था की जाए। कश्मीर के मुसलिम नेताओं से खुलकर बातचीत हो कि मुसलमान घाटी के हिंदुओं को अपना भाई मानकर उन्हें संरक्षण दें, ताकि अल्पसंख्यक हिंदू समाज निर्भय होकर जी सके और घाटी क्षेत्र देश की एकता और भाईचारे का एक उदाहरण बन सके।

६. कश्मीर घाटी को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ अन्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को इस बात पर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है कि सीमा क्षेत्र पर पहले सीमा सुरक्षा बल हैं, उसके बाद सेना है और फिर राज्य की पुलिस है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर सुरक्षा की तीन-तीन परतों को लाँघकर किस प्रकार से आतंकवादी तबाही मचाने के लिए हथियार और विस्फोटक सामान लेकर घुस आते हैं? हमारी सीमा में कहाँ सुराख हुआ है? कौन सी परत कमजोर है? उन्हें किस ढंग से मजबूत किया जा सकता है, इस बात पर विचार कर सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करना चाहिए।

७. जब कश्मीर में आतंकवाद की तैयारियाँ हो रही थीं तो वहाँ पर भारतीय गुप्तचर संस्था के अधिकारियों तथा राज्य सरकार एवं राज्य प्रशासन को इस बात की जानकारी थी। प्रश्न यह खड़ा होता है कि उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस तैयारी को रोकने के लिए तत्काल उचित कार्यवाही क्यों नहीं की और यदि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी तो वहाँ का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था? इस विषय पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

८. यह बात बार-बार कही जाती है कि केंद्र के द्वारा राज्य के विकास के

लिए जो भी धनराशि जम्मू कश्मीर राज्य को मिलती है, वह केवल कश्मीर घाटी में ही खर्च की जाती है। जम्मू एवं लद्दाख के क्षेत्र इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय परिषद् बननी चाहिए और विकास की राशि तीनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से बँटनी चाहिए। जम्मू क्षेत्र के छह जिलों को आतंकवाद से सुरक्षित रखने के लिए इसके विशेष कानूनों को समाप्त करके शेष भारत के साथ पूर्ण रूप से मिला देना चाहिए, ताकि देश के अन्य देशभक्त नागरिक जम्मू क्षेत्र में बसकर इसको मजबूती प्रदान कर सकें।

९. पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए संसद् के दोनों सदनों ने २२ फरवरी, १९९४ को एकमत से जो प्रस्ताव पारित किया था, उसके अनुसार कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए और उसका माध्यम प्राचीन-ऐतिहासिक 'शारदा पीठ' की मुक्ति को बनाना चाहिए।

शारदा पीठ भारत का एक प्राचीन-ऐतिहासिक श्रद्धा और ज्ञान का पवित्र केंद्र है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। १५ अगस्त, १९४७ को जब हम स्वतंत्र हुए और भारत का विभाजन मजहबी आधार पर हुआ तो विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया। पाकिस्तानी सेना ने २० अक्तूबर, १९४७ को कबाइली वेश में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। यह पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध प्रथम युद्ध था। इस युद्ध का हमारी सेनाओं ने डटकर मुकाबला किया, परंतु उस समय देश के नेतृत्व ने शांति का दूत बनने के लिए एकतरफा युद्धविराम की घोषणा कर दी और ३० दिसंबर, १९४७ को अपने घर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की इस अदूरदर्शिता के कारण पाक अधिकृत कश्मीर का निर्माण हुआ, जिसे राष्ट्रवादियों ने गुलाम कश्मीर कहा। जिसके कारण कश्मीर के चालीस प्रतिशत भूभाग (७८ हजार, ११४ वर्ग कि.मी. भूमि) पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। शारदा पीठ भी इसी भूभाग के अंदर होने के कारण हमसे छिन गया। हिंदू धर्मग्रंथों में शारदा पीठ का उल्लेख इस प्रकार मिलता है—

'नमस्ते शारदे देवि, काश्मीर पुरवासिनी।
त्वामहं प्रार्थये नित्यं, विद्यां ज्ञानाञ्च देहि मे॥'

इस श्लोक के माध्यम से शारदा पीठ के ऐतिहासिक महत्त्व तथा भारत से कश्मीर की अभिन्नता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत में आज भी जब

किसी बच्चे का मुंडन संस्कार किया जाता है तो वह बालक उत्तर दिशा की तरफ खड़ा होकर कहता है—'मैं विद्या ग्रहण करने के लिए शारदा पीठ जा रहा हूँ।' फिर बच्चा तीन कदम आगे चलकर प्रणाम करके वापस लौट आता है। तब यह माना जाता है कि वह शारदा पीठ से होकर आया है। यह परंपरा इस ओर स्पष्ट संकेत करती है कि प्राचीनकाल में लोग शारदा पीठ (कश्मीर) में जाकर विद्या ग्रहण करते थे।

शारदा पीठ का प्राचीन मंदिर गुलाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले की सीमा पर कृष्ण-गंगा और मधुमति नदियों के संगम के किनारे पर आज भी स्थित है। भारत विभाजन से पूर्व यहाँ पर शारदा मेला लगता था, जिसमें पूरे भारत के लोग सम्मिलित होते थे। इसकी ऐतिसाहिक कथा इस प्रकार है—''समुद्र मंथन के समय समुद्र से चौदह रत्न निकले, जिनमें एक अमृत कलश भी था। देवताओं ने अमृत पान किया और शेष अमृत को असुरों से बचाने के लिए ब्रह्माजी ने माँ सरस्वती को शारदा के नए रूप में अवतरित करके उन्हें अमृत कलश दे दिया। उस अमृत कलश को लेकर माँ शारदा कृष्ण-गंगा और मधुमति नदियों के संगम के किनारे पृथ्वी के अंदर लुप्त हो गईं और उस स्थान पर एक शिला प्रकट हुई। वह स्थान माँ शारदा के नाम से विख्यात हुआ और ज्ञान-विद्या का केंद्र बन गया। इसी कारण कश्मीर का एक नया नाम 'शारदा देश' पड़ा और कश्मीर की लिपि भी 'शारदा लिपि' बन गई। यह शारदा पीठ मात्र धार्मिक रूप में ही प्रसिद्ध नहीं रही, बल्कि भारत की एकता और एकात्मकता का प्रतिबिंब भी बन गई। आज शारदा पीठ ओकाफ ट्रस्ट के पास है और वहाँ पुलिस की चौकी स्थित है।

बेशक पाकिस्तान के छल और हमारे देश के नेतृत्व की अदूरदर्शिता के कारण कश्मीर का चालीस प्रतिशत भूभाग गुलाम बन गया। परंतु आज भी हम अपने गुलाम कश्मीर को अपना मानते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी पच्चीस कुरसियाँ खाली पड़ी हुई हैं जो यह बताती है कि जब गुलाम कश्मीर स्वतंत्र होगा तो वहाँ से चुनकर आनेवाले विधायक इन खाली पड़ी कुरसियों पर बैठकर वहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुलाम कश्मीर को स्वतंत्र करवाने के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने २२ फरवरी, १९९४ को संसद् के दोनों सदनों में एकमत होकर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया—''भारत एवं पाकिस्तान के बीच अगर विवादग्रस्त कुछ है तो वह गुलाम कश्मीर है और उसे हम प्राप्त करेंगे।''

इसलिए शारदा पीठ की मुक्ति का मार्ग भारत की एकता और अखंडता को

प्राप्त करने तथा कश्मीर को पुनः अखंड बनाने का मार्ग है। शारदा मुक्ति के माध्यम से कश्मीर को उसकी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत पुनः लौटाना है। एतदर्थ गुलाम कश्मीर शारदा प्रदेश की स्वतंत्रता का संकल्प हमारे देश की एकता, अखंडता की रक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा है। इसके लिए जम्मू में 'शारदा तीर्थ मुक्ति समिति' का गठन किया गया है। इसका शुभारंभ २९ नवंबर, १९९८ को अभिनव केंद्र, जम्मू से कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद् के आचार्य गिरिराज किशोरजी भी सम्मिलित हुए थे।

☐

अलगाववाद की सियासी चाल

शेख अब्दुल्ला की नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल ने सभी देशी रियासतों का भारत में विलय कर दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भी अपनी प्रजा की पाकिस्तानी कबाइली सेना से रक्षा के लिए २६ अक्तूबर, १९४८ को विलय के संधिपत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में राज्य का पूर्णतः विलय कर दिया था।

पं. नेहरू और महाराजा हरि सिंह में आपसी मतभेद था। उनके मतभेद का कारण शेख अब्दुल्ला थे। सन् १९४६ में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने 'कश्मीर छोड़ो आंदोलन' प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य से ब्रिटिश शासन की समाप्ति नहीं थीं, बल्कि महाराजा हरि सिंह को राज्य से बाहर निकालना था, तब महाराजा ने सन् १९४६ के मध्य में शेख अब्दुल्ला को बंदी बनाकर तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंड देकर जेल भेज दिया। पं. नेहरू शेख अब्दुल्ला के परम प्रिय मित्र थे। इन्होंने शेख अब्दुल्ला की चाल को अनदेखी कर उसके समर्थन में कश्मीर के आंदोलन में भाग लेने की घोषणा कर दी। पं. नेहरू के आंदोलन में भाग लेने से राज्य में तनाव व्याप्त हो जाने तथा हिंदू-मुसलमान समाज के आपस में बँट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। अतः महाराजा ने पं. नेहरू के कश्मीर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जब पं. नेहरू ने प्रतिबंध को तोड़ते हुए राज्य में प्रवेश किया तो महाराजा ने इन्हें कोहाला में बंदी बनाकर वापस नई दिल्ली भेज दिया। इसको पं. नेहरू ने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और महाराजा से अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला के प्रत्येक कार्य—चाहे वह ठीक हो या गलत, हानिकारक हो या

देशद्रोही—का समर्थन किया। इसलिए पं. नेहरू ने अन्य देशी रियासतों के विलय का दायित्व तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को दिया, जबकि मात्र जम्मू कश्मीर की रियासत को स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। महाराजा से बदला लेने की भावना और उन्हें नीचा दिखाने के लिए पं. नेहरू ने राज्य को समस्याग्रस्त प्रदेश बना दिया, जो अब संपूर्ण देश के लिए ज्वलंत समस्या बनकर खड़ा है। पं. नेहरू के व्यक्तिगत अहं और शेख अब्दुल्ला के साथ मित्रता का दुष्परिणाम देशभक्त जनता को भोगना पड़ रहा है।

डोडा जिला के गठन का षड्यंत्र

स्वतंत्रता मिलने के बाद शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। इस समय तक डोडा जिला अस्तित्व में नहीं आया था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर को अलग राज्य बनाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते थे। जम्मू के कारण यह संभव नहीं था। कश्मीर में जम्मू का अधिक-से-अधिक भाग सम्मिलित किया जाए, इसके लिए उन्होंने इसे काटकर एक मुसलमान बहुल जिला गठित करने का विचार किया। इस संपूर्ण जिले में हिंदू जनसंख्या नब्बे प्रतिशत और मुसलमान जनसंख्या दस प्रतिशत थी। अतः इन्होंने हिंदू की अधिक आबादीवाली तहसीलों को ऊधमपुर जिले के साथ जोड़ दिया और मुसलमान बहुल क्षेत्र का गठन करके एक नए जिले का गठन दिया, जिसका नाम डोडा रखा गया।

बृहत्तर कश्मीर के निर्माण के लिए शेख अब्दुल्ला डोडा का तूफानी प्रवास करते थे। उन्होंने अपने भाषणों से सबसे पहले लोगों में कश्मीरियत का भाव जगाने का कार्य किया। जब वह भाषण देते थे तो लोगों से पूछते थे कि कश्मीरी जानते हो? अच्छा! जो कश्मीरी जानते हैं वे लोग हाथ उठाओ। फिर कश्मीरी भाषा बोलनेवाला मुसलमान हाथ उठाता था। वह कहते थे—"हमारी पहचान डोगरों से नहीं कश्मीरियत से है। हमें कश्मीर के साथ रहना है। ईंशा-अल्ला! वह दिन जल्दी आएगा, जब जिला डोडा कश्मीर के साथ मिलकर बृहत्तर कश्मीर बनकर स्वतंत्र होगा। इसलिए आपको कश्मीरी सीखनी है। इसके लिए हम एक आंदोलन चलाएँगे। यहाँ के हिंदुओं को भी हम साथ लेकर चलेंगे, वे भी हमारा साथ दें। उन्हें भी हम लाभ पहुँचाएँगे।" वे इस तरह के विचार जनता में अपने भाषणों से भरते थे। कश्मीरी सिखाने का आंदोलन गाँव-गाँव में प्रारंभ किया गया। इसके कारण ग्रामीण लोग जो कि स्थानीय बोली—भद्रवाही, किश्तवाड़ी, पाडरी, सराजी, भलेसी आदि बोलते थे, वे सब कश्मीरी सीख गए।

प्रजा परिषद् का आंदोलन

शेख अब्दुल्ला की इन चालों को देखने के बाद जम्मू में प्रजा परिषद् का गठन हुआ। पं. प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में शेख अब्दुल्ला के देशद्रोही कार्यों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान' को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा की, उन्होंने कहा था—'या तो संविधान लूँगा या प्राण दूँगा।' इस आंदोलन की इति डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के पश्चात् हुई।

डोडा जिले का देशभक्त समाज बृहत्तर कश्मीर में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। यह जम्मू संभाग के साथ रहना चाहता था। यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने प्रजा परिषद् के आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन आग की तरह गाँव-गाँव में फैल गया। स्थान-स्थान से लोगों के संगठित होने के समाचार प्राप्त होने लगे। धरना, जुलूस, प्रदर्शन और सभाएँ होने लगीं। लोग इस शासन के विरुद्ध सड़कों पर निकलकर गिरफ्तारियाँ देने लगे। जब शेख अब्दुल्ला को बृहत्तर कश्मीर के स्वप्न पर पानी फिरता दिखाई दिया तो देशभक्तों के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। सत्याग्रहियों को श्रीनगर ले जाकर अमानवीय यातनाएँ दी जाने लगीं। बर्फ पर नंगी पीठ लिटाकर देशभक्ति का 'पुरस्कार' दिया जाता था। रामबन में तो सत्याग्रह करनेवालों के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें तीन सत्याग्रही—श्री शिवजी (गाँव बलोत), श्री देवीशरणजी (गाँव बलोत) और श्री भगवानदासजी (गाँव कंठी) शहीद हो गए। इस आंदोलन को प्रमुख रूप से बलदेव राज, नत्थासिंह और मोहन लाल तीनों ने मिलकर चलाया। श्री नत्थासिंह 'आग' समाचारपत्र निकालते थे और गाँव-गाँव में पहुँचाते थे।

सरकारी पदों पर कट्टरपंथियों की प्रतिष्ठा

सरकार के उच्च पदों पर मुसलिम कट्टरपंथियों की पदस्थापना में प्राथमिकता दी जाने लगी। सरकारी नौकरियों में मुसलिम समाज के अयोग्य व्यक्तियों को भी पदस्थापित किया गया। ठेकेदारी के निन्यानबे प्रतिशत काम मुसलमानों को दिए जाने लगे। जिससे इनके जीवन-स्तर में सुधार हो। हिंदू, जो कि योग्य भी थे, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, जिससे हिंदू पिछड़ जाएँ और मुसलमान आगे बढ़ते जाएँ। सरकार के उच्च पदों से निम्न पदों तक ऐसे व्यक्ति बिठाए गए जो कि अलगाववाद के समर्थक थे। ताकि पूरा प्रशासन कश्मीर की आजादी के समर्थन में काम करे। अलगाववाद का विचार जड़ें जमाने लगा।

हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाने लगा।

हिंदू जनसंख्या को असंतुलित करने का षड्यंत्र

जम्मू की हिंदू बहुल जनसंख्या को असंतुलित करने के लिए एक व्यापक षड्यंत्र रचा गया है, जिसके अंतर्गत कश्मीर, डोडा, राजौरी, पुंछ से योजनाबद्ध ढंग से मुसलमान जम्मू आकर बस रहे हैं। जम्मू के जिन क्षेत्रों को हिंदू बहुल होने का भ्रम था, अब वहाँ भी हजारों की संख्या में मुसलमान बस गए हैं। जम्मू के चारों तरफ जमीनें खरीदकर बड़ी-बड़ी बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। उदाहरण के रूप में जम्मू के निकट सुंजवाँ, बठिंडी, नखाला बाला, सिद्धड़ा बाईपास से लेकर नगरोटा तक, पलौडा, बन तालाब तथा चक्क चंगरवाँ आदि क्षेत्रों में जमीन खरीदकर बसनेवाली मुसलिम जनसंख्या जम्मू शहर को अपनी चपेट में ले रही है। इनमें से बहुत तो ऐसे हैं जो आतंकवाद के समर्थक हैं। सन् १९९७ में किए गए शोध-विश्लेषण शाखा—रॉ और अन्य सरकारी गुप्तचर संस्थाओं की ये रिपोर्ट है कि पिछले दो वर्षों में जम्मू जिले में मुसलमानों की जनसंख्या दस प्रतिशत बढ़ी है और जम्मू को मुसलिम बहुल बनाने का प्रयास चल रहा है। इस काम के लिए पाकिस्तान सहित अनेक इसलामिक देश मुसलिम संगठनों को बेतहाशा आर्थिक सहायता दे रहे हैं। जिले को मुसलिम बहुल बनाने की योजना विदेशी सहायता से की जा रही है। यह समाचार अनेक समाचारपत्रों में भी छपा। इस रपट की सत्यता को मुसलिम औकाक ट्रस्ट की यह घोषणा सिद्ध करती है, जिसमें ट्रस्ट ने कहा है—"जो कश्मीरी मुसलमान जम्मू में जमीन, प्लॉट तथा मकान खरीदेगा उसे ट्रस्ट की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।"

यह बात सत्य है कि आतंकवादियों के अत्याचारों के कारण कुछ मुसलिम परिवार कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए हैं, परंतु वे नाम मात्र हैं, जो कि कहीं-न-कहीं बस चुके हैं, परंतु सरकार विस्थापन का बहाना लेकर अन्य मुसलमानों को बड़ी संख्या में जम्मू में बसा रही है। ४ अप्रैल, १९९७ को जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू सचिव ने उपायुक्त जम्मू को एक पत्र लिखकर आदेश दिया कि सिदड़ा या नखाल में चालीस/पचास कनाल जमीन प्राप्त की जाए, ताकि यहाँ कश्मीर के मुसलिम विस्थापितों को बसाया जा सके। २४ अप्रैल, १९९७ को राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में कहा—"जम्मू कश्मीर राज्य एक मुसलिम बहुल राज्य है और इसका मुसलिम-चरित्र हर सूरत में कायम रखा जाएगा।"

राजौरी-पुंछ में जो क्षेत्र हिंदू बहुल हैं, उन सभी क्षेत्रों की हिंदू जनसंख्या को असंतुलित करने का बहुत गहरा षड्यंत्र प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में प्रदेश के बाहर एवं भीतर के संदिग्ध परिवारों को बसाया जा रहा है। पुंछ जिला मुख्यालय का नगर हिंदू बहुल है। इसे मुसलिम बहुल बनाने के लिए हिंदू बस्तियों के चारों तरफ मुसलिम बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। राज्य के बाहर के मुसलमानों को भी इस सीमा क्षेत्र के नगर में बसाया जा रहा है। पुंछ नगर में सन् १९९७ में मुंबई के एक मुसलिम परिवार को बसाया गया है। इस परिवार ने रहने के लिए पाँच लाख का बना हुआ मकान खरीदा। इसी प्रकार राजौरी जिले के नौशहरा और सुंदरवी क्षेत्र हिंदू बहुल हैं। यहाँ पर भी सन् १९९६-९७ में अनेक संदिग्ध मुसलिम परिवारों को बसाया गया। इनके घर आतंकवादियों की शरणस्थली बन रहे हैं। आतंकवादियों का यहाँ आना-जाना लगा रहता है। क्योंकि जहाँ-जहाँ ऐसे लोग बसे हैं, वहाँ से कई आधुनिक हथियार और आतंकवादी पकड़े गए हैं। अल्पसंख्यक हिंदू समाज प्रशासन के ऐसे कार्यों से अपने-आपको असुरक्षित समझ रहा है और अपनी जमीनें बेचकर जम्मू जा रहे हैं।

आतंकवादी हिंदुओं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उनकी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर मुसलिम युवकों से निकाह करवाते हैं। राजौरी, मेंडर, पुंछ के मंडी क्षेत्र में ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं।

इसी तरह राज्य का एक और षड्यंत्र बिल क्रमांक-९ है, जिसे 'पुनर्वास बिल' कहा जाता है। इसके विरोध में जम्मू के भाजपा सांसद श्री चमनलाल गुप्ता ने संसद् में २ मई, १९९७ को कहा था—''जम्मू से करीब पच्चीस कि.मी. की दूरी पर रणवीर सिंह पुरा में एक गाँव स्थित है। उस गाँव में इक्कीस परिवार ऐसे हैं जो सन् १९४७ से वहाँ की जमीन पर अपना गुजारा चला रहे हैं, परंतु आज उनके लिए एक नई समस्या पैदा हो गई है। कुछ लोग जो पचास वर्ष पहले पाकिस्तान चले गए थे, उनमें से कुछ वापस आ गए और आने के बाद उन्होंने दावा किया कि वह जमीन उनकी है। आज सरकार उन अनुसूचित जाति के परिवारों को बेदखल करवा रही है। यह बड़ी अजीब स्थिति है कि पचास वर्ष पहले जो पाकिस्तान चला गया था और वहाँ का नागरिक है, आज वापस आता है तो उसे यहाँ की जमीन दी जा रही है, लेकिन जो पचास वर्ष पहले विभाजन की वजह से मजबूर होकर सबकुछ लुटाकर भारत में बसा है, उसे यहाँ से बेदखल किया जा रहा है।'' इस बिल के विरोध में वहाँ के समाज ने संघर्ष किया।

बिल क्रमांक-९ : एक सियासी षड्यंत्र

जम्मू कश्मीर प्रदेश में भारत विभाजन के पश्चात् बड़ी संख्या में कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, परंतु उनकी पैतृक संपत्ति भारत में ही रह गई थी। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्ति को जम्मू कश्मीर में सुरक्षित रखने के लिए सन् १९७८ में जम्मू कश्मीर संविधान की धारा-६ का सहारा लेकर एक कानून बनाया, जिसको बिल क्रमांक ९ कहते हैं। यह बिल 'पुनर्वास बिल' के नाम से जाना जाता है। उस समय इस बिल का विरोध हुआ और केंद्र सरकार ने भी इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई वर्षों तक यह बिल दबा रहा। परंतु सन् १९९७ के चुनाव में डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने राज्य की मुसलिम जनता से कई लुभावने वादे किए थे, जिसमें स्वायत्तता और सन् १९५३ से पूर्व की स्थिति प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जम्मू की जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़ने के लिए बिल क्रमांक-९ को पुनः उजागर किया और पाकिस्तान में बसे पाकिस्तानी कश्मीरी मूल के मुसलमानों को पुनः जम्मू में आकर बसने का निमंत्रण दिया।

बिल क्रमांक-९ में यह प्रावधान किया गया है कि भारत विभाजन से पूर्व जम्मू कश्मीर में जहाँ-जहाँ मुसलमान रहते थे, उनकी वहाँ अपनी पैतृक संपत्तियाँ थीं। ये पाकिस्तानी नागरिक बन चुके लोग जम्मू कश्मीर में आकर पुनः अपनी पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। इस बिल के अनुसार राज्य के हजारों परिवारों को पुनः विस्थापित होकर सड़कों और फुटपाथों पर आना पड़ेगा। इस बिल के अनुसार पचास वर्ष पूर्व पाकिस्तान जाकर बसनेवाले पाकपरस्त लोग पुनः यहाँ आकर बस सकेंगे।

इस बिल के क्रियान्वयन से एक बहुत बड़ा खतरा देश की एकता और अखंडता के लिए उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान गए हजारों की संख्या में मुसलमान आज लाखों की संख्या में वापस आकर यहाँ बस जाएँगे। इस बिल से जहाँ एक ओर लाखों मुसलिम परिवार यहाँ आकर बसेंगे, वहीं दूसरी ओर जम्मू से भी कश्मीर की भाँति हिंदू समाज पुनः विस्थापित हो जाएगा। भारतीय गुप्तचरों के अनुसार अभी भी जम्मू कश्मीर में पाँच हजार पाकिस्तानी एजेंट सक्रिय हैं। राज्य में अल्पसंख्यक हिंदू नागरिकों का रहना कठिन हो गया है।

जम्मू से तेईस कि.मी. दूर रणवीर सिंह पुरा तहसील से डेढ़ कि.मी. दूरी पर चवाला नामक एक गाँव है। इस तहसील के स्यालकोट में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदुओं को सरकार ने जमीन देकर बसाया था। सन् १९४७

में भारत विभाजन के समय अल्ला रखी नामक महिला पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ विवाह करके उसने अपना परिवार बसाया और पाकिस्तानी नागरिक बन गई। पैंतीस साल पाकिस्तान में रहने के बाद वह जम्मू में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास वापस आ गई। परंतु उसके दो भाई पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। डॉ. फारूख अब्दुल्ला की वर्तमान सरकार बनने पर उसने चवाला गाँव की भारत विभाजन से पूर्व की संपत्ति बिल क्रमांक-९ के आधार पर सरकार से माँगी। राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय ने उसको वह संपत्ति जमीन-मकान देने का निर्णय दे दिया। अप्रैल १९९७ में तहसीलदार ने पुलिस को साथ लेकर जमीन की निशानदेही की। जिसके अंदर कई हिंदू परिवारों के घर आते थे और कुछ हिस्से पर फसल भी लगी हुई थी। जब वहाँ रहनेवाले परिवारों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। अल्ला रखी की जब यहाँ दाल नहीं गली तो उसने जुलाई १९९७ में पुन: उच्च न्यायालय में अपील की। २७ अगस्त, १९९७ को पुन: तहसीलदार एवं महिला पुलिस दल-बल के साथ उसे कब्जा दिलवाने के लिए चवाला गाँव में गए। परंतु वहाँ पूरा गाँव राज्य सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध खड़ा हो गया। पुलिस और जनता में संघर्ष चला और तहसीलदार को पुलिस सहित खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।

प्रशासन ने २८ अगस्त, १९९७ को अपने पूरे दल-बल के साथ जिसमें, जिला उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की छब्बीस गाड़ियाँ थीं, चवाला गाँव को घेर लिया। धान की फसल नष्ट कर दी गई। जब स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया तो लाठी चार्ज किया। घरों में जाकर लोगों को पीटा गया और घरों का सामान बाहर फेंक दिया गया। गाँव के नौ युवकों को पकड़कर पुलिस थाने में रखा गया और एक घायल महिला को जम्मू बख्शी नगर मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया।

बिल क्रमांक-९ के लिए प्रशासन और पुलिस के इस प्रकार के अत्याचारों के विरुद्ध खड़े हुए भारतीय नागरिक चुप नहीं हुए, उनका साथ देने के लिए पूरी तहसील की जनता एकत्र हो गई और २८ अगस्त, १९९७ को ही ११.०० बजे तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन करके पुलिस का घेराव किया। वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने उनका साथ दिया। अंतत: सरकार को जनता की संगठित शक्ति के सामने झुकना पड़ा और सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि चवाला गाँव के बसे परिवारों को नहीं उजाड़ा जाएगा। उनकी खेती की भूमि भी नहीं छीनी जाएगी।

फारूख अब्दुल्ला की रणनीति

कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला जितने महत्त्वाकांक्षी हैं उतने चुस्त-चालाक भी हैं। 'साँप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे' की रणनीति को वे अख्तियार करते हैं। वे कश्मीर की आजादी तो चाहते हैं किंतु जेहाद के द्वारा नहीं, अपितु धीरे-धीरे किस्तों में। अभी हाल में स्वायत्तता के मुद्दे पर उनका बयान कश्मीर को भारत से अलग करने जैसा है। उन्होंने १६ मई को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में महिला कारीगरों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने कश्मीर को स्वायत्तता नहीं दी तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। यह गंभीर चेतावनी है जिसकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। सन् १९५३ से पूर्व की स्थिति से पूर्व की स्थिति की बहाली वे क्यों चाहते हैं? अन्य राज्यों की तरह कश्मीर भारत के साथ क्यों नहीं रह सकता? बस फारूख अब्दुल्ला को तो एकछत्र साम्राज्य चाहिए। केंद्र का कोई अंकुश नहीं रहे। इसीलिए सन् १९५३ से पूर्व की स्थिति की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र को हमें वह सब कुछ लौटाना होगा जो उसने असंवैधानिक तरीके से हमसे छीना है। इस तरह का बयान देने के बावजूद केंद्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडीज सहित कई नेता उनकी देशभक्ति पर संदेह करने के खिलाफ हैं। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। सच माने में होना तो यह चाहिए था कि इस प्रकार के बयान के लिए फारूख अब्दुल्ला पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाता।

हिंदुओं का धर्म परिवर्तन

अरब देशों के इसलाम अनुगायी ने इसलाम के ध्वज को फहराते हुए पूरे विश्व को इसलाम के रंग में रँगने के लिए काबुल, गांधार होते हुए कश्मीर पहुँचे। तलवार के बल पर इन आक्रमणकारियों ने हिंदुओं का धर्मांतरण किया। इस साक्ष्य को कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कवि कल्हण ने अपने ग्रंथ 'राजतरंगिणी' में रेखांकित किया है।

भद्रवाह में इसलाम का आगमन

सर्वप्रथम भद्रवाह (किश्तवाड़) यानी संपूर्ण डोडा जिले में ही इसलाम का आगमन पठानों की आक्रमणकारी सेना के रूप में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के समय हुआ। परंतु यह आक्रमण थोड़े समय का होता था। आक्रमणकारी एक स्थान पर ज्यादा देर ठहरते नहीं थे। रास्ते में मिलनेवाले मठ-मंदिरों को लूटकर नष्ट कर

देते थे और मार्ग में जो भी हिंदू मिलता था, उन्हें मुसलमान बनाने के उद्देश्य से नमाज पढ़वाते थे और अपना जूठा खिलाते थे। इन आक्रमणकारियों से अपनी संपत्ति एवं अनाज को बचाने के लिए हिंदू जनता जमीन के अंदर बड़े गहरे-चौड़े कुंड बनाती थी और आक्रमण के समय अपनी संपत्ति को इन गहरे कुंड में छिपाकर अपने प्राणों और धर्म को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ों के जंगलों में चली जाती थी। जब पठानी आक्रमणकारी वहाँ से चले जाते थे तो वे जंगलों से लौटकर अपने घरों में आ जाते थे; परंतु जो हिंदू इन आक्रमणकारियों के हाथ लग जाते थे, उन्हें ये अछूत बना देते थे। आज दलितों एवं हरिजनों में अनेक परिवार ऐसे हैं जो आक्रमणकारियों के कारण अछूत बने थे। इतना होने के बावजूद इन आक्रमणकारियों से इसलाम का ज्यादा टिकाऊ प्रचार नहीं हो सका।

इसलामिक सिपाही पीरों का आगमन

भद्रवाह में चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी के समय कश्मीर के रहनेवाले दो इसलामिक सिपाही—पीर अबु सईद सिकंदर अली कादिर और पीर अल मारुफ शाह भद्रवाह पहुँचे। इन्होंने यहाँ स्थायी रूप से रहकर इसलाम का प्रचार किया। घूम-घूमकर इसलाम का प्रचार करने लगे और धीरे-धीरे हिंदुओं के धर्म को बदलकर मुसलमान बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इन दोनों ने यहाँ पर इसलाम की नींव अवश्य डाली, परंतु ज्यादा लोगों को मुसलमान नहीं बना सके। पीर सिकंदर अली कादिर आज के जामा मसजिद क्षेत्र में रहते थे, जहाँ इनकी सिकंदर पीर नाम से इजारत बनी हुई है और उस मोहल्ले का नाम सिकंदराबाद रखा गया है।

औरंगजेब के अत्याचार

वास्तव में यहाँ पर इसलाम के द्वारा धर्म परिवर्तन की आँधी सत्रहवीं शताब्दी में आई। जब मुगल बादशाह औरंगजेब कश्मीर आया। किश्तवाड़ में हिंदू से मुसलमान बने मोहम्मद तेग सिंह के कहने पर सेनापति मिर्जा शाह ने औरंगजेब की इसलामिक सेना के साथ भद्रवाह पर आक्रमण कर दिया। हिंदुओं के ऊपर भयंकर अत्याचार किए, गाँवों में आग लगा दी और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू राजपूतों को मुसलमान बनाया। इस समय भद्रवाह का राजा आपसी झगड़ों के कारण कमजोर था। वह इन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सका। औरंगजेब ने दूसरी चाल में कश्मीर के ऐसे मुसलमानों को भद्रवाह में बसाया जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए थे। इसी समय कश्मीर घाटी में औरंगजेब के अत्याचारों से

पीड़ित होकर अनेक कश्मीरी हिंदू परिवार कश्मीर छोड़कर भद्रवाह में आकर बस गए। इस तरह से यहाँ पर इसलाम मजहब का विस्तार हुआ।

किश्तवाड़ में इसलाम का आगमन

किश्तवाड़ के अन्य क्षेत्रों में भी ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में पठानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में यहाँ बगदाद से दो इसलामिक सिपाही-पीर फरीदुल्दीन शाह और पीर इस्रालुल्दीन शाह आए। इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ गाँव-गाँव में घूमकर इसलाम का प्रचार किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया। इन दोनों पीरों ने राम सिंह को मुसलमान बनाकर इसलाम की आँधी को तेज किया। हिंदू से मुसलमान बना राम सिंह इन पीरों के साथ हिंदुओं को मुसलमान बनाने के कार्य में लग गया। जब किश्तवाड़ के राजा कीर्ति सिंह ने राम सिंह की इस नीच हरकत को देखा तो उसे इससे घृणा हो गई। हिंदू से मुसलमान बने राम सिंह ने किश्तवाड़ के हिंदू राजा कीर्ति सिंह से बदला लेने के लिए औरंगजेब के कानों में यह बात पहुँचाई कि किश्तवाड़ का राजा कीर्ति सिंह इसलाम के प्रचार-प्रसार में रोड़ा अटकाता है; मुसलमानों को तंग करता है। औरंगजेब यह सुनकर आगबबूला हो गया। कीर्ति सिंह को बुलाकर बंदी बना लिया और उसे तरह-तरह की यातनाएँ दीं। तलवार की नोक पर उसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया और इसलाम के प्रचार के लिए एक संधिपत्र पर हस्ताक्षर करवाया, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिए—

- मुसलमान गो हत्या करें।
- कुरान शरीफ अर्थात् इसलाम का बिना रोक-टोक प्रचार हो।
- हिंदू 'जजिया' नाम का कर देंगे।
- संपूर्ण अभियोगों का निर्णय काजी करेगा।
- कोई भी हिंदू मुसलमान लड़की से विवाह नहीं करेगा।
- राज्य कार्यों में मुसलमान का प्रभुत्व रहे।
- मुख्यमंत्री एवं सेनापति सदैव मुसलमान हों।

जब राम सिंह की इस चाल की जानकारी लोगों को हुई तो वे क्रोध में आ गए। तब योगी संन्यासी बाबा तुलसीगिरी ने समाज को औरंगजेब के इस घृणित कार्य के विषय में बताकर धर्मरक्षार्थ संगठित होने के लिए जनजागरण किया, जिससे प्रेरणा पाकर वीरांगना कोकिला देवी जगगूशान एवं श्रीलाल परिहार ने समाज को शस्त्र धारण करवाकर विधर्मी राम सिंह को मौत के घाट

उतार दिया और मुगलों के छक्के छुड़ाने लगे। इस विद्रोह से डरकर मुगल सूबेदार ने राजा कीर्ति सिंह को कश्मीर से मुक्त करके किश्तवाड़ भेज दिया। इन सब घटनाओं में बाबा तुलसीगिरी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी समाधी आज भी किश्तवाड़ नगर से एक किलोमीटर दूर सरकूट नामक स्थान पर गौरी शंकर मंदिर में विद्यमान है।

अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग किश्तवाड़ के राजा तेग सिंह को इसलाम के धर्म परिवर्तन की आँधी में मोहम्मद तेग सिंह बना दिया। इन्होंने मुगल सेना के साथ मिलकर हिंदुओं पर अत्याचार किए और अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया। कश्मीर में औरंगजेब के अत्याचारों और उत्पीड़न से परेशान होकर कश्मीरी पंडित अपने को बचाने के लिए किश्तवाड़ आकर बस गए। इसलाम को फैलानेवाले दोनों पीरों की यहाँ पर इजारत है। किश्तवाड़ के परेड के साथ पीर फरीदुल्दीन की इजारत है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पच्चीसवीं तिथि को एक मेला लगता है। दूसरी इजारत किश्तवाड़ शहर के बीच किले में पीर इस्रालुल्दीन की है। यहाँ पर पहले महाकाली का भव्य मंदिर था, जिसके अवशेष आज भी उसकी पहचान करवाते हैं।

भलेस में धर्म परिवर्तन

औरंगजेब के शासनकाल में कश्मीर घाटी के साथ-साथ डोडा जिला के सभी क्षेत्रों में इसलाम का प्रचार हो गया था। सत्रहवीं शताब्दी के लगभग कश्मीर से भद्रवाह के रास्ते भलेस में इसलाम के सिपाही—हजरत पीर सईद शाह गयासुद्दीन पहुँचे। इन्होंने भलेस में रहकर स्थायी रूप से इसलाम का व्यापक प्रचार किया। विभिन्न तरीकों को अपनाकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया। कुछ समय के लिए वे लोग इसलाम के प्रचार-प्रसार हेतु चंबा भी गए। इन्होंने भलेस के लगभग सत्तर-पचहत्तर प्रतिशत हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। इतिहासकार इन पीरों के बारे में लिखते हैं—"आज जो इलाका भलेस में इसलामिक रंग से चमक रहा है वह जनाब सईद शाह ग्यासुद्दीन साहब की मेहनत का सबर (फल, परिणाम) है।"

बनिहाल में धर्म परिवर्तन

सत्रहवीं शताब्दी तक बनिहाल में पूर्ण रूप से धर्म परिवर्तन हो चुका था। बनिहाल कश्मीर के एकदम निकट है। यहाँ पर इसलाम के सिपाही हजरत शेख

अब्दुल कादिर जिलानी ने इसलाम धर्म फैलाने के लिए बहुत काम किया। इसके साथ-साथ कश्मीर से आए इसलाम के सिपाही हजरतशाह मोहम्मद गाजी ने यहाँ पर स्थायी रूप से रहकर इसलाम का प्रचार किया। गाँव-गाँव में घूमकर अपने अन्य अनुयायियों के सहयोग से हिंदुओं को मुसलमान बनाया। बगदाद के इसलामिक पीरों ने इनका साथ देकर पोगल-परस्तान के दूर-दराज क्षेत्रों में जाकर काम किया। परिणामस्वरूप पूरे बनिहाल में इसलामिक रंग चढ़ गया। बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, परंतु रामबन के क्षेत्र में इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी।

इस प्रकार यदि हम इतिहास की घटनाओं को देखें तो पता चलता है कि कश्मीर घाटी सहित डोडा जिला के क्षेत्रों में इसलाम का आगमन और धर्म परिवर्तन का कार्य चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी तक हुआ।

मुसलिम समाज के कई व्यक्ति यह सहर्ष मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उन्हें इस बात पर गर्व भी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला के पिता श्री शेख अब्दुल्ला जो कि राज्य के वजीरे रियासत (प्रधानमंत्री) भी रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा 'आतिशे चिनार' में स्वयं लिखा है—"मेरे परदादा कश्मीरी पंडित हिंदू थे और उनका नाम बालमुकुंद कौल था और हमें फख्र है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे।" डोडा जिला की प्रमुख महिला श्रीमती परवीन अख्तर से जब इस विषय पर प्रश्न पूछा गया तो उनका कहना था—"जहाँ तक इसलाम कबूल करना है तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोगों (हिंदुओं) ने इसलाम कबूल किया। फखरुल्दीन साहब ने यहाँ इसलाम फैलाया यह फख़्र की बात है। हजरत मोहम्मद के समय से इसलाम कबूल किया, पहले तो यहाँ सभी हिंदू थे। अगर कोई हिंदू मुसलमान बनता है या कोई मुसलमान हिंदू बनता है तो इसमें किसीको क्या एतराज है?"

डोडा जिला के ही जमायते इसलामिया के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री सैदुल्ला तांतेर से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनके विचार थे—"यह आपने ठीक कहा कि शुरू में यहाँ हिंदू आबादी थी। जब कश्मीर में इसलाम फैला तो कश्मीरी पंडित मुसलमान हो गए, फिर पीर-फकीर यहाँ आए तो यहाँ भी धर्म परिवर्तन हुआ। शुरू से ही यह समझते हैं कि हम एक माँ-बाप की औलाद हैं। धार्मिक पहलू भी एक है। 'गीता' और 'कुरान' एक हैं, क्योंकि गीता गाई जानेवाली एवं कुरान पढ़ी जानेवाली धार्मिक किताब है। हमारा

खून एक है। हम एक माँ-बाप के बेटे हैं।''

कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का सिलसिला अब भी नहीं थमा है। मई २००० में ऊधमपुर जिले के गूल गुलाब गढ़ क्षेत्र में रूपचंद नामक एक व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उसे मुसलमान बना दिया गया। इस प्रकार मुगलकाल से धर्म परिवर्तन कराने का चला सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है।

□

आतंकवाद की तैयारी

भारत स्वतंत्र हुआ तो मजहब के आधार पर मुसलिम कट्टरवाद और सत्ता की कुरसी के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ। कश्मीर के जो मुसलमान राष्ट्रवादी थे, वह इन पाकपरस्त कट्टरवादियों के सामने भयग्रस्त होने के कारण चुप रहते थे। हिंदू समाज के साथ व्यवहार मधुर रखते थे। हिंदू भी उनके साथ उठते-बैठते थे। आपस में यह एक-दूसरे के मित्र थे। हिंदू भी इनके ऊपर पूरा विश्वास करते थे। दोनों एक-दूसरे के उत्सवों, पर्वों में सम्मिलित होकर खुशियाँ मनाते थे और बधाइयाँ देते थे। भद्रवाह के श्री अब्दुल क्यूम मल्लिक परिवार होली के उत्सव में हिंदुओं के साथ सम्मिलित होते थे। रामलीला में भी कई मुसलमान युवक अभिनय करते थे। विवाह में एक-दूसरे की सहायता करते थे।

भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में मुँहकी खाने के बाद पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति अख्तियार की और इसका कार्यभार अपनी खुफिया एजेंसी को सौंपा। पाकिस्तान से सैकड़ों की संख्या में खुफिया एजेंट कश्मीर आने लगे और भारत के खिलाफ विष-वमन करने लगे। मजहब के नाम पर घाटी के युवकों को बहकाया जाने लगा। भारतमाता के जयघोष की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। विद्यालयों में भी भारतमाता की जय का उच्चारण बंद हो गया, वे लोग धर्म परिवर्तन कराने में भी पीछे नहीं रहे। जहाँ कहीं भी अवसर मिलता हिंदू को मुसलमान बना दिया जाता था। इसके विरोध में हिंदुओं ने भी शुद्धि-अभियान चलाया।

पाकिस्तान के खुफिया एजेंट कश्मीर के मुसलिम समाज को मजहब के नाम पर भड़काने में कामयाब रहे। उनके मन-मस्तिष्क में स्वतंत्र कश्मीर की भावना का विकास करके भारत विरोधी भावना भर दी गई। पाकिस्तान के इशारे पर राज्य में आतंकवाद की तैयारी प्रारंभ हो गई। केंद्र की कांग्रेस सरकार एवं प्रदेश की

शेख सरकार इस 'क्रमशः तैयारी' की अनदेखी करती रही। घाटी के साथ-साथ राजौरी, पुंछ, डोडा और जम्मू में भी आतंकवाद की तैयारी प्रारंभ हो गई। अंतर इतना रहा कि कश्मीर का आतंकवाद स्पष्ट दिखाई देता था, जबकि अन्य जिलों का आतंकवाद कुछ कट्टरपंथी मुसलिमों के विचारों में दिखाई दे रहा था। कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन करने के बाद आतंकवादियों ने इसे अपनी विजय समझा और फिर अपने कदम डोडा जिले में बढ़ाए। इस तैयारी के लिए बड़ी तेजी के साथ कई कार्य किए गए।

'अल्लावाले' मौलवियों की घुसपैठ

मुसलमानों को आजादी के लिए उकसाने, उनके विचारों में परिवर्तन लाने, भारत के विरुद्ध उनके मन-मस्तिष्क में विचार भरने और अलगाववाद की आवाज उठाने के लिए व्यापक योजनाएँ बनाई गईं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मजहबी शिक्षा देने का ढोंग रचकर 'अल्लावाले' नाम से उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सबसे बड़े इसलाम केंद्र देवबंध से बड़ी संख्या में मुल्ला-मौलवी जम्मू कश्मीर और डोडा जिला में आने लगे। इन मौलवियों की पहचान 'अल्लावाले' नाम से होने लगी। वे यह कहकर आते थे कि हम धार्मिक शिक्षा कुरान शरीफ का प्रचार करने के लिए अपने मुसलमान समाज के पास जा रहे हैं, परंतु सत्य तो यह था कि इन्हें भारत विरोधी विचारों का प्रशिक्षण देकर भेजा जाता था। आतंकवाद का बीज किस प्रकार से प्रत्येक मुसलमान के घर में पहुँचाया जाए, किस तरह से लोगों को भारत के विरुद्ध और कश्मीर की आजादी के लिए उकसाया जाए, तैयार किया जाए, इस तरह का प्रशिक्षण लेकर ये आते थे।

ये मौलवी धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर जिले के प्रत्येक गाँव में प्रवास करने लगे। मुसलमानों के पवित्र स्थल—मसजिद, इजारत, पीर बाबा का स्थान, मदरसे आदि अलगाववादी विचार के प्रचार केंद्र बन गए। नमाज अदा करने के बाद ये लोग यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें पढ़कर, कुछ आयतों के प्रमाण देकर ऐसी गलत व्याख्या करते, जिससे मुसलमानों को हिंदुओं से घृणा हो जाए, फिर भारत से घृणा का पाठ पढ़ाया जाने लगा—''यहाँ हम इन काफिरों (हिंदू) के साथ नहीं रहेंगे। जहाँ केवल अल्ला की आवाज गूँजे, हमें ऐसा स्वतंत्र देश चाहिए। यहाँ हम (मुसलमान) बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमें इसलामिक राज्य चाहिए।'' यही भावनाएँ लोगों के अंदर भरी जाने लगीं। घर-घर में ऐसे विचार उत्पन्न किए जाने लगे कि—''हमें जन्नत (स्वर्ग-मोक्ष) तभी मिलेगी जब हम काफिरों का साथ छोड़ दें, क्योंकि

भारत एक हिंदू देश है। उससे अलग होने के लिए हमें जिहाद करना है। संपूर्ण संसार में इसलाम की पताका फहरानी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोहम्मद गौरी, गजनवी और औरंगजेब ने भारत में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर इसलाम का प्रचार किया था। हमने वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर राज्य किया है। पाकिस्तान जब बना तब कश्मीर को जबरदस्ती भारत के साथ रखा गया। जिहाद, मजहब का ही काम है। जो यह काम करेगा उसके लिए जन्नत का मार्ग खुला है। हिंदू काफिर हैं। इनका-हमारा मेल नहीं। हमें आजादी की लड़ाई में कश्मीर का साथ देना है।'' इस तरह के अलगाववादी विचारों से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया गया। इन 'अल्लावालों' का आतंकवाद की तैयारी में सबसे बड़ा योगदान रहा है।

जमायते इसलामिया के मदरसे

'अल्लावाले' मौलवी तो अपने विचारों से मुसलमान समाज में जहर फैला ही रहे थे, परंतु आजादी की लड़ाई के लिए लड़नेवाले कट्टरपंथियों का निर्माण करना आवश्यक था जो मजहब के नाम पर जिहाद के लिए औरंगजेब की तरह अत्याचार कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक था कि नई पीढ़ी को ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे वे लोग कट्टरपंथी बन जाएँ। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बड़ी तेजी के साथ जमायते इसलामिया संगठन ने गाँव-गाँव में मदरसे खोले। इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर मजहबी कट्टरपंथी की शिक्षा दी जाने लगी। इनमें भारत की एकता के स्थान पर भारत से अलगाववाद की शिक्षा दी गई। हिंदू-मुसलिम एकता एवं भाईचारा सिखाने के बजाय हिंदू के प्रति घृणा का जहर पिलाया गया। उनके पाठ्यक्रमों में आ से आम नहीं बल्कि आजादी, क से कबूतर नहीं काफिर, ब से बतख नहीं बंदूक, ज से जहाज नहीं जिहाद आदि पाठ पढ़ाए गए। विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई पूरी करते-करते पूरी तरह भारत का विरोधी बनकर तैयार होने लगे। अभी केवल डोडा जिले में लगभग अट्ठहत्तर से भी अधिक मदरसे चल रहे हैं। अनेक सरकारी भवनों में अवैध कब्जा करके ये मदरसे चलाए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ भद्रवाह नगर के जाई मार्ग पर सरकारी भवन में कब्जा करके लगभग दो सौ विद्यार्थियों का एक मदरसा चल रहा है, जिसे खाली करवाने के लिए समाज के प्रमुख लोगों ने कई बार प्रयास किए, जिला उपायुक्त का आदेश भी आया, परंतु इसे खाली न करवा सके। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इन मदरसों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। यहाँ के पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ाया जा रहा है ? क्या शिक्षा

दी जा रही है ? यह पूछने का अधिकार शिक्षा विभाग एवं सरकार को नहीं है। परंतु मदरसों के संपोषण और विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने सन् १९९५ में चार करोड़ तेईस लाख रुपयों की अनुदान राशि दी है। अर्थात् जिसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, फिर भी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए सरकार अनुदान देती है।

हिंसात्मक कार्यवाही की योजना

शेख अब्दुल्ला के बृहत्तर कश्मीर के स्वप्न को सन् १९५३ में 'प्रजा परिषद्' के आंदोलन ने चकनाचूर कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप शेख अब्दुल्ला के देश विरोधी कार्य खुलकर सामने आए और उसे जेल में बंद कर दिया गया। परंतु तुष्टीकरण की नीति पर चलनेवाली केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इन्हें जेल से रिहा किया और पुन: राज्य की सत्ता की बागडोर सौंप दी। शेख अब्दुल्ला ने आतंकवाद को संरक्षित-संपोषित किया। अब तक 'अल्लावाले', 'मुल्ला-मौलवियों' और 'जमायते इसलामिया' के मदरसों ने इतना जहर फैला दिया कि कश्मीर के युवक हिंसा का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हो गए।

प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

हिंसात्मक गतिविधियों के लिए पाकिस्तान ने कई प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में लूटपाट, आगजनी, हत्या, अत्याधुनिक शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसके लिए सेना के बड़े-बड़े अधिकारियों को लगाया गया। कश्मीर घाटी में मजहबी उन्माद भड़काने के लिए चलचित्र दिखाए जाने लगे, जिनमें हिंदुओं से बदला लेने के दृश्य रहते थे। युवतियों को भी इस कार्य में लगाया गया। राज्य सरकार ने इसे समर्थन दिया। केंद्र की कांग्रेस सरकार जानकारी होते हुए भी चुप रही, क्योंकि उसे तुष्टीकरण के कारण मुसलिम मतों का अधिक ध्यान था। इसके बाद कश्मीर घाटी और डोडा जिले में भी कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। डोडा जिला के भरत, चिराला, जाई, सयोज, सोती, पाडर, मडवा आदि शिविरों में अफगान, सूडान, पाकिस्तान आदि देशों के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रशिक्षित आतंकवादियों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया—क. पाकिस्तानी प्रशिक्षित, ख. कश्मीरी प्रशिक्षित तथा ग. स्थानीय प्रशिक्षित। इन प्रशिक्षित युवकों को धन का भी लालच दिया गया। आजकल पाकिस्तान में ३७, अफगानिस्तान में २२ और गुलाम कश्मीर में ४९ आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं।

आतंकवादी संगठनों का गठन

हथियारों का प्रशिक्षण देने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. ने आतंकवादी संगठनों का गठन किया। इन आतंकवादी संगठनों के प्रतिनिधि अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, जम्मू, ऊधमपुर, राजौरी, पुंछ और डोडा में भी बनाए गए जो कि कश्मीर एवं पाकिस्तान के आतंकवादी प्रमुखों के निर्देशों पर कार्य करने लगे। इन संगठनों की समस्त बागडोर पाकिस्तान की सैनिक गुप्तचर संस्था के हाथों में है। प्रारंभ में राज्य में एक सौ चालीस आतंकवादी संगठन कार्य कर रहे थे। इनका आपस में विलय होने के कारण वर्तमान में लगभग पच्चीस आतंकवादी संगठन है जिनमें दस संगठन सक्रिय रूप से आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे हैं। जिनमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोएबा, अलबदर, हरकत-उल-अंसार, मुसलिम जाँबाज फोर्स, पीपुल्स लीग आदि अधिक सक्रिय हैं और हिंसात्मक कार्यवाहियाँ कर रहें हैं। इन संगठनों ने जिला, तहसील, खंड, क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र प्रमुख (एरिया कमांडर) बनाए हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी टोलियाँ खड़ी की हैं। इनमें युवक-युवतियों को गुमराह कर शामिल किया गया है। सभी क्षेत्रों में संगठनात्मक ढाँचा खड़ा किया गया है। हथियारों के बड़े-बड़े गुप्त गोदाम बनाए गए हैं। कुछ आतंकवादी संगठन राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं तो कुछ आतंकवादी कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर भारत का विभाजन इन सभी का एक उद्देश्य तो अवश्य है।

हथियारों का भंडार

आतंकवाद के लिए ए.के.-४७, ग्रेनेट, लांचर जैसे अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति पाकिस्तान से अवश्य हुई; किंतु इन गतिविधियों को सरकार के उच्चस्थ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। बड़ी भारी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ चोरी-छिपे सीमा पार से निरंतर आ रहा है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार के कई मंत्री, नेताओं एवं पाकपरस्त प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों का भी प्रयोग किया जाता था। क्योंकि इन वाहनों पर किसीको शक नहीं होता था और न ही इनकी तलाशी ली जाती है।

हिंदू स्थानों के नामों का इसलामीकरण

दारूल हरव से दारूल इसलाम द्वारा हिंदू स्थानों के नामों का इसलामीकरण

शुरू किया गया। डोडा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो दारूल इसलाम है। पैगंबर मोहम्मद के आदेशानुसार मुसलमानों को यह निर्देश है कि तुम्हें इसलाम का विस्तार दारूल अमन से दारूल हरव और दारूल इसलाम तक करना है। दारूल अमन का अर्थ है कि जहाँ मुसलमान अल्प संख्या में हों वहाँ अमन (शांति) के साथ रहकर अपनी जनसंख्या तेजी से बढाएँ, जिसके लिए इन्हें बहुविवाह की धार्मिक मान्यता दी गई। दारूल हरव अर्थात् अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के पश्चात् अपने मुसलिम अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, उसके लिए प्रदर्शन, सभाएँ, धरने, हड़ताल करो। अपने मजहब का विस्तार करो। दारूल इसलाम यानी कि जब तुम ये दोनों कार्य करते हुए बहुसंख्यक हो जाओ तो दारूल इसलाम कायम करो अर्थात् निजामे मुस्तफा इसलाम के नियमों के आधार पर इसलाम का शासन चलाओ। उस स्थान का इसलामीकरण करके उसे अलग मुसलिम देश बनाओ। इसी चिंतन के आधार पर हिंदू स्थानों के नामों का इसलामीकरण प्रारंभ हो गया। उदाहरण के लिए डोडा जिला का नाम फरीदाबाद रखा गया है। किश्तवाड़ में शिवनगर को अख्याराबाद, शक्तिनगर को असरारावाद के नाम से पुकारा जाता है।

मुसलिम समाज को निजामे मुस्तफा का निर्देश

इसलामिक वातावरण बनाने के लिए आतंकवादियों ने मुसलमान समाज को कई तरह के दिशा-निर्देश दिए, जिससे मुसलमानों की अलग से पहचान बन सके। दूर से ही पता चल जाए कि यह मुसलमान है। सभी लड़कियों को कहा गया कि वह बुरका पहनकर घर से बाहर निकलें। आतंकवादियों ने फतवा जारी कर कहा कि जो लड़की बुरका पहनकर नहीं निकलेगी उसके मुँह पर तेजाब फेंक दिया जाएगा। विद्यालयों में पढ़नेवाली लड़कियों को भी यह कहा गया कि तुम्हें सिर के ऊपर दुपट्टा रखना होगा। यहाँ तक कि सन् १९९६ में किश्तवाड़ के बालिका उच्च विद्यालय में एक अध्यापक मुश्ताक अहमद ने विद्यालय की हिंदू लड़कियों पर भी दबाव डाला कि तुम्हें इसलामिक पद्धति के अनुसार सिर पर दुपट्टा डालकर आना है। उन्होंने कहा—"यह हिंदुस्थान नहीं, पाकिस्तान है। इसे अच्छी तरह समझ लो। तुम कश्मीर मुसलिम देश के निवासी हो। सिनेमाघरों में फिल्में देखकर मनोरंजन और समय बेकार मत करो। जो फिल्में देखेगा वह पछताएगा।" बाद में आतंकवादियों ने डोडा जिले के सभी सिनेमाघरों में बम विस्फोट करके आग लगा दी। सन् १९९२ में तो किश्तवाड़ के सिनेमाघर में बम विस्फोट होने से सात व्यक्ति घायल हो गए थे। चेतावनी दी गई कि कोई भी

मुसलमान शराब नहीं पिएगा, बेशक स्वयं शराब के ठेके लूटते हैं। विद्यालय में राष्ट्रीय गान बंद करवा दिया गया। भारत माँ का जयघोष करनेवालों को मृत्युदंड की सजा दी जाने लगी। शिक्षा विभाग एवं सरकार ने भी राष्ट्रीय गान और भारतमाता की जय के मामलों में चुप्पी साध ली। आज भी यही स्थिति है। किसी भी विद्यालय में दोनों कार्य नहीं होते। बाद में आतंकवादियों ने विद्यालयों को भी अग्नि के हवाले करना शुरू कर दिया। इस तरह से निजामे मुस्तफा के कई दिशा-निर्देश आतंकवादियों ने मुसलमान और हिंदुओं पर थोपने के प्रयास किए।

देशद्रोही नारे

आतंकवादियों ने अपने उद्देश्य को जनता के सामने स्पष्ट करने और देशभक्त समाज में खलबली मचाने के लिए दीवारों पर देशद्रोही नारे लिखने का सिलसिला प्रारंभ किया। गाँव और शहरों की दीवारों तथा सरकारी भवनों के बाहर उर्दू में देशद्रोही नारे लिखे जाने लगे। हिंदुओं के घरों की दीवारों पर विशेष रूप से नारे लिखे गए, जो इस प्रकार थे—'हम क्या चाहते—आजादी-आजादी'। 'हक हमारा—आजादी-आजादी'। 'छीन के लेंगे—आजादी-आजादी'। 'आजादी का मतलब क्या—ला-इला-हि-इल-ला'।'यहाँ क्या चलेगा—निजामे मुस्तफा (इसलाम का शासन)'। 'हिंदुओ भाग जाओ—वरना कुत्ते की मौत मरोगे'। इस तरह के आतंकित करनेवाले नारे लिखे गए। इन नारों के नीचे आतंकवादी संगठनों के नाम भी लिखे गए। इतना होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह चुपचाप यह सब देखता रहा। देशद्रोही नारे मिटाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

देशद्रोही पत्रक

समाज को अपनी बातों और कार्यक्रमों से अवगत करवाने तथा अपने साथ चलाने के लिए आतंकवादी संगठन परचा निकालकर मसजिदों की दीवारों पर चिपकाने लगे। डोडा जिले के एक परचे का कुछ महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार है—"कश्मीर की आजादी के लिए मुजाहिद (आतंकवादी) संघर्ष कर रहे हैं। अब कश्मीर की आजादी निकट है। हमें भी कश्मीर के साथ आजाद होना है। ईंशा अल्ला हम भी कश्मीर के साथ-साथ कुछ समय बाद यहाँ भी आजादी की लड़ाई शुरू कर देंगे। आप सब हमारा साथ दें। जो हमारा साथ नहीं देगा वो इसलाम का गद्दार कहलाएगा, खुदा की कसम, हम उसको सजा देंगे।" अगर कोई आतंकवादी

मारा जाता है तो उसके समर्थन में परचा निकालकर उसे मजहब के लिए शहीद बताया जाता है। हर दूसरे-तीसरे दिन इस प्रकार के परचे मसजिदों के द्वारों पर चिपकाए जाने लगे। कई पत्रों में तो लिखा जाता था कि हिंदुओं से हमें दुश्मनी नहीं है, बशर्ते वे इसलाम कबूल करके आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दें। हिंदुओं को अपमान करनेवाले कई पत्र ऐसे भी चिपकाए गए जिसका उल्लेख लज्जास्पद है। इस प्रकार के परचे दिन-दहाड़े मसजिदों की दीवारों पर चिपकाए जाते, परंतु प्रशासन मसजिद की दीवारों से इसे फाड़ने का साहस तक नहीं जुटा पाया। वह इन पत्रों की अनदेखी करता रहा।

राष्ट्रीय दिवस पर नागरिक कर्फ्यू : काला दिवस

कश्मीर घाटी ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी आतंकवादियों का बोलवाला हो गया। आतंकवादियों ने घोषणा की—'डोडा जिला भारत का अंग नहीं है। भारत हमारा देश नहीं है, हम कश्मीर की आजादी के साथ लड़ रहे हैं। हम भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। इसलिए हम भारत के राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाएँगे, हम भारतीय संविधान को ठोकर मारते हैं।' आतंकवादी १४ अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाने लगे, क्योंकि यह मानते हैं कि १४ अगस्त को 'पाकिस्तान' एक अलग मुसलिम देश बना था अर्थात् आतंकवादी संगठन भारत के टुकड़े होने की और पाकिस्तान के निर्माण की खुशी मनाते हैं। १४ अगस्त को पाकिस्तानी झंडे स्थान-स्थान पर फहराने शुरू कर दिए जबकि १५ अगस्त को नागरिक कर्फ्यू घोषित किया गया। पाकिस्तानपरस्त लोग भारत के राष्ट्रीय दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने लगे। १५ अगस्त की रात को अनेक स्थानों पर बिजली के फ्यूज उड़ाकर अँधेरा किया जाने लगा। कई वर्षों से यह सिलसिला जारी है। २६ जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। आतंकवादी भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए गणतंत्र दिवस का भी बहिष्कार करने लगे। इन दोनों राष्ट्रीय उत्सवों के सरकारी समारोह में मुसलिम समाज के नेता अनुपस्थित रहने लगे।

आतंकवादी कार्यों के समर्थन में हड़तालें

हिंदू समाज को आतंकित करने के लिए न केवल हड़ताल और प्रदर्शन होने लगे, बल्कि दिन-दहाड़े हत्याएँ भी आम बात हो गई। जब कभी प्रदेश में कोई भी आतंकवादी सेना के साथ मुठभेड़ में मारा जाता तो उस आतंकवादी को शहीद बताकर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हड़तालों का आयोजन कर सेना का विरोध

किया जाने लगा। मुसलमान समाज अपना कारोबार, दुकानें आदि बंद कर हड़ताल को सफल बनाने लगे। कुछ कट्टरपंथी मुसलमान स्वेच्छा से कुछ आतंकवादियों के दबाव में आकर ऐसा करने लगे।

मसजिदें आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बन गईं

आतंकवादियों के द्वारा हड़ताल, प्रदर्शनों की घोषणा मसजिदों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र से की जाने लगी। मसजिदें आतंकवाद को चलानेवाला एक केंद्र बन गईं। मसजिदों में एकत्र होकर आतंकवादी अपनी योजनाएँ बनाने लगे। मसजिद शस्त्रों का भंडार बन गया। मसजिदों से देशद्रोही नारे लगातार लगाए जाने लगे। आतंकवादी संगठनों के प्रमुख अपने संगठन एवं पद का नाम लेकर मसजिदों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा अपना आदेश लोगों तक पहुँचाने लगे। परंतु प्रशासन एवं पुलिस ने किसीको भी ऐसा करने से न तो रोका, न ही किसीको गिरफ्तार किया। मसजिदें अत्याधुनिक हथियारों और आतंकवादियों का अड्डा बन गईं।

आतंकवाद के समर्थन में प्रदर्शन

जब कभी कोई आतंकवादी सेना के द्वारा मारा जाता या पकड़ लिया जाता है तो मसजिदों से घोषणा करके पूरे मुसलिम समाज को मसजिद में एकत्र होने के लिए कहते हैं। वहाँ से ये हजारों की संख्या में निकलकर जनप्रदर्शन करते हुए सेना के विरोध में नारे लगाते हैं। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए प्रमुख लोगों का अपहरण कर सरकार पर दबाव डाला जाने लगा। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व उच्च पदों पर आसीन सरकारी कर्मचारी एवं समाज के प्रमुख नेता करने लगे। आतंकवादियों को सरकार का संरक्षण मिलने के कारण राष्ट्रभक्त अधिकारी हतोत्साहित होने लगे। ऐसे अधिकारियों को 'भारतीय कुत्ते' कहकर कश्मीर से भाग जाने की चेतावनी दी जाने लगी।

हिंदू उत्सवों पर भय उत्पन्न करना

हिंदू समाज के उत्सवों के समय उनके मन में डर और दहशत पैदा करने के लिए आतंकवादियों के द्वारा धमकी भरे पत्र चौक-चौराहे पर चिपकाए जाने लगे। होली, दीपावली, दशहरा आदि खुशी और उमंग के मौके पर भी आतंक का वातावरण निर्मित होने से हिंदू समाज घुट-घुटकर जीने को विवश हो गया। सन् १९९३ में जब हिंदू समाज होली का उत्सव मनाते हुए किश्तवाड़ की जामा मसजिद

के अपने परंपरागत मार्ग से निकलने लगा तो उनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ईंट-पत्थर, गोलियाँ आदि भी चलाई गईं। फिर मसजिदों से घोषणा करके हिंदुओं को धमकियाँ दी जाने लगीं। अन्य धार्मिक यात्राओं के समय भी धमकियाँ दी जाने लगीं।

यहाँ की स्थिति तो ऐसी हो गई कि जैसे ही कोई त्योहार आता है तो लोगों में बेचैनी शुरू हो जाती है कि न जाने कौन बलि का बकरा बनेगा? किसका बलिदान होगा? किसके घर में खुशी के दिन दुःख छा जाएगा। यह चिंता लोगों को सताने लगी।

देशभक्तों को धमकियाँ

आतंकवादियों ने समाज के प्रमुख हिंदू नेताओं को धमकी भरे पत्र भेजने प्रारंभ किए, जिसमें उनकी हत्या कर देने एवं उनके परिवार के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। प्रस्तुत है एक उदाहरण—'आपको आगाह किया जाता है कि आप हमारे कामों में रुकावट डाल रहे हैं। आप अपने पैर समेटकर रखें, नहीं तो आपका काम तमाम हो जाएगा, आपकी लड़कियाँ काफी खूबसूरत हैं। हमारे इशारे को समझ गए होंगे। —एरिया कमांडर।'

इस तरह के कई धमकी भरे पत्र राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दलों के हिंदू नेताओं को आने लगे। दूरभाष पर भी चेतावनी दी जाने लगी। लोग रात में टेलीफोन का रिसीवर अलग रखकर सोने लगे, ताकि कोई धमकी देकर चैन की नींद न छीन ले। सरकारी संरक्षण के कारण आतंकवादियों का मनोबल तो यहाँ तक बढ़ गया कि सामान्य लोगों की बात तो दूर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को भी धमकी भरे पत्र भेजने लगे। उनके कार्यालयों में घुसकर सरेआम धमकी देने लगे।

□

आतंकवाद का स्वरूप

आतंकवादियों ने योजनाबद्ध ढंग से कश्मीर में अपने अड्डे स्थापित किए। ग्रामीण-नगरीय क्षेत्र में इनकी टोलियाँ सक्रिय हो गईं। दीवारों पर भारत विरोधी नारे एवं पत्रकों की भरमार हो गई। हिंदू विरोधी उत्तेजक भाषणों के चलचित्र और ध्वनि मुद्रिका (कैसेट) लोगों को गाँव-गाँव में दिखाए-सुनाए जाने लगे। कश्मीर के जंगलों एवं दूर-सूदूर क्षेत्रों में आतंकवादियों ने अपने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर लिये। इन अड्डों में पाकिस्तानी, अफगानी, सूडानी, कश्मीरी एवं स्थानीय आतंकवादी आकर जम गए। इसके बाद आतंकवादियों ने हिंसात्मक घटनाओं के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना प्रारंभ किया।

प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद उस समय दिखाई दिया जब सन् १९८९ में आतंकवादी संगठन के प्रमुख नेता शब्बीर शाह को रामबन तहसील के नगर में गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में डोडा जिले में स्थान-स्थान पर भारत विरोधी प्रदर्शन होने लगे। गाँव-गाँव से मुसलिम समुदाय के लोग, डोडा, किश्तवाड़, पाडर, दच्छन, मढ़वा, भलेस, ठाठरी, भद्रवाह, रामबन, बनिहाल आदि स्थानों पर एकत्र होकर प्रदर्शन करने लगे। कई प्रदर्शन तो हथियारों के साथ किए गए। नारे लगाए जाने लगे—'हम क्या चाहते?—आजादी-आजादी।' 'कश्मीर बनेगा—पाकिस्तान।' 'बच्चे माँगे—आजादी।' 'बूढ़े माँगे—आजादी।' 'मुसलमान माँगें—आजादी।' 'पत्थर माँगे—आजादी।' 'शहंशाह, शहंशाह—शब्बीरशाह, शब्बीरशाह।' कई दिनों तक बंद का आह्वान किया गया, परंतु प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। २७ अक्तूबर विलय दिवस को 'काला दिवस' मानकर बंद की घोषणा की गई।

ज्ञातव्य है कि जब पाकिस्तानी सेना ने कबाइली हमला किया था तो उस समय महाराजा हरि सिंहजी ने २६ अक्तूबर, १९४७ को भारत के साथ राज्य का

अंतिम विलय कर दिया था। कश्मीर घाटी में आतंकवादी मसजिद से घोषणा करने लगे कि—'२७ अक्तूबर, १९४७ को भारतीय कुत्तों की फौज के नापाक कदम कश्मीर की पाक धरती पर पड़े थे, जिन्होंने कबाइली फौज को हलाल किया था। इसलिए इस विरोध में पूरा कारोबार बंद रहेगा और शहीदों को याद किया जाएगा।' हिंदुओं को लूटना, मारना, काटना, बम विस्फोट, आगजनी, सेना एवं अर्धसैनिक बल पर हमले दिन-ब-दिन बढ़ने लगे। हिंदू समाज के प्रमुख लोगों की हत्या का अटूट सिलसिला प्रारंभ हो गया, ताकि हिंदू समाज डरकर विस्थापित हो जाए। कश्मीर की भाँति डोडा को भी रक्तरंजित करने की योजना बनाई गई।

मंदिरों में बम विस्फोट

हिंदुओं को आतंकित करने के लिए संध्या होते ही बम विस्फोट का क्रम प्रारंभ हो जाता। कभी-कभी तो सैकड़ों बम विस्फोट एक ही रात में होने लगे। बाद में ये विस्फोट मंदिरों, हिंदू नेताओं के घरों और सार्वजनिक स्थानों पर होने लगे।

२ अप्रैल, १९८९ को भद्रवाह के श्रीवासुकि नाग मंदिर को आतंकवादियों ने बम विस्फोट करके क्षतिग्रस्त कर दिया। ८ नवंबर, १९८९ को भद्रवाह के कुटोन गाँव के शिव मंदिर को बम विस्फोट से ध्वस्त कर दिया। सन् १९९० में सुपरनाग एवं अटालगढ़ के मंदिरों को भी आतंकवादियों ने जलाकर राख कर दिया। १७ जून, १९९० को भद्रवाह के नगर में स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर में बम फेंका, जिससे मंदिर में पूजा-पाठ कर रहे घनश्याम शाह और संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।

नवंबर १९९२ में आतंकवादियों ने किश्तवाड़ के सरथल नामक क्षेत्र के अग्राल गाँव से माता अष्टादश भुजा, माता श्रीसरथल देवी की अति प्राचीन भव्य मूर्ति चुरा ली। हिंदू समाज द्वारा आंदोलन करने के डेढ़ महीने बाद माता की मूर्ति चमत्कारी ढंग से प्राप्त हो गई।

६ दिसंबर, १९९२ को अयोध्या में जब श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी ढाँचा तोड़कर भगवान् राम की जन्मभूमि को मुक्त किया गया तो उसके विरोध में कश्मीर के मंदिरों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। इस दिन मात्र डोडा तहसील में दस मंदिरों को आतंकवादियों ने अग्नि की भेंट चढ़ा दी—

१. भरत गाँव में—भगला मंदिर
२. बजारनी क्षेत्र में—मशला मंदिर
३. चतरु के गादी गाँव में—चतरु मंदिर

४. घंदल क्षेत्र में—कुंडधार मंदिर
५. काश्तीगढ़ क्षेत्र का मंदिर
६. कुलहांड जिनी का मंदिर
७. देधनी में हंबल क्षेत्र का मंदिर
८. बरशाला का मंदिर
९. ओगाद का मंदिर
१०. लाल द्रमन का मंदिर

१० अगस्त, १९९३ में कैलास कुंड की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। मई १९९५ में जब चरारे शरीफ को कश्मीर घाटी में जलाकर राख कर दिया था, तो उस समय आतंकवादी अपनी करनी का फल हिंदुओं के ऊपर थोपने लगे और हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया जाने लगा। भद्रवाह के वासुकि नाग मंदिर में हथगोला (ग्रेनेट) फेंककर हमला किया गया। मंदिर की रक्षा के लिए तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान बाल-बाल बचे। मंदिर की दीवार को बहुत हानि पहुँची।

१४ मई, १९९५ को डोडा मुख्यालय नगर में श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर में हथगोला फेंका गया, जिसमें दो सुरक्षाकर्गी मारे गए और चार व्यक्ति घायल हो गए। भलेस तहसील में भी आतंकवादियों ने तीन मंदिरों को अग्नि के हवाले कर दिया। सन् १९९५ में डोडा तहसील के भी तीन मंदिरों को तोड़कर आतंकवादियों ने उनमें आग लगा दी। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद कश्मीर गए और चरारे शरीफ के निर्माण के लिए दो सौ करोड़ रुपए की सहायता दी, किंतु इन मंदिरों की ओर उनका ध्यान नहीं गया। अपने पैतृक गाँव भलेस क्षेत्र में जलाए एवं नष्ट किए गए मंदिरों की तरफ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

आतंकवादियों ने कश्मीर की विशाल एवं प्रसिद्ध लंबी धार्मिक 'मणिमहेश यात्रा' के लिए जा रहे यात्रियों पर १९ अगस्त, १९९५ को हमला कर दिया। भगवान् भोले की मूर्तियाँ भंग कर दीं और पुजारियों (चेले) से यात्रा में ले जानेवाली निशानियाँ छीन लीं। यात्रियों को बिना छड़ी के ही यात्रा करनी पड़ी। बाद में निशानियाँ टूटी हुई अवस्था में नडपिथाल नामक स्थान पर पाई गईं। आतंकवादियों ने १८ फरवरी, १९९६ को भद्रवाह के किलाड क्षेत्र के शिव मंदिर को जलाकर राख कर दिया।

देश विरोधी प्रदर्शन

जमायते इसलामिया और आतंकवादियों ने तो मुसलिम समाज के कुछ

लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह किया और कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर डरा-धमकाकर अपने पक्ष में कर लिया। कुल मिलाकर ऊपर से देखने पर पूरा मुसलिम समाज ही आतंकवादियों का समर्थक लगने लगा। इसका प्रकटीकरण समय-समय पर जनप्रदर्शनों के माध्यम से होने लगा।

२२ मार्च, १९९३ को 'ईद-उल-जुहा' था। किश्तवाड़ में सबने ईद की नमाज अदा करने के बाद धार्मिक प्रदर्शन किया। यह मजहबी प्रदर्शन जब किश्तवाड़ नगर की विभिन्न गलियों, सड़कों से होकर सदर बाजार के हिंदू बाहुल्य मार्ग से निकला तो यह धार्मिक प्रदर्शन मजहबी उन्माद से भरा हुआ था। देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। न तो इसमें 'अल्ला-ताला' का नाम बोला जा रहा था, न ही मौला के गीत गाए जा रहे थे। इसमें से अलगाव की आवाजें आने लगीं। आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगने प्रारंभ हो गए—'हम क्या चाहते?—आजादी-आजादी।', 'छीन के लेंगे—आजादी-आजादी', 'आजादी का मतलब क्या?—ला-इला-हि-इल-ला', 'हमें चाहिए—निजामे मुस्तफा (इसलाम का शासन)', 'कश्मीर भारत की—जागीर नहीं, जागीर नहीं', 'बाबरी मसजिद का ताफूज—बहाल करो, बहाल करो', 'जिंदगी के तीन निशान—अल्ला, अकबर और कुरान।'

इस मजहबी जुनून के कारण हिंदू समाज भयाक्रांत हो गया। अलगाववादी नारे खुलेआम सड़कों पर प्रशासन की नाक के नीचे लग रहे थे। प्रशासन की स्थिति यह थी कि उसके अनेक अधिकारी भी इनके साथ सम्मिलित थे। स्थानीय पुलिस मौन रहकर इसकी स्वीकृति दे रही थी।

श्री एच.डी. देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में कश्मीर नीति के कारण आतंकवादी नेता शब्बीर शाह को जम्मू की जेल से रिहा किया गया। इनके ऊपर लगे देशद्रोह के आरोप एवं निर्दोषों की हत्या के सभी अपराध क्षमा कर दिए गए। शब्बीर शाह जैसे ही जेल से बाहर निकले तो जम्मू में हजारों मुसलमानों ने उनका भव्य स्वागत किया। तब शब्बीर शाह ने जम्मू में भी पहली बार आजादी का नारा लगाकर जम्मू शहर में भी अलगाववादी आवाज को गुँजा दिया। जबकि चाहिए तो यह था कि वह जेल से बाहर निकलकर भारत की माटी को अपने माथे पर लगाकर 'वंदेमातरम्' और 'भारतमाता की जय' बोलकर जम्मू को गुँजा देते। अपने द्वारा किए अपराधों की सार्वजनिक क्षमा माँगते और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, इस बात की चर्चा अपने भाषणों में करते। परंतु इन्होंने अलगाववादी नारा लगाया। जम्मू कश्मीर प्रशासन एवं तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा इन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की गई। सचमुच यह विडंबना ही है कि 'भारतमाता की जय' कहनेवाले

सुरक्षाकर्मी अलगाववादी नेता के पहरेदार बन गए। आतंकवादी नेता शब्बीर शाह ने प्रदेश के मुसलिम बहुल क्षेत्र का प्रवास प्रारंभ किया। अपने साथ चालीस-पचास वाहनों के काफिले के साथ जिला डोडा में इन्होंने प्रवेश किया। बनिहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में अलगाववादी नारों को गुँजाते रहे। शब्बीर शाह ने अपने भाषण में हिंदुओं से भी आजादी के अलगाववादी आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। इस दिन प्रशासन ने पूरे भद्रवाह से रात्रि का कर्फ्यू हटा लिया था और यह मौखिक आदेश जारी कर दिया था कि जुलूस में भाग लेनेवाले लोगों को कहीं भी आने-जाने से रोका न जाए। इस रात किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को न पकड़ा जाए। इसी रात कई बड़े-बड़े आतंकवादी एवं उनके प्रमुख शब्बीर शाह से मिले और आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय करने की व्यापक योजनाएँ बनीं।

बम विस्फोट की घटनाएँ

बम विस्फोट के द्वारा जहाँ आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों को क्षति पहुँचाई, वहीं समाज के प्रमुख व्यक्तियों के घरों में भी विस्फोट किए।

१३ दिसंबर, १९८९ को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन डोडा जिला अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता के घर में संध्या समय बम फेंका गया, जिससे उनके मकान को काफी क्षति हुई। इस घटना के तीन दिन बाद ही १६ दिसंबर, १९८९ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह श्री चुन्नीलाल परिहार के घर में भी बम फेंककर हमला किया गया, परंतु प्रशासन ने इनकी कोई भी छानबीन नहीं की। फिर तो इन बम विस्फोटों का एक सिलसिला प्रारंभ हो गया। १७ मार्च, १९९० को किश्तवाड़ नगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भौतिकी प्रयोगशाला में बम विस्फोट किया गया, जिससे भवन नष्ट हो गया। २४ मार्च, १९९० को किश्तवाड़ के सरकारी मुरगीखाने में कई बम फेंककर हमला किया गया, जिससे पूरा भवन नष्ट हो गया। ११ जून, १९९० को किश्तवाड़ के ही जलना गाँव में पूर्व सैनिक गणेश लाल के घर बम फेंका गया और १५ अगस्त, १९९० को स्वतंत्रता दिवस के दिन को 'काला दिवस' के रूप में मनाया और रात्रि में डाकघर पर बम विस्फोट कर दिया। १ सितंबर, १९९० को तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जब डोडा के प्रवास पर आए थे तो उनकी सभा में दोपहर को बम विस्फोट करके आतंकवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। १ जनवरी, १९९१ को डोडा नगर के दूरभाष केंद्र में आतंकवादियों ने बम विस्फोट करके बहुत क्षति पहुँचाई। २९ फरवरी, १९९२ को किश्तवाड़ में सोमनाथ शर्मा के घर में भी बम विस्फोट किया। यहाँ तक कि ९

फरवरी, १९९३ को भलेस जा रही एक बस पर मार्ग में आतंकवादियों ने बमों से हमला किया। जिसमें दो हिंदू यात्री मारे गए और पंद्रह घायल हो गए। ६ मई, १९९३ को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक ट्रक को सड़क में माईन (बम) लगाकर विस्फोट किया। जिसमें एक जवान मारा गया और तीन बुरी तरह से घायल हो गए।

हिंदुओं की सामूहिक हत्या के उद्देश्य से ९ अक्तूबर, १९९३ को डोडा बस अड्डे पर बम विस्फोट किए गए। जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई लोगों को गंभीर रूप से चोटें आईं। अप्रैल १९९४ में डोडा के 'पप्पी लैंड होटल' में हुए विस्फोट में पंद्रह व्यक्ति घायल हो गए।

१४ मई, १९९५ को डोडा नगर के श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर के द्वार पर हथगोला फेंककर हमला किया गया, जिसमें योगेंद्र सिंह, सोहन सिंह, देवराज और लालचंद गंभीर रूप से घायल हो गए। १२ अगस्त, १९९६ को किश्तवाड़ बस अड्डे पर बम फेंका, जिससे दो हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गए। २६ मई, १९९७ को किश्तवाड़ नगर में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय में बम फेंका, जिसमें तीन व्यक्ति घायल हो गए। १० मार्च, १९९८ को डोडा के बस अड्डे पर बम विस्फोट कर आतंकवादियों ने कई लोगों को घायल कर दिया।

९ मई, १९९८ को दिन में भलेस के गंदों केंद्र में पुलिस थाने के सामने के मैदान में त्वरित बल (एस.टी.एफ.) में युवकों की भरती हो रही थी। दोपहर में आतंकवादियों ने उस स्थान को घेरकर उन युवकों के ऊपर हथगोले फेंककर हमला किया। फिर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अनेक लोग घायल हुए। इसी प्रकार से भद्रवाह के तकिया बाजार चौक में दिन-दहाड़े आतंकवादियों ने बम फेंका, जिससे दस लोग घायल हो गए। इस घटना से पूरे शहर में दहशत फैल गई और बाजार बंद हो गया। कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई।

लूटपाट की घटनाएँ

आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समाज को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए लूटपाट की घटनाएँ प्रारंभ कीं। इन्होंने नागरिकों के साथ-साथ सरकारी खजानों को भी लूटा। कई सरकारी खजाने प्रशासन की मिलीभगत से लुटवाए गए।

१८ अगस्त, १९९२ को किश्तवाड़ के बस अड्डे के बाजार में स्थित विजय कुमार गुप्ता की दुकान में लूटपाट की गई। यह लूटपाट रात्रि में उस समय हुई जब

कर्फ्यू लगा हुआ था। सन् १९९२ में भलेस के दूर-दराज गाँवों के तेरह परिवारों को आतंकवादियों ने लूटा। इसमें इन्होंने लाखों रुपए, सोना-चाँदी, कंबल और बारह बोर की बंदूक भी लूटकर ले गए। ९ जनवरी, १९९३ को किश्तवाड़ में एक घर में बड़ी लूटपाट की। जिले में आतंकवादियों के द्वारा यह प्रथम बड़ी लूटपाट थी। जिस घर में लूटपाट की गई वह घर प्रसिद्ध समाजसेवक लाला कृष्ण कुमार डोगरा का है। रात्रि ११.०० बजे के लगभग चालीस-पैंतालीस आतंकवादियों ने इनके पूरे घर को बाहर से घेर लिया। इनके घर के सभी कमरों के आगे एक-एक आतंकवादी ए.के.-४७ हथियार लेकर खड़ा था। लालाजी के घर से पाँच लाख नकद राशि, कई तोले केसर तथा अन्य कीमती सामान वे लूटकर ले गए। ज्ञातव्य है कि इस घटना के कुछ दिन पूर्व ही स्थानीय पुलिस द्वारा तलाशी अभियान के तहत उनके घर के प्रत्येक कमरे की सभी अलमारियों को खोला गया था और घर की पूरी जानकारी ली गई थी।

१२ जनवरी, १९९३ को भद्रवाह नगर में जम्मू कश्मीर बैंक से जब एक कर्मचारी पंद्रह लाख रुपए ले जा रहा था तो मार्ग में दिन-दहाड़े आतंकवादियों ने लूट लिया। नवंबर १९९३ में किश्तवाड़ के सराज गाँव के उनचालीस हिंदू घरों को रात्रि में एक-एक करके लूट लिया। जिसमें कई किलो सोना-चाँदी, लाखों रुपए, कंबल तक लूटकर ले गए। आतंकवादियों ने गाँव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को भी लूटकर नष्ट कर दिया।

सन् १९९४ में रामबन के सुब्बड गाँव को आतंकवादियों ने रात में घेरकर लाखों की संपत्ति लूटी, दुकानों को भी लूटकर नष्ट कर दिया। लोगों को बेरहमी से मारा-पीटा। परिणामस्वरूप लोग वहाँ से विस्थापित हो गए।

आतंकवादियों ने न केवल आम जनता और सरकारी खजानों को ही लूटा, बल्कि सेना की जा रही सामग्री को भी लूटकर चुनौती दे दी। २२ अक्तूबर, १९९५ को ठाठरी तहसील के प्रेमनगर गाँव से तीन खच्चरों को लूट लिया, जो सेना की चौकी में सामान पहुँचाने जा रहा था।

आतंकवादियों ने १२ फरवरी, १९९६ को किश्तवाड़ के रायथल मुगल मैदान (मज़ार) क्षेत्र में हिंदुओं के बारह गाँवों को सामूहिक रूप से लूट लिया, जिसमें लाखों रुपए नकद एवं अन्य संपत्ति थी। २ मार्च, १९९६ को डोडा तरंगा गाँव को आतंकवादियों ने घेरकर पूरे गाँव को लूट लिया। ४ अप्रैल, १९९६ को भद्रवाह के गाँव में ठाकुरलाल एवं बालकृष्ण के घर में घुसकर आतंकवादियों ने सोना एवं नकदी लूटकर उन्हें कंगाल बना दिया। ३ अगस्त, १९९६ को किश्तवाड़

के छात्रू स्थान के हिंदुओं से पैंतीस हजार रुपए लूटकर भाग गए।

आगजनी की घटनाएँ

आतंकवादियों ने हिंदू समाज को आतंकित करने के लिए आगजनी की घटनाएँ प्रारंभ कर दीं। इस आगजनी में अनेक सरकारी भवनों, डाकबँगलों, यात्री ठहरावों और सरकारी लकड़ी के भंडारों को जलाकर राख कर दिया गया। अधिकतर भवन आज भी जली हुई अवस्था में हैं। अनेक विद्यालयों के भवनों को जलाकर आतंकवादियों ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित किया।

२६ जनवरी, १९९० को भद्रवाह नगर के एकमात्र उच्च विद्यालय को रात में आतंकवादियों ने आग लगा दी। विद्यालय कई वर्षों तक बंद रहा, फिर सन् १९९६ में प्रारंभ हुआ। २७ जुलाई, १९९२ को भद्रवाह के प्राथमिक विद्यालय को जलाकर पूर्णतया नष्ट कर दिया। मार्च १९९३ में तो महाविद्यालय का छात्रावास, चिंता, भाला तथा पनैजा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय को अग्नि के सुपुर्द कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रभावित हुए और करोड़ों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।

मई १९९३ में आतंकवादियों ने बनिहाल तहसील के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को जलाकर वहाँ के विद्यार्थियों को आतंकवादी गतिविधियों में अपने साथ सम्मिलित होने के लिए दबाव डाला। ३ अप्रैल, १९९४ को भद्रवाह के भालड़ा क्षेत्र के उच्च विद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया।

मंदिरों को जलाने की घटनाएँ

आतंकवादियों ने मात्र सरकारी संपत्ति को ही नहीं जलाया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को भी जलाकर नष्ट कर दिया।

सन् १९९० में जब आतंकवाद फैला तो सबसे पहले दौर में भद्रवाह के सुपारनाग एवं अटालगढ़ मंदिरों को जलाकर राख कर दिया। ३ फरवरी, १९९२ को भद्रवाह नगर के प्रसिद्ध मंदिर वासुकि नाग को आतंकवादियों ने जलाने का प्रयास किया, परंतु वासक मोहल्ले को लोगों के द्वारा संघर्ष करने पर उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया।

जिले के मंदिरों को जलाने का सबसे बड़ा कांड ६ दिसंबर, १९९२ को अयोध्या की ऐतिहासिक घटना घटने के बाद हुआ। इस समय पूरे जिले में अठारह मंदिरों को जला दिया गया। ये सभी मंदिर भगवान् शिव एवं माँ शक्ति के थे।

सरकार ने इन मंदिरों को कोई भी सहायता नहीं दी, जबकि चरारे शरीफ के क्षतिग्रस्त होने पर करोड़ों रुपए दिए गए।

३१ अक्तूबर, १९९४ को भलेस के चोचूलू गाँव में आतंकवादियों ने समाज को भयग्रस्त करने के लिए माता का प्राचीन मंदिर जला दिया।

सरकारी भवन को जलाने की घटनाएँ

आतंकवादियों ने भवनों के साथ-साथ लकड़ी के पुलों को भी जलाया, ताकि लोगों और सेना का एक गाँव से दूसरे गाँव में आना-जाना रुक जाए। हिंदू बहुल क्षेत्रों से सेना का संपर्क टूट जाए। सरकारी संपत्ति के रूप में लकड़ी के विशाल भंडार और शीशम के कीमती जंगलों में आग लगा दी गई।

७ अप्रैल, १९८९ को भद्रवाह के गाँव का पुल ज़लाकर आतंकवादियों ने गाँव से नगर का संपर्क अवरुद्ध कर दिया। १२ जनवरी, १९९३ को भद्रवाह के एक सिलाई केंद्र के भवन को आग लगाकर सामान लूट लिया। २२ जनवरी, १९९३ को किश्तवाड़ में एक साथ सबसे अधिक सरकारी भवनों को जलाने की घटना घटी। इस दिन लगभग दो सौ पचास आतंकवादियों ने छात्रू क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया और सरकारी भवनों से कर्मचारियों को बाहर निकालकर एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर हिंदू एवं मुसलमान कर्मचारियों की अलग-अलग पंक्ति बनाई। मुसलमानों को छोड़कर हिंदू कर्मचारियों को तंग करने और हथियार दिखाकर डराने-धमकाने लगे। इन कर्मचारियों के हाथों में मिट्‌टी का तेल और पेट्रोल देकर सरकारी भवनों पर छिड़कने को कहा। जब लोगों ने यह काम करने से मना किया तो उनको मारने की धमकी दी गई और भय पैदा करने के लिए हवा में गोलियाँ चला दीं। प्राणों को बचाने के भय के कारण लोगों ने पेट्रोल एवं मिट्‌टी का तेल भवनों पर छिड़क दिया। फिर आतंकवादियों ने कुछ भवन सरकारी कर्मचारियों से जलवाए और शेष भवनों को स्वयं जला दिया। देखते-ही-देखते अट्‌ठाईस भवन धू-धूकर जलने लगे। करोड़ों-अरबों रुपयों की सरकारी संपत्ति जलकर राख हो गई।

आतंकवादियों ने ३० मार्च, १९९३ को बटोट क्षेत्र के प्रसिद्ध वन विहार पर्यटक स्थल पत्नीटाप पर बने दो सरकारी भवनों को जलाकर नष्ट कर दिया। इसका वहाँ के पर्यटन पर प्रभाव पड़ा। मई १९९३ को डोडा तहसील के जंगलात भवनों एवं कृषि भवन को जलाकर राख कर दिया। ११ मार्च, १९९४ को किश्तवाड़ में सरकारी अनाज के चार ट्रक जला दिए गए। १९ मई, १९९४ को तो भलेस के

एक गाँव को जला दिया। गोहा नामक गाँव को लूटकर आग लगा दी।

आतंकवादियों ने डोडा एवं उसके आसपास के कीमती जंगलों को रात में आग लगा दी। चारों तरफ आग-ही-आग दिखाई देती थी। किश्तवाड़ के जंगलों में तो एक माह तक आग लगी रही। प्रशासन भी आतंकवादियों के भय के कारण आग बुझाने का प्रबंध नहीं करता था।

आतंकवादियों ने ८ जुलाई, १९९४ को डोडा में लकड़ी के एक विशाल सरकारी भंडार में सत्रह हजार सहतीरें जला दीं। जिले के जंगलों से सहतीरें बनाकर पूरे देश को भेजी जाती हैं। यहाँ इसके अनेक भंडार हैं। आतंकवादियों ने अधिकतर भंडारों को जलाकर छह अरब रुपए की संपति नष्ट कर दी।

पुलिस चौकियों से शस्त्र लूटने की घटनाएँ

आतंकवाद का प्रभाव इस तरह से बढ़ता गया कि प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए स्थान-स्थान पर जो जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा चौकियाँ स्थापित की थीं, उन चौकियों से ही हथियार लूट लिये गए। किश्तवाड़, भद्रवाह, दच्छन, मढ़वा, भलेस, पाडर, ठाठरी, डोडा आदि अनेक स्थानों की पुलिस चौकियों से आतंकवादियों ने एक सौ अठारह बंदूकें, दर्जनों पिस्तौल, सोलह वायरलेस सेट, बड़ी मात्रा में गोला-बारूद लूट लिये। यहाँ तक कि आतंकवादियों ने पुलिस की वर्दियाँ भी उतरवा लीं। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के भलेस स्थित घर की रखवाली के लिए लगाए गए चौबीस पुलिसकर्मियों ने भी बिना संघर्ष किए अपने हथियार आतंकवादियों को सौंप दिए।

सर्वप्रथम १० दिसंबर, १९९१ को किश्तवाड़ के सुदूर क्षेत्र मडवाह में स्थापित पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया। पुलिस के सिपाही चुपचाप देखते रहे और वे चौकी प्रमुख से हथियार लेकर चले गए।

७ अप्रैल, १९९२ को किश्तवाड़ के छात्रू क्षेत्र की पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने प्रात: ३.०० बजे हमला कर दिया। सिपाहियों ने मुकाबला करना चाहा तो चौकी प्रमुख ने उन्हें फायरिंग करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वह आतंकवादियों का समर्थक था। आतंकवादी लगातार फायरिंग करते हुए थाने के अंदर घुस गए। इस घटना में तीन सिपाही मारे गए। चौकी प्रमुख ने उन्हें चौकी के सभी हथियार, गोला-बारूद सौंप दिए। इस तरह के शस्त्र लूटने की अनेक घटनाएँ घटीं, जिससे स्थानीय पुलिस और आतंकवादियों की मिलीभगत का भंडाफोड़ होता है।

अपहरण-फायरिंग एवं अन्य आतंकी घटनाएँ

कश्मीर में आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को भयभीत कर उसे विस्थापित करना रहा है। जिसके लिए आतंकवादियों ने अनेक तरीके अपनाए। अपहरण, आगजनी, बलात्कार और हत्याओं की घटनाओं से हिंदू समाज भयभीत होकर कश्मीर से पलायन करने लगा।

१३ अगस्त, १९९० को किश्तवाड़ शहर में हथियारों से भरा एक ट्रक आया और नगर के चिकित्सालय मार्ग पर खालिद अहमद की दुकान पर खाली हुआ। वहाँ से हथियार आतंकवादियों में बाँट दिए गए, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

१५ अगस्त, १९९० को स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया गया, परंतु कश्मीर में इस राष्ट्रीय दिवस को 'काला दिवस' के रूप में मनाया गया। इस दिन बाजारों की दुकानें पूर्णरूप से बंद रखी गईं। कोई भी वाहन सड़क पर आ-जा नहीं रहा था। भयग्रस्त होने के कारण नागरिक भी सड़कों पर कम थे। ऐसा लग रहा था मानो नागरिक कर्फ्यू लग गया हो। कहीं काले झंडे तो कहीं पाकिस्तानी झंडे फहराए गए। आतंकवादियों के दबाव के कारण सरकारी कार्यक्रमों का अधिकतर मुसलमानों ने बहिष्कार किया। यहाँ तक कि मुसलिम समाज के अधिकतर सरकारी कर्मचारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। राष्ट्रीय पर्वों का इसी तरह से बहिष्कार करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया।

आतंकवादियों ने मसजिदों का भी अपने कार्य के लिए पूरा दुरुपयोग किया। मसजिदों में ही ये छिपने और अपनी योजना बनाने लगे। कई मसजिदों से तो विपुल मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए।

आतंकवादी हिंदुओं के शादी-विवाहों में भी रोड़े अटकाने लगे। कई स्थानों पर तो विवाह भी इनकी ही अनुमति से संपन्न होने लगे। ३ अगस्त, १९९२ को भद्रवाह के चिंचौड़ा क्षेत्र से वापस आ रही एक बरात की डोली पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसके कारण बरात वापस न जा सकी। कई बरातों में से तो दूल्हे एवं बरातियों का अपहरण तक कर लिया या फिर कई स्थानों से विवाह के दिन विवाह से पूर्व दुलहन को कुछ समय के लिए अपने साथ ले गए।

१४-१५ अगस्त, १९९२ को भद्रवाह, किश्तवाड़ के नगरों में आतंकवादियों ने जमकर फायरिंग की। इससे इनका मुख्य उद्देश्य जनता को भयभीत करना एवं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। फायरिंग से पूरे नगर और उसके आसपास के गाँव युद्ध क्षेत्र जैसे प्रतीत होने लगे। भद्रवाह में सत्रह घंटे लगातार फायरिंग चलती

रही। बीच-बीच में रॉकेट लॉन्चरों का भी प्रयोग किया गया। लगभग चालीस-पैंतालीस हजार फायर हुए। इस घटना के बाद सैकड़ों आतंकवादी जंगलों में चले गए और कुछ नगरों में ही छिप गए। इसी प्रकार किश्तवाड़ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में भी फायरिंग शुरू हुई। पूरे शहर में हर तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगीं। किश्तवाड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय पर भी राकेट लॉन्चरों से हमला किया गया। पूरे शहर में हिंदू मोहल्लों पर पथराव भी किया गया। किश्तवाड़ में इस घटना के बाद छह दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया गया।

हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के पुजारियों को भी तरह-तरह की यातनाएँ दी गईं। २५ सितंबर, १९९२ को भद्रवाह के गुप्त गंगा मंदिर नामक प्रसिद्ध शिव मंदिर के पुजारी श्री प्रेम शर्मा के घर में आतंकवादियों ने हमला किया। इनका घर मंदिर से कुछ ही दूरी पर एकांत स्थल पर है। परिवार के लोगों को पकड़कर बाँध दिया और यातनाएँ देकर कई तरह के प्रश्न पूछने लगे। बाद में पुजारी के बाजू में जलती सिगरेट से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' दाग दिया और उन्हें घर के बाहर तड़पता हुआ फेंककर चले गए।

१५ अगस्त, १९९३ को एक विशेष योजना द्वारा कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस 'काला दिवस' के रूप में मनाया गया। भद्रवाह के दूर-दराज के सरकारी भवनों में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। किश्तवाड़ के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जब ध्वजारोहण होने लगा तो आतंकवादियों ने बमों की वर्षा कर दी। जिसके कारण उस समय राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका। डोडा शहर में तो पाकपरस्त प्रशासन की मिलीभगत के कारण राष्ट्रीय ध्वज को उलटा फहराकर उसका अपमान किया गया, जिसे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सीधा किया गया। भलेस के गंदों क्षेत्र में तो कर्फ्यू का वातावरण बनाकर हिंदू समाज को भयग्रस्त किया गया।

३० जनवरी, १९९४ को जब तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री श्री शंकरराव चह्वाण जिले के प्रवास में आए तो पूरे जिले को बंद रखा गया और आतंकवादियों ने उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करके अपनी उपस्थिति बताई।

आतंकवादियों ने ऐसे मुसलमानों का भी अपहरण किया जो उनका साथ नहीं देते थे। भलेस में जनवरी १९९६ में गंदों नामक स्थान से मोहम्मद रमजान का अपहरण कर लिया, क्योंकि वह आतंकवादी गतिविधियों में उन लोगों का साथ नहीं देता था।

४ जून, १९९६ को सिच्चल, गोयला, हलारन में भारी फायरिंग हुई, जिसके

कारण पंद्रह सौ हिंदू विस्थापित हो गए। २२ जुलाई, १९९६ को भद्रवाह के मंथला मलैनी क्षेत्र को घेरकर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अशोक एवं होशियार सिंह दो व्यक्ति घायल हो गए। यह फायरिंग एक ही समय में बारह गाँवों में एक साथ हुई। १ सितंबर, १९९६ को रामबन के सिराज क्षेत्र में आतंकवादियों ने लोगों पर भयंकर अत्याचार किए, जिसके कारण पाँच सौ ग्रामवासी विस्थापित हो गए।

आतंकवाद को और तेजी से फैलाने के लिए १२ जून, १९९७ को भद्रवाह के अठखार क्षेत्र से लगभग पचास मुसलिम युवक आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने गए। दो दिनों बाद १४ जून, १९९७ को भद्रवाह के ही बस्ती क्षेत्र से अन्य चालीस मुसलिम युवक आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण लेने भेजे गए।

सामूहिक नरसंहार

आतंकवादियों ने हिंदू समाज के निर्दोष नागरिकों की बड़ी बेरहमी से हत्याएँ कीं, जिससे पूरा समाज हिल गया। सामूहिक नरसंहार की दिल दहलानेवाली घटना ने हिंदू समाज को विस्थापित होने का अभिशाप झेलने को विवश किया। आतंकवादियों के कुकृत्यों से समाज कराहने लगा। कश्मीर में आतंकवादियों की समानांतर सरकार स्थापित हो गई।

किश्तवाड़ बसयात्री कांड—सर्वप्रथम पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में सामूहिक रूप से हिंदुओं के नरसंहार की घटना स्वतंत्रता दिवस की पूर्व प्रभात वेला पर १४ अगस्त, १९९३ को किश्तवाड़ में हुई। आतंकवादियों ने किश्तवाड़ से जम्मू जा रही एक बस को किश्तवाड़ से मात्र आठ किलोमीटर की दूरी पर रोका। सभी यात्रियों को बस से उतारा और फिर हिंदू यात्रियों को एक पंक्ति बनाने को कहा। पंक्ति बनने के बाद आतंकवादियों ने उनके सामने खड़े होकर गोलियों की बौछार शुरू कर दी और देखते-ही-देखते सोलह हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। फिर आतंकवादियों ने मुसलमानों को वापस किश्तवाड़ जाने को कहा। किश्तवाड़ पहुँचकर मुसलमान यात्रियों ने इस नरसंहार की सूचना प्रशासन को दी। प्रशासन भी असहाय बना रहा। पूरे जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया।

बरशाला कांड—आतंकवादियों ने दूसरा सामूहिक नरसंहार ठाठरी तहसील के बरशाला गाँव में किया। यह हिंदू बहुल गाँव है। ५ जनवरी, १९९६ को रात्रि ८.०० बजे पचास-साठ आतंकवादियों ने पूरे गाँव को घेर लिया। सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने हथियारों का भय दिखाकर पुरुषों को एकत्र करके गाँव के

विद्यालय में ले गए। लोगों ने सोचा की ये सेना के सिपाही हैं, कुछ काम होगा। परंतु जब इनके साथ थोड़ी दूर जाने पर लोगों ने लंबी-लंबी दाढ़ीवाले टोपी पहने कुछ मुसलमानों को देखा तो वे समझ गए कि ये सेना नहीं, बल्कि आतंकवादी हं। उनमें से दो हिंदुओं ने रात के अँधेरे का लाभ उठाकर पहाड़ी मार्ग से नीचे छलाँग लगा दी। आतंकवादियों ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया, परंतु ये उन्हें अँधेरे में नहीं पकड़ पाए। उन दोनों ने एक विशाल पत्थर के नीचे छिपकर भयंकर सरदी में पूरी रात बिताई। आतंकवादियों ने शेष बचे हिंदुओं को विद्यालय में ले जाकर गोलियों से भून दिया। पंद्रह हिंदू शहीद हो गए। चारों तरफ खून-ही-खून बहने लगा। आतंकवादियों ने जाते हुए गाँव के प्राचीन शिव मंदिर को जला दिया। गाँव से लाखों रुपए की संपत्ति लूटकर ले गए।

ढोसा पानी हत्याकांड—भद्रवाह के एक गाँव ढोसा पानी में समसुद्दीन नामक व्यक्ति आतंकवादियों को अपने घर में रखता था और उन्हें खिलाता-पिलाता भी था। आतंकवादियों के बार-बार आने-जाने के कारण इसका परिवार परेशान हो गया। उन लोगों ने आतंकवादियों का साथ देने से मना कर दिया। २० जनवरी, १९९६ को दिन में आतंकवादियों ने जबरदस्ती इनके घर में घुसकर व्यभिचार करना शुरू कर दिया। परिवार के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो आतंकवादियों ने घर में आए अतिथि सहित सात व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों ने यह मिथ्या प्रचार किया कि यह कांड हिंदुओं ने किया है, परंतु उसी घर की घायल एक महिला ने अपना यह वक्तव्य दिया था कि यह काम आतंकवादियों ने किया, क्योंकि अब हम उनका साथ नहीं दे रहे थे।

कलमाडी हत्याकांड—आतंकवादियों ने राज्य में सन् १९९६ के लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की घोषणा करने के साथ ही यह धमकी भी दे दी कि जो चुनावों में भाग लेगा उसे मजा चखाया जाएगा। केंद्र ने सुरक्षा बल भेजकर चुनाव तो संपन्न करवा दिए, किंतु चुनाव पश्चात् अतिरिक्त सुरक्षा बल तुरंत वापस चले गए। लोगों की स्थायी सुरक्षा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। आतंकवादियों ने ठाठरी तहसील के कलमाडी गाँव में ८ जून, १९९६ को एक जंगलात अधिकारी जगन्नाथ के घर को रात में घेर लिया। आतंकवादी दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। उन्होंने जगन्नाथ के पूरे परिवार को एक कमरे में एकत्र किया। उन्हें बारी-बारी से एक-एक को तेज हथियारों से हलाल करके तड़पा-तड़पाकर मार दिया। जिनमें वृद्ध माँ-बाप, उनका पुत्र, पुत्रियाँ तथा उनके छोटे बच्चे एवं स्वयं जगन्नाथ भी सम्मिलित थे। पूरा कमरा रक्त से लथपथ हो गया,

परंतु एक दो वर्ष की तथा दूसरी साढ़े तीन वर्ष की बच्ची जीवित बच गई, जो कि लगातार पंद्रह घंटों तक खून से लहूलुहान अपने माता-पिता के शवों के साथ चिपकी रही। भूखी-प्यासी खून के तालाब में खेलती रही, रोती रही।

रामबन का सामूहिक नरसंहार—लोकतंत्र के रक्षकों को दूसरी सजा आतंकवादियों के द्वारा रामबन तहसील में दी गई। आतंकवादियों ने २४ जुलाई, १९९६ को रात में रामबन क्षेत्र के गाँव के हिंदुओं को एक साथ एकत्र किया। उनसे 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बुलवाया, भारत विरोधी नारे लगवाए। पूरे गाँव को लूटा। बाद में ग्यारह हिंदुओं को सामूहिक रूप से गोलियों से छलनी कर दिया। इन लोगों का दोष केवल यह था कि इन्होंने चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।

भागवा का शवयात्रा हत्याकांड—डोडा नगर से जब ग्रामीण सुरक्षा के सदस्य मई १९९८ को हथियार लेकर अपने गाँव भागवा जंगल मार्ग से जा रहे थे, तो आतंकवादियों ने मार्ग में ही घात लगाकर उनके ऊपर आधुनिक शस्त्रों से हमला कर दिया। चारों ओर से फायरिंग होने लगी, जिसके कारण सुरक्षा समिति के पाँच सदस्य वहीं पर शहीद हो गए। जान बचाकर वहाँ से निकले कुछ युवकों ने जब गाँव में जाकर पूरी घटना बताई तो गाँववालों ने मारे गए युवकों के शवों को लाने के बारे में विचार किया। गाँव के लोग एकत्र होकर शवों को लेने के लिए गए। जब गाँववाले उन युवकों के शवों को लेकर निकले तो फिर से मार्ग में शवयात्रा पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी और इस हमले में चार व्यक्ति और शहीद हो गए।

चापनाड़ी बरात हत्याकांड—१८ जून, १९९८ को प्रेमनगर क्षेत्र के गाँव की दो बरातें सामूहिक रूप से डोडा तहसील के चापनाड़ी क्षेत्र में गई थीं। प्रेमनगर क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र है। दोनों दूल्हों का विवाह संपन्न हुआ। अगले दिन १९ जून, १९९८ को दोपहर में डोली विदा होकर गाँव से निकली और चापनाड़ी मार्ग पर वाहन की प्रतीक्षा करने लगी। इतने में एक जीप वहाँ आकर रुकी और उसमें से सेना की वर्दी पहने आधुनिक हथियारों से लैस पाँच-छह व्यक्ति उतरे। वर्दीधारी एक व्यक्ति ने बारातियों से कहा कि तुममें से जो मुसलमान है वह एक तरफ हो जाएँ और औरतें एक ओर हट जाएँ। मुसलमान भीड़ से अलग हो गए। महिलाएँ भी अलग हो गईं। फिर उन आतंकवादियों ने दोनों दूल्हों समेत पूरी बारात पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देखते-ही-देखते पच्चीस लोग शहीद हो गए और कई अन्य घायल। दोनों दुलहन सहित अन्य महिलाएँ चीखती-चिल्लाती रहीं। विलाप करती रहीं।

चापनाड़ी बरात हत्याकांड में दोनों दूल्हों की भी हत्या कर दी गई।

ठाठरी नरसंहार कांड—१५ जुलाई, १९९८ को ठाठरी में रात्रि के समय आतंकवादी एक मुसलिम परिवार में आराम करने और व्यभिचार करने के उद्देश्य से गए। परंतु इस मुसलिम परिवार ने दुष्कर्म करने की आतंकवादियों की मंशा का विरोध किया। यह देखकर आतंकवादी आगबबूला हो गए और अर्ध-रात्रि के समय उस परिवार के छह व्यक्तियों की हत्या कर फरार हो गए।

हत्या के क्रूर रूप

आतंकवादियों ने हिंदू समाज को भयभीत करने के लिए नृशंस हत्याएँ प्रारंभ कर दीं। हत्याओं के क्रूरतम रूप को देखकर समाज भयाक्रांत हो गया। हृदय विदारक दृश्यों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े होने लगे। समाज पूरी तरह से हिल गया। असुरक्षा की भावना से ग्रस्त समाज विस्थापन की पीड़ा को झेलने के लिए विवश हुआ। हिंदू समुदाय के नागरिकों की हत्याएँ इतने बीभत्स ढंग से होने लगीं जिसे सुनकर-देखकर पूरा समाज भयाकुल हो उठा। समाज का नेतृत्व करनेवाले प्रमुख हिंदू नेताओं को चाकुओं से हलाल करके अथवा गोलियों की बौछार से मौत के घाट उतारा जाने लगा। हिंदू रक्षा समिति के प्रदेश मंत्री शहीद सतीश भंडारी, डोडा नगर के भाजपा जिला महामंत्री शहीद संतोष ठाकुर, भद्रवाह के भाजपा जिला उपाध्यक्ष शहीद स्वामीराज काटल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व जिला

कार्यवाह एवं भाजपा के मंडल प्रधान शहीद रुचिर कुमार की निर्मम हत्या से समाज काँप उठा।

गला हलाल करके हत्या की—२० अगस्त, १९९२ को किश्तवाड़ के संग्राम भाटा स्थान पर सुभाष भगत की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या तड़पा-तड़पाकर अमानवीय ढंग से की गई थी। आतंकवादियों के द्वारा किसी हिंदू की इस तरह से हत्या करने की यह प्रथम घटना थी।

तीन दिन तक शव फाँसी पर लटका रहा—डोडा के बजारनी गाँव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील कार्यवाह मोहन सिंह रहते थे। ये शहीद संतोष

मोहन सिंह की हत्या के बाद शव तीन दिन तक उसी ढंग से लटका रहा।

ठाकुर के साथ मिलकर आतंकवाद के विरोध में काम किया करते थे। इन्होंने आतंकवाद के विरोध में एक हवा बना रखी थी। इससे आतंकवादियों को बहुत परेशानी होने लगी। ये जानते थे कि आतंकवादी मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यह अपने घर नहीं जाते थे और डोडा नगर में ही रहते थे। छह महीने बाद १९ फरवरी, १९९३ को जब ये अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों से मिलने अपने गाँव में गए तो आतंकवादियों ने उसी रात उन्हें घर में घेरकर बहुत मारपीट की। विरोध करने पर आतंकवादियों ने उनके शरीर पर घाव बना दिए और तेज हथियार से उनको हलाल करके तड़पा-तड़पाकर उनकी हत्या कर दी। गाँव की कॉपरेटिव दुकान के ऊपर रस्सी का फंदा बनाकर उसके शव को लटका दिया। उनका शव तीन दिनों तक उसी ढंग से लटका रहा। तीन दिनों तक गाँव का कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सका और न ही डोडा जिला मुख्यालय से पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी पहुँचे। तीन दिनों के पश्चात् शव का अंतिम संस्कार किया गया।

आँखें निकालकर शरीर काट डाला—भद्रवाह के चक्का गाँव में सुंदरदास जल विभाग में काम करता था। १५ अप्रैल, १९९३ को आतंकवादियों ने इनको रात्रि में पकड़कर तरह-तरह की यातनाएँ दीं। उनके शरीर को जगह-जगह से काटकर घाव बना दिए। फिर दोनों आँखें चाकू से बहार निकाल दीं और हलाल कर दिया। बाद में आतंकवादियों ने उनके शव को डाकबँगले के सामने सड़क पर फेंक दिया।

बलात्कार के बाद हत्या—किश्तवाड़ के दुल क्षेत्र के चेरंजी गाँव में ८ अक्तूबर, १९९३ को संध्या ८.०० बजे बारह-तेरह आंतकवादी पूर्व सैनिक कुंजलाल के घर में घुस गए। उन्होंने घर के सारे जेवर एवं नकद संपत्ति लूट ली, फिर कुंजलाल की पत्नी प्रकाशो देवी को अपने सभी साथियों के लिए खाना बनाने के लिए कहा। प्रकाशो देवी ने उन सबके लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद आतंकवादियों ने प्रकाशो देवी के साथ मुँह काला कर उसकी हत्या कर दी।

चेहरे की खाल काट-काटकर निकाल दी—किश्तवाड़ के दुल क्षेत्र में रहनेवाले एक ग्रामीण युवक राकेश कुमार का आतंकवादियों ने १७ अक्तूबर, १९९३ को उसके घर से अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद वे उसे अपने साथ ले गए और जंगल में तरह-तरह की यातनाएँ देकर प्रताड़ित करने लगे। फिर आतंकवादियों ने उस युवक के आधे चेहरे पर तेज हथियार से घाव बना दिए। फिर उसके चेहरे के मांस को काट-काटकर फेंकने लगे। राकेश कुमार दर्द से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। परंतु आतंकवादियों ने पाशविक ढंग से उसके माथे से लेकर

ठुड्डी तक पूरे चेहरे के मांस को काट-काटकर निकाल दिया और मात्र हड्डियाँ ही रहने दीं। राकेश कुमार पीड़ा से तड़प-तड़पकर शहीद हो गया।

आँखें निकालकर गुप्तांग काट डाला—रामबन तहसील में रहनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता विभीषण सिंह आतंकवादियों के विरोध में सेना की सहायता करता था। आतंकवादियों को भी इनकी गतिविधियों की जानकारी हो गई थी। एक दिन अपने गाँव जाते समय आतंकवादियों ने इनका अपहरण कर लिया। कठोर यातनाएँ देकर कई तरह के प्रश्न पूछने लगे। बाद में विभीषण सिंह की दोनों आँखें तेजधार हथियार से निकाल दीं, फिर उसका गुप्तांग काटकर उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया। पीड़ा से वह कराहता रहा और पत्थरों पर सिर पटक-पटककर शहीद हो गया।

छाती चीरकर कलेजा बाहर निकाल दिया—किश्तवाड़ के दुल क्षेत्र से २१ जनवरी, १९९४ को आतंकवादियों ने रमेश कुमार का मध्यरात्रि में घर से उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करके घर से दूर ले जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को काटने लगे। रमेश के वृद्ध पिता भी साथ में थे। उसके पिता के सम्मुख तरुण पुत्र की छाती को चीरकर उसका कलेजा बाहर निकालकर उसके पिता के मुँह पर फेंक दिया। आतंकवादियों ने उसकी पूरी छाती खोखली कर दी। बाद में तड़पते हुए रमेश कुमार की गरदन को हलाल कर दिया।

होली के पर्व को रक्त से रंग दिया—भद्रवाह के गाँव पनैजा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता महेश्वर सिंह और उनका एक मित्र सुरजीत सिंह सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर आतंकवादियों के विरोध में अभियान चलाता था। २७ मार्च, १९९४ होली की रात जब सब लोग होली के उत्सव में खुशियाँ बाँट रहे थे, तो आतंकवादी महेश्वर सिंह एवं सुरजीत सिंह को इनके घरों से अपहरण करके अपने साथ ले गए। घरवाले रोते-चिल्लाते रह गए, परंतु कुछ न हो सका। उनके साथ थोड़ी दूर जाकर महेश्वर ने आगे जाने से मना कर दिया और आतंकवादियों के साथ झगड़ने लगा। महेश्वर शरीर से अच्छी ताकतवाला था। आतंकवादियों को उसे सँभालना मुश्किल हो गया। आतंकवादियों ने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। सुरजीत सिंह कमजोर था। उसे अपने साथ पकड़कर ले गए। उसे यातनाएँ देकर पूछताछ करते रहे और आधी रात बीत जाने पर उसके शरीर को बुरे ढंग से काट-काटकर उसे तड़पाने लगे और बाद में उसकी हत्या कर दी।

छाती को छलनी किया—भद्रवाह नगर के वासक डेरा मोहल्ला में भाजपा के मंडल प्रधान एवं युवा नेता श्री रुचिर कुमार समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए

सेना के साथ मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आतंकवादी इनके कार्यों से अपने बढ़ते काम पर रुकावट महसूस करते थे। ७ जून, १९९४ को जब ये अपनी धर्मपत्नी के साथ खेत में काम कर रहे थे तो प्रात: ६.३० बजे एक आतंकवादी फटे हुए कपड़े पहने मजदूर के वेश में आया और उसने दो फीट की दूरी से अपनी फटी चादर के अंदर छिपाई हुई ए.के.-४७ निकालकर उसकी सभी तीस-पैंतीस गोलियाँ रुचिर कुमार की छाती में उतार दीं। रुचिर कुमार की छाती छलनी हो गई, अँतड़ियाँ बाहर निकल आईं, रक्त बह चला। इस हृदयघाती दुःख को सहन न कर सकने के कारण उनकी पत्नी ने जहर खा लिया, परंतु उपचार के पश्चात् ठीक हो गई।

बलात्कार करके हत्या कर दी—भलेस के समाई गाँव की रहनेवाली ग्रामीण महिला श्रीमती मीना देवी का आतंकवादियों ने १९ जून, १९९४ को अपहरण किया। आतंकवादी उसे जंगल में अपने ठिकाने पर ले गए। जहाँ कई दिनों तक अनेक आतंकवादियों ने उसके साथ बलात्कार किया। जब मीना देवी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई तो उसको तड़पा-तड़पाकर मौत के घाट उतार दिया गया।

हत्या के बाद बोरी में बाँधकर नदी में फेंका—भद्रवाह के प्राणों क्षेत्र के कठियाडा गाँव के रहनेवाले पूर्व सैनिक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हेमराज के बड़े पुत्र ओम प्रकाश का ३० जुलाई, १९९४ को आतंकवादियों ने घर जाते समय जंगल मार्ग से अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद पुत्र का कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ। इनके पिता ने जिले के प्रमुख कांग्रेसी एवं आतंकवादियों के समर्थक नेताओं से संपर्क किया। उन नेताओं ने कहा कि आपका पुत्र जीवित है, उसे हम शीघ्र ही आतंकवादियों से छुड़ाकर ले आएँगे। हमारी आतंकवादियों के साथ बातचीत चल रही है। यह दिलासा देनेवाली बातें एक माह तक चलती रहीं। अंततोगत्वा एक माह बाद एक दिन सेना के गश्ती दल को डोडा के चंद्रभागा नदी के किनारे पानी में एक बोरी भारी पत्थरों के साथ डुबोकर रखी हुई मिली। जिसे खोलने पर एक आदमी के हड्डियों का कंकाल मिला। शव के शरीर का पूरा मांस पानी में सड़कर बह गया था। केवल हड्डियों का ढाँचा मात्र ही बचा था। अँगुलियों में अभी भी कुछ मांस था। जिससे उस कंकाल की पहचान की गई।

महिला के यौन अंगों को काटकर हत्या कर दी—डोडा नगर से दूर बस्ती गाँव की रहनेवाली युवती शंकरी देवी का आतंकवादियों ने २६ सितंबर, १९९४ को अपहरण कर लिया। इसके पश्चात् उसे दूर जंगल में ले गए और वहाँ

उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसके स्तन, गुप्तांग और अन्य यौन अंगों को काट-काटकर उसकी हत्या कर दी।

जम्मू जिले में आतंकवादी गतिविधियाँ

जम्मू जिले की तहसीलें सीमावर्ती होने के कारण घुसपैठ का केंद्र बन गई हैं, किंतु सरकार ने घुसपैठ को कम करने के लिए पुलिस के नियंत्रण में सीमावर्ती क्षेत्रों में एक 'सीमा सुरक्षा पट्‌टी' बनाई है। सीमा पट्‌टी में अनेक स्थानों पर पुलिस की चौकियाँ स्थापित की हैं, जो समय-समय पर घुसपैठियों को पकड़ती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विजयपुर और सांबा (श्रीकृष्ण के पुत्र सांब द्वारा बसाई नगरी) के बीस किलोमीटर के राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर आतंकवादियों ने अनेक बार आर.डी.एक्स. विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके कई बम विस्फोट किए हैं। इसी सीमा की रेलवे लाईन पर भी कई बार बम लगे हुए पाए गए हैं। यह घटना इस बात की ओर संकेत करती है कि विजयपुर और सांबा के मार्ग में आतंकवादियों का एक बड़ा दल सक्रिय है। परंतु इन क्षेत्रों में प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। यहाँ आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए और उनके ठिकानों को ढूँढ़ने के लिए एक व्यापक खोजबीन अभियान चलाने की आवश्यकता है। अखनूर तहसील भी सीमा क्षेत्र होने के कारण अलगाववादी गतिविधियों का केंद्र बनती जा रही है। पलावाला क्षेत्र में तो कई भयंकर बम विस्फोट हो चुके हैं। खोड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कई संदिग्ध मुसलमान सब्जी का व्यापार करने के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में आकर बस रहे हैं। कई स्थानों पर तो शिक्षा के नाम से ऐसे मदरसे चलाए जा रहे हैं जहाँ बच्चों के मन में भारत के प्रति घृणा का भाव भरा जाता है। इस कार्य में राज्य के कुछ सरकारी अध्यापक भी सहयोग दे रहे हैं। यहाँ भी मुसलिम बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। मूथवार क्षेत्र में तो डोडा, राजौरी, पुंछ जिले से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है।

ऊधमपुर में आतंकवादी गतिविधियाँ

जिला ऊधमपुर की सीमा के कई क्षेत्र डोडा की सीमा से मिलते हैं। यहाँ से कश्मीर घाटी की ओर भी मार्ग जाता है और बसंतगढ़ से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की तरफ एक पहाड़ी रास्ता जाता है। ऊधमपुर के ये सीमा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं। आतंकवाद ग्रस्त जिलों की सीमा के साथ इसके बसंतगढ़, लाटी, बंडोर, गुल-गुलाब गढ़, मोहर क्षेत्र पड़ते हैं। रामनगर, चिनौनी और रियासी तहसीलें भी पूर्ण

रूप से प्रभावित हुई हैं। इन सब क्षेत्रों के द्वारा ऊधमपुर जिले में आतंकवाद सन् १९९४ से प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर गया। इन क्षेत्रों में समय-समय पर आतंकवादियों ने बड़े-बड़े हत्याकांड किए। लूटपाट की भी अनेक घटनाएँ हुईं, जिसके कारण ये क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र बन गए। इन क्षेत्रों में बाहर का हर व्यक्ति जाने से घबराता है।

बढ़यानी ऊधमपुर का सामूहिक नरसंहार—२० फरवरी, १९९९ को जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर पहुँचे तो आतंकवादियों ने ऊधमपुर जिले में नौ हिंदुओं की सामूहिक हत्या करके भारत के प्रति नफरत की भावना दिखाई। आतंकवादियों ने ऊधमपुर के बढ़यानी गाँव पर रात में हमला किया और हिंदुओं के घरों में अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उस समय गाँव के लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे।

२२ फरवरी, १९९९ को आतंकवादियों ने चस्साना क्षेत्र के चना गाँव में फिर फायरिंग की, जिसमें दो हिंदू शहीद हो गए।

लद्दाख को अशांत करता इसलामिक कट्टरवाद

लद्दाख में हिंदू और मुसलमान समाज के बीच भाईचारे का वातावरण अब समाप्त होता जा रहा है। अलगाववादी विचारधारा का प्रचार शुरू हो गया है। ऐसे-ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जिससे दोनों समुदायों के लोग आपस में एक-दूसरे से नफरत करें। कई बार दोनों समाज के बीच आपस में टकराव की घटनाएँ हुई हैं। इस भाईचारे-अमन के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुसलमान युवक, हिंदू-बौद्ध लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और बाद में निकाह (विवाह) करते हैं। कई मुसलमान पहली पत्नी होने के बाद भी हिंदू-बौद्ध लड़कियों से दूसरा विवाह करते हैं। इन सब लड़कियों को ये मुसलिम बहुल जिला करगिल में ले जाते हैं। पिछले दस वर्षों में लगभग एक हजार से अधिक हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर निकाह किया गया है। लेह जिले के मोलवे, चंथा, चाथांन और नूब्रा आदि गाँवों की लड़कियाँ ले जाई गई हैं। इसके साथ-साथ करगिल जिले के वकाबूल क्षेत्र के कई हिंदू एवं बौद्ध लड़कों को डरा-धमकाकर और कुछ को लालच देकर मुसलमान बनाया है।

अप्रैल १९९० में मुसलमान युवक डोलमा नाम की एक बौद्ध लड़की को लेह से भगाकर करगिल ले आया। लेह के बोद्धों ने इसका बहुत विरोध किया। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। फिर लेह से हिंदू युवक सोनम एक अन्य मित्र को साथ लेकर करगिल पहुँचा। वहाँ ये खुमानी ट्रस्ट के प्रमुख शियाक हुसैन से

मिले; किंतु उस लड़की का कोई अता-पता नहीं मिला।

सितंबर १९९० में लेह से हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के करगिल ले गए। उन्हें वापस लाने के लिए हिंदू-बौद्ध युवक आठ-दस की संख्या में करगिल पहुँच गए और फिर वहाँ पर रोब-दाब दिखाकर कुब्जिस नाम की लड़की को ढूँढ़ लिया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह डरी और सहमी हुई थी। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि वे मुझे लालच देकर लाए, फिर जबरदस्ती मेरे साथ शादी की, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। फिर सोनम, तेजिंन, स्टेंजन आदि हिंदू-बौद्ध युवक उसे लेकर लेह पहुँचे। उसकी शुद्धि करके बौद्ध लड़के के साथ विवाह कर दिया गया।

रक्तरंजित राजौरी-पुंछ

कश्मीर के साथ-साथ ही राजौरी-पुंछ में भी आतंकवाद की तैयारी हुई। हिंसा की छिटपुट घटनाएँ होने लगीं। कभी-कभार आजादी की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। आतंकवादियों ने सन् १९९० में मेंडर के हरनी गाँव के नत्थूराम को गोली मारकर हत्या कर दी। बाबरी ढाँचे के ध्वस्त होने पर ६ दिसंबर, १९९२ को गाँव-गाँव से पाकिस्तान समर्थक मुसलमान शहरों में एकत्र होने लगे और आजादी के नारे लगाकर पाकिस्तान के साथ जाने की बात कहने लगे। इस घटना से अल्पसंख्यक हिंदू समाज भयभीत हुआ और स्वयं को असुरक्षित समझने लगा। ८ दिसंबर, १९९२ को पाक समर्थक लोगों ने उचित अवसर जानकर हिंदू समाज को नुकसान पहुँचाने के लिए एक गुप्त बैठक करके रणनीति बनाई, जिसके अंतर्गत हिंदुओं के घरों में आगजनी, लूटपाट और हमला करना था। इसमें कुछ राजनीतिक, मजहबी नेताओं एवं देशद्रोही प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित थे, परंतु सेना के दिन-रात गश्त के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घट सकी। प्रारंभ में पुंछ जिला आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित हुआ। हर दूसरे या तीसरे दिन आतंकवादी अत्याचारों का समाचार सुनने को मिलता था। बाद में आतंकवादियों ने सभी क्षेत्रों में फैलकर अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कर दीं।

आतंकवादियों की घुसपैठ—सीमावर्ती जिले होने के कारण यहाँ पर पाकिस्तान से आतंकवादियों की बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ होती रहती है। यही कारण है कि विदेशी आतंकवादी यहाँ बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। आतंकवादियों की घुसपैठ पुंछ सीमा के मेंडर के बालाकोटा, दराना, कांगा गली, राजौरी के थन्नामंडी, बुदल सीमा से होती है। सीमा पर अकसर पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच ही

घुसपैठ होती है। कश्मीर के गुमराह युवक आतंकवाद फैलाने हेतु हिंसा करने का प्रशिक्षण लेने सीमा के इन्हीं क्षेत्रों से पाकिस्तान जाते हैं और फिर विदेशी आतंकवादियों को साथ लेकर आते हैं। पुंछ की मंडी पहाड़ियों पर इन लोगों का आना-जाना अधिक होता है। मेंडर क्षेत्र से प्रवेश करके ये स्वर्णकोट तहसील में प्रवेश करते हैं और वहाँ से पीर पंजाल की पहाड़ियों में पहुँचकर डोडा जिला में प्रवेश कर जाते हैं। स्वर्णकोट तहसील के चौवालीस गाँवों में से लगभग पच्चीस-तीस गाँवों में इन लोगों का आना-जाना अधिक होता है। इन गाँवों में आतंकवादियों के अनेक अड्डे हैं। प्रारंभ से ही यह तहसील आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित है। राजौरी के थन्नामंडी और बुदल में आतंकवादियों की जड़ें जमी हुई हैं। थन्नामंडी में तो सेना के कई जवान और अधिकारी भी आतंकवादी हमलों में शहीद हो चुके हैं।

स्वर्णकोट के चौवालीस गाँवों में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए प्रशासन ने राष्ट्रीय रायफल की चौकियाँ स्थापित की थीं, जिसके कारण आतंकवादी समय-समय पर मारे जाते थे और बड़ी दुर्घटना करने में असफल रहते थे। परंतु राज्य सरकार ने जनवरी १९९८ से सेना की चौकियों को हटाकर विशेष त्वरित पुलिस बल की कंपनियाँ तैनात कीं। आठ-दस सिपाहियों की टोलियों को तीन सौ तीन की राइफलें देकर गाँवों में भेज दिया गया। इनमें से कुछ आत्मसमर्पित आतंकवादी भी थे। ये आतंकवाद को दबाने में असफल सिद्ध हुए। कई चौकियों में तो निर्भय होकर आतंकवादियों का आना-जाना होने लगा। आतंकवादियों ने मौका पाकर १९ मार्च, १९९८ को रात्रि ११.०० बजे एक ही साथ फैजलाबाद, हारीगुड्डा, लठूंग, सैरी ख्वाजा और द्राना खेता गावों के पाँच पुलिस सुरक्षा चौकियों पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने आधुनिक हथियारों और रॉकेट लांचरों का प्रयोग किया, जिससे यहाँ का पूरा क्षेत्र युद्धभूमि के समान दिखाई देने लगा। फायरिंग रात भर चलती रही। इस घटना में तीन पुलिसकर्मी शहीद हो गए और आठ घायल हो गए। इस भयग्रस्त कर देनेवाली घटना से अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग भयभीत हो गए। हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। मुसलमान समाज के भी जो लोग आतंकवादियों का साथ नहीं देते थे, उनकी दर्दनाक हत्याएँ की जाने लगीं।

राजौरी-स्वाडी का सामूहिक नरसंहार

आतंकवादी अपने काम में सबसे बड़ी रुकावट हिंदुओं को मानते हैं। इसलिए यहाँ के दस प्रतिशत अल्पसंख्यक हिंदू समाज को भयभीत करने के लिए सामूहिक

हत्या की घटनाएँ होने लगीं। २४ सितंबर, १९९७ को आतंकवादियों ने राजौरी नगर से तीस किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसे स्वाडी नाम के हिंदू गाँव को घेरकर रात्रि में पुरुष एवं महिलाओं को घर से बाहर निकाला और तरह-तरह की यातनाएँ देने लगे। आतंकवादियों ने आठ हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी, ताकि हिंदू समाज भयभीत होकर विस्थापित हो जाएँ और हमारी रुकावटें समाप्त हो जाएँ।

पुंछ-स्वर्णकोट का सामूहिक हिंदू नरसंहार

स्वर्णकोट तहसील में मात्र दो स्थानों पर हिंदू रहते हैं। एक स्वर्णकोट नगर में और दूसरा द्राबा गाँव में। द्राबा गाँव के हिंदुओं को भयभीत करके उनको वहाँ से विस्थापित किया गया था। अब स्वर्णकोट में बसे हुए हिंदुओं को विस्थापित करने के लिए आतंकवादियों ने एक घर में घुसकर हिंदुओं की सामूहिक हत्या की। ६ मई, १९९८ को रात्रि ९.०० बजे लगभग आठ आतंकवादी जंगलात विभाग से अवकाश प्राप्त रेंजर अधिकारी रतनलाल दत्ता के घर आए और अपने लिए दत्ता के घरवालों को खाना बनाने को कहा। सबने भरपेट खाना खाया। फिर लूटपाट की। आतंकवादियों ने जाते समय किराएदार समेत दत्ता परिवार के पाँच व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस थाना मात्रा पाँच सौ गज की दूरी पर था, परंतु वे दूसरे दिन आए।

राजौरी-बरात हत्याकांड

भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए बस यात्रा द्वारा पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक दिन पहले १९ फरवरी, १९९९ को राजौरी जिले के बलियारा गाँव में आतंकवादियों ने एक बरात को चारों तरफ से घेरकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सात लोग शहीद हो गए। आतंकवादियों ने इस कांड के बाद दूसरे गाँव मोरा पट्टा में चार हिंदुओं को गोलियों से छलनी कर दिया और अन्य आठ को घायल कर दिया। इस हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया।

सेना का साथ देने पर शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए

मेंडर के कस्बलाडी गाँव का रहनेवाला एक मुसलिम युवक समय-समय पर सेना को आतंकवादियों की गतिविधियों का पता देता था। इस बात की भनक आतंकवादियों को लग गई। उन्होंने इसलाम का गद्दार कहकर उसे सजा देने की

योजना बनाई। नवंबर १९९८ को दस-पंद्रह आतंकवादी रात को उसके घर आ धमके और तरह-तरह की यातनाएँ देने लगे। आतंकवादियों ने एक महिला समेत तीन लोगों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और जाते समय उसके घर में लिख दिया 'हमने बदला ले लिया।'

अपहरण और व्यभिचार

आतंकवादियों ने पुंछ-राजौरी क्षेत्र से एक दर्जन से अधिक युवतियों का अपहरण किया है, जिसमें राजौरी के दरहाल क्षेत्र की छह लड़कियाँ भी सम्मिलित हैं। २३ जनवरी, १९९९ को जंगल में दो युवतियों के बुरी तरह से गले-सड़े निर्वस्त्र शव प्राप्त हुए, जिन्हें मारने से पहले उनके साथ आतंकवादियों ने बलात्कार किया था। विदेशी और स्थानीय आतंकवादी लड़कियों की इज्जत लूटने के बाद उनकी हत्या कर देते हैं। दूर-दराज क्षेत्रों में रहनेवाले कई हताश ग्रामीण आतंकवादियों की धमकियों के कारण पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं करवाते हैं।

खून पीकर प्यास बुझाने की हैवानियत की मिशाल

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं पर जुल्म ढाने एवं अमानुषिक यातनाएँ देकर परेशान करने की घटनाएँ अब आम बात हो गई है, किंतु १५ मार्च, २००० को डोडा जिला के काराडा गाँव में हुई शर्मनाक घटना दिल दहला देनेवाली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड के एक हेड कांस्टेबल शौकत अली, अब्दुल गफ्फूर, मोहम्मद अय्यून, जफरअल्ला, तारिक हुसैन और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों और आतंकवादियों के साथ मिलकर सात हिंदुओं को गाँव बोलिया से दो कि.मी. दूर जंगल में स्थित दो घरों में पाँच दिनों तक कैद रखकर बर्बरतापूर्ण यातनाएँ दीं। मिट्टी का तेल डाल-डालकर उन लोगों के गुप्तांग को जलाया गया और सुन्नत जैसी रस्म अदा की गई। बेरहमी से प्रताड़ित करते हुए भी इसलामिक कट्टरता में दीक्षित हेड कांस्टेबल को संतोष नहीं हुआ तो उसने जीते-जी इन युवकों के शरीर से मांस काटा और तलकर खाया। पाशविकता और हैवानियत की हद तो तब पार कर दी जब जिस्म से बहनेवाला खून पीकर प्यास बुझाई। इस हृदय विदारक घटना में दयाकृष्ण नामक युवक की मौत हो गई। शौकत अली और उनके सहयोगी जीवन और मौत से जूझते हुए इन युवकों को निर्ममतापूर्वक खच्चरों पर बाँधकर कारडा पुलिस चौकी ले आए। अधिकारियों को इसके बारे में खबर किए जाने पर शेष युवकों को उन दरिंदों के चंगुल से छुड़ाया जा सका। इस घटना के

पीड़ित-प्रताड़ित युवक ओमप्रकाश के अनुसार सेना का मुखबिर बनने की बात कह-कहकर उन लोगों को यातनाएँ दी जा रही थीं।

सभ्य समाज के नाम पर कलंक इस शर्मसार कर देनेवाली घटना की जानकारी भी बाहर के लोगों को नहीं मिल पाती, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधान-परिषद् में इस मामले को नहीं उठाते। कट्टरपंथियों के इस कुकृत्य ने इनसानियत का गला घोंट दिया। मानवता का भी खून कर दिया इन दरिंदों ने।

सैंतीस सिखों को गोलियों से भूना

आतंकवादियों ने २१ मार्च, २००० को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के चंद घंटे पहले अनंतनाग जिले में चाटी सिंहपोरा गाँव में सैंतीस सिखों को गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए। आतंकवादियों ने पहली बार सिखों को निशाना बनाया। सामूहिक नरसंहार की इस हृदय विदारक घटना ने संपूर्ण विश्व समुदाय को दहला दिया। विश्व पटल पर इस घटना की निंदा की गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं और समाजसेवियों ने इस घटना को संपूर्ण मानवता के लिए जघन्य अपराध बताया।

कार बम विस्फोट में चौदह मरे

आतंकवादियों ने श्रीनगर स्थित रेजीडेंसी रोड पर भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के पास १० अगस्त को दोपहर में ग्रेनेडों से कार में शक्तिशाली बम विस्फोट किया, जिसमें बारह सुरक्षाकर्मी सहित चौदह लोग मारे गए। इसमें हिंदुस्थान टाइम्स के फोटोग्राफर श्री भाटिया भी शहीद हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तोएबा ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है।

आतंकवादियों ने सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर खड़े सुरक्षा बलों के एक वाहन पर ग्रेनेड दागा। इससे कोई हताहत नहीं हुआ, किंतु भगदड़ मच गई। घटना के थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर पुलिस आ गई। तभी एक कार में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें चौदह लोगों की मौत हुई।

सेना की आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही

पिछले ग्यारह वर्षों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जन-जीवन को तबाह कर दिया है। आतंक के साये में जीना अब वहाँ के लोगों की नियति बन गई

है। एक से बढ़कर एक बम विस्फोट और नरसंहार के कारण लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने में वहाँ सेना की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई है। अपनी जान जोखिम में डालकर सेना के जवानों ने नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी दी है। आतंकवादियों से आम लोगों को सुरक्षा में तथा माँ भारती की रक्षा के लिए ग्यारह वर्षों में सेना के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं। आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरने में वीर-पराक्रमी सैनिकों की कार्रवाई स्तुत्य है, प्रणम्य है। सैन्य एवं अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों ने आतंकवादियों की अनेक साजिशों का भंडाफोड़ कर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं को होने से बचाया है। अब तक की केवल इन घटनाओं को प्रकाशित किया जाए तो मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। यहाँ पिछले छह महीनों में घटी केवल महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है, जिससे आतंकवादियों की काली करतूतों की भयावहता प्रदर्शित हो सके।

९ मार्च, २००० : जम्मू कश्मीर में विभिन्न उग्रवादी वारदातों में चार आतंकवादी तथा एक सुरक्षा जवान सहित छह व्यक्ति मारे गए।

२२ मार्च, २००० : सुरक्षा बलों ने भीषण गोलाबारी के बाद सीमा सुरक्षा बल के शिविर पर कब्जा जमाए तीन आतंकवादियों को मार गिराया तथा उनके चंगुल में फँसे पचास जवानों को छुड़ा लिया; लेकिन इसके लिए शिविर का एक हिस्सा उड़ा देना पड़ा। इस अभियान में एक जवान शहीद हो गया तथा पाँच अन्य घायल हो गए।

२७ मार्च, २००० : कश्मीर घाटी में अलग-अलग घटनाओं में दो आतंकवादियों समेत तीन लोग मारे गए और सड़क सीमा संगठन के एक अधिकारी समेत पाँच लोग घायल हो गए।

४ अप्रैल, २००० : जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के क्रिसाल में कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने एक टैक्सी पर गोलियाँ चलाईं, जिसमें चार लोग मारे गए और तीन घायल हो गए।

इसी दिन अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों ने एक विदेशी आतंकवादी समेत तीन को मार गिराया और दो अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया।

५ अप्रैल, २००० : सांबा सेक्टर के मांगूचक इलाके से भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे लश्कर-ए-तोएबा के आत्मघाती दस्ते के सात आतंकवादियों पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गोलीबारी की, जिससे वे पाकिस्तानी सीमा में भाग खड़े हुए। भारतीय जवानों को मौके पर कुछ हथियार, गोला-बारूद और एक ग्रेनेड मिला। जम्मू डिवीजन और डोडा जिला में सुरक्षा बलों ने एक-एक

आतंकवादी को मार गिराया।

६ अप्रैल, २००० : आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों को वायुसेना की मदद देने के सरकार के फैसले से आतंकवादियों में खौफ का माहौल है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब भारतीय गुप्तचर एजेंसियों द्वारा वायरलेस संदेशों को पकड़ा गया। बार-बार एक ही संदेश पाकिस्तान भेजा गया—'फौरेन से पेश्तर जमीन से आसमान में दागे जानेवाली मिसाइलों की पूर्ति करवाई जाए वरना हिंदुस्थान एयर फोर्स की कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो कश्मीर में जेहाद की मुहिम जल्द दम तोड़ देगी।'

९ अप्रैल, २००० : पुलवामा जिले के तरल शहर स्थित सीर गाँव में सीमा सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के साबान नामक कुख्यात आतंकवादी सहित बारह लोग मारे गए, जिसमें सुरक्षा बल के दो जवान भी शामिल हैं।

१३ अप्रैल, २००० : सीमा सुरक्षा बल के जम्मू क्षेत्र के महानिरीक्षक यू.सी. छाबड़ा ने बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोएबा और अन्य आतंकी गुटों के हजार से ज्यादा सदस्यों का पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षत्रों में जमाबड़ा है और वह सीमा पार कर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं।

७ मई, २००० : सेना ने सीमावर्ती बारामूला जिले के गुरेज सेक्टर में रात को सीमा पार से घुसपैठ का एक बड़ा प्रयास विफल कर दिया और पाँच आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के पास से काफी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ। जांबा जपोरा में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमले में दो जवानों की मौत हो गई।

११ मई, २००० : सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में आतंकवादियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर पचास कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. बरामद किया। सुरक्षा बलों ने पुंछ-सुरनकोट उच्च मार्ग पर आतंकवादियों द्वारा दो आई.ई.डी. को भी नाकाम कर दिया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के दो आतंकी मुठभेड़ में मारे गए।

१२ मई, २००० : सुरक्षा बलों ने अब्दुलियाँ में सीमा पार कर जम्मू की ओर आ रहे छह आतंकवादी घुसपैठियों को मार गिराया।

१४ मई, २००० : मध्य कश्मीर के बड़गामा जिले के चुक्षमर्ग जंगलों में भारतीय वायुसेना की मदद से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के दो प्रमुख ठिकानों

को नष्ट कर दिया। हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। सेना ने नियंत्रण-रेखा पर घुसपैठ के प्रयास को विफल करते हुए चार उग्रवादियों को मार गिराया।

१५ मई, २००० : पुलिस ने माहौर के पास गाँव ठाक्राकोट के पास खोजी अभियान के दौरान आतंकवादियों के ठिकाने से एक सौ बीस आतंकवादियों के छायाचित्र और कुछ अन्य दस्तावेज प्राप्त किए।

दूसरी ओर अनंतनाग जिले में एक विस्फोट में १९९ बी.एस.एफ. बटालियन के दो जवान मारे गए।

१६ मई, २००० : आतंकवादियों ने सांस्कृतिक केंद्र 'टैगोर हॉल' को लक्ष्य कर एक के बाद एक तीन राइफल ग्रेनेड दागे, लेकिन इनमें से एक भी निशाने पर नहीं लगा और एक भारी हादसा टल गया।

इसी दिन सुरक्षा बलों ने राजौरी सेक्टर के सुंदरबनी इलाके में आतंकवादियों के एक समूह द्वारा पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करते हुए दो घुसपैठियों को मार गिराया। एक अन्य घटना में पाकिस्तानी आतंकवादी गुल जरीन उस समय मारा गया जब वह चिंगस क्षेत्र में पीरबड़ स्थित भारतीय इलाके में एक बारूदी सुरंग के ऊपर से चलकर घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। राजौरी जिले में ही एक मुठभेड़ के दौरान चार आतंकवादी मारे गए। इस दौरान एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मारे गए चारों आतंकवादियों में दो की पहचान पाकिस्तानी और दो की अफगानिस्तानी के रूप में की गई।

१८ मई, २००० : सेना ने दो घुसपैठियों सहित तीन आतंकवादियों को मार गिराया तथा आतंकवादियों के भूमिगत अड्डों को समाप्त कर भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया। अलग-अलग घटनाओं में चार नागरिक भी मारे गए।

१९ मई, २००० : आतंकवादियों का निशाना चूक जाने के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा-भवन को रॉकेट से उड़ाने का प्रयास असफल हो गया, किंतु इसमें तीन बच्चे और एक महिला सहित छह लोग घायल हो गए।

२० मई, २००० : श्रीनगर में सचिवालय खुलने के पहले ही दिन सचिवालय से मात्र दो सौ मीटर दूर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष के समीप खड़े एक स्कूटर में लगाए गए बम को ढूँढ़कर निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप बारामूला के चेकवाली में पाँच आतंकवादियों को मार गिराया। एक अन्य मुठभेड़ में एक विदेशी उग्रवादी मारा गया।

दूसरी ओर सेना ने एक विदेशी आतंकवादी सहित चार को मार गिराया और सूरनकोट में आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।

२४ मई, २००० : राजौरी जिले के थानामंडी तहसील के महाराजापुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में भाड़े के सात विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना का एक जूनियर इंजीनियर है।

२५ मई, २००० : सुरक्षा बलों ने बड़ीब्रह्मणा क्षेत्र के निकट सोलर मैगनेटिक मोर्टार गोले बरामद करके जम्मू-पठानकोट मार्ग पर ट्रेन को उड़ाने की आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया। आतंकवादियों ने दिल्ली आने-जानेवाली ट्रेनों को उड़ाने की साजिश रची थी।

एक अन्य कार्रवाई में सेना ने रामगढ़ सेक्टर में भारतीय सैनिकों के भेष में आए दो गुरिल्ले आतंकवादियों को मार गिराया। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू में बड़े पैमाने पर मार-काट मचाने, कश्मीर में विध्वंसक कार्रवाई करने और सुरक्षा बलों के शिविरों पर एकाएक धावा बोलकर तहस-नहस करने के लिए सेना के भेष में गुरिल्ले आतंकवादियों को भेजना प्रारंभ कर दिया है।

२६ मई, २००० : उत्तरी कश्मीर के बहरामपुर सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पाँच विदेशी आतंकवादी मारे गए।

१५ जून, २००० : जम्मू कश्मीर में चौबीस घंटे के दौरान एक पुलिस उपनिरीक्षक, सात उग्रवादी और हिजबुल मुजाहिदीन के एक जिला कमांडर समेत नौ लोग मारे गए। मृतकों में पाँच विदेशी उग्रवादी थे।

२८ जून, २००० : जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने राज्य सचिवालय पर नौ गोले दागे, जिसमें चार लोग घायल हो गए।

३० जून, २००० : पदगमपुरा-बटपुरा क्षेत्र में आतंकवादियों ने सुरंग विस्फोट के ज़रिए एक सैन्य वाहन को उड़ा दिया, जिसमें एक कैप्टन शहीद हो गए। कुपवाड़ा के बाहरी क्षेत्र में सेना के एक गश्ती वाहन पर किए गए हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया। करगिल में एक पुलिस कर्मचारी के घर हुए बारूदी विस्फोट में उनके परिवार के तीन सदस्य मारे गए और पाँच गंभीर रूप से घायल हो गए।

१२ जुलाई, २००० : आतंकवादियों ने करगिल जिले के रंगडोन क्षेत्र में तीन बौद्ध लामाओं की हत्या कर दी।

१९ जुलाई, २००० : भारत को तबाह करने की एक बड़ी योजना को

नाकाम करते हुए सेना ने नजीबाबाद में तीन सौ पंद्रह कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. बरामद किया।

१ अगस्त, २००० : पहलगाम में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में बत्तीस लोगों की मृत्यु हो गई।

२ अगस्त, २००० : डोडा और अनंतनाग क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर हमला कर आतंकवादियों ने तिरासी हिंदुओं की हत्या कर दी।

८ अगस्त, २००० : हिजबुल मुजाहिदीन के हिंसा रोकने की घोषणा वापस लेने के कुछ ही घंटे बाद आतंकवादियों ने सेना के उत्तर कश्मीर के बारामूला स्थित डिवीजनल मुख्यालय को अपना निशाना बनाया। आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से गोले दागे और रॉकेटों से हमला किया।

इसी दिन आतंकवादियों ने जिला राजौरी के कोट घारा में छह हिंदुओं को निर्ममतापूर्वक गोलियों से छलनी कर दिया।

९ अगस्त, २००० : अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने तीन विदेशी आतंकवादियों सहित चार आतंकवादियों को मार गिराया।

११ अगस्त, २००० : राजौरी, पुंछ और बारामूला में सेना ने ग्यारह आतंकवादियों को मार गिराया।

□

समाज की भूमिका और संघर्ष

कश्मीर में भय और आतंक के माहौल तथा जीवन-मौत के बीच जूझते हुए हिंदू समाज के लोगों ने आंतकवादियों का जमकर मुकाबला किया। अनेक मौकों पर देशभक्त नौजवानों ने आतंकवादियों के दाँत खट्टे कर दिए। हिंदुओं के शौर्य और पराक्रम के आगे आतंकवादियों को मुँहकी खानी पड़ी। समाज ने एक ओर जहाँ धरना, जुलूस, प्रार्थना आदि लोकतांत्रिक माध्यमों से आतंकवाद का मुखर विरोध किया, वहीं सुरक्षा समिति बनाकर मुँह-तोड़ जवाब भी दिया।

देशभक्त नागरिकों और हिंदू नेताओं के सम्मुख सबसे पहले यह कार्य था

घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लेखक।

कि भयग्रस्त हिंदू समाज का मनोबल कैसे ऊँचा किया जाए? विस्थापित होनेवाले लोगों को किस ढंग से रोका जाए? डोडा, जम्मू आदि जिलों में धरने, हड़ताल, विरोध, प्रदर्शन एवं जनसभाओं का आयोजन किया गया। आतंकवाद का विरोध करने के लिए मुसलमान समाज से भी साथ देने का निवेदन किया गया, परंतु कुछ लोग मजहबी जुनून के कारण और कुछ लोग आतंकवादियों के भय से ग्रस्त होकर आतंकवाद के विरोध में होनेवाली हड़तालों, प्रदर्शनों में हिंदू समाज का साथ नहीं दिया।

चौबीस दिन की सरकारी कर्मचारी हड़ताल

केंद्र सरकार एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भद्रवाह में १४ अप्रैल से ७ मई, १९९३ तक सरकारी कर्मचारियों और दुकानदारों ने मिलकर आतंकवाद के विरोध में एक अभूतपूर्व बंद एवं प्रदर्शन का आयोजन किया। इन चौबीस दिनों की हड़ताल के दौरान एक भी दुकान नहीं खुली; सरकारी-गैर सरकारी कोई भी कर्मचारी कार्यालय नहीं गए। कार्यालयों में ताले लगे रहे। प्रतिदिन धरने होने लगे। इससे समाज का मनोबल ऊँचा हुआ। चौबीसवें दिन भाजपा के सांसद श्री विष्णुकांत शास्त्री ने दिल्ली से अपने साथियों के साथ आकर इस हड़ताल को समाप्त करवाया।

जम्मू में गिरफ्तारी, केंद्र सरकार को ज्ञापन

बढ़ते हुए आतंकवाद के विरोध में डोडा जिले में एक संयुक्त अभियान छेड़ा गया। पूरे देश को आतंकवाद से अवगत करवाने एवं दिल्ली तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए दो हजार लोगों ने जम्मू पहुँचकर सन् १९९२ में सचिवालय के सम्मुख जनप्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और बाद में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार एवं समाज के शीर्ष नेताओं को समय-समय पर आतंकवादी गतिविधियों को प्रस्ताव के रूप में भेजना प्रारंभ किया, जिसमें पीड़ित समाज की कथा-व्यथा और सरकार से आतंकवाद को समाप्त करने की माँग रहती थी।

पूर्व सैनिक रैली

डोडा जिले में पूर्व सैनिक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। इन पूर्व सैनिकों को आतंकवाद के विरुद्ध एक शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए 'पूर्व सैनिक सेवा

परिषद्' के तत्त्वावधान में सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन दिसंबर १९९२ को किश्तवाड़ के चार चिनार नामक स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। आतंकवाद को चुनौती देने के लिए पूर्व सैनिकों ने किश्तवाड़ नगर में पथ-संचलन किया। इसमें स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में समाज के प्रमुख नेताओं के अतिरिक्त सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल श्री लक्ष्मण सिंह रावत ने दिल्ली से आकर भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रशासन द्वारा पूर्व सैनिकों के जब्त किए गए हथियार वापस करने की माँग की गई। इसके परिणाम अच्छे आए और प्रशासन द्वारा जब्त की गईं बारह बोर की बंदूकें पूर्व सैनिकों को लौटानी पड़ीं। इससे आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए और भयग्रस्त हिंदू समाज का मनोबल ऊँचा हो गया। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की घोषणा कर दी गई। नवयुवक इस कार्य के लिए आगे आने लगे। वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों ने समाज के बढ़ते मनोबल को समाप्त करने के लिए अपने अत्याचारों को अत्यधिक तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया।

ग्रामीण सुरक्षा समिति का गठन

सन् १९९२ के किश्तवाड़ फौजी-सम्मेलन के बाद जनसामान्य को भी हथियार देने और सुरक्षा समिति गठित करने की माँग जोर पकड़ने लगी, परंतु सरकार ने इसकी तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया।

ठाठरी के बरशाला गाँव में ५ जनवरी, १९९६ को आतंकवादियों ने पूरे गाँव को घेरकर अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को एकत्र कर गोलियों से छलनी कर दिया। पंद्रह हिंदुओं की इस सामूहिक हत्या के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया। जिससे केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा, फिर आतंकवाद से पीड़ित समाज को हथियार देने के लिए राज्य प्रशासन को जिला डोडा में ग्रामीण सुरक्षा समितियों के गठन का निर्णय दे दिया गया, जिसके अंतर्गत आतंकवाद से पीड़ित गाँवों के पूर्व सैनिकों एवं युवकों को मिलाकर सुरक्षा समितियाँ बनाई जाने लगीं और उन्हें प्रशिक्षण देकर बंदूकें दी गईं। इससे समाज का मनोबल ऊँचा हो गया। अब तो गाँव के नागरिक आतंकवादी हमलों का मुँहतोड़ जवाब देने लगे। आतंकवादियों को भी सुरक्षा समितिवाले गाँवों में आने से भय लगने लगा। कई ग्रामीण समितियों ने तो अनेक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।

आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई 'ग्रामीण सुरक्षा समितियों' पर भी आतंकवादियों ने कई बार हमला किया। ८

फरवरी, १९९६ को भद्रवाह के लिग्गा नामक गाँव पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। जिसका उत्तर 'ग्रामीण सुरक्षा समिति' ने हिम्मत के साथ दिया। आतंकवादियों को भागना पड़ा।

संघर्ष गाथा

आतंकवादी सिगरेट से उसका शरीर दागते रहे और उसके मुँह से निकलता रहा—'हिंदुस्थान जिंदाबाद'। भद्रवाह के गुप्तगंगा नामक स्थान में श्री प्रेमलाल शर्मा के घर २६ सितंबर, १९९२ को छह आतंकवादी घुस आए।

आतंकवादी प्रेमलाल को अनेक यातनाएँ देकर तरह-तरह के सवाल पूछने लगे, परंतु प्रेमलाल अपनी देशभक्ति से विचलित नहीं हुए। आतंकवादियों ने सिगरेट से उनके शरीर पर कई घाव किए और बाएँ हाथ पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिख दिया, लेकिन प्रेमलाल के मुँह से 'हिंदुस्थान जिंदाबाद' ही निकलता रहा। प्रेमलाल को यह स्थान खाली करके वहाँ से भाग जाने की चेतावनी देकर आतंकवादी चले गए, परंतु प्रेमलाल डरे नहीं। आज भी वहाँ अकेला घर होने पर भी हिम्मत के साथ रह रहे हैं। इन्हें 'नागरिक शौर्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

युवक के प्राण बचाए

किश्तवाड़ तहसील के नागसैनी क्षेत्र में बागना गाँव के सीधे-सादे पचपन वर्षीय ग्रामवासी श्री गंभीर चंद ने आतंकवादियों के चुंगल से एक युवक के प्राण बचाए। ७ नवंबर, १९९३ को आतंकवादियों ने एक युवक का अपहरण कर उसे मारने के लिए एक निर्जन स्थान पर ले गए। आतंकवादियों ने उसकी बहुत पिटाई की, फिर उस युवक को नीचे लेटाकर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने को तैयार हुए। गंभीर चंद छिपकर यह सब देख रहा था। तभी अचानक वह उन आतंकवादियों पर टूट पड़ा और झपटकर उसकी ए.के.-४७ राइफल छीन ली। हथियार चलाने की जानकारी न होने के कारण उसने उसे घुमाकर वार किया, जिससे उस आतंकवादी के सिर में जबरदस्त चोट लगी। यह देखकर अन्य आतंकवादी घबराकर भाग खड़े हुए। गंभीर चंद उस युवक सहित अपने गाँव बागना लौट आया। यह आज भी वहाँ डटा हुआ है। इसको भी 'नागरिक शौर्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

तीन आतंकवादियों को मार गिराया

जिला डोडा के दूर भलेस तहसील में १ अक्तूबर, १९९४ को लगभग

तीस-पैंतीस आतंकवादियों ने चोचलू गाँव को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकवादियों को अनंत सिंह की तलाश थी। अनंत सिंह उस समय अपने खेत में काम कर रहे थे। जब वह अपने घर जाने लगे तो आतंकवादियों ने इनके ऊपर हमला किया। वह दौड़कर अपने बचाव के लिए अपने घर में घुस गए। इन्होंने अपनी बंदूक उठाकर मुकाबले के लिए मोरचा सँभाल लिया। आतंकवादियों ने उनके घर को घेर लिया। अनंत सिंह ने मौका पाकर एक आतंकवादी पर फायर कर दिया, वह आतंकवादी वहीं मारा गया। इसके बाद दोनों के बीच काफी संघर्ष चला। परंतु अनंत सिंह ने और दो आतंकवादियों को मार गिराया। इस घटना में तीन आतंकवादी मारे गए। इन्हें भी 'नागरिक शौर्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

अपने प्राणों की बलि देकर अन्य बस यात्रियों के प्राण बचाए

१३ सितंबर, १९९४ को किश्तवाड़ तहसील के ठकराई क्षेत्र के ग्राम धड़ा के रहनेवाले अध्यापक सेवाराम ठाकुर ठकराई से किश्तवाड़ आनेवाली बस में चढ़े। बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सेवाराम ठाकुर बस में पीछे बैठे हुए थे। संध्या ४.३० बजे बस जैसे ही कोड़िया पुल पर पहुँची, तो वहाँ पर तीन सशस्त्र आतंकवादियों ने अपने हथियार तानकर बस को रुकवा दिया। आतंकवादियों की योजना बस का अपहरण करके बस में सवार यात्रियों की हत्या करने की थी। एक आतंकवादी बस में आगे से चढ़ गया, शेष दो आतंकवादी पीछे के द्वार से चढ़े।

बस में बैठे यात्री सहम गए। आगेवाले आतंकवादी ने बस चालक से कहा, 'बस को छात्रू मार्ग पर ले चलो।' यह सुनकर पीछे बैठे सेवाराम ठाकुर ने कहा, 'बस छात्रू नहीं किश्तवाड़ जाएगी।' यह सुनकर आतंकवादी भड़क उठे और पीछेवाले दो आतंकवादी सेवाराम पर झपट पड़े, परंतु सेवाराम ने दोनों को काबू करके अपनी बगल में उनकी गरदनें दबा दीं। दोनों आतंकवादियों के हथियार निष्क्रिय हो गए। आगेवाले तीसरे आतंकवादी को सोलह वर्षीय सत्तपाल (सत्ता) नामक लड़के ने पीछे से दबोच लिया। तीनों आतंकवादी काबू में आ गए। इतने में एक यात्री ने सत्तपाल को कहा, 'इसे छोड़ दे, यह हमें कुछ नहीं कहेगा।' सत्तपाल ने उस यात्री के कहने पर उस आतंकवादी को छोड़ दिया। वह आतंकवादी बस से उतरा हवा हवा में कई फायर किए। फायर की आवाज सुनकर बस में बैठे सभी यात्री कायरों की भाँति भाग खड़े हुए। इसके पश्चात् वह आतंकवादी पीछे के द्वार से बस में चढ़ा और सेवाराम ठाकुर पर गोलियाँ चलाकर शहीद कर दिया।

हिंदू रक्षा समिति के प्रदेश मंत्री शहीद सतीश भंडारी अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान, जिनकी आतंकवादियों ने किश्तवाड़ में हत्या कर दी।

आतंकवादी को ग्रामीणों ने घेर लिया

किश्तवाड़ शहर में फारूख पीर के घर में ११ जून, १९९४ को संध्या ५.०० बजे एक आतंकवादी ने श्री सुभाष सेन को गोली मारकर हत्या कर दी। सुभाष सेन उस दिन अपने प्रिय मित्र फारूख के विवाह में उसके घर गए थे।

जब वह हत्या करके घर से भागा तो सुभाष के मित्रों ने उसका पीछा किया। आतंकवादी फायर करता हुआ सरकूट की ओर भागा जा रहा था। यह

देखकर सड़क पर जा रहे लोग भी उस आतंकवादी के पीछे भागने लगे। आतंकवादी गोली चलाता हुआ भाग रहा था, परंतु देशभक्त बहादुर लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। आतंकवादी भागकर सरकूट में बनी एक मसजिद के अंदर घुस गया। लोगों ने इस मसजिद को घेर लिया। इसके पश्चात् सेना से संपर्क किया गया। आतंकवादी अंदर से फायरिंग करता रहा। सेना ने भी फायरिंग का उत्तर दिया। सेना के अधिकारियों ने आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु आतंकवादी लगातार सेना के जवानों के ऊपर फायरिंग करता रहा और उसने हथगोले भी फेंके। फायरिंग के दौरान वहाँ आग लग गई तथा वह आतंकवादी वहीं जीवित जल गया।

आतंकवादियों के दाँत खट्टे किए

किश्तवाड़ के दूरदराज कुंतवाड़ा क्षेत्र के ग्राम हलुड के निवासियों ने साहस का परिचय देकर आतंकवादियों से अपने गाँव तथा जान-माल की रक्षा की। ९ जून, १९९४ की रात्रि ८.०० बजे के लगभग सात आतंकवादियों ने हलुड गाँव को घेर लिया और गाँववालों को बाहर निकलकर एक स्थान पर एकत्र होने को कहा। इस बात का गाँव के युवकों ने विरोध किया। इन्होंने कहा कि कहीं ये हमें मारकर १४ अगस्त, १९९३ की तरह सोलह लोगों के हत्याकांड को न दोहरा दे। तीन आतंकवादी उन युवकों के पास आकर अपनी ए.के.-४७ राइफल का रौब दिखाने लगे, परंतु युवक डरे नहीं और उन तीनों आतंकवादियों पर टूट पड़े। एक आतंकवादी ने गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं। यह देखकर गाँव के अन्य लोग कुल्हाड़ी, लाठी, चाकू, दरातियाँ आदि लेकर घरों से बाहर निकल आए। युवकों ने दो आतंकवादियों की ए.के.-४७ राइफल छीनकर उन्हें मकान की छत से नीचे गिरा दिया। गाँव के अन्य लोगों ने उन दो आतंकवादियों को कुल्हाड़ियों एवं लाठियों से मार डाला। आतंकवादियों की गोलियों से दो युवक शहीद हो गए और पाँच घायल हो गए; इस प्रकार एक बड़े नरसंहार की घटना टल गई।

उनके संघर्ष और बलिदान प्रेरणा बन गए

जब १० मई, १९९३ को सायं सात बजकर चालीस मिनट पर आतंकवादियों ने हिंदू रक्षा समिति, जम्मू कश्मीर प्रदेश के मंत्री श्री सतीश भंडारी की गोली मारकर हत्या कर दी तो वहाँ का देशभक्त समाज उत्तेजित हो गया। उसने संगठित होकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की शपथ ली। ११ मई प्रातः १०.०० बजे जब शहीद

सतीश भंडारी का शव दाह-संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो आतंकवादियों ने शव यात्रा पर फायरिंग कर दी। इस घटना से शव यात्रा में सम्मिलित हजारों नौजवान क्रोधित हो गए। चिता को अग्नि देने के पश्चात् तुलसी नगर परेड ग्राउंड के साथ बनी 'इकबाल अकादमी' को उन्होंने आग लगा दी जिसमें कई घंटे तक बम विस्फोट होते रहे। असगर पीर डिप्टी डायरेक्टर लाइब्रेरीज की यह अकादमी कहने को मात्र विद्यालय था; परंतु यहाँ आतंकवादियों के हथियारों का भंडार था। इस घटना के साक्षी उस समय के प्रशासनिक एवं सुरक्षा बल के अधिकारी भी हैं। यह देखकर १.३० बजे दोपहर में अब्दुल क्यूम डार नामक एक आतंकवादी ने लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी; लेकिन बहादुर लोगों ने उसकी बंदूक छीन ली। वह इस क्षेत्र में आतंकवादियों का एरिया कमांडर था। अंततः वह भी लोगों के क्रोध का शिकार बन गया। शहीद सतीश भंडारी ने बढ़ते हुए आतंकवाद को देखकर अपने बलिदान से एक दिन पूर्व किश्तवाड़ की एक बैठक में कहा था कि "जब तक किसी हिंदू नेता का बलिदान नहीं होगा तब तक यह समाज जागेगा नहीं।" बलिदानी बलिदान दे गया और समाज को जगा गया।

१ अगस्त, १९९४ को जब अध्यापक श्री निरंजन शर्मा अपने विद्यालय जा रहे थे तो लाचिल नामक स्थान पर आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया। निरंजन शर्मा व आतंकवादियों के बीच गरमागरमी हो गई। हाथापाई होने पर निरंजन शर्मा आतंकवादियों पर टूट पड़े और उन्होंने एक आतंकवादी का हथियार छीन लिया। इतने में दूसरे आतंकवादी ने उनपर टोके से कई प्रहार किए, जिससे निरंजन शर्मा खून से लथपथ होकर धरती पर गिर पड़े। आतंकवादी उन्हें मृत समझकर चले गए। परंतु 'जाकौ राखे साँइयाँ, मार सके न कोय'। श्री शर्मा छह दिनों के पश्चात् होश में आए। उनके गरदन, सिर एवं गले में कुल एक सौ चौबीस टाँके लगे और छब्बीस बोतलें खून की चढ़ाई गईं, जिससे उनके प्राणों की रक्षा हुई।

जब भारतीय जनता पार्टी के जिला डोडा महामंत्री को आतंकवादियों ने डोडा जिला मुख्यालय के बाजार में गोली मार दी तो उन्होंने संघर्षरत समाज को अपने अंतिम संदेश में कहा था कि "दिलेरी से रहना! मुकाबला करना! भागना नहीं!" इनकी हत्या से डोडा के समाज में हलचल मच गई। परंतु उनके कार्यकर्ताओं व माँ-बहनों ने समाज को हिम्मत देने के लिए उनके बलिदान व अंतिम संदेश को जन-जन तक पहुँचाकर समाज में शांति व शक्ति का निर्माण किया, जिसके परिणामस्वरूप समाज विस्थापित नहीं हुआ। उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा पाकर लोग साहस से डटे हुए हैं।

पुंछ-राजौरी की संघर्ष घटनाएँ

आतंकवादियों की हिंसात्मक घटनाओं के कारण अल्पसंख्यक हिंदू समाज के कुछ लोग भयभीत होकर विस्थापित हुए तो कुछ लोग इस अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए खड़े हुए।

२४ सितंबर, १९९७ को आतंकवादियों ने आठ हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार राजौरी के पीढ़ी स्वाडी गाँव में किया तो आतंकवादियों के भय के कारण चार सौ हिंदू परिवार अपना घरद्वार, संपत्ति, पशुओं को छोड़कर राजौरी शहर में आ गए। प्रशासन ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया; किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और अन्य स्थानीय सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन्हें सरकारी विद्यालयों में ठहराया। उनके भोजन, वस्त्र, आवास सहित अन्य व्यवस्था की। कार्यकर्ताओं ने सेना के सहयोग से शहीदों के शवों को नगर में लाकर सामूहिक रूप से संस्कार किया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए दस हजार लोगों का जुलूस निकाला। जब यह जुलूस जिला मुख्यालय में पहुँचा तो जिला अधिकारियों ने इनसे बात न करके इनके ऊपर लाठी-गोलियों की बौछार कर दी। इसमें अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया जो कि एक सप्ताह तक चलता रहा। पीड़ित-प्रभावित लोगों ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। अंततः प्रशासन ने सेना के सहयोग से उन लोगों को वापस अपने गाँव पीढ़ी स्वाडी भेज दिया और विस्थापन को रोका। यह संघर्ष अपने आप में अभूतपूर्व था। इस संघर्ष से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज में हिम्मत आई कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं। पूरा समाज हमारे साथ है।

पुंछ जिले के स्वर्णकोट तहसील के द्राबा नामक हिंदू गाँव में आतंकवादियों ने हमला करके गाँव को खाली कर देने की धमकी दी तो गाँव के नब्बे प्रतिशत परिवार वहाँ से विस्थापित हो गए। कुछ परिवार पुंछ नगर और स्वर्णकोट नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगे, तो कुछ धनी लोग जम्मू विस्थापित हो गए। बड़े प्रयत्नों के पश्चात् भी आधा गाँव अभी भी विस्थापित है। इन विस्थापितों को पूर्ण रूप से सुरक्षा और अन्य सुविधाएँ देने के लिए पुंछ जिला मुख्यालय में पाँच सौ माताओं-बहनों ने ३० सितंबर, १९९७ को विरोध-प्रदर्शन किया।

६ मई, १९९८ को आतंकवादियों ने जब स्वर्णकोट नगर के हिंदू परिवार दत्ता के घर में घुसकर सामूहिक रूप से पाँच हिंदुओं का नरसंहार किया था तो इस घटना से पूरे स्वर्णकोट तहसील का अल्पसंख्यक हिंदू समाज भयभीत हो गया। पूरी तहसील से हिंदुओं का विस्थापन शुरू हो गया। ७ मई, १९९८ की दोपहर तक

स्वर्णकोट एवं गाँव के हिंदू विस्थापित होकर पुंछ जिला मुख्यालय में आ गए। यहाँ जिला प्रशासन ने जब इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विस्थापित डाकबँगले, गुज्जर छात्रावास और कॉलेज में ठहराने की व्यवस्था की। पुंछ के खनेतर जैसे दूरदराज के असुरक्षित गाँव से लोग भयभीत होकर विस्थापित होने लगे। इस घटना का पुंछ के हिंदू एवं सिख समाज ने मिलकर जबरदस्त विरोध किया। प्रशासन के निकम्मेपन और आतंकवाद समर्थक नीति से जनता आगबबूला हो गई और विरोध-प्रदर्शन के लिए सड़कों पर निकल आई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इनकी बात नहीं सुनी बल्कि इनके ऊपर पुलिसिया अत्याचार किए और एक गरीब सिख युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों ने गुस्से में आकर पुंछ के कई सरकारी भवनों में आग लगा दी। प्रशासन इस संघर्ष को दबा न सकी तो कर्फ्यू लगा दिया। ८ मई, १९९८ की संध्या इस क्षेत्र के भाजपा सांसद श्री वैद्य विष्णु दत्त भी पहुँच गए। उन्होंने एक बैठक में प्रशासन से हालात के बारे में बातचीत की और पीड़ित लोगों के दुःखों को सुना। उन्होंने प्रभावित समाज की पीड़ा जम्मू और दिल्ली की केंद्र सरकार को बताई।

केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने हालात का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा। अंत में सेना और केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल ने हालात को सँभाला और शांति लाने का प्रयास किया। पुंछ के अल्पसंख्यक समाज में हिम्मत का संचार हुआ। स्वर्णकोट के विस्थापित लोग एक माह तक संघर्ष करते रहे। अंत में जब वहाँ पर पूर्ण रूप से चौकियाँ बनाकर सुरक्षा प्रदान की गई तो विस्थापित अपने घरों में वापस लौट आए। समाज ने संघर्ष करके उन्हें जम्मू विस्थापित नहीं होने दिया।

पाँच आतंकवादियों को मारकर शहीद हो गया—२७ जुलाई, १९९७ को सुरजीत सिंह शाम ६.०० बजे जब अपने खेतों से काम करके वापस घर लौट रहा था तो उसने रास्ते के एक छोटे मैदान में लंबी दाढ़ीवाले सैनिक वरदी पहने छह व्यक्तियों को लेटे हुए देखा। ये अवश्य ही आतंकवादी हैं जो सैनिक वरदी में यहाँ तक पहुँचे हैं। उसने तुरंत अपने गाँव भैनीगला पहुँचकर लोगों को यह घटना सुनाई। फिर तीन किलोमीटर दूर सेना के शिविर में पहुँचकर उन्हें सूचित किया और अपने साथ सेना को लेकर घटना स्थल पर पहुँचा। सुरजीत सिंह ने आतंकवादियों पर फायरिंग करके उन्हें ललकारा। आतंकवादी इस हमले से बचने के लिए तुरंत ही निकट के निर्माणाधीन मकान में घुसकर फायरिंग करने लगे। सुरजीत सिंह को लगा कि कहीं आतंकवादी फायरिंग करते हुए पीछे से भाग न जाएँ। अतः उसने शीघ्र ही

सेना के एक जवान से एल.एम.जी. हथियार लेकर अकेले ही फायरिंग करता हुआ आतंकवादियों के निकट पहुँच गया, फिर अपने प्राणों की चिंता किए बगैर उस मकान के चारों तरफ दौड़-दौड़कर फायरिंग करने लगा, ताकि आतंकवादी निकलकर भाग न जाएँ। आतंकवादियों ने भी उसपर हथगोले फेंककर हमला किया। सुरजीत सिंह ने एक-एक करके पाँच आतंकवादियों को मार गिराया। कुछ समय के बाद मकान के अंदर से फायरिंग बंद हो गई। सेना भी निकट आ गई। सुरजीत सिंह जब मरे हुए आतंकवादियों को देखने के लिए मकान के अंदर घुसा तो एक जीवित बचे आतंकवादी ने उसके माथे पर गोली चला दी। सरदार सुरजीत सिंह मातृभूमि के लिए वहीं शहीद हो गया। उस आतंकवादी को सेना ने तुरंत गोलियों से भून डाला। सुरजीत सिंह मात्र तीस वर्ष के थे। उनकी पत्नी स्वर्णजीत कौर अट्ठाईस वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गईं, उनके दो छोटे लड़के भी हैं। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि प्रदेश की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इस वीर के सम्मान में दो शब्द तक नहीं कहे। जब सामाजिक संगठनों ने यह देखा तो उन्होंने भारतीय सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग लेकर सामूहिक रूप से १५ अगस्त, १९९७ को स्वतंत्रता की स्वर्णजयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने और इस वीर को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इस वीर की धर्मपत्नी, माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को सरोपे भेंट करके सम्मानित किया गया। सेना के जवानों एवं अधिकारियों ने भी इस वीर युवक को श्रद्धांजलि दी। भैनीगला गाँव का नाम बदलकर 'सुरजीत सिंह नगर' रखा गया, ताकि समाज इससे देशभक्ति की प्रेरणा ले सके।

जम्मू

हाथ कटवाया, परंतु आतंकवादी को मार गिराया—रामनगर तहसील के कैंथा गाँव में एक अफगानी आतंकवादी शस्त्र सहित १९ जुलाई, १९९४ को बलिराम के घर आया और खाना खाकर उसके घर में ही रात बिताई। आतंकवादी ने बलिराम से कैंथा गाँव की दुकानों और सेना शिविर रामनगर के विषय में पूछताछ की और सुबह होने पर चला गया। बलिराम ने उसके जाने के बाद गाँव के प्रमुख दुकानदार राजकुमार को इस घटना की पूरी जानकारी दी। कुछ घंटे के बाद २० जुलाई, १९९४ को वह आतंकवादी दोपहर ११.०० बजे के लगभग राजकुमार की दुकान पर आया। उस समय काफी तेज बारिश हो रही थी। वे राजकुमार से बात करता हुआ उसके घर के अंदर घुस गया और उसके दूसरे भाई रमेश चंद्र से छाता

माँगा। तभी उसके पीछे खड़े तीसरे भाई मदन लाल ने उस आतंकवादी को पकड़ लिया। तीनों भाइयों ने उसको नीचे गिरा लिया। रमेश ने उसकी ए.के.-५६ राइफल छीन ली। राजकुमार ने फुरती से उसके पेट में छुरा घोंपकर उसकी अँतड़ियाँ पेट से बाहर निकला दीं। आतंकवादी अपनी जेब से हथगोला निकालकर जैसे ही उन भाइयों पर फेंकने लगा तो रमेश ने उसपर झपट्टा मारा, जिससे हथगोला वहीं फट गया और अफगानी आतंकवादी के टुकड़े-टुकड़े हो गए, परंतु तीनों भाई भी इस हथगोले से घायल हो गए। रमेश चंद्र का एक हाथ उड़ गया। मदन लाल का एक बाजू काटना पड़ा और राजकुमार के शरीर में लगे छर्रों को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार इन तीनों युवकों ने हिम्मत के साथ अपने प्राणों पर खेलकर पूरे गाँव की रक्षा की। इन तीनों वीरों को 'नागरिक शौर्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

आतंकवादियों को मार भगाया—अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के बाग्नाकोट और ठंडाकोट नामक इन दो हिंदू गाँवों को १७ सितंबर, १९९४ को रात्रि में लगभग चालीस-पैंतालीस आतंकवादियों ने घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इन गाँवों में अधिकतर भूतपूर्व सैनिकों के घर हैं। इनके पास अनेक देशी बंदूकें थीं। इन बंदूकों को हर बार चलाने के बाद बारूद भरना पड़ता है। दूसरी तरफ आतंकवादियों के पास आधुनिक स्वचालित हथियार थे। परंतु गाँववालों ने हिम्मत के साथ मोरचा सँभाला और आतंकवादियों के हमले का उत्तर देने लगे। इस काम में महिलाओं ने भी साथ दिया। वे तेजी से बंदूकों में बारूद भरकर पुरुषों को दे रही थीं। यह मुठभेड़ लगभग पाँच घंटे तक चली। इस संघर्ष में आतंकवादियों के पाँव उखड़ गए और वे घायल होकर भाग खड़े हुए। इसमें गाँव के दो वीर शहीद हो गए। गाँव के लोगों ने संगठित रूप से अपनी शक्ति दिखाकर पूरे गाँव की रक्षा की।

कठुवा

कठुवा जिलांतर्गत तहसील बसोहली के बनी क्षेत्र के डग्गर गाँव में २६ मार्च, १९९५ को रात्रि के समय कुछ आतंकवादी आए और यहाँ के एक विश्राम गृह में ठहरे। अगले दिन २७ मार्च की रात को डग्गर गाँव के एक मुख्याध्यापक के घर पहुँचे और उसे डरा-धमकाकर खाना बनाने को कहा। भयभीत होकर मुख्याध्यापक ने अपने साथी अध्यापक की मदद से भोजन तैयार किया। आतंकवादी भरपेट भोजन करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए निकट के हुग्गन नामक गाँव में पहुँचे। वहाँ पर पूर्व सैनिक सफदर अली के घर में विश्राम करने के लिए घुसने लगे, परंतु

सफदर अली इन्हें पहचान गया कि ये तो आतंकवादी हैं। उसने इनका विरोध कर अपने घर में घुसने नहीं दिया। फिर ये सभी आतंकवादी मोहम्मद शरीफ नाम के मुसलमान के घर रात्रि बिताने चले गए। सफदर अली चुपचाप इनकी गतिविधियाँ देख रहा था। इसके बाद इसने जल्दी से बनी पुलिस थाने को सूचनापत्र उर्दू में लिखकर भेज दिया। जिसका अनुवाद इस प्रकार है—

मान्यवर,
थाना प्रमुख महोदय,

कुछ संदेहात्मक व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय मोहम्मद शरीफ के घर पर हैं। आप कृपया पुलिस लेकर छापा मारें, हमारी एवं सबकी जान को यहाँ पर खतरा है। आप मेरा गुप्त संकेत समझें।

आपका
सफदर अली।

परंतु पत्र मिलने पर बनी के थाना प्रभारी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। परंतु जब २८ मार्च की दोपहर में मुख्याध्यापक भी थाने में पहुँचे और स्वयं पूरी घटना थाना प्रभारी को बताई, तब पुलिस अधिकारी हरकत में आए।

२९ मार्च, १९९५ की प्रात: ही श्री दलजीत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से सफदर अली के घर पहुँचे। सफदर अली ने उन्हें आतंकवादियों का ठिकाना बताया। इधर आतंकवादियों ने सेना के द्वारा मोरचा सँभालने से पहले ही उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी अपना बचाव करते हुए मोरचा सँभाल लिया। सुरक्षा बलों ने मकान के निचले भाग से महिला तथा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी। सफदर अली पूर्व सैनिक था, वह भी घर से अपनी बंदूक लेकर आया और आतंकवादियों पर फायर करने लगा। आतंकवादियों ने सफदर अली को मजहब का गद्दार मानकर उसकी छाती पर गोली दाग दी और यह देशभक्त, जिसने देशभक्ति को मजहब से बड़ा माना, इसलाम के नाम पर देश के गद्दारों को अपने घर में न तो जगह दी, न ही उनका साथ दिया बल्कि देश के लिए शहीद हो गया।

इस घटना में कुल आतंकवादियों की संख्या आठ थी। एक आतंकवादी घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिसने उपचार के बाद इस क्षेत्र की आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी दी।

□

आतंकवादी संगठन का जालतंत्र

जम्मू कश्मीर में सक्रिय सात विभिन्न आतंकवादी संगठनों के तीन हजार पाँच सौ उनसठ भाड़े के विदेशी आतंकवादी इन दिनों सक्रिय हैं। यह जानकारी प्रदेश के गृह राज्यमंत्री मुश्ताक लोन ने राज्य विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे अधिक एक हजार अड़सठ आतंकवादी हैं, जबकि हरकत-उल-अंसार के छह सौ चौवन सदस्य विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं। श्री लोन के अनुसार लश्कर-ए-तोएबा के छह सौ इक्यानबे, लश्कर जेहादी इसलामी के दो सौ छियासठ, अल-बदर के दो सौ चौंसठ, अलवर्क के एक सौ पैंतीस तथा तेहरिक उल मुजाहिदीन के पैंतालीस आतंकवादियों ने राज्य में आतंक का माहौल बना रखा है।

जम्मू कश्मीर के प्रमुख आतंकवादी संगठन—

१. हिजबुल मुजाहिदीन
२. हरकत-उल-अंसार
३. हिजबुल्लाह
४. जमात-उल-फुकरा
५. इसलामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट
६. अल जमायते-अल-इसलामिया
७. नेशनल इसलामिक फ्रंट
८. मुजाहिदीन-ए-खल्क ऑर्गेनाइजेशन
९. लश्कर-ए-तोएबा
१०. अल-बदर

२४ जुलाई, २००० को शांति बहाली की दिशा में वार्त्ता के लिए हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा आतंकवादी कार्रवाई रोकने के बाद घटना प्रक्रिया काफी तेजी से

बदली। अन्य आतंकवादो संगठनों ने हिजबुल मुजाहिदीन के इस कदम का कड़ा विरोध किया। इस घोषणा से बौखलाए पाकपरस्त चौदह आतंकवादी संगठनों के साझा मंच 'यूनाइटेड जेहाद काउंसिल' ने हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन को 'यूजेसी' के अध्यक्ष पद से हटा दिया और मुसलिम जाँबाज नामक एक अल्प ज्ञात आतंकवादी संगठन के प्रमुख मोहम्मद उस्मान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। आतंकवादी संगठनों के बीच एक-दूसरे के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त होने लगी। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रवक्ता सलीम हाशमी ने सैयद सलाउद्दीन की अध्यक्ष पद से बर्खास्तगी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बुद्धिमत्ता का अभाव बताया। उधर 'यूजेसी' ने हिजबुल को बिका हुआ बताते हुए जेहाद जारी रखने का ऐलान किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसे जल्दबाजी भरा कदम बताकर इसकी आलोचना की।

आतंकवादी संगठनों के बीच हताशा और निराशा के वातावरण के कारण न केवल विरोधी बयानबाजी ही हुई अपितु खूनी संघर्ष का भी दौर चल पड़ा, जिससे उनकी बौखलाहट का परदाफाश होता है। १६ अगस्त को यह खुलासा हुआ कि महरोट क्षेत्र में चार दिनों से लश्कर-ए-तोएबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच मुठभेड़ हो रही है, जिसमें तीन आतंकवादियों की मौत हो गई और लगभग एक सौ लोग घायल हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन ने हुर्रियत पर प्रहार करते हुए कहा कि सशस्त्र संघर्ष से मसले का हल हो सकता है तो उसे आगे आना चाहिए, नहीं तो अपनी बंदूकें अपने बच्चों में बाँट देनी चाहिए।

करगिल युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय के बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ने छाया युद्ध के लिए अब नई योजना के अंतर्गत 'कश्मीर लिबरेशन आर्मी' नामक व्यापक संगठन बनाया है। इसका प्रमुख लक्ष्य कश्मीर में हिंसा का तांडव नृत्य कर शेष बचे हिंदुओं को विस्थापित करना है, जिससे सेना क़ो मुखबिर बनाने के लिए लोग न मिल सकें और आतंकवादियों की गुप्त जानकारी सेना तक न पहुँच सके। दूसरा कारण यह है कि इस अशांत माहौल और युद्ध जैसी स्थिति के कारण भारत के रक्षा बजट का अधिकांश भाग इसी काम में खर्च हो जाए। अधिकारिक जानकारी के अनुसार एक आतंकवादी पर पाकिस्तान का जितना खर्च होता है, उससे कई गुणा अधिक खर्च भारत को करना पड़ता है।

नेपाल के रास्ते आतंकवादी गतिविधि

नेपाल का बहुत बड़ा क्षेत्र भारत की सीमा से लगता है। उत्तर प्रदेश, बिहार,

पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा क्रमशः ८१५, ८७५, २५० और २५० कि.मी. की सीमाएँ नेपाल से लगती हैं। इन सीमाओं पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. काफी सक्रिय है। हथियार, विस्फोटक सामग्री और नशीली वस्तुओं की तस्करी नेपाल के रास्ते इन्हीं मार्गों से भारत में होती है। मई २००० में ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करनेवाली एक महिला दिल्ली स्थित जनकपुरी में गिरफ्तार की गई थी, जो सेना और सुरक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजती थी। इन सीमाओं पर भी कँटीले तार लगाकर चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. ने पूरे देश में विस्फोट कर भारत को सांप्रदायिक ज्वाला में झोंकने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई और नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में मुसलिम युवकों के बीच उसने अपना जाल फैला रखा है। पंजाब के कुछ आतंकवादियों का भी सहयोग इस कार्य में लिया जा रहा है। अनेक खुफिया रिपोर्टों से यह जग जाहिर हुआ है कि नेपाल के रास्ते ये गतिविधियाँ तेज हुई हैं। स्वाधीनता दिवस पर दिल्ली में लालकिला के समीप विस्फोट करने के इरादे से आए एक आई.एस.आई. एजेंट जन्नत गुल उर्फ जावेद उर्फ शेखरन उर्फ तूर घुलखान उर्फ अकबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से दो तैयार बम, बैटरियाँ तथा तीस बोर की पिस्तौल बरामद की गई। जन्नत गुल के माता-पिता अफगानी हैं; लेकिन बाद में वे पाकिस्तान में बस गए। इसका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से है।

□

कश्मीर की स्वायत्तता का प्रस्ताव

जम्मू कश्मीर की फारूख अब्दुल्ला सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए डॉ. कर्णसिंह की अध्यक्षता में 'राज्य स्वायत्त समिति' का गठन किया, लेकिन अचानक बिना कारण बताए समिति के अध्यक्ष पद से इनके त्यागपत्र देने के पश्चात् गुलाम मोहिउद्दीन शाह की अध्यक्षता में 'राज्य स्वायत्त समिति' का पुनः गठन किया और स्वायत्तता प्रस्ताव बनाकर ८ अप्रैल, २००० को कानून एवं विधायी कार्यमंत्री पी.एल. हाडू द्वारा पेश किया गया। वे कहते हैं कि सन् १९५३ से पूर्व की स्थिति को आधार बनाए बगैर स्वायत्तता की बात बेमानी है।

कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन सदस्यों द्वारा पेश संशोधन विधेयक पर बहस की शुरुआत २० जून को हुई। गरमागरम बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहाँ इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने जमकर विरोध किया। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वाकआउट भी किया।

स्वायत्तता के मुद्दे पर कश्मीर विधानसभा में बहस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि 'मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त या किसी भी पल राज्य में स्वायत्तता रिपोर्ट को विधानसभा और विधानपरिषद् में पारित करवा सकता हूँ। आप लोगों के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।' फारूख का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जो किसी जिम्मेदार मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता है। स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। कश्मीर को भारत से अलग कर आजाद घोषित करने के षड्यंत्र का यह एक हिस्सा है। जबकि जम्मू कश्मीर को धारा ३७० के अंतर्गत देश के अन्य राज्यों की तुलना में अतिरिक्त सुविधा दी ही जा रही है तब इस तरह के प्रस्ताव को साजिश के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। २६ जून को विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद कश्मीर विधानसभा

में स्वायत्तता रिपोर्ट पारित हो गई। भाजपा, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और जम्मू कश्मीर आवामी लीग के सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया।

स्वायत्तता समिति की प्रमुख सिफारिशें

१. भारतीय संविधान के इक्कीसवें भाग के शीर्षक से 'अस्थायी' शब्द हटाकर 'विशेष' शब्द रखा जाए।
२. अनुच्छेद २४६ के सभी संशोधन निरस्त किए जाएँ।
३. राज्य में आपातकाल की घोषणा का विधानसभा से दो महीनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक किया जाए, ऐसा न होने पर इसे निरस्त समझा जाए।
४. मौलिक अधिकारों को निरस्त कर राज्य के संविधान में मौलिक अधिकारों का एक नया अध्याय जोड़ा जाए।
५. राज्य के संबंध में अनुच्छेद २१८, २२०, २२२ व २२६ निरस्त किए जाएँ।
६. वित्त, संपत्ति, करार और मुकदमे के मामले सन् १९५२ में हुए दिल्ली करार के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के लिए लाए जाएँ।
७. रक्षा, विदेश व दूरसंचार के अलावा सारे अधिकार।
८. राज्य का अपना संविधान।
९. मुख्यमंत्री नहीं, वजीर-ए-आजम होना चाहिए।
१०. केंद्रीय अधिकारियों की कोई तैनाती नहीं।
११. चुनाव संबंधी किए गए परिवर्तन वापस हों।

जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल अहमद वकील ने २७ जून, २००० को बताया कि विधानसभा में पारित स्वायत्तता रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष लागू करने के लिए भेजा है। ४ जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्तता प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसपर टिप्पणी करते हुए गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाना है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशें जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होनेवाले कई संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं। इससे न केवल राज्य के लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि कुछ अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान भी समाप्त हो सकते हैं।

श्री आडवाणी ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने

से राष्ट्र की मुख्य धारा में कश्मीरियों को जुड़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया खंडित होगी। उन्होंने कहा कि सन् १९७५ में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुए करार में साफ कहा गया है कि 'जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होनेवाले भारतीय संविधान के प्रावधानों को बदला नहीं जा सकेगा।' श्री आडवाणी ने कहा कि इस प्रस्ताव को मान लेने से देश में एक ऐसी मानसिकता विकसित हो जाएगी जो देश की एकता और अखंडता के हित में नहीं है। इसी तरह का एक प्रस्ताव सन् १९७४ में तमिलनाडु विधानसभा ने भी पारित किया था।

अभी हाल में पूर्व गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण ने पत्रकार उमाकांत लखेड़ा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि पचास साल से भी अधिक समय हो गया जब कश्मीर की जनता की सहमति से हमने एक लंबी यात्रा तय कर ली है। इस मुद्दे पर इतने साल बाद सवाल उठाना बेमतलब है। दरअसल फारूख ने यह तिकड़म अपने शासन की नाकामियों पर परदा डालने के लिए रची है। वह बुनियादी समस्याओं से अपने राज्य की जनता और देश का ध्यान हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्यों के हितों की रक्षा हो, इस बात की पैरवी तो अन्य दलों के साथ कांग्रेस भी करती है; लेकिन पूर्ण स्वायत्तता और सन् १९५३ की स्थिति की फारूख की माँग पूरी तरह अलगाववादी है।

स्वायत्तता प्रस्ताव

जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव पर २६ जुलाई, २००० को लोकसभा में हुई बहस के दौरान सभी प्रमुख दलों ने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस के नेता माधव राव सिंधिया ने सन् १९५३ की पूर्व की स्थिति कश्मीर में बहाल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सन् १९७५ में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के साथ हुए समझौते को आधार मानकर ही इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। श्री सिंधिया ने भारत के संविधान और सार्वभौमिक एकता के भीतर ही बातचीत किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के विकास पर बराबर ध्यान दिए जाने की सराहना की जानी चाहिए। यों धारा ३७० को मजबूत बनाने की कांग्रेस की पक्षधरता की फिर उन्होंने वकालत की, किंतु कांग्रेस की इसी भूल और मुसलिम तुष्टीकरण ने इस समस्या को जन्म दिया।

सन् १९५३ की स्थिति में लौटने की कश्मीरियों की बात तो दूर, राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की बात करनेवाले दलों को भी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता की रट लगानेवाले दलों को यह समझना चाहिए कि केंद्र से अधिक-से-अधिक अधिकार हासिल करने की परिपाटी से केंद्र लगातार खोखला होता जाएगा। यह स्थिति देश के लिए खतरनाक होगी। इसके विपरीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी ने अन्य राज्यों को भी सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वायत्तता दिए जाने की बात कही।

लद्दाख के लोगों ने स्वायत्तता रिपोर्ट का जमकर विरोध किया। लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष सेरिंग समफेई ने कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख के लोगों के विचार जानने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वायत्तता रिपोर्ट लागू कर दी गई तो लद्दाख की अलग जातीय सांस्कृतिक पहचान समाप्त हो जाएगी। लेह की जिला कांग्रेस समिति ने भी स्वायत्तता रिपोर्ट का विरोध किया।

स्वायत्तता

कश्मीरी पंडितों का संगठन 'पनुन कश्मीर' के संयोजक डॉ. अग्निशेखर ने २४ मई, २००० को अपने बयान में जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देकर सन् १९५३ से पूर्व की संवैधानिक स्थिति बहाल करने और कश्मीर को तीन हिस्सों में बाँटे जाने के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कदम वहाँ से विस्थापित हुए सात लाख कश्मीरी पंडितों और राष्ट्र के हित में नहीं होगा। ऐसा करना आतंकवादियों द्वारा कश्मीर को आजाद कराने की दिशा में ही एक कदम होगा। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर को बाँटना ही है तो फिर उसके तीन नहीं चार हिस्से करने चाहिए। कश्मीरी पंडित भी झेलम नदी के उत्तर-पूर्व में एक क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश के तौर पर चाहते हैं। गत दस वर्ष से वे लोग इसकी माँग कर रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने हुर्रियत नेताओं को आतंकवादी के बजाय असंतुष्ट नेता कहा था।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर में सक्रिय पाक समर्पित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा तीन महीने तक के लिए आतंकी गतिविधियों पर स्वघोषित रोक का स्वागत किया। उन्होंने दोहराया कि कश्मीर समस्या के हल के लिए वह संविधान के दायरे में किसी से भी बातचीत करने के

लिए तैयार हैं।

गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने २५ जुलाई, २००० को लोकसभा में स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर को धार्मिक आधार पर तीन भागों में विभाजित करने का केंद्र का कोई इरादा नहीं है। राज्य विधानसभा की ओर से भेजे गए स्वायत्तता संबंधी प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की माँग पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन जम्मू कश्मीर में सन् १९५३ के पहले की स्थिति बहाल किए जाने के पक्ष में वह नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसपर अपनी स्थिति स्पष्ट करना उचित समझा, इसलिए प्रस्ताव को खारिज किया गया।

स्वायत्तता के नाम से सन् १९५३ से पूर्व की स्थिति की बहाली जम्मू कश्मीर राज्य को शेष भारत से अलग-थलग कर देगी। मातृभूमि की अखंडता पुनः खंडित हो जाएगी। एक देश में दो राष्ट्रपति, दो प्रधानमंत्री, दो राष्ट्रीय ध्वज और दो संविधान स्थापित हो जाएँगे। जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश के लिए 'आज्ञा पत्र' की व्यवस्था लागू हो जाएगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से राज्य की न्याय पद्धति बाहर हो जाएगी। निर्वाचन आयोग का अधिकार समाप्त हो जाने से राज्य की जनता स्वस्थ लोकतंत्र के अभाव में रहकर पीड़ा का अनुभव करती रहेगी। केंद्र द्वारा राज्य को दिए जा रहे अरबों-खरबों रुपयों के खर्च का हिसाब राज्य केंद्र को नहीं देगा; परंतु आर्थिक सहायता बराबर लेता रहेगा। केंद्र के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य के सेवा पदों से बाहर कर दिए जाएँगे। राज्य के नागरिकों को भारतीय संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएँगे। वे वैसा ही जीवन जी सकेंगे जैसा वहाँ की सरकार चाहेगी।

उपर्युक्त कारणों से ही शहीद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसे देशघाती कानूनों को अपने बलिदानी रक्त से धोकर समाप्त किया था। स्वायत्तता की माँग करनेवाले राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला और उनकी सरकार को यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि वे देश की एकता व अखंडता की बातें तो करते हैं; परंतु उनकी यह माँग देश की एकता को बनाए रखनेवाली माँग है क्या? यह उनकी कैसी देशभक्ति है? उन्हें अपने ऐसे घातक विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है; अन्यथा देश के नागरिक उनके इस तरह के देश विघटन के कुकृत्य के लिए उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे।

□

भारत का शांति प्रयास

भगवान् बुद्ध और महावीर की यह पावन धरती सत्य और अहिंसा का पर्याय बन गई है। विश्व शांति का प्रथम उद्घोषक भारत का संस्कार सहिष्णुता-संपन्न है। भारतीय जनजीवन के रोम-रोम में सदाचार, सहअस्तित्व और सदाशयता रचा-बसा है। भारत के उदात्त चिंतन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमादान हमारी सांस्कृतिक थाती है। इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता है, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी महिमामंडित किया गया है। हमारी सहिष्णुता और उदारता को कायरता समझना भूल होगी। 'वसुधैव कुटुम्बकम' हमारी आत्मीयता और स्नेह-भावना को रेखांकित करता है। स्नेह, सौजन्य और सहिष्णुता के इसी धरातल पर भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को क्षमादान और वार्त्ता के लिए आमंत्रित किया, किंतु माँ भारती के टुकड़े करने की कीमत पर नहीं।

भारत के गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने ५ अप्रैल, २००० को घोषणा की कि सरकार कश्मीरी आतंकवादियों से वार्त्ता करने के लिए तैयार है बशर्ते कि आतंकवादी हिंसा का रास्ता छोड़ दें। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए हर किसी से हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शांतिवार्त्ता की खातिर ही पिछले आठ महीनों से जेल में बंद कश्मीर के हुर्रियत नेताओं को सद्भावना के तौर पर रिहा किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर-यात्रा कर शांति बहाली की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल की थी और मैंने भी स्वयं बाघा सीमा जाकर सद्भावना का माहौल बनाने में हाथ बँटाया था। यह हैरत की बात है कि हमारी ओर से किए गए प्रयासों के जवाब में पाकिस्तान ने विश्वासघात किया।

१२ मार्च, २००० को अमेरिकी पत्रिका 'न्यूजवीक' को दिए गए एक साक्षात्कार में भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि

शांति प्रक्रिया के लिए लाहौर की ऐतिहासिक यात्रा के बाद करगिल में पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ से उन्हें गहरा धक्का लगा है। जब तक सीमा पार से घोषित आतंकवाद और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार जारी है तब तक बातचीत से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा।

गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने १६ मई, २००० को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के दौरान जवाब देते हुए कहा कि जेल से रिहा किए गए लोग घुसपैठिए नहीं हैं बल्कि वह हमारे अपने लोग हैं। हम अपने लोगों से बात करेंगे, किंतु पाकिस्तान से तब तक कोई वार्त्ता नहीं होगी जब तक वह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता।

शांति प्रक्रिया

करगिल में 'ऑपरेशन विजय' की वर्षगाँठ पर दूरदर्शन को दिए एक साक्षात्कार में रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज ने कहा कि भारत यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के संक्षिप्त पड़ाव के दौरान आतंकवाद और घुसपैठ बंद करने के लिए पाकिस्तान से जो कुछ कहा उसका उसपर कोई असर नहीं पड़ा। क्लिंटन के पाकिस्तान दौरे के बाद से सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों और गोलीबारी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। श्री फर्नांडीज ने यह भी कहा कि यदि करगिल से लगी एक सौ पचास कि.मी. की सीमा को सन् १९७१ के बाद से लावारिस हालत में नहीं छोड़ा जाता तो इस तरह की घुसपैठ की नौबत नहीं आती।

३ अप्रैल, २००० को जोधपुर जेल से लंबी गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सैयद अली शाह जिलानी ने स्पष्ट तौर पर ५ अप्रैल को दिल्ली में 'दैनिक जागरण' को दिए साक्षात्कार में बताया कि पाकिस्तान को शामिल किए बिना सकारात्मक वार्त्ता संभव नहीं है। उसने द्विपक्षीय वार्त्ता के सरकारी सुझाव को खारिज कर दिया। उसने कहा कि कश्मीर मामले के समाधान के लिए पाकिस्तान सहित सभी संबद्ध पक्षों को वार्त्ता में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। उसने शांति प्रक्रिया हेतु सद्भावना और सदाशयता के आधार पर हुर्रियत नेताओं को छोड़े जाने पर कहा कि उन्हें गिरफ्तार करना ही गैर कानूनी और ज्यादतीपूर्ण था।

शांति प्रक्रिया के लिए हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा की जा रही वार्त्ता को पाकिस्तान में बैठे संगठन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन ने ८ अगस्त को तोड़ दिया।

इस घोषणा के बावजूद गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों से सरकार पीछे नहीं हटेगी और उन लोगों से बातचीत जारी रखी जाएगी जो हिंसा और आतंक का रास्ता छोड़ने को तैयार हों। गृहमंत्री ने ९ अगस्त को संसद् में कहा कि हिजबुल प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के ऐलान की प्रकृति, स्थान, संदर्भ एवं समग्र तत्त्वों से किसीके मन में यह संदेह शेष नहीं रह जाता कि राज्य में शांति की संभावनाओं को पाकिस्तान ने ही बाधित किया है। उन्होंने कहा कि २४ जुलाई के बाद से ही इसलामाबाद से जिस तरह के वक्तव्य आ रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि हिंसा रोकने की घोषणा पाकिस्तान के जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने के माफिक नहीं है। शांति प्रक्रिया के अंतर्गत आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिदीन से वार्त्ता करने की सरकार ने अंतिम क्षण तक प्रयास किया।

२४ जुलाई, २००० को हिजबुल मुजाहिदीन के भारत स्थित प्रमुख अब्दुल माजिद डार के तीन महीने के लिए आतंकवादी कार्रवाई रोकने की घोषणा का सबों ने स्वागत किया; किंतु पाकिस्तान में बैठा सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने वार्त्ता में पाकिस्तान को शामिल किए जाने के दबाव के कारण वार्त्ता विफल हो गई। ३ अगस्त को ग्यारह वर्षों के बाद पहली बार केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी श्रीनगर के चश्माशाही स्थित नेहरू अतिथि गृह में आमने-सामने बैठे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमल पांडे ने किया। संवाद कायम रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद त्रिपक्षीय वार्त्ता पर अड़े पाकपरस्त आतंकवादियों के रहनुमाओं ने वार्त्ता की हवा निकाल दी।

शांति वार्त्ता किनसे, किसलिए और किनके लिए

भारत सरकार ने एक बार फिर शांति वार्त्ता की पहल करते हुए २८ नवंबर, २००० से आतंकवादियों के विरुद्ध एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की है। इस घोषणा के होते ही कुछ आतंकवादी संगठनों ने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दीं और इसे मानने से इनकार कर दिया। जबकि कुछ आतंकवादी नेता व संगठनों ने इसको एक अच्छा निर्णय बताते हुए कोई सार्थक परिणाम निकालने का सुझाव दिया है, तो कुछ ने पुनः पाकिस्तान की वकालत की है। पाकिस्तान ने भी भारतीय सीमा क्षेत्र में गोलीबारी में कमी करने की घोषणा की है। भारत सरकार को शांति वार्त्ता करने के लिए तीन बातों पर विचार करना चाहिए—

पहली बात, वार्त्ता किनसे—क्या केवल आतंकवादी व अलगाववादी

नेताओं से ही वार्त्ता की जानी चाहिए? जिन्होंने राज्य में ग्यारह वर्षों के हिंसात्मक आतंकवाद में लगभग पैंतीस हजार निर्दोष नागरिकों व सैनिकों की हत्या करके घाटी में रक्तपात फैला दिया। या फिर उन संगठनों और नेताओं को भी वार्त्ता में सम्मिलित किया जाए जोकि अलगाववादी नेताओं और विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और धरती-धर्म की रक्षा हेतु अपना बलिदान दे रहे हैं। यदि समाज आतंकवाद का प्रतिकार नहीं करता तो सन् १९९० में ही जम्मू कश्मीर अलगाववादियों के हाथों में चला गया होता। भारत सरकार को यह बात ध्यान में रखकर ऐसे नागरिकों को शांति वार्त्ता में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

दूसरी बात, वार्त्ता किसलिए—यह स्पष्ट है कि कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए वार्त्ता की जा रही है। परंतु जिनसे सरकार वार्त्ता कर रही है, वे तो आजादी की माँग कर कश्मीर को शेष भारत से अलग करना चाहते हैं। जबकि भारत के नागरिक कश्मीर को भारत का मुकुट मानते हैं। ऐसी वार्त्ताओं में कुछ समझौते करने होते हैं और समझौतों में कुछ लेना-देना होता है। वे लोग कश्मीर माँगते हैं और भारत का नागरिक कश्मीर देगा नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी वार्त्ताएँ कहाँ तक निर्णायक हो सकती हैं।

तीसरी बात, वार्त्ता किनके लिए—स्वाभाविक है कि राज्य के पीड़ित समाज को शांतिमय वातावरण प्रदान करने के लिए वार्त्ता की जा रही है। क्या समाज को यह विश्वास है कि अलगाववादियों से वार्त्ता द्वारा जो समाधान निकलेगा वह उन्हें शांति प्रदान कर सकेगा? क्योंकि आतंकवादियों से बातचीत देश की एकता, अखंडता एवं समाज की सुरक्षा, शांति व सम्मान के लिए ही तो है।

अत: शांति वार्त्ता के सफल होने की स्थिति यह हो सकती है कि सरकार अपनी शक्ति से आतंकवाद को इतना कुचल दे कि वह पुन: फन उठाने लायक न रहे। फिर सरकार वार्त्ता के द्वारा समस्या के समाधान का जो भी प्रस्ताव रखेगी, उसे शक्तिहीन अलगाववादी नेता सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। शांति वार्त्ता के द्वारा इस समस्या के समाधान का यही एकमात्र हल है। कहा भी गया है—'भय बिनु होय न प्रीति।'

□

पाकिस्तान का रवैया

पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रायोजित आतंकवाद जग जाहिर हो चुका है। भारत के साथ दो-दो प्रत्यक्ष युद्ध में मुँहकी खाने के बाद पाकिस्तान ने छद्‌म युद्ध की नीति को अख्तियार कर लिया है। भाड़े के विदेशी आतंकवादी और धर्म-संप्रदाय के नाम पर गुमराह किए गए युवकों के हाथों में बंदूक थमाकर नरसंहार करने के तांडव से भी जब पाकिस्तान का मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो उसने करगिल युद्ध को अंजाम दिया। वहाँ भी बुरी तरह पिटकर अब वह बदनाम हो चुका है।

पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के सूचना सलाहकार जावेद अख्तर ने १४ मई, २००० को बी.बी.सी. उर्दू को दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट तौर पर कहा कि मुजाहिदीन कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं और इस मामले पर पाकिस्तान के रवैये में कोई दुराव-छिपाव नहीं है। इसलिए भारत की तरह करगिल के मसले की जाँच कराने की कोई जरूरत नहीं है।

'दैनिक जागरण' की एक खबर के अनुसार मुशर्रफ के सैन्य शासनकाल में पाकिस्तान में बेरोजगारी आसमान छूने लगी है। बेरोजगारी के कारण वहाँ अब तक तीन सौ तिरासी युवक आत्महत्या कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मानवाधिकार शाखा द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में मुशर्रफ के सैन्य शासनकाल के पहले तीस दिनों में तिरासी लोगों ने और इस शासन काल के पहले छह महीनों के दौरान तीन सौ लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। आई.एस.आई. मजहब के नाम पर इन लोगों को गुमराह कर धड़ाधड़ आत्मघाती दस्तों में शामिल कर आतंकवाद फैलाने के लिए कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में लगी है। आई.एस.आई. के चंगुल में फँसे इन युवकों को पहले गुलाम कश्मीर में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों में हथियार चलाने और आतंकवाद फैलाने के तरीके सिखाए जाते हैं, फिर उन्हें कश्मीर में घुसपैठ कर

प्रवेश कराया जाता है।

भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक द्वारा २० मई, २००० को दिए गए बयान के अनुसार पाकिस्तान अब अपने अधिकार वाले पंजाब की ओर से घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि कश्मीर में सैनिकों के दबाव और धर-पकड़ तेज होने के कारण अब पाकिस्तान ने इस प्रकार की योजना अख्तियार की है।

पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट के बाद मुशर्रफ के नेतृत्व वाली सैन्य सरकार ने छाया युद्ध तेज कर दिया। इसकी विशेषता यह है कि अब भाड़े के विदेशी आतंकवादियों की भरती बड़े पैमाने पर होने लगी है। इस बीच घुसपैठ करते समय और मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकवादियों की पहचान विदेशी के रूप में होने से यह बात साफ जाहिर हो रही है।

पाकिस्तान का रवैया

१० अप्रैल, २००० को प्रकाशित एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने एक हजार पाँच सौ से दो हजार आतंकवादियों को उमरकोट सीमा क्षेत्र में एकत्र कर रखा है। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान के हैदराबाद स्थित शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा करीब दो सौ आतंकवादी हैदराबाद के प्रशिक्षण शिविरों से नबाकोट क्षेत्र के लिए कूच कर चुके हैं। हैदराबाद पाकिस्तान के उन तमाम शहरों में शामिल है, जहाँ खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद करीब आठ सौ आतंकवादियों को गुलाम कश्मीर से कराची भेज दिया गया है। इसके अलावा केटिबंदर के निकट मिठी में भी दो सौ आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भारत सरकार के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान के पेशावर में जाली भारतीय नोटों को छापकर भारत के विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। यह जानकारी १४ मार्च, २००० को गृह राज्यमंत्री आई.डी. स्वामी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

कर्तिहेना में संपन्न गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार ने ९ अप्रैल, २००० को कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की वकालत की।

प्रशिक्षित आत्मघाती आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने के

लिए पाकिस्तानी सेना ने १७, १८, १९ अगस्त, २००० को उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा और बारामूला जिले के सीमावर्ती गाँवों में अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें भारतीय सेना का एक कुली शहीद हो गया; जबकि आठ नागरिक घायल हो गए। उड़ी सेक्टर में १९ अगस्त, २००० को दोपहर में चोट्ंदा और चांग-देवार इलाके के गाँवों में पाकिस्तान की गोलीबारी से दो लोग घायल हो गए, जबकि १८ अगस्त को उड़ी, केटन, कारनाह एवं तीतवाल सेक्टरों में छह लोग घायल हुए।

अफगानी आतंकवादी शिविर में प्रशिक्षक रहे पूर्व आतंकवादी अबु हिजरत उर्फ मोहम्मद नवाज ने प्रेस को बताया कि कम-से-कम आठ सौ आतंकवादियों को गुलाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद स्थित उमल बस्ती और भागलपुर में आत्मघाती दस्ता का फिदाचीन बनाने के लिए तीन माह का खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकिस्तान के गुजराँवाला जिले के निवासी नवाज के अनुसार चार सौ आत्मघाती गुरिल्ला नियंत्रण-रेखा के उस पार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आत्मघाती दस्ते में शामिल होनेवाले कट्टर आतंकवादियों में अधिकांश अपराधी और हत्यारे हैं, जिन्हें निर्देश मिले हैं कि यदि वे जम्मू कश्मीर में हमले करेंगे तो उन्हें अपराधों से मुक्त कर दिया जाएगा। हिजरत ने कहा कि ऐसे ज्यादातर अपराधी आई.एस.आई. के दिशा-निर्देश पर काम कर रहे हैं।

१२ जुलाई, २००० को 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व गोवा के विभिन्न चर्चों में हुई बम विस्फोट की घटनाओं में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. का हाथ होने के ठोस सबूत गृह मंत्रालय को मिले हैं। पाकिस्तान से भारतीय खुफिया सूत्रों द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर कर्नाटक पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार चर्चों में हुई बम विस्फोट की घटनाएँ देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे कराने की आई.एस.आई. की साजिश का हिस्सा है। इन घटनाओं से आई.एस.आई. के तार जुड़े होने का खुलासा पाकिस्तान से किए गए एक फोन से हुआ है। भारतीय खुफिया सूत्रों ने वाडी के एक नंबर पर पाकिस्तान से फोन किए जाने की सूचना दी थी। इस नंबर पर की जा रही बातचीत को रिकॉर्ड किए जाने के बाद अधिकारियों को चौंका देनेवाले तथ्य हाथ लगे हैं। इस फोन पर ही वाडी स्थित रोमन कैथोलिक चर्च को बम विस्फोट से उड़ा देने के निर्देश दिए गए थे। इसी नंबर पर गोवा से भी एक फोन किया गया, जिसके आधार

पर खुफिया एजेंसियों को गोवा, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के चर्चों में एक के बाद एक विस्फोटों के तार ढूँढ़ने में सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बताया है कि विस्फोट की घटना में आई.एस.आई. का हाथ होने संबंधी पुख्ता प्रमाण मिले हैं। गिरजाघरों में बम विस्फोट की घटनाओं से चिंतित गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पहले ही आशंका जताई थी कि इन घटनाओं में भारत विरोधी तत्त्वों का हाथ हो सकता है।

इस आशंका को तब और बल मिला जब भारत में गिरिजाघरों में हुए विस्फोटों पर रोष जताते हुए लाहौर में एक संगठन की कुछ महिलाओं ने धरना-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े किए और इन घटनाओं में आई.एस.आई. की सक्रियता को लेकर जाँच शुरू की। ये सभी विस्फोट कम तीव्रता वाले 'इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' के जरिए किए गए। गृह मंत्रालय के अधिकारी मान रहे हैं कि गिरजाघरों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट हालाँकि बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इनका उद्‌देश्य हिंदू व ईसाइयों के बीच मतभेद पैदा करना था। ईसाई समुदाय के लोगों व गिरिजाघरों में हमलों की घटनाएँ इस वर्ष की शुरुआत से बढ़ी हैं। भारत सरकार यह मान रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद से जम्मू कश्मीर मसले पर विश्व का नजरिया बदला है और साथ ही पड़ोसी देश पर दबाव बढ़ा है।

आई.एस.आई. ने सैकड़ों की संख्या में अवैध ढंग से पाकिस्तान आए बँगलादेशियों में अनेक को प्रशिक्षण देकर कश्मीर भेजा है। इस साजिश से पाकिस्तान एक तीर से दो निशाना साध रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए पाकिस्तान अपने आई.एस.आई. एजेंटों और आतंकवादियों के द्वारा बड़ी संख्या में जाली नोट भेज रहे हैं। इसका भंडाफोड़ २३ मई, २००० को जाली नोटों के साथ दाऊद गिरोह के चार सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ हुआ। आई.एस.आई. ने दाऊद गिरोह के माध्यम से जाली नोट की जो बड़ी खेप भारत भेजी, उसमें से चार लाख दस हजार रुपए पुलिस ने बरामद कर लिये। ये सभी नोट पाँच-पाँच सौ के थे।

२८ जुलाई, २००० को मुंबई पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी में लिप्त पाँच लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक करोड़ बाईस लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए।

मुंबई के पुलिस आयुक्त एम.एम. सिंह ने एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि कराची के दाऊद इब्राहीम गिरोह से जुड़े पाँच लोगों को मुंबई पुलिस ने

गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि जाली नोट पाकिस्तान से दुबई होते हुए यहाँ लाए गए थे। पुलिस इस मामले की एक महीने से जाँच कर रही थी। उन्होंने बताया कि नोट वायु मार्ग से लाए जा रहे थे। ये नोट चीनी मिट्टी के खिलौना-कारों, अल्यूमिनियम के बक्सों और खिलौनों के बक्सों में छिपाकर लाए जा रहे थे। श्री सिंह ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी आफताब युसूफ बत्खी था, जो पहले दाऊद का कैशियर था। अब वह आई.एस.आई. के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि जाली नोटों के रूप में इतनी बड़ी रकम एक ही मामले में पकड़ी गई है। एक करोड़ पंद्रह लाख रुपए मूल्य के नोट पाँच-पाँच सौ के नोटों की शक्ल में थे और सात लाख रुपए के जाली नोट सौ-सौ के नोटों के थे। ये जाली नोट उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के हफ्ता विरोधी दस्ते के अधिकारियों ने पकड़े। उनका नेतृत्व क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुभाष अवते कर रहे थे। श्री सिंह ने बताया कि जो पाँच लोग पकड़े गए हैं वे शहर में जाली नोटों की तस्करी में मुख्य संचालक हैं।

गिरफ्तारियाँ उत्तर-पश्चिमी उपनगर जोगेश्वरी में मुंज प्लेनेट साइबर कैफे से हुईं जहाँ वह जाली नोट भारतीय बाजार में सर्कुलेट करने की रणनीति बना रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के नाम अख्तर हुसैन (२७), अब्दुल कादर बत्खी उर्फ केडी (३७), मोहम्मद असलम मेमन (३६), इस्माइल सैयद उर्फ कासम (३६) और जावेद खान (३८) बताए हैं। एक स्थानीय अदालत ने सभी आरोपियों को चार अगस्त तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। पुलिस ने बताया कि रकम यहाँ पर कुल रकम के तीस या चालीस फीसदी दाम में बेची गई।

इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान चुप नहीं बैठा है। उसने ऐसी परियोजनाएँ चलाई हैं जिससे रावी नदी के बहाव का रुख बदल जाएगा और इससे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए नया खतरा उत्पन्न होगा।

पाकिस्तानी सैनिक सीमा पार से गोलीबारी दो प्रमुख उद्देश्यों से करते हैं। एक तो वह किसी खास सीमा पर गोलीबारी कर भारतीय सैनिकों को उलझा देती है और किसी अन्य क्षेत्र से पाक-प्रशिक्षित आतंकवादियों का घुसपैठ कश्मीर में करा देता है। दूसरा, पाकिस्तान की यह रणनीति है कि वह अपनी सीमा से लगी आबादी को आतंकित कर उसे खाली करवाया जाए ताकि बाद में वहाँ मुजाहिदीनों को बसाया जा सके। सीमा-क्षेत्र को आबादी विहीन बनाने का कारण यह है कि इससे उसकी खुफिया गतिविधियों का भंडाफोड़ न हो और

वह अबाध गति से अपनी कार्रवाई करता रहे।

पाकिस्तानी गोलीबारी से सीमावर्ती नागरिकों की व्यथा

करगिल युद्ध के समय जम्मू से पचास कि.मी. दूर स्थित सीमावर्ती अखनूर सेक्टर के कई गाँवों के लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण अपने घरबार छोड़ने पड़े थे। छह महीने बीत जाने पर भी ये लोग अपने गाँवों में नहीं लौट पाए हैं। जम्मू एवं कारगिल के पैंसठ गाँवों के तीन हजार सात सौ ग्यारह परिवारों के इकतीस हजार छह सौ पचपन लोग अस्थायी शिविरों में विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं। इन विस्थापितों के लिए पर्याप्त स्थान व मूल सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। ये लोग कड़ाके की सर्दी में छोटे-छोटे तंबुओं में ठिठुरते हुए अपने दिन काट रहे हैं।

घर से बेघर हुए, कष्टमय जीवन बिताते इन परिवारों के लिए प्रत्येक रात कालरात्रि समान प्रतीत होती है। सीमा के इन प्रहरियों की तरफ राज्य सरकार भी उचित्त ध्यान नहीं देती है। शिविर में रह रहे विस्थापितों का कहना है, 'हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं ? हमें सीमा पर लगातार पाकिस्तान की गोलीबारी का सामना करना पड़ता है।' इन विस्थापितों को सरकारी सहायता के नाम पर मात्र दो सौ रुपए प्रतिमाह, दो किलो चावल एवं सात किलो आटा दिया जा रहा है। इस संबंध में एक विस्थापित श्रीमती शांति देवी, जो पाँच बच्चों की माँ है, का कहना है कि 'इतनी कम सहायता से मेरे बच्चों की भूख कैसे मिटेगी और किस प्रकार मेरे परिवार का पालन-पोषण होगा ?' यह कहते-कहते उनकी आँखें गीली हो गई थीं। गत नवंबर-दिसंबर माह में लगभग पच्चीस कन्याओं के विवाह संपन्न होने थे; परंतु उनके विवाह को स्थगित कर दिया गया। उनके परिवारों का कहना है कि 'यहाँ पर न तो स्थान है, न सुविधाएँ और न ही हमें इसके लिए सरकार कोई अतिरिक्त सहयोग दे रही है। ऐसी स्थिति में हम अपनी बेटियों के हाथ पीले कैसे करेंगे ?' ज़ब इन विस्थापितों ने आवाज उठाई तो केंद्र सरकार ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए जम्मू कश्मीर मामले के विशेष सचिव श्री टी.आर. कक्कड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल १६ दिसंबर, १९९९ को दिल्ली से जम्मू भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने विस्थापित शिविरों का दौरा किया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन विस्थापितों को छह माह का अग्रिम राशन तुरंत दें। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक करोड़ तीस लाख रुपयों की सहायता राशि भी आवंटित की है।

परंतु राज्य की डॉ. फारूख अब्दुल्ला की सरकार ने सरकारी सहायता के नाम पर विस्थापितों को ठेंगा दिखा दिया। विस्थापितों को सहायता के नाम पर मात्र दो सौ रुपए प्रतिमाह और नौ किलो राशन देकर ही राज्य सरकार अपने कर्तव्य की इतिश्री समझती है। प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन छह रुपए पच्चीस पैसे के हिसाब से सहायता राशि मिल रही है, जिससे इनकी चाय का खर्च भी नहीं निकलता। ये लोग वापस जाना चाहते हैं, परंतु बार-बार विस्थापित नहीं होना चाहते।

वास्तव में देखा जाए तो सीमा पर रहनेवाले ये नागरिक और उनके गाँव ही तो हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। अगर ये वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर वह क्षेत्र वीरान हो जाएगा। इसलिए सरकार को पाकिस्तानी गोलीबारी से इन सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा के विशेष उपाय करने ही चाहिए।

पिछले छह महीने में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी का कुछ प्रमुख विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके आलोक में पाकिस्तान की मंशा स्पष्ट हो सकेगी—

११ मार्च, २००० : कश्मीर के उड़ी सेक्टर में देर रात सीमा पार से बिना वजह नागरिक और सैनिक चौकियों को लक्ष्य कर गोलाबारी की गई, जिससे सेना के एक कैप्टन की मृत्यु हो गई। आर.एस. पुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई।

२७ मई, २००० : पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जनपद के केरन और करनाह सेक्टरों में नियंत्रण-रेखा पर गोलाबारी की।

२८ मई, २००० : पाकिस्तानी सेना ने केरन सेक्टर में रिहायशी क्षेत्रों और सुरक्षा बलों के ठिकानों पर गोलाबारी की, जिसमें सेना के दो जवान घायल हो गए।

४ अप्रैल, २००० : जम्मू कश्मीर के केरन और करनाह सेक्टर में पाकिस्तान ने बगैर किसी उकसावे के सीमा पार से गोलाबारी की, जिसमें नियंत्रण-रेखा के निकट अमरोही गाँव में निसार अहमद नामक एक व्यक्ति घायल हो गया और सदपोल गाँव में दो मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

१७ मई, २००० : पाकिस्तानी सेना ने करनाह सेक्टर में सीमा पार से गोलाबारी की और मोर्टार से हमला किया, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया।

११ अगस्त, २००० : पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में अकारण भारतीय सेना पर गोलाबारी की, जिसका मुँहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया।

☐

कश्मीर समस्या पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन

हाल के वर्षों में विश्व-समुदाय कश्मीर समस्या पर जिस मुखरता और प्रखरता के साथ हमारे साथ खड़ा है, वह हमारी विजय का परिचायक है। पाकिस्तान की कूटनीति और कुत्सित मानसिकता का परदाफाश कर भारत ने विश्व-पटल पर इसे उजागर किया। करगिल युद्ध ने पाकिस्तान के खतरनाक इरादे और छद्म युद्ध की नीति को बेनकाब कर दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की निंदा की जाने लगी। हम युद्ध जीतकर भी हार जाते थे; किंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की रणनीति के कारण पाकिस्तान का सही चेहरा सामने आया। करगिल विजय के साथ-साथ हमारी विदेश नीति के कारण अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर भी सत्य के दर्शन हुए और हमारी सफलता का सूरज आ दमका। पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों के अमानुषिक और बीभत्स नरसंहार को देखकर विश्व ने पाकिस्तान पर थू-थू किया।

अमेरिका ने भारत के महत्त्व को समझा है। न सिर्फ एशिया अपितु विश्व में अपनी अहमियत बनाने के कारण ही अमेरिका ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका के साथ संयुक्त कार्यदल बनाने के प्रस्ताव से यह साफ परिलक्षित होता है। २७ मई, २००० को इसलामाबाद में दिए गए एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थॉमस पिकरिंग ने कहा कि भारत-पाक के बीच वार्त्ता के लिए कश्मीर में हिंसा कम करना जरूरी है।

दक्षिण एशिया की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसलामाबाद की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान मुशर्रफ को न केवल कश्मीर में नियंत्रण-रेखा का सम्मान करने और भारत के साथ सैन्य तनाव बढ़ाने से बाज आने की चेतावनी दी, बल्कि अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाक को दी गई स्टिंगर मिसाइलों को वापस करने के लिए भी कहा। ज्ञातव्य है कि दुनिया में अपनी तरह

की अचूक मारक क्षमतावाली ये मिसाइलें पाक को इस शर्त पर दी गई थीं कि वह उपयोग के बाद उन्हें मुजाहिदीनों से वापस लेकर उसे लौटा देगा; लेकिन सन् १९९७ में इसके बारे में हुए करार के बाद भी पाकिस्तान ने अमेरिका को आठ सौ में से मात्र दो सौ मिसाइलें ही लौटाईं। बाकी छह सौ मिसाइलों के बारे में उसे बताया गया कि शेष मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। हालाँकि पाक के इस झूठ पर अमेरिका ने यकीन नहीं किया था, लेकिन बहुत दिनों के बाद अमेरिका की आँखें करगिल संघर्ष के दौरान तब खुली जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना के मिग विमानों और गनशिप से लैस हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान मैदान छोड़कर भाग रही पाकिस्तानी सेना के कब्जे से इस तरह की तीन मिसाइलें पकड़ी थीं, जिसपर अमेरिकी मुहर लगी हुई थी।

सन् १९९९ में फ्रांस ने कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण-रेखा के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी, और इसके लिए प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। अभी हाल में १४ अप्रैल, २००० को भी फ्रांस के विदेश मंत्री हूबर्ट वेडरिन ने एक साक्षात्कार में भारत के सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद की मौजूदगी को लेकर भारतीय पक्ष की चिंता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता को हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने १० अप्रैल, २००० को जनरल परवेज मुशर्रफ की पेरिस यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। श्री वेडरिन ने कहा कि फ्रांस स्वयं आतंकवाद से प्रभावित रहा है और वह आतंकवादी गतिविधियों का हर मोरचे पर विरोध करेगा। ग्रुप-७७ के देशों के हवाना सम्मेलन की चर्चा करते हुए फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने सम्मेलन के दौरान आतंकवाद को लेकर भारत द्वारा सभी देशों के बीच आम सहमति की भूमिका तैयार करने के लिए सराहना की और कहा कि भारत के आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव पर सभी देशों के सम्मेलन के लिए फ्रांस स्वयं इच्छुक है। श्री वेडरिन ने कहा कि कश्मीर समस्या को सन् १९७२ के शिमला समझौते के माध्यम से हल किया जा सकता है।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (एफ.बी.आई.) के निदेशक लुइस जे. फ्रीह ने अपने तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान ५ अप्रैल, २००० को आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ सक्रिय सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस विमान के पिछले वर्ष हुए अपहरण की जाँच और अपहर्ताओं की गिरफ्तारी में सी.बी.आई. की मदद करने की पेशकश भी की। श्री फ्रीह का भारत दौरे का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में आतंकवाद के

खिलाफ प्रभावी अभियान छेड़ने के लिए दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में एफ. बी.आई. का शाखा कार्यालय खोलने की पहल से संबंधित था।

रूस के उप-प्रधानमंत्री इल्या क्लेबानोव ने १ जून, २००० को दिए गए एक बयान में स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत और रूस के बीच वास्तविक अर्थों में सामरिक साझेदारी है। भारत अत्यंत गंभीर और विश्वसनीय साझेदार है। इसी वजह से मौजूदा समय में रूस पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का सैनिक संबंध नहीं रखेगा।

मार्च २००० में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा के दौरान कश्मीर के नए भविष्य को लेकर कोई ठोस बयान नहीं देने से अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुर्रियत को उम्मीद थी कि कश्मीर मुद्दे पर श्री क्लिंटन भारत और पाकिस्तान को बातचीत के लिए राजी करेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्लिंटन की भारत यात्रा से इसलिए भी भारी उम्मीदें थीं क्योंकि गुलाम नबीफाई के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता राष्ट्रपति की भारत यात्रा के पहले उनसे मिल चुके थे। कॉन्फ्रेंस के नेता फाई ने मुलाकात के दौरान क्लिंटन से आग्रह किया था कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका को एक नेता की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके दिल्ली प्रवास के दौरान कश्मीरी नेताओं से भी मिलने का सुझाव दिया था।

'न्यूयॉर्क टाइम्स' अखबार के अनुसार शीत युद्ध तथा अफगानिस्तान से पूर्व सोवियत संघ की सेना को खदेड़ने के प्रयास के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नजदीकी तथा मजबूत खुफिया संबंध स्थापित हुआ था। इस वजह से पाकिस्तान के कुछ सैनिक नेता उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के साथ भविष्य में किसी युद्ध में अमेरिका स्वत: पाकिस्तान के समर्थन में आगे आएगा। लेकिन अखबार ने 'शांति स्थापना के खतरे' शीर्षक के साथ प्रकाशित अपनी एक संपादकीय में कहा कि क्लिंटन की यात्रा से पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत मिला है कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति में उसे अमेरिकी समर्थन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 'वाशिंगटन पोस्ट' अखबार ने भी इस सिलसिले में 'न्यूयॉर्क टाइम्स' जैसे विचार व्यक्त किए हैं। 'वाशिंगटन पोस्ट' ने इसलामाबाद डेटलाइन से लिखी एक खबर में कहा है कि २५ मार्च, २००० को क्लिंटन ने इसलामाबाद की पाँच घंटों की यात्रा के दौरान पाकिस्तान की सैनिक सरकार को कड़ी चेतावनी दी। इस चेतावनी के फलस्वरूप पाकिस्तान की सैनिक सरकार को एक संतुलित, लेकिन नई वास्तविकताओं और सच्चाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल की यात्रा से

लौटने के बाद गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने २७ जून, २००० को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फ्रांस के साथ ही ब्रिटेन ने भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने और एक-दूसरे के साथ सहयोग के भारत के सुझाव का स्वागत किया है। ब्रिटेन के गृहमंत्री जैक स्ट्रा और विदेशमंत्री रॉबिन कुक का मानना था कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व जनमत बनाना अत्यावश्यक है। संयुक्त कार्यदल गठित किए जाने जैसी व्यवस्था से एक सही संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों देश कार्यदल गठित करने पर सहमत हैं। कार्यदल आपस में खुफिया जानकारी, अनुभव, आकलन और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करेंगे।

२१ मार्च, २००० को अनंतनाग जिले के चाटी सिंहपोरा गाँव में आतंकवादियों के द्वारा सैंतीस सिखों की निर्मम हत्या की सभी प्रमुख देशों ने निंदा की। विश्व समुदाय ने एक स्वर से इस नृशंस आतंकवादी घटना की भर्त्सना की। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसकी कटु आलोचना की। इमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि यह नरसंहार संभवत: कश्मीर की संवेदनशील स्थिति की ओर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का ध्यान खींचने के इरादे से किया गया है।

१० अगस्त, २००० को श्रीनगर में शक्तिशाली कार बम विस्फोट में चौदह लोगों की हत्या की अमेरिका ने निंदा की और इसकी जिम्मेदारी लेनेवाले हिजबुल मुजाहिदीन को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतों से कश्मीर विवाद का हल नहीं निकलेगा। ब्रिटेन ने भी बम विस्फोट की घटना की निंदा की और हिजबुल के हिंसा रोकने की घटना वापस लेने पर असंतोष व्यक्त किया।

अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद फ्रैंक पालोन ने क्लिंटन प्रशासन से ४ मई, २००० को अपील की कि भारत के विरुद्ध सीमा पार से फैल रहे आतंकवाद को देखते हुए वह पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे।

अमेरिका की विदेश नीति से संबद्ध करीब बाईस विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से पाकिस्तान यात्रा (मार्च के अंतिम सप्ताह में) के दौरान सैनिक प्रशासक जनरल परवेज मुशर्रफ को स्पष्ट तौर पर बता देने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को अपना समर्थन देना जारी रखा तो अमेरिका के सामने उसे 'आतंकवादी देश' करार देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। मौजूदा अमेरिकी कानूनों के तहत किसी देश को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसके खिलाफ आर्थिक और दूसरे प्रतिबंध लागू हो जाते हैं।

यूरोपीय आयोग के आयुक्त पॉल नेल्सन ने मार्च २००० में पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ रोकने को कहा गया। यह पहला मौका था जब यूरोपीय संघ की कार्यकारी इकाई यूरोपीय आयोग ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट शब्दों में खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का हाथ रहा है।

नेल्सन ने यूरोपीय संसद् में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ रोकने का आह्वान किया था। नेल्सन ने यूरोपीय संसद् के सदस्यों से यह अनुरोध भी किया था कि वे ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं करें जो भारत के लिए कठोर साबित हो। नेल्सन के अनुसार यूरोपीय आयोग का मानना है कि मौजूदा समय के हालात पर गौर करते हुए कश्मीर मुद्दे पर कोई राय कायम करनी चाहिए। यह यूरोपीय आयोग और भारत के बीच आगामी शिखर वार्त्ता को देखते हुए भी महत्त्वपूर्ण था। नेल्सन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत और पाकिस्तान से सिर्फ तनाव कम करने तथा लाहौर शांति प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के मद्देनजर द्विपक्षीय वार्त्ता आरंभ करने का अनुरोध ही कर सकते हैं। नेल्सन के अनुसार भारत को जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप आंतरिक राजनीतिक हल की तलाश करने और इस हल की पूर्ण क्षमताओं का फायदा उठाने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। भारत को अपने संविधान के तहत जम्मू कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने की संभावना पर भी विचार करना चाहिए।

गौरतलब है कि भारत की जबरदस्त लॉबिंग और यूरोपीय आयोग के व्यावहारिक रवैये की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की दक्षिण एशिया यात्रा के मौके पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच एक बड़ा कूटनीतिक टकराव रोकने में मदद मिली।

दरअसल यूरोपीय संसद् में राजनीतिक पार्टियों के चार प्रमुख समूहों ने संसद् में कश्मीर की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया था। इस प्रस्ताव में क्लिंटन से लंबे समय से जारी कश्मीर के हल में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मंजूर करने के लिए भारत सरकार को राजी करने का अनुरोध किया गया था। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता तो पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत होती।

७ जून, २००० को क्लिंटन प्रशासन ने उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर गुप्त मध्यस्थता शुरू कर दी है। विदेश

विभाग के कार्यवाहक प्रवक्ता फिलिप रीकर ने कहा कि मैंने यह रिपोर्ट देखी है और यह गलत है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है।

अमेरिकी विदेश विभाग में आतंकवादी विरोधी मामलों के समन्वयक माइकल ए शीहान ने कहा कि कश्मीर में सक्रिय अनेक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति के सामने अपनी गवाही में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कई बार कहता भी रहा है कि वह कश्मीर के उग्रवादी गुटों को नैतिक और राजनयिक समर्थन दे रहा है जो आतंकवाद और हिंसा में लिप्त है। श्री शीहान ने कहा कि अमेरिका को इस आशय की रिपोर्ट लगातार मिलती रही है कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन हरकत-उल-अंसार समेत कुछ गुटों को सहसामग्री सहायता दे रहा है।

लिस्बन में २८ जून, २००० को संपन्न हुए भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कूटनीतिक सफलता के कारण यूरोपीय संघ ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का जोरदार समर्थन किया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास और तेज करने पर सहमति जताई। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष रोमनो प्रोदी ने कहा क़ि वह आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर ठोस पहल करने के भारत के प्रयासों से सहमत हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष प्रोदी ने संवाददाता सम्मेलन में जारी संयुक्त बयान में कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत द्वारा चलाए जा रहे शांति प्रयासों से यूरोपीय संघ पूरी तरह सहमत है। प्रोदी का मानना है कि भारत कश्मीर मामले में काफी हद तक समर्थन जुटाने में सफल रहा है और वह उसके शांति प्रयासों से संतुष्ट है।

बैंकाक में संपन्न आसियान क्षेत्रीय फोरम के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में २७ जुलाई, २००० को भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि नशीली दवाओं के कारोबार को आतंकवाद से अलग कर नहीं देखा जा सकता है। इस कारोबार को रोकने के लिए आतंकवाद पर नियंत्रण आवश्यक है। कनाडा और फ्रांस ने भारत की इस बात का समर्थन किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ए.बी.सी. टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की पाकिस्तान की माँग पर असहमति जताई। क्लिंटन से पूछा गया था कि क्या वे संयुक्त राष्ट्र के सन् १९४८ के प्रस्ताव के अनुरूप कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की पाकिस्तान की माँग के पक्ष में हैं?

श्री क्लिंटन ने कहा कि सन् १९४८ से अब तक बहुत से बदलाव हुए हैं, जिसमें सन् १९७१ का घटनाक्रम और कई अन्य पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी ऐसी प्रक्रिया का अवश्य समर्थन करेंगे, जिससे कश्मीरियों की वाजिब शिकायतें दूर की जा सकें। श्री क्लिंटन ने कहा, भारतीयों को अपने ही कश्मीरियों के साथ इस संदर्भ में बात करने का कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें यह स्वीकारोक्ति निहित हो कि इस समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार के भीतर ही कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो कश्मीर में हिंसा फैलाने में लिप्त लोगों का समर्थन करते हैं। मैं नहीं मानता कि कश्मीर समस्या के समाधान का यह सही तरीका है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जारी हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को काफी हद तक सीमा पार से बढ़ावा दिया जा रहा है और नियंत्रण-रेखा का ईमानदारी से सम्मान नहीं हो रहा है।

३ मई, २००० को दो दिवसीय दौरे पर आए उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति इसलान करीमोव ने भारत और मध्य एशिया के लिए खतरा बन चुके अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी के खिलाफ कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक साझी योजना से ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को कुचला जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि उग्रवाद से शीघ्र निपटा नहीं गया तो अंतरराष्ट्रीय शांति को गंभीर नुकसान हो सकता है।

१५ जून, २००० को इजराइल प्रवास के दौरान गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आतंकवाद से निपटने की तकनीक का अध्ययन किया। लेबनान से लगी सीमा पर इजराइल द्वारा अपनाई जा रही यह तकनीक भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में काफी कारगर सिद्ध होगी। इजराइल ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्यदल गठित करने पर भी सहमति जताई।

□

आतंकवाद का समाज पर प्रभाव

आतंकवाद के कारण कश्मीर का हिंदू समाज पूरी तरह तहस-नहस हो गया। प्रशासन पंगु हो गया। घाटी के अल्पसंख्यक हिंदू समाज का जनजीवन पूरी तरह असुरक्षित हो गया। मुसलिम समाज के कुछ लोग तो मजहबी आधार पर आतंकवादियों का समर्थन करने लगे और कुछ लोग भय और आतंक के कारण आतंकवादियों का साथ देने को विवश हुए। कुल मिलाकर यह चित्र उपस्थित हुआ कि अधिकांश मुसलमान आतंकवादियों का साथ देने लगे। सेना और अर्द्धसैनिक बलों के जवान आतंकवादियों को खोजने के लिए सामान्यत: मुसलिम घरों की ही तलाशी लेने लगे। तब आतंकवादी हिंदुओं के घरों में ही आकर बंदूक की नोक पर शरण लेने लगे और अपने को पुलिस-प्रशासन की नजर से सुरक्षित समझने लगे। आतंकवादी जब चाहे देर-सवेर हिंदुओं के घर आते और खाना, चाय, मांस-मदिरा आदि लाने का आदेश देते। घर के सदस्य भी अपनी जान बचाने के लिए उनके कहे अनुसार कार्य करते और परिवार की महिलाएँ बलात्कार की शिकार होतीं। अंतत: आतंकवादी सब को मौत के घाट उतारकर फरार हो जाते।

शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव

शिक्षा क्षेत्र को आतंकवाद ने काफी प्रभावित किया है। अनेक विद्यालयों में बम विस्फोट किए गए। विद्यालय के भवनों को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप अनेक विद्यालय बंद हो गए। इससे वीरान बने अनेक विद्यालय आतंकवादियों के अड्डे बन गए। विद्यार्थी शिक्षा में पिछड़ गए। अध्यापक भी आतंकवादियों के भय के कारण दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यालय में नहीं जा पाते। विद्यालय कागजों पर ही चलने लगे। संपन्न परिवार के विद्यार्थी जम्मू में आकर पढ़ने लगे और गरीब विद्यार्थी अपने भाग्य पर रोते रहे। कई मुसलमान विद्यार्थी

आतंकवादियों की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। आतंकवादी यही चाहते भी थे।

सरकारी तंत्र विफल हो गया

कई सरकारी भवनों को आतंकवादियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में जाने से घबराने लगे और प्रशासन का पूरा तंत्र ही अस्त-व्यस्त हो गया। कई कर्मचारियों के साथ तो उनके कार्यालयों में ही मारपीट की जाने लगी। नगरों में संध्या ४-५ बजे से ही कर्फ्यू जैसी स्थिति होने लगी। दुकानदार दुकानें शीघ्र ही बंद करने लगे। रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता था, चाहे वह पुलिस हो या आम नागरिक। गाँवों के साथ-साथ नगरों में भी रात के समय आतंकवादियों के दल अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक गली से दूसरी गली, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में अपने समर्थकों एवं साथियों के साथ मिलने के लिए जाने लगे। आम समाज यह दृश्य अपनी खिड़कियों से चुपचाप देखकर सहम जाता और भयग्रस्त होने लगा।

व्यापार, व्यवसाय पर प्रभाव

आतंकवाद से पूर्व डोडा, किश्तवाड़, ठाठरी, भद्रवाह, रामबन, बनिहाल, बटोट में व्यापार-व्यवसाय प्रगति पर था; किंतु आतंकवाद के कारण बाजारों का विस्तार थम गया। कई व्यवसाय धीमे हो गए और कई ठप हो गए। जम्मू से बड़े व्यापारियों का लेन-देन कम हो गया। छोटे बाजारों के व्यापारी जम्मू से माल उधार मँगवाते थे, परंतु बढ़ते आतंकवाद को देखकर एवं बाजार की गिरती स्थिति के कारण बड़े व्यापारियों ने माल उधार भेजना बंद कर दिया। नकद ही वे अपना लेन-देन करने लगे। इससे यहाँ के व्यापारियों को दुतरफा हानि होने लगी। पहला यह कि स्थानीय आय कम हो गई, दूसरा उधार माल न मिलने के कारण व्यापार लगभग ठप हो गया। कई दुकानें तो आतंकवादियों के द्वारा जला दी गईं या लूट ली गईं। कई धनवान् व्यापारियों से तो आतंकवादी महीना भत्ता लेने लगे।

भाईचारे पर प्रभाव

कश्मीर में हिंदू-मुसलिम समाज में आपसी भाईचारा था। इस आतंकवाद ने दोनों के बीच घृणा की दीवार खड़ी कर दी। समाज आपस में बँट गया। ऊपरी मन से तो ये दुआ सलाम, राम-राम, नमस्कार एक-दूसरे से करते थे, परंतु अंदर-ही-अंदर एक-दूसरे से जलने लगे। कई लोग तो पीठ के पीछे बहुत ही अशोभनीय

वाक्य कह डालते। यह घृणा की दीवार बढ़ती गई। फिर कुछ समय बाद एक-दूसरे के मोहल्लों में जाने से भी भय लगने लगा। आपस में एक-दूसरे के घर आना-जाना भी कम हो गया। यहाँ तक कि विवाह आदि उत्सवों में आतंकवादियों के द्वारा हत्याएँ किए जाने के कारण इन विशेष अवसरों में भी आना-जाना बहुत कम हो गया। इससे आपसी विश्वास समाप्त हो गया। हिंदू-मुसलमानों के बीच दंगे होने लगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियाँ अवरुद्ध हो गईं।

निर्माण कार्यों पर प्रभाव

भय और आतंक का वातावरण बनने के कारण कई लोगों ने अपने भवनों के निर्माण कार्य स्थगित कर दिए। कुछ लोगों ने तो अपने अधूरे मकानों को भी छोड़ दिया। देशभक्त एवं देशद्रोही की पहचान करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो दिन में एक सभ्य नागरिक बनकर घूमता-फिरता था, वही रात में आतंकवादी के रूप में हत्या, बलात्कार और आगजनी की घटनाओं में सम्मिलित रहता था। यह तब पता चलता था जब किसी आतंकवादी के मारे जाने पर उसकी पहचान होती थी।

विकास कार्यों पर प्रभाव

कश्मीर के विकासात्मक सरकारी कार्य ठप हो गए। ठेकेदारों को धमकी भरे पत्र आने लगे। ठेकेदारों ने कार्य करना बंद कर दिया। सड़कों और भवनों के कार्य अधूरे रह गए। सबसे बड़ा विकास कार्य उस समय रुका जब किश्तवाड़ में बन रहे दुल हस्ती जल विद्युत् परियोजना का कार्य आतंकवादियों के दबाव एवं धमकियों के कारण रोक दिया गया। सन् १९८२ में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। सन् १९८९ में इस परियोजना का कार्य फ्रांस की एक कंपनी ने आरंभ किया, जिसे समझौते के अनुसार सत्तावन महीनों में यानी चार वर्ष नौ माह में पूरा करना था, परंतु आतंकवादियों के द्वारा १० अक्तूबर, १९९१ को एक फ्रेंच अभियंता के अपहरण कर लिये जाने के कारण कंपनी ने सन् १९९२ में कार्य बंद कर दिया। सन् १९९७ के अंत से जयप्रकाश कंपनी ने कार्य को पुनः प्रारंभ किया है।

महिला-पुरुष अनुपात बिगड़ा

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण अब तक मरनेवालों की संख्या तीस हजार से अधिक है; हालाँकि सरकार का दावा है कि करीब पच्चीस हजार व्यक्ति

मारे जा चुके हैं। मरनेवालों में ज्यादा संख्या युवकों की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार घाटी में पिछले दस वर्षों के आतंकवाद के कारण करीब पंद्रह हजार बच्चे अनाथ हो गए हैं तथा आठ हजार महिलाएँ विधवा हुई हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आगामी वर्षों में जम्मू कश्मीर में महिला-पुरुष अनुपात में गंभीर असंतुलन पैदा हो जाएगा। दस वर्षों में घाटी में कब्रिस्तान के क्षेत्र में सत्तर फीसदी वृद्धि हुई है।

पिछले बारह वर्षों से कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के कारण जहाँ हजारों निर्दोष लोगों की मौत हुई, वहीं सैकड़ों आतंकवादी भी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। प्रदेश में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो आतंकवाद के कारण प्रभावित नहीं हुआ हो। अधिकांश हिंदू परिवार आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए हैं, तो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल मुसलिम परिवारों के युवक सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इस प्रकार हिंदू और मुसलिम दोनों समुदायों को आतंकवाद के दुष्परिणाम को भोगना पड़ रहा है। एक आतंकवादी की औसत आयु एक वर्ष मानी जाती है। हिंदुओं के साथ-साथ अनेक मुसलिम परिवार भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद की पीड़ा झेलने के लिए विवश हैं। शादी-विवाह और रिश्ता तय करते समय अब यह पूछा जाता है कि लड़का आतंकवादी तो नहीं है?

अभी हाल में पत्रकार अवधेश चौहान (नगरोटा, जम्मू) की एक रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी अब जम्मू कश्मीर में अमन-चैन पसंद करनेवाले भोले-भाले मुसलिम युवकों को बहला-फुसलाकर और कुछ घटनाओं में अपहरण कर आतंकवादी प्रशिक्षण देते हैं। योजनाबद्ध तरीके से युवकों को अपने चंगुल में फँसाकर उन्हें आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जाता है। भद्रवाह तहसील के अंतर्गत छात्रु के निवासी जावेद इकबाल, डोडा जिले का निवासी नदीम, रोफ अहमद इत्यादि युवकों को सेना द्वारा आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के बाद इन लोगों ने अपनी आपबीती में बताया कि उन लोगों के बूढ़े माता-पिता द्वारा लाख विनती के बावजूद आतंकवादी जबरदस्ती उन लोगों को घर से उठाकर ले गए।

उत्सवों पर प्रभाव

राष्ट्रीय पर्व तो धमाकों, फायरिंग, सुरक्षा बलों एवं निर्दोष लोगों की हत्याओं से मनाए जाने लगे। आतंकवादियों के द्वारा १५ अगस्त एवं २६ जनवरी के राष्ट्रीय उत्सवों में कर्फ्यू लगाया जाने लगा। जिसके कारण सड़कें, गलियाँ सुनसान रहने लगीं। राष्ट्रीय गीत एवं भारतमाता का जयघोष विद्यालयों और राष्ट्रीय पर्वों से लुप्त

हो गया। दीपावली, होली आदि त्योहार आने पर समाज खुशियाँ मनाने के स्थान पर चिंताग्रस्त हो जाता है।

सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रभाव

सांस्कृतिक कार्यों पर आतंकवाद का प्रभाव छाया रहा। कवि सम्मेलनों, मुशायरों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता था; परंतु आतंकवाद के कारण सांस्कृतिक जीवन नीरस हो गया। समाज का ध्यान संगीत, साहित्य से हट गया। सांस्कृतिक मंचों को धमकी आने के कारण नाटक, रामलीलाओं के आयोजन बंद हो गए।

विस्थापन के लिए मजबूर

हिंदू समाज आतंकवादियों के उत्पीड़न से परेशान होकर पलायन करने पर विवश होने लगा। पहले दूरदराज के गाँव के लोगों ने तहसील केंद्रों में पलायन करना प्रारंभ किया। माह में दो-तीन बार प्रत्येक तहसील, जिला केंद्र में आतंकवाद से पीड़ित परिवार अपना घरबार, संपत्ति, माल-मवेशियों आदि को छोड़कर प्राण रक्षा के लिए विस्थापित होने लगे। जिले के गाँव-गाँव में आतंकवाद की काली भयानक छाया पड़ने के कारण अंधकार छाने लगा। अपने परिवार की जवान बहू-बेटियों के साथ चिंताग्रस्त परिवार को ऐसे भयानक वातावरण में प्रत्येक रात एक युग के समान बितानी पड़ती थी।

हिंदुओं का पलायन

२० मई, १९९४ को दूर-सुदूर भलेस के काल जुगासर गाँव को आतंकवादियों ने चारों तरफ से घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। बम वर्षा से दो गाँव जलकर नष्ट हो गए। फलस्वरूप हिंदू समाज अपना घर एवं संपत्ति छोड़कर बड़ी संख्या में विस्थापित होकर सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश में चला गया। यह विस्थापन लंबे समय तक हजारों की संख्या में लगातार होता रहा।

२१ जनवरी, १९९६ को भद्रवाह में आतंकवादियों ने एक बैठक करके हिंदू समाज के लिए एक धमकी भरा पत्र मसजिद की दीवार पर चिपका दिया, जिसमें लिखा था—'हिंदुओ, तुम सेना की मदद करते हो, तुमने हमारे कई साथियों (आतंकवादियों) को सेना के द्वारा मरवा दिया। हम इसका बदला सभी हिंदुओं से लेंगे। नहीं तो तुम २६ जनवरी तक यहाँ से भाग जाओ।' अपनी धमकी को सिद्ध

करने के लिए आतंकवादियों ने ढोसा पानी गाँव में रहनेवाले सभी हिंदू घरों को लूटकर उन्हें विस्थापित कर दिया। आतंकवादियों ने अपने अड्डे धरैजा गाँव से मुसलिम समाज को साथ लेकर २४ जनवरी, १९९६ को रात्रि १.०० बजे मशाल जुलूस के रूप में भारत विरोधी नारे लगाते हुए हिंदुओं के घरों को जलाने के लिए निकले। शहर में पथराव किया गया। अटालगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकी पर भी हमला किया गया। यह घटना रात्रि में कर्फ्यू के समय की गई। सेना ने तुरंत समय पर पहुँचकर इस बड़ी दुर्घटना को रोका और हिंदुओं को बचा लिया।

१२ मार्च, २००० को घाटी में बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए चार कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू की ओर पलायन कर गए। एक माह में पलायन की यह दूसरी घटना थी। यह पलायन अनंतनाग जिले के अकूरा गाँव से हुआ जहाँ से कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन करने के बावजूद कश्मीरी पंडितों के सात परिवार अभी भी वहाँ रह रहे थे।

प्राणकोट के सामूहिक नरसंहार के बाद विस्थापन

इस हत्याकांड में आतंकवादियों ने पाशविक ढंग से हिंदुओं का कत्लेआम किया। महिलाओं और मासूम बच्चों को भी आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा। रियासी में मौहर तहसील के मचलगला के प्राणकोट-धक्की कोट गाँव में १९ अप्रैल, १९९८ की रात में लगभग सभी घरों में आतंकवादी सेना की वरदी पहनकर घुस आए। गला रेतकर हत्याएँ की जाने लगीं। प्रारंभ में उनतीस शव प्राप्त हुए, जिसमें बारह बच्चे एवं महिलाएँ भी शामिल थीं। तीन-चार दिनों तक लगातार झाड़ियों और जंगलों में शव मिलते रहे, जिससे मरनेवालों की संख्या बढ़कर पैंतालीस तक पहुँच गई। यहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू समाज पूर्ण रूप से विस्थापित हो गया। मकान-के-मकान खाली हो गए। देश के गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने स्वयं इस घटनास्थल का दौरा किया और विस्थापितों से मिले। राज्य सरकार को इन्हें पूरी सहायता देने का आदेश भी दिया, परंतु राज्य सरकार ने लापरवाही दिखाई जिसके कारण ये लोग रियासी कटड़ा में बेघर होकर विस्थापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। इन विस्थापितों की सहायता के लिए सामाजिक संगठन आगे आए और १७-१९ मई, १९९८ को जम्मू कश्मीर सहायता समिति, माता वैष्णो देवी कल्याण संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से मिलकर इन पीड़ित परिवारों को पचासी बोरी चावल, बारह बोरी आटा, तीन बोरी दाल, चालीस किलो तेल, एक सौ सोलह किलो दूध, चार सौ जोड़ी जूते-चप्पल, चार

हजार मीटर कपड़ा, पाँच सौ टिकिया नहाने के साबुन, पंद्रह सौ टिकिया कपड़े धोने के साबुन, दो सौ कंबल, दस हजार की नकद राशि और चिकित्सा सुविधाएँ, दवाइयाँ इत्यादि देकर सहायता की।

भलेस में आतंकवादियों ने हिंदू समाज के सात सौ परिवारों के दस हजार लोगों पर अपना कहर ढाया और उन्हें अपना घरबार सबकुछ छोड़ने पर विवश कर दिया। ये परिवार विस्थापित होकर भलेस से लगे हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में चले गए। विस्थापन की इस घटना ने केंद्र सरकार को हिला दिया। विस्थापितों को वापस लाने के लिए श्री गुलाम नबी आजाद स्थानीय नेताओं के साथ चंबा पहुँचे, विस्थापितों से मिले और यह प्रचार किया गया कि विस्थापित परिवार तो वापस घर जाना चाहते हैं, परंतु भाजपा इन्हें वापस नहीं जाने देती है। फिर सरकारी तंत्र से यह प्रचार किया गया कि ये विस्थापित अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। परंतु भलेस में परिस्थितियाँ इतनी खराब थीं कि केंद्र का प्रशासन भी इन्हें वापस अपने गाँव के घरों में नहीं भेज पाया। अंत में विस्थापित परिवारों को जम्मू कश्मीर सीमा के अंदर भलेस में एक सहायता शिविर लगाकर रखा गया, जिसमें न्यूनतम सुविधा भी उपलब्ध नहीं होने के कारण विस्थापित परिवार नारकीय जीवन बिताने लगे। सरकार एवं प्रशासन ने प्रारंभ में इन्हें राशन की सुविधा प्रदान की, परंतु बाद में वह भी बंद कर दिया। सरकार की ओर से जब विस्थापितों के लिए सहायता बंद कर दी गई तो सामाजिक संगठनों के द्वारा सहायता प्रारंभ की गई, जो कि अपने आप में एक उदाहरण बन गया।

□

सरकार, प्रशासन और पुलिस की भूमिका

केंद्र सरकार की भूमिका

जम्मू कश्मीर प्रदेश में आतंकवाद फैलाने और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ दोषी रही हैं। केंद्र सरकार की राज्य के विषय में भूमिका कभी भी स्पष्ट नहीं रही। उसने तुष्टीकरण की नीति के द्वारा मुसलिम समाज के वोट बैंक पर कब्जा करने का प्रयास किया। उन्हें विभिन्न प्रलोभनों से मोहित करने का प्रयास किया गया। कश्मीर में अलगाववाद की आवाज उठने पर सरकार ने उसे उनका अधिकार माना और उन्हें कई प्रकार की सहायता प्रदान करने लगी; परंतु प्रदेश में उठी अलगाववाद की आवाज कोई उनकी घरेलू समस्या नहीं थी, बल्कि यह तो भारत से इस प्रदेश को अलग करने का षड्यंत्र था, जो कि कश्मीर घाटी के बाद अन्य जिलों में भी फलीभूत होने लगा।

डोडा में बढ़ते आतंकवाद की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्री यहाँ आए। यहाँ की जनता को लगा कि शायद हमारी आवाज, हमारी कथा-व्यथा दिल्ली तक पहुँची है। अब संभवतः इस आतंकवाद से हमारी सुरक्षा हो सकेगी। अब हम फिर से सुख-शांतिपूर्वक रह सकेंगे, परंतु केंद्र के अधिकारियों के आने पर सबकुछ विपरीत होने लगा। जो भी मंत्री समीक्षा करने के लिए जिले में आते तो उनके जाने के बाद आतंकवादी गतिविधियाँ तेजी से फैलने लगतीं। आतंकवादियों और उनके समर्थकों के हौसले बढ़ जाते थे; क्योंकि ये मंत्री यहाँ आकर तुष्टीकरण के आधार पर समस्या के समाधान की बातें करते थे।

सन् १९९१ में केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीज डोडा के प्रवास पर आए। वे जिले के कई स्थानों पर गए। सभाएँ कीं, बैठकें कीं। जब वे भद्रवाह के डाकबँगले में प्रमुख नागरिकों और प्रशासन की बैठक ले रहे थे तो वहाँ के कट्टरपंथी

मुसलिम समाज के लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से एकत्र होकर डाकबँगले के सामने देशद्रोही आजादी के नारे लगाए। 'हम क्या चाहते—आजादी', 'हक हमारा—आजादी', 'दुनिया में हैं तीन निशान—अल्लाह, अकबर और कुरान' आदि नारे लगाकर कट्टरपंथियों ने जॉर्ज फर्नांडीज का बहिष्कार किया। जब श्री फर्नांडीज ने यह सब देखा-सुना तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा—'यह सब क्या हो रहा है। आजादी तो हमें मिल चुकी है। यह कौन सी आजादी चाहते हैं। यह बंद करवाइए।' परंतु प्रशासन अलगाववादियों की आवाज को बंद नहीं करवा सका। मंत्री महोदय देखते रह गए।

सन् १९९२ में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने डोडा के कई स्थानों पर प्रवास किया। वहाँ उन्होंने परिस्थितियों का अवलोकन किया। प्रशासन के लोगों से मिले, परंतु वे सामान्य नागरिकों से नहीं मिले। यहाँ आतंकवाद किस ढंग से बढ़ रहा है? देशभक्त समाज किन कष्टों में रहकर, किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? उन्होंने इन बातों को जानने की उत्सुकता नहीं दिखाई। देशभक्त समाज का मनोबल किस प्रकार से ऊँचा उठाया जाए? इसकी चिंता नहीं की। आतंकवादियों के समर्थकों से मिले। उन्होंने आतंकवादियों को खुश करने के लिए फिरकापरस्ती वाला भाषण दिया।

१० मई, १९९३ को किश्तवाड़ में जब प्रदेश हिंदू रक्षा समिति के मंत्री एवं लोकप्रिय हिंदू नेता श्री सतीश भंडारी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी तो स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार के गृह राज्यमंत्री श्री राजेश पायलट डोडा आए। उनके आने पर लोगों ने आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन किया। अपने प्रिय नेता के हत्यारों को सजा देने की माँग की। जिले को सेना के सुपुर्द करने की माँग की। श्री पायलट हिंदू एवं मुसलमान समाज के प्रमुख लोगों से मिले। आतंकवाद से पीड़ित समाज ने उन्हें पूरी जानकारी दी। मंत्रीजी ने आश्वासन देकर जनता के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया और दिल्ली लौट आए; परंतु दिल्ली आते ही वे तुष्टीकरण की बात बोलकर अपने किए वादों को भूल गए।

३० जनवरी, १९९४ को तत्कालीन गृहमंत्री श्री शंकरराव चह्वाण डोडा एवं किश्तवाड़ में परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए आए। आतंकवादियों ने डोडा में उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की, जिसमें वे बाल-बाल बचे। उनके किश्तवाड़ पहुँचने पर उनके बैठक स्थल से कुछ दूरी पर धमाका किया। उन्हें रात में यही पर विश्राम करना था, परंतु वह सुरक्षा कारणों से वहाँ नहीं ठहरे। प्रशासन ने अल्पसंख्यक हिंदू समाज को इनसे मिलने नहीं दिया। लोगों को मंत्री से मिलने के लिए संघर्ष

करना पड़ा। प्रशासन में ऐसे लोग बैठे थे जो कि आतंकवादियों के समर्थक थे। उन्होंने मंत्री महोदय को बताया कि यहाँ पर आतंकवाद है ही नहीं। यहाँ विकास कार्य होने चाहिए। यह देखकर आतंकवाद से पीड़ित समाज के लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया और आतंकवाद की जानकारी मंत्री महोदय को दी। गृहमंत्री ने हिंदू समाज को भाईचारा बनाए रखने का निवेदन किया और तुष्टीकरण की नीति अपनाई। परिणामस्वरूप आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता ही गया।

जनवरी १९९६ में संयुक्त मोर्चा की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल जिला डोडा के किश्तवाड़ के मढ़वा क्षेत्र में आए। वे वहाँ आतंकवाद से पीड़ित समाज को सांत्वना देने या फिर उनका मनोबल बढ़ाने नहीं आए थे, बल्कि सेना के हाथों मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी परिवार को ढाढ़स बँधाने आए थे। श्री गुजराल ने भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई और डोडा जिले के उन शहीद परिवारों में नहीं गए, जिनके कारण यहाँ का समाज विस्थापित नहीं हुआ।

केंद्र में सन् १९९७ में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। इस सरकार के बनने से आतंकवाद से पीड़ित समाज को एक विश्वास जगा कि अब अवश्य ही आतंकवाद में कमी आएगी; परंतु सब काम लोगों की उम्मीदों के खिलाफ होने लगे। आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होने लगी। चापनाड़ी और ठकराई में हिंदुओं के दो सामूहिक नरसंहार हो गए। इस सरकार के प्रति लोगों के मन में एक निराशा छा गई। यहाँ के नेताओं ने गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को यहाँ की सही जानकारी दी और कठोर कदम उठाने के लिए कहा। श्री आडवाणी ने स्वयं डोडा का दौरा किया। फिर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। दूरदराज क्षेत्रों से जो सुरक्षा चौकियाँ हटा दी गई थीं, फिर से उन स्थानों पर चौकियाँ बनाई गईं। जंगलों में ऑपरेशन करने के लिए 'कमांडो' का प्रयोग किया गया। जिले के देशभक्त समाज का मनोबल ऊँचा करने के लिए भद्रवाह में बीस वर्षों से लंबित पड़ी सैनिक छावनी का शुभारंभ करने के आदेश दिए गए, जिसका उद्घाटन २५ सितंबर, १९९८ को केंद्रीय रक्षामंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने किया। उन्होंने इसी तरह की दो अन्य छावनियाँ डोडा और किश्तवाड़ में बनाने के लिए भी आदेश दिए। ग्रामीण सुरक्षा समितियों के गठन को तेज किया गया। लोगों का इस सरकार के प्रति खोया हुआ विश्वास फिर लौट आया।

राज्य सरकार की भूमिका

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जब तक श्री जगमोहन थे तब तक इन्होंने

आतंकवाद पर लगाम लगाकर रखी, परंतु इनके राज्यपाल के पद से हटने के तुरंत बाद आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। जम्मू कश्मीर में सन् १९९० से १९९६ तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। राष्ट्रपति शासन होने के कारण राज्यपाल ही पूरा कार्य देखते थे। जब कभी आतंकवाद की घटना के कारण सांप्रदायिक दंगे हो जाते तो उस समय प्रशासनिक अधिकारी शांति स्थापित करने के लिए जिलों में आते थे। अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी आतंकवादियों के समर्थक होने के कारण आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्या पर चुप्पी साधे रखते थे। सन् १९९३ में तत्कालीन राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र सक्सेना डोडा के प्रवास में आए। इस समय आतंकवाद बहुत तेजी पर था। उन्होंने हिंदुओं को भाईचारे का पाठ पढ़ाया और अपनी मुसलिम तुष्टीकरण की नीति के कारण देशभक्ति का दमन करते रहे।

सन् १९९४ में राज्य के नए राज्यपाल के.वी. कृष्णाराव से लोगों को बहुत बड़ी आशा थी कि नए राज्यपाल पूर्व सेना जनरल हैं। यह सख्ती से काम करेंगे और आतंकवाद को दबाने में सफल होंगे। वे आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करते रहे, परंतु आतंकवाद कभी कम तो कभी अधिक चलता रहा। राज्य प्रशासन की यही भूमिका रही कि किसी भी हिंदू के मरने पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए और मुसलमान समाज को कोई कष्ट न हो।

सन् १९९६ में देश में केंद्र सरकार के गठन के लिए सांसदों का चुनाव हुआ। इन चुनावों में आतंकवादियों के द्वारा गड़बड़ी उत्पन्न की जाने लगी। राजनीतिक दल प्रचार करने से घबराने लगे। आतंकवादियों ने चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की तो अधिकांश मुसलिम समाज ने उसका साथ दिया। सन् १९९७ में राज्य की सरकार के गठन के लिए विधानसभा के चुनाव हुए। राज्य में फारूख अब्दुल्ला की सरकार बनाने के लिए मुसलमान समाज ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी उम्मीदवारों को जिताया। भाजपा के गिने-चुने उम्मीदवार सफल हुए। फारूख अब्दुल्ला की सरकार बनी। सरकार बनने पर आतंकवाद से पीड़ित समाज की रक्षा करने के लिए और अधिक सुरक्षा बल भेजने चाहिए थे। उन्हें अधिक अधिकार देने चाहिए थे, ताकि आतंकवादियों का दमन हो सके। परंतु उन्होंने उलटा सुरक्षा बलों को हटाकर नागरिकों का जीवन फिर से खतरे में डाल दिया है। फारूख अब्दुल्ला की राज्य सरकार में राज्य के लोग विशेष रूप से आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के बचे हुए हिंदू अपने आपको असुरक्षित समझते हैं। कुल मिलाकर राज्य में अल्पसंख्यक हिंदू समाज का विश्वास अब्दुल्ला सरकार पर से उठ गया है। कश्मीर की अधिकांश हिंदू आबादी विस्थापित हो गई और जो बची

है, उसे चुन-चुनकर आतंकवादी गाजर-मूली की तरह काट रहे हैं। राज्य की सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। राज्य सरकार को जनता का विश्वास लौटाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे—

१. विस्थापित हिंदू समाज को पुन: कश्मीर में बसाना।
२. कश्मीर में हिंदू-मुसलिम आबादी का जनसंख्या संतुलन करना।
३. आतंकवाद से पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी में प्राथमिकता देना।
४. देश के सेवानिवृत सैनिकों को हथियार देकर कश्मीर में बसाना।
५. राज्य प्रशासन द्वारा आतंकवादी समर्थकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना।
६. आतंकवादियों का ह्रदय परिवर्तन कर उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना।
७. आतंकवाद पर पूर्ण नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती।

जिला एवं स्थानीय प्रशासन की भूमिका

कश्मीर में आतंकवाद को प्रश्रय देने में, उसे बढ़ाने में स्थानीय प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रशासन में आतंकवादी समर्थक दीमक की तरह घुसे हुए हैं। ये नकाब तो पहने हैं सरकारी कर्मचारी के, परंतु आतंकवादियों के सूत्रधार हैं। संघ लोक सेवा आयोग के उच्च अधिकारी जब राज्य में अपनी सेवाएँ देने के लिए आते हैं और अपनी देशभक्ति दिखाते हैं तो आतंकवादी उन्हें धमकी भरे पत्र भेजते हैं या फिर अपने समर्थक अन्य अधिकारियों से उन्हें धमकाते हैं कि 'जनाब! आपकी जान को खतरा है। आप जरा ऐसे काम कम ही किया करो।' इस तरह की बातें करके उनके मन में किसी-न-किसी ढंग से भय का वातावरण पैदा करते हैं, ताकि वे उनके दबाव में रहकर कार्य करें।

विभिन्न जिलों में जितने भी उपायुक्त आते हैं, अधिकांश पर आतंकवादी हावी रहते हैं। स्थानीय प्रशासन में अधिकतर मुसलिम अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। जिला अधिकारी जिला केंद्र में ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो कि संदिग्ध होते हैं। उनके दबाव में रहकर वे कार्य करते हैं, जिससे आतंकवादियों को काफी लाभ होता है। कई स्थानों पर विकास कार्य के सरकारी ठेके आतंकवादियों के नाम से या उनके परिवारवालों को दिए जाते हैं। डोडा के एक प्रमुख व्यक्ति के

आतंकवादी पुत्र को भी सरकारी ठेके मिलते थे, जो बाद में सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया था।

मुसलमान समुदाय के किसी भी व्यक्ति के मारे जाने पर जिला प्रशासन उन्हें तुरत एक लाख की आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देता है, जबकि यदि कोई हिंदू आतंकवादियों के द्वारा मारा जाता है तो आर्थिक सहायता मिलने में वर्षों लग जाते हैं और नौकरी के लिए तो राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक की दौड़ लगानी पड़ती है।

जिला एवं स्थानीय प्रशासन आतंकवादियों के इतने दबाव में रहता है कि वे राष्ट्रीय समारोह भी उचित ढंग से नहीं मना पाते हैं। जब देशभक्त अधिकारी यहाँ आतंकवाद के विरोध में खड़े होकर कार्य करने लगते हैं तो उनके ऊपर आतंकवादी हमला करते हैं। उनके विरुद्ध झूठे षड्यंत्र रचकर उनकी मिथ्या शिकायतें जम्मू एवं दिल्ली के उच्च अधिकारियों को भेजकर उनका स्थानांतरण शीघ्र ही करवा दिया जाता है।

२० मई, १९९५ को डोडा के उपायुक्त श्री सुधांशु पांडेय जब भद्रवाह से डोडा मुख्यालय आ रहे थे तो मार्ग में उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उनका एक अंगरक्षक श्री रमेश कुमार एवं सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया। इसी प्रकार जिला पुलिस आयुक्त श्री अनूप सिंह के ऊपर भी आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया था, क्योंकि ये देशहित में कार्य करते हैं।

जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका

जम्मू कश्मीर राज्य में पुलिस बल दो प्रकार का है। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस है। सशस्त्र पुलिस का गठन राज्य में शांति स्थापित करने के लिए किया गया है, परंतु इस पुलिस बल में योजनाबद्ध ढंग से मुसलमानों की भरती ज्यादा की गई है। इसमें अधिकांश मुसलमान आतंकवादियों के समर्थक हैं। कई थानाध्यक्ष तो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों के लिए कार्य करते हैं।

पुलिस प्रशासन जिले में आतंकवाद को समाप्त करने, उसे दबाने या उसका मुकाबला करने में बिलकुल असफल रहा है। जब कश्मीर में सुरक्षा बल नहीं आए थे, तो उस समय आतंकवादी पुलिस के सामने सरेआम घूमते और उपद्रव करते थे। १० मई, १९९३ को हिंदू रक्षा समिति के प्रदेश महामंत्री सतीश भंडारी की आतंकवादियों ने हत्या की, उस समय आतंकवादियों से मिलीभगत के कारण

उनके दोनों अंगरक्षक वहाँ से अनुपस्थित थे। जब थानाध्यक्ष को शहर को घेरकर हत्या के षड्‌यंत्रकारी एवं दोषियों को पकड़ने के लिए कहा गया तो वे टाल-मटोल करते रहे। अगले दिन हत्या के विरोध में जनसमुदाय सड़कों पर उतर आया तो पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया और कर्फ्यू के समय थानाध्यक्ष के संरक्षण में आतंकवादियों ने हिंदुओं की कई दुकानों को लूटकर आग लगा दी। थानाध्यक्ष ने जहाँ शहीद सतीश भंडारी के हत्यारों को समय पर न पकड़कर उन्हें भाग जाने का मौका दिया, वहीं उनके समर्थकों को अराजकता फैलाने दी और हिंदू समाज के निर्दोष बाईस युवकों को पकड़कर जेल में डाल दिया। युवकों को यातनाएँ दी गईं। जब हिंदू समाज ने इसके विरोध में १८ मई को किश्तवाड़ में प्रदर्शन किया तो थानाध्यक्ष ने अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया। आँसू गैस एवं लाठी भी चलाई गई। परिणामस्वरूप मौके पर ही एक गरीब परिवार के युवक की हत्या हो गई और दो महिला समेत पाँच अन्य लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

सन् १९९५ में किश्तवाड़ में नए थानाध्यक्ष श्री नजीर अहमद डार आए, जो आतंकवादियों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने आते ही आतंकवादी एवं उनके समर्थकों से संपर्क स्थापित किया। थानाध्यक्ष ने हिंदुओं में फूट डालने के लिए रात के १०.०० बजे कर्फ्यू के समय में अपने थाना मुख्यालय में आतंकवादी और उनके समर्थकों के साथ एक पत्रक बनाया, जिसका सारांश इस प्रकार था—'आर.एस.एस. ने एक तंजीमब (संगठन) बनाई है। उसमें उसके जिला कार्यवाह कमांडर इन चीफ (प्रमुख) हैं। यह तंजीमब हिंदुओं की रक्षा के लिए और मुसलमानों को मारने के लिए बनाई गई है। हम दो हरिजन युवकों को भी बहला-फुसलाकर इस तंजीमब में सम्मिलित किया गया था, परंतु जब कुछ दिन पहले इन्होंने हरिजनों पर ही हमले शुरू कर दिए, उनकी हत्या करके उनकी संपत्तियों को लूटने लगे तो हम दोनों हरिजनों ने उनका विरोध किया। उन्होंने हमें भी मारने की धमकी दी। अब हम दोनों इस तंजीमब से अलग हो रहे हैं और अपने हरिजन समाज को सावधान करते हैं कि आर.एस.एस. के जिला कार्यवाह एवं उनके युवा साथी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ये ही यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं। अत: हम इनका साथ न दें।'

थानाध्यक्ष ने स्वयं अपनी उपस्थिति में इस पत्रक की फोटो कॉपी करवाकर किश्तवाड़ नगर के बाजारों-मोहल्लों एवं मसजिद की दीवारों पर लगवा दिया। प्रात:काल जैसे ही लोग अपने-अपने घरों से निकले तो ऐसा पत्र देखकर लोगों के मन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति आक्रोश भर गया। ऐसा पत्र लिखने का आशय यह था कि आतंकवाद का मुकाबला करनेवाले हिंदू समाज को हरिजन और

ब्राह्मण के नाम से बाँट दिया जाए। हरिजन अपने आपको हिंदू समाज से अलग समझें और उनके मन में यह भाव बैठ जाए कि हिंदू हम हरिजनों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आतंकवादि ों की चाल यह थी कि हरिजनों को अपनी तरफ मिलाकर शेष हिंदुओं की हत्या कराई जाए। दूसरी चाल यह थी कि हरिजनों की हत्या कर आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं को हत्या का आरोपी बनाया जाए, परंतु उनकी ये चाल सफल न हो सकी। इस मिथ्या प्रचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए लोग खड़े हो गए, क्योंकि समाज को अपने नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास था। फिर जिला कार्यवाह समाज के प्रमुख लोगों के साथ पत्रक लेकर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला उपायुक्त व जिला पुलिस अधीक्षक से मिले। इस मिथ्या प्रचार की जाँच की माँग की, अन्यथा एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दे दी। वातावरण प्रतिदिन गरम होता गया। अंत में जिस दुकान से फोटो कॉपी करवाई थी उस दुकानदार का पता चल गया। उसने यह जानकारी दी कि रात के १०.०० बजे थानाध्यक्ष कुछ नए लोगों को लेकर मेरे घर आए और डरा-धमकाकर उस कागज की कई फोटो प्रतियाँ कराकर ले गए। उन्होंने यह बात मुझे किसीको न कहने को कहा। सुबह मैंने यह पत्रक बाजार में लगे हुए देखे। जब इस बात का समाज के सामने खुलासा हुआ तो पूरा समाज थानाध्यक्ष के इस देश विरोधी और आतंकवाद समर्थक कार्य करने के विरोध में खड़ा हो गया और परिणामस्वरूप थानाध्यक्ष नजीर अहमद डार का किश्तवाड़ से स्थानांतरण कर दिया गया।

भद्रवाह में वहाँ के कई हिंदू नेताओं को गुप्त रूप से पत्र आते थे। जिसमें लिखा रहता था—'आतंक वादियों ने दो हरिजन युवकों को पिस्तौल, हथगोला एवं नकद देकर आपकी हत्या करने के लिए भेजा है। उनको यह काम करने के लिए दो-दो लाख रुपए दिए गए हैं। आप अपना ध्यान रखें और हरिजनों से दूर रहें। इन्हें अपने घरों में न आने दें। ये विश्वास के योग्य नहीं हैं।...आपका शुभचिंतक।' इस तरह के पत्रों से हिंदू समाज के बीच संघर्ष कराने की चेष्टा पुलिस की मदद से की गई।

स्थानीय पुलिस आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या को हिंदुओं की आपसी लड़ाई बताकर न केवल आतंकवाद पर परदा डालती थी, बल्कि सरकार द्वारा आतंकवाद से पीड़ित परिवार को दी जानेवाली एक लाख रुपए की नकद सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी से वंचित रखती थी। भद्रवाह के रहनेवाले तीन हिंदू युवक अपने मित्र के गाँव बटोली गए थे। सीमा सुरक्षा बल से भागा हुआ भद्रवाह का ही रहनेवाला आतंकवादियों के प्रमुख मंजूर

अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन तीनों युवकों की हत्या कर दी। यह हत्याकांड १८ सितंबर, १९९५ को हुआ। ये तीनों युवक—सुदर्शन कुमार सुपुत्र योगराज, कुलदीप कुमार सुपुत्र कमला देवी, रविंद्र सुपुत्र हरिलाल थे। जब यह समाचार भद्रवाह नगर में पहुँचा तो वहाँ के प्रमुख लोगों ने उन तीनों की पहचान करने के लिए प्रशासन से संपर्क किया। पुलिस प्रशासन के उपाधीक्षक (डी.एस.पी.) थानाध्यक्ष सहित घटना स्थल पर पहुँचे। पुलिस अधिकारी ने बिना उसकी पहचान किए उन्हें लुटेरे और बंगाली बताया और यह मिथ्या समाचार फैला दिया कि ये बंगाली लुटेरे थे जो आपस में लड़कर मारे गए। फिर उनके शरीर से कोई भी पहचान न उतारकर उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर वहीं पर जला दिया। जब भद्रवाह के लोगों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने आतंकवादियों का साथ देनेवाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया। अंततः पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और तीनों के छाया चित्र समाज को देने पड़े। तीनों की पहचान हुई, जिन्हें पुलिस ने लुटेरे बताया था। फिर यह आतंकवादी घटना बनी और इन तीनों के परिवार को सरकारी सहायता प्राप्त हुई।

पुलिस प्रशासन ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए स्थान-स्थान पर पुलिस की चौकियाँ स्थापित कीं, जिसमें पंद्रह से पच्चीस सशस्त्र सिपाही तैनात किए गए। परंतु आतंकवादियों के साथ इनकी मिलीभगत होने के कारण आतंकवादियों ने बिना संघर्ष के अनेक चौकियाँ लूट लीं। पुलिस चौकियों के सिपाहियों ने आतंकवादियों का मुकाबला किए बिना उन्हें अपने सभी हथियार, वायरलेस सैट, गोला-बारूद, यहाँ तक कि अपनी वर्दियाँ भी दे दीं। प्रशासन ने इन चौकियों को पुनः मजबूत करने के स्थान पर इन्हें बंद कर देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा का हिंदू समाज ने जबरदस्त विरोध किया। परिणामस्वरूप फिर से प्रशासन को चौकियाँ स्थापित करनी पड़ीं।

जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की पाँचवीं बटालियन के हेड कांस्टेबल अल्ताफ की १६ मार्च को गिरफ्तारी के बाद यह रहस्योद्घाटन हुआ कि पचास से अधिक विस्फोटों में उसका हाथ था। वह पिछले दस वर्षों से आई.एस.आई. के इशारे पर नाच रहा था। ऐसे लोगों की पहुँच पुलिस, प्रशासन और सरकार के उच्चस्थ अधिकारियों तक है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती है। हेड कांस्टेबल हुसैन के पास से अत्याधुनिक हथियार, गोला-बारूद, आर.डी.एक्स, जेहादी साहित्य, इसलामिक फ्रंट के प्रेस नोट और ऑडियो कैसेट बरामद किए गए। आई.एस.आई. की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने में वह सक्रिय था। सत्ताधारी नेताओं के

पुलिस में कार्यरत अधिकारियों से भी श्री हुसैन की साँठ-गाँठ थी।

पुलिस में कुछ अच्छे, देशभक्त अधिकारी एवं सिपाही भी हैं; परंतु उनपर दबाव होने के कारण वे भी भयग्रस्त होकर दबे रह जाते हैं। वे गलत बातों का बहुत कम विरोध कर पाते हैं। जो विरोध करते हैं उन्हें मारने की धमकियाँ मिलने लग जाती हैं। पाकिस्तानपरस्त पुलिस अधिकारी उनका सहयोग नहीं करते हैं और मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करके उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है या फिर उनपर आतंकवादियों के द्वारा प्राण घातक हमला भी करा दिया जाता है।

सुरक्षा बलों की भूमिका

जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया तो पीड़ित-प्रभावित हिंदू समाज में आशा की किरण जगी। लोगों को अपनी जान-माल की सुरक्षा का भरोसा बढ़ा, किंतु कुछ ही दिनों में लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया। सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश था कि आतंकवादियों को मारना नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण करवाना है। इसी नीति के कारण हमारे जवान दिन-ब-दिन शहीद होते गए, जिससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता गया और अल्पसंख्यक हिंदू समाज भयाक्रांत होता गया।

सितंबर १९९३ को किश्तवाड़ के छात्रू पलमाड़ में आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के गस्ती दल पर हमला किया, जिसमें तीन जवान शहीद हो गए और अनेक घायल हुए। अप्रैल १९९३ में भद्रवाह के किला मोहल्ला में गश्त करते समय आतंकवादी हमले में दो जवान शहीद हो गए और दो बुरी तरह घायल हो गए। फरवरी १९९४ को भद्रवाह के आश्रूधार क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में पंद्रह जवान शहीद हो गए। आतंकवादी बचकर भाग निकले। अप्रैल १९९४ में डोडा के देसा क्षेत्र में इसी प्रकार की मुठभेड़ में चौदह जवान शहीद हो गए।

सीमा सुरक्षा बल और आतंकवादियों की इन मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के शहीद होने से समाज यह सोचने को विवश हो गया कि पंद्रह दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी आखिर हमारे जवानों पर कैसे भारी पड़ जाता है? निश्चित रूप से सरकारी नीति के कारण हमारे जवानों के हाथ बँधे हैं। अन्यथा हमारे जवानों की यह दशा नहीं होती।

स्थानीय पुलिस की आतंकवादियों से साँठगाँठ के कारण सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों के ऑपरेशन की सूचना आतंकवादियों को पहले ही मिल जाती

थी, जिसके कारण सेना को न केवल असफल रहना पड़ा, बल्कि कहीं-कहीं भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। स्थानीय पुलिस के असहयोग, सरकारी तुष्टीकरण की नीति और आतंकवादी समर्थक कुछ मुसलमानों द्वारा मानवाधिकार और चारित्रिक हनन के आरोप के कारण सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों में भी नैराश्य और निष्क्रियता का भाव पनपने लगा।

आतंकवाद के समर्थक नेताओं ने सेना के जवानों और अधिकारियों से संपर्क-संबंध स्थापित किए। ऐसे तथाकथित नेताओं के घर अधिकारियों का खाना-पीना भी प्रारंभ हो गया। पाकिस्तानपरस्त ये नेता सेना-शिविरों में घुसकर उनका भेद भी लेने लगे। सेना के अधिकारी सरकारी आदेशों की दुहाई देकर अपनी मजबूरी और विवशता भी इन लोगों के समक्ष प्रकट करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि २१ जुलाई, १९९५ की मध्य रात्रि को स्थानीय व्यक्तियों की सहायता से विदेशी आतंकवादियों ने सेना-शिविर पर हमला किया, जिसमें सात जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने शिविर के हथियार और शक्तिशाली वायरलेस सेट लूट लिये।

इन तमाम बातों के बावजूद जम्मू कश्मीर में सेना और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती से आतंकवाद पर कुछ हद तक अंकुश लगा। सरकारी आदेश के कारण हाथ बँधे होने पर भी सेना ने अनेक कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया और कई सामूहिक नरसंहार होने से बचाए। भाड़े के अनेक विदेशी आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कराया, जिससे कई सुराग मिले। समाज के कई देशभक्त युवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आतंकवादियों को पकड़ने में सेना का साथ दिया।

विदेशी आतंकवादी मारे गए

८ जनवरी, १९९९ को राजौरी के कोटरंका में सेना ने आतंकवादियों की शरणस्थली को नष्ट कर दो विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। पुंछ के मंडी क्षेत्र के केलू गाँव में भी आतंकवादियों के ठिकाने का पता चलने पर दो विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। ९ जनवरी, १९९९ को सीमावर्ती राजौरी-पुंछ में सुरक्षा बलों के हाथों आठ आतंकवादी मारे गए। राजौरी एवं स्वर्णकोट इलाके में सेना ने इनके छह गुप्त ठिकानों को नष्ट किया। कुछ आतंकवादी पीरपंजाल पहाड़ी सीमा पर कोटरांका, बालाकोट मंडी के सब्जियाँ क्षेत्र में मारे गए और मेंडर की भिंवरगली में दो विदेशी आतंकवादी भी मारे गए। १३ जनवरी, १९९९ को स्वर्णकोट में एक विदेशी आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। १६ जनवरी, १९९९ को राजौरी के पोहालगी क्षेत्र में सेना ने दो विदेशी आतंकवादियों

को तीन घंटे के संघर्ष के बाद मार गिराया।

हथियार, गोला-बारूद बरामद

सुरक्षा बलों ने ९ जनवरी, १९९९ को मेंडर की भिंवरगली में भागनेवाले आतंकवादियों के द्वारा छोड़े गए असले (गोला-बारूद) की तीन बोरियाँ बरामद कीं, जिसमें कई प्रकार के बम एवं विस्फोटक सामग्री थी। १३ जनवरी, १९९९ को सेना ने स्वर्णकोट से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। चार घंटे की भीषण मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों के ठिकानों से असाल्ट राइफल, ए.के. राइफलें, हथगोले, रॉकेट लांचर, भारतीय एवं पाकिस्तानी मुद्रा के हजारों रुपए बरामद किए। १६ जनवरी, १९९९ को राजौरी में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के तहत दो असाल्ट राइफलों सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। २३ जनवरी, १९९९ को पुंछ में पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा। साथरा पुलिस चौकी के बाहर गश्त कर रहे जवानों ने रात्रि में टिंबरा नाले में आतंकवादियों को घूमते देखा तो इन्होंने उनके ऊपर गोलियाँ चला दीं। आतंकवादी जान बचाकर भाग खड़े हुए, परंतु जब जिला पुलिस ने टिंबरा नाले की तलाशी ली तो वहाँ पाँच किलो विस्फोटक आर.डी.एक्स., चार रूसी फ्लेम थ्रोअर, तीन रेडियो रिमॉट कंट्रोल, तीन सौ पचहत्तर कारतूस, बम, पाँच बैटरियाँ, मिजाइल फ्यूज आदि बरामद किए। इन कुछ घटनाओं से यह पता चलता है कि यहाँ पर सीमा पार से कितनी बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री आती है।

पुलिस चौकी पर हमला

राजौरी जिले की चिंगस पुलिस चौकी पर २३ जनवरी, १९९९ को आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग करके हमला किया। पुलिस कर्मियों ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए आतंकवादियों पर फायरिंग की। दोनों में भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई, जो लगभग दो घंटे से भी ज्यादा चली। इस हमले में चौकी का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया और खिड़कियों के शीशे टूट गए।

घुसपैठ का प्रयास

सीमावर्ती पुंछ जिले के मेंडर सेक्टर की सीमा में २४ जनवरी, १९९९ को भारतीय सेना ने पाक आतंकवादियों की घुसपैठ का प्रयास विफल किया। मेंडर की नियंत्रण रेखा सीमा पर तैनात जवानों ने सीमा पार से चार आतंकवादियों की एक

टोली को घुसपैठ करते देखा। जवानों ने उन्हें भारत की सीमा में आने दिया। जब वे लोग निकट आ गए तो उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। चेतावनी सुनकर विदेशी आतंकवादी घनी झाड़ियों और अँधेरे का लाभ उठाते हुए वापस भाग गए। बाद में सेना ने वहाँ से आतंकवादियों के हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। इस प्रकार यहाँ सीमा पर विदेशी एवं स्थानीय आतंकवादियों की घुसपैठ होती रहती है। कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं और कुछ इधर आकर आतंकवाद फैलाते हैं।

प्रशासन की भूमिका

प्रशासन के कई अधिकारियों का चरित्र संदिग्ध है। वे आतंकवादियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। जो अधिकारी निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, उन्हें कार्य नहीं करने दिया जाता है। नवंबर १९९७ में तत्कालीन केंद्र सरकार के गृहमंत्री जिला पुंछ के प्रवास पर यहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए आए तो उनसे समाज के ऐसे प्रमुख नेताओं को मिलने नहीं दिया जो उन्हें परिस्थितियों की ठीक-ठीक जानकारी देते। प्रशासन के ऐसे रवैये का बहुत विरोध हुआ।

प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय का भी अभाव दिखता है। २० मार्च, १९९८ को जम्मू प्रदेश के पुलिस निदेशक श्री गुरबचन जगत ने पुंछ जिला प्रशासन को बिना सूचना दिए स्वर्णकोट आकर गतिविधियों की जानकारी ली और जिला अस्पताल पुंछ में घायल पुलिस सिपाहियों से मिलकर वापस चले गए। जिले के पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को उनके आने-जाने का पता काफी देर बाद लगा। श्री जगत ने भयभीत जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए कोई भी बैठक नहीं की और न ही आनेवाले खतरों के प्रति सावधानी बरतने को कहा। जिला प्रशासन भी पंगु बना रहा और कुछ समय बाद स्वर्णकोट में हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार के कारण पूरा स्वर्णकोट विस्थापित हो गया।

केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने बढ़ते आतंकवाद को देखकर लोगों को इसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए उन्हें हथियार देने की योजना बनाई। गाँवों में ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ बनाने का आदेश यहाँ के प्रशासन एवं सेना अधिकारियों को दिया गया। सेना एवं प्रशासन के अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहण किया। इसमें सेना की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। सेना ने नागरिकों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया।

□

सामाजिक-राजनीतिक संगठनों की भूमिका

जम्मू कश्मीर के सामाजिक संगठनों ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष कर यहाँ के समाज को विस्थापित होने से रोका। इन संगठनों की देशभक्ति की भूमिका के कारण ही यहाँ का समाज धरती-धर्म की रक्षा करने में सफल रहा है। समाज का मनोबल बना रहा। सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से इन विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जन-आंदोलन खड़ा किया।

'हिंदू रक्षा समिति' के माध्यम से समय-समय पर डोडा, किश्तवाड़, जम्मू इत्यादि स्थानों पर प्रदर्शन एवं श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन होता रहता है। भद्रवाह में 'बलिदान स्मारक समिति' के द्वारा शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 'सनातन धर्म सभा' ने धार्मिक त्योहारों को मनाने में उत्साहवर्द्धक भूमिका का निर्वहन किया। प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं को भी निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में यथा अपेक्षित मदद करती है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका

देश विघटन के आतंकवादी प्रयास को विफल करने में 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। संघ की सक्रियता से यहाँ के लोगों का पलायन काफी हद तक रुका है। जन-जीवन का मनोबल बढ़ाने और उनकी सुरक्षा में जहाँ सेना की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है वहीं संघ की भी अद्वितीय भूमिका रही है।

सन् १९९०, ९१, ९२ में संघ ने अपने बीस दिवसीय 'संघशिक्षा वर्ग' और दस दिवसीय 'विशेष वर्ग' का आयोजन कर वहाँ के गाँव-गाँव में रह रहे युवकों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और सामाजिक कार्यों के लिए उन्मुख किया। परिणामस्वरूप अधिकांश स्थानों में देशभक्ति के विचारों से ओतप्रोत स्वयंसेवक

पहुँच गए और आपातकालीन स्थितियों में एक-दूसरे के प्रति समर्पण-सेवा की भावना न केवल जाग्रत हुई अपितु मातृभूमि की रक्षा का विचार गाँव-गाँव में पहुँचा। आतंकवाद का मुकाबला करने की मन:स्थिति गाँव-गाँव में बनाई गई। आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' की शाखाओं के रूप, रंग, ढंग में परिवर्तन लाया गया। अब शाखाएँ खुले मैदान में निक्कर पहनकर नहीं, बल्कि सत्संग, भजन मंडली, व्यायामशाला एवं संपर्क स्थल के रूप में चलने लगीं।

संघ ने अपनी कार्य योजना से हिंदू समाज का मनोबल बनाए रखा। उसका सहारा बना। आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशनों में मार्गदर्शक के रूप में सेना का साथ दिया। संघ ने आतंकवाद से संघर्ष का शंखनाद किया और अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया। संघ पर यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज का विश्वास टिका हुआ है। संघ के प्रमुख अधिकारियों ने आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर दु:ख-दर्द को बाँटा और उनसे संपर्क बनाए रखा। आतंकवाद से पीड़ित-प्रताड़ित परिवारों को सर्वतोभद्र सहयोग दिया गया। ३ दिसंबर, १९९९ को जम्मू में 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' के तत्कालीन सरसंघ चालक प्रो. राजेंद्र सिंह ने एक समारोह में आतंकवाद से संघर्ष करनेवाले वीरों को 'नागरिक शौर्य पुरस्कार' प्रदान किए। उन्होंने पुरस्कृत लोगों के साहस की सराहना की। संघ के तत्कालीन सर कार्यवाह श्री शेषाद्री और सह सर कार्यवाह श्री सुदर्शनजी ने भी समय-समय पर प्रदेश का प्रवास कर पीड़ित परिवारों के दु:ख-दर्द में शामिल हुए। संघ के केंद्रीय और प्रांतीय अधिकारियों सर्वश्री सूर्यनारायण राव, श्री कौशल किशोर (दिल्ली), श्री गोपाल व्यास (मध्य प्रदेश), श्री जयगोपाल (दिल्ली), श्री विश्वनाथ (चंडीगढ़), श्री नरसिंह जोशी (राजस्थान), श्री इंद्रेश कुमार (जम्मू) सहित कई अन्य प्रमुख स्वयंसेवकों ने समय-समय पर प्रवास कर समाज के कष्टों में भागीदार बने।

संघ पीड़ित परिवारों की सहायता कर समाज का सहारा बना। आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने और उनका खात्मा करने के उद्देश्य से केवल डोडा जिले में लगभग दो सौ पचास युवक एवं स्वयंसेवक 'सेना सहयोग संगठन' के द्वारा सुरक्षा बलों के साथ मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये सेना से संपर्क बनाकर उन्हें आतंकवादियों की पहचान करवाते हैं। गाँवों से आतंकवादी गतिविधियों की सूचना एकत्र कर सेना तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण सेना ने कई सफल कार्यवाहियाँ करके आतंकवादी मार गिराए। खतरों की परवाह न करके

श्री विशाल एवं श्री सफाया (दोनों छद्म नाम) ऐसे कार्यों में हिम्मत से लगे हुए हैं।

संघ परिवार के लोगों ने जिले से पलायन नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए भागे नहीं। अब तक संघ के जिला अधिकारियों से लेकर अनेक सामान्य स्वयंसेवक भी अपना बलिदान दे चुके हैं।

संघ के स्वयंसेवक अपने संस्कारों के अनुरूप देशधर्म की रक्षा करने में सफल सिद्ध हुए हैं। इसमें प्रमुख भूमिका निभानेवाले संघ के अधिकारी सर्वश्री ठाकुर सुरजीत सिंहजी (भद्रवाह), श्री पं. फकीर चंद राजदान (भद्रवाह), श्री केशोराम कोतवाल (भद्रवाह), श्री कौशल जुत्सी (भद्रवाह), श्री सूबेदार लस्सूराम परिहार (किश्तवाड़), श्री चंद्र प्रकाश (किश्तवाड़), श्री चुन्नीलाल परिहार (किश्तवाड़), श्री बलदेव सिंह परिहार (भलेस), डॉ. मोहन लाल (रामबन) के नाम उल्लेखनीय हैं।

डोडा विचार मंच, दिल्ली की भूमिका

जो लोग डोडा जिला से रोजगार की तलाश में दिल्ली में आकर रहने लगे और नौकरियाँ, व्यापार करने लगे, उन लोगों ने भी आतंकवाद के विरुद्ध इस संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए 'डोडा विचार मंच. दिल्ली' का गठन किया। मंच ने

डोडा विचार मंच के कार्यकर्ता जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली में आतंकवाद के विरुद्ध धरना देते हुए।

समय-समय पर आतंकवादी घटनाओं के विरोध में धरने, प्रदर्शन, प्रस्ताव, सरकार से मिलने के कार्यक्रम किए हैं।

२६ अगस्त, १९८६ को मंच ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें राज्य में उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आनेवाले आतंकवाद का उल्लेख किया था। इसी प्रकार १८ सितंबर, १९८७ को राज्य के मुख्यमंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियाँ अपना सिर उठा रही थीं, उसके प्रति चिंता जताई और उसे रोकने का निवेदन किया। २० जून, १९९० को राज्य के तत्कालीन राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजकर राज्य में कश्मीरी विस्थापितों की कठिनाइयों और डोडा में शुरू हुए आतंकवाद से नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने की माँग की गई।

जब आतंकवाद ने काफी कहर ढाया और कई प्रमुख नेताओं और निर्दोषों की हत्याएँ कीं, इसके विरोध में जम्मू में 'डोडा बचाओ रैली' निकाली गई तो मंच ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर १९ सितंबर, १९९२ को धरना दिया। इसी प्रकार जब ६ जून, १९९६ को डोडा के बरशाला गाँव में हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ तो ८ जून, १९९६ को जंतर-मंतर में एक विरोध-प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री केदारनाथ साहनी ने भी भाग लिया। २२ जून, १९९८ को चापनाडी में बरातियों का सामूहिक हत्याकांड हुआ तो दिल्ली में मंच ने एक विरोध-प्रदर्शन करके राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला से माँग की कि डोडा में योजनाबद्ध ढंग से हिंदुओं की हत्याएँ की जा रही हैं, सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करे।

अन्य सामाजिक संगठनों की भूमिका

प्रसिद्ध भाजपा नेता श्री रुचिर कुमार की आतंकवादियों ने भद्रवाह में ७ जून, १९९४ को हत्या कर दी तो प्रतिक्रियास्वरूप वहाँ का वातावरण दंगाग्रस्त हो गया। ऐसे समय में प्रसिद्ध गांधीवादी सर्वोदय नेत्री सुश्री निर्मला देशपांडे ने राज्य के मानवाधिकार समर्थक कार्यकर्ता श्री बलराज पुरी के साथ डोडा से अपने अन्य सहयोगियों को लेकर जिले का प्रवास किया। डोडा जिले की पीड़ित जनता ने उन्हें बताया कि दानवों (आतंकवादियों) ने किस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन किया है। रुचिर हत्या की घटना, सुभाष भगत की गरदन रेतकर हत्या, राकेश एवं रतन दोनों भाइयों की छाती चीरकर कलेजा बाहर निकालकर हत्या, आँखें एवं मुँह की

चमड़ी निकालकर निर्दयतापूर्वक हत्या, सुंबड़ गाँव के रंगील सिंह और गुलाब सिंह के शरीर के टुकड़े करके हत्या और प्रकाशो देवी के घर भोजन करके, उसीके साथ बलात्कार करके उसकी दर्दनाक हत्या करना आदि अनेक हत्याओं के छायाचित्र दिखाए और घटना सुनाई तो वे वेदना भरी गाथा सुनकर आहत हुईं। परंतु तुष्टीकरण की नीति में बँधी होने के कारण डोडा का प्रवास पूरा करके जम्मू में हुए पत्रकार वार्त्ता में दंगों के कारण जले हुए मकानों के पुनर्निर्माण की बात अवश्य की, लेकिन आतंकवादियों के अत्याचारों से पीड़ित समाज की रक्षा करने के लिए सुरक्षा बलों और सेना को अधिक अधिकार देने के विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने आतंकवादियों के द्वारा की गई निर्मम हत्याओं के विरोध में वक्तव्य भी देना उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे मुसलिम तुष्टीकरण और मानवाधिकार की कथित इनकी छवि शायद खंडित हो जाती।

जिला प्रशासन ने जिले के प्रमुख सामाजिक नेताओं के साथ मिलकर डोडा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्कालीन नेता श्री अत्ता उल्ला सोरावर्दी के नेतृत्व में सामाजिक संगठनों को मिलाकर एक 'शांति समिति' (अमन कमेटी) बनाई। इस कमेटी में अपने-आपको धर्मनिरपेक्ष कहनेवाले नेता सम्मिलित हुए। तुष्टीकरण की नीति पर चलनेवाले इन तथाकथित नेताओं ने पूरे जिले में प्रवास किया और हिंदू-मुसलमान आपस में शांति से रहें, इसका प्रचार किया। फरवरी १९९६ में इन्होंने भद्रवाह में आकर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शांति के नाम पर मुसलिम तुष्टीकरण की बातों पर बल दिया गया। बैठक में आए नेताओं ने कहना प्रारंभ किया कि आतंकवादियों के द्वारा कोई घटना होने पर हिंदुओं को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आतंकवादी चाहे कुछ भी करें, उन्हें तो हम रोक नहीं सक़ते। परंतु कम-से-कम हिंदुओं को मुसलमानों के साथ मिलकर रहना चाहिए। भद्रवाह के 'जमायते इसलामिया' के प्रसिद्ध नेता श्री हाई खतीफ, जिनका एक पुत्र आतंकवादी है, ने भरी बैठक में कहा कि—'मैं तो आज भी आजादी के पक्ष में हूँ, मैं तो भारत के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ।' बैठक में सेना के द्वारा किए गए कार्यों की तरफ भी अँगुली उठाई गई। इस तरह की शांति समिति की बैठकों में अलगाववादी आवाज गूँजी और सेना के ऊपर आरोप लगाकर आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी दरशाई गई। हिंदू-मुसलमान मिलकर किस प्रकार से आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हों और किस ढंग से आतंकवाद समाप्त किया जाए, इसके ऊपर विचार, चिंतन, चर्चा नहीं की गई। 'शांति समिति' की बैठक आतंकवादियों के समर्थन और आजादी के स्वर के साथ समाप्त हो गई।

पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता

आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, इसकी माँग समाज ने की। सरकार ने यह माँग स्वीकार करके आतंकवाद से पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को नियम (एस.आर.वी. ४३) के अनुसार चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देने की घोषणा की। सरकार द्वारा इस घोषणा के बावजूद पीड़ित-प्रभावित परिवार को वर्षों बाद सहायता मिलती है। प्रशासनिक स्तर पर लालफीताशाही, भेदभाव और भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित परिवार के लोग दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हो जाते हैं। भुखमरी के कगार पर पहुँचे लोगों की कथा-व्यथा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीड़ित परिवारों को नौकरी लेने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी समय पश्चात् और काफी पैसा व्यय करने के बाद नौकरी मिलती है।

प्रशासन की इस उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में ६ मार्च, १९९७ को लोकसभा में भाजपा सांसद् ने सवाल उठाया था।...'डोडा जिले के आतंकवाद पीड़ित बंधुओं को तुरंत एक्सग्रेसिया ग्रांट (सहायता राशि) की एक लाख की राशि तथा उनके परिवार के एक सदस्य को तुरंत नौकरी दी जाए। अभी तक जिले के मात्र पैंसठ से पचहत्तर प्रतिशत पीड़ित परिवारों को सहायता राशि एवं नौकरी प्रदान की गई है। राज्य सरकार को पीड़ित परिवारों के दुःखों को समझकर उनको तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए।'

आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को राशन, कंबल, बच्चों की पढ़ाई, रहने के लिए स्थान आदि सहायता के संबंध में सरकार चिंता नहीं करती है। आतंकवादियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर अपनी धन-संपत्ति छोड़कर जिला एवं तहसील केंद्रों में आनेवाले विस्थापितों को सरकार सहायता नहीं देती है।

सरकार ने दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि प्रचार-संचार माध्यमों से अपने वक्तव्य का बार-बार प्रचार किया कि—'जिला डोडा में परिस्थितियाँ सामान्य हो रही हैं।' किंतु सरकार के इस वक्तव्य की धज्जियाँ आतंकवादियों ने तुरंत उड़ा दीं।

जम्मू कश्मीर सहायता समिति का गठन

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, उजड़े-विस्थापित परिवारों को रहने का स्थान, राशन, कंबल, बरतन, युवा कन्याओं के विवाह पर सहायता आदि प्रदान करने के लिए सन् १९९० में एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन बनाया, जिसका नाम 'जम्मू कश्मीर सहायता समिति' रखा गया

और इसका मुख्यालय जम्मू में बनाया गया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इसकी शाखाएँ खोली गईं, जिसे यह निर्देश दे दिए गए कि किसी भी हालत में समाज को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कोई नहीं है। उसे यह लगना चाहिए कि पूरा समाज उसके दुःख में उसके साथ है। इस समिति के द्वारा प्रत्येक पीड़ित परिवार को दो हजार से पाँच हजार तक की नकद राशि दी जाने लगी। परिवारों में सहायता देने गए कार्यकर्ताओं ने जब उन्हें यह कहा कि पूरा समाज आपके साथ है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएँगे, इस संघर्ष में देशभक्ति की विजय होगी तो यह सुनकर पीड़ित परिवारों को इतनी हिम्मत आती थी कि वे स्वयं कहने लगते कि हमारे घर का एक सदस्य देश की खातिर बलिदान हो गया और भी बलिदानों की आवश्यकता होगी तो देंगे।

आतंकवादियों के अत्याचारों से उजड़े परिवार जब कश्मीर घाटी सहित अन्य स्थानों से विस्थापित होकर जम्मू आने लगे तो उनके ठहरने, भोजन इत्यादि की व्यवस्था 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' और भाजपा के कार्यकर्ता करने लगे, जिनमें स्थानीय स्तर पर कार्यरत धार्मिक-सामाजिक संगठन भी साथ देने लगे। उजड़े एवं जले घरों के परिवारों को राशन, कंबल, वस्त्रों की सहायता भी दी जाने लगी है।

शहीद परिवार सेवा का शुभारंभ

राज्य के आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन का प्रबंध भी संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा स्थापित 'शहीद परिवार सेवा' द्वारा किया जाने लगा। इसके अंतर्गत जम्मू में एक छात्रावास बनाया गया, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी बच्चे का विकास न रुक जाए। विस्थापित परिवारों के बच्चों को वर्दी और पढ़ने के लिए पाठ्य-पुस्तक तथा लेखन-सामग्री भी दी जाती है।

आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे परिवारों में दूरभाष आदि की संपर्क सुविधा दी गई, ताकि यथासमय आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। जिले में संपर्क हेतु आने-जाने के लिए भद्रवाह और किश्तवाड़ में एक-एक जीप भी दी गई। समय-समय और भी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई।

शहीद परिवार कोष का योगदान

'पंजाब केसरी' समाचारपत्र के संपादक श्री विजय कुमार चोपड़ा 'शहीद परिवार कोष' के माध्यम से पंजाब में आतंकवादियों से पीड़ित परिवारों की

सहायता करते हैं। जब मैंने उनसे जिला डोडा के पीड़ित परिवारों को सहायता देने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने शहीद परिवार कोष का आवेदन पत्र भेज दिया, जिसे पीड़ित परिवारों ने भरकर सहायता प्राप्त की। सहायता के रूप में इनके द्वारा प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपयों के साथ-साथ अन्य उपयोगी वस्तुएँ कार्यक्रम के दौरान सामूहिक रूप से दी जाती हैं। राज्य एवं जिले के कई परिवार जालंधर जाकर यह सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

कांग्रेस की भूमिका

कांग्रेस की मुसलिम तुष्टीकरण की नीति के कारण ही पूरे प्रदेश में आतंकवाद को हवा मिली। जब राज्य में आतंकवादी-अलगाववादी स्वर उभर रहे थे तो केंद्र एवं राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उन स्वरों को अनदेखा किया। कांग्रेस ने अलगाववाद के उन स्वरों को आनेवाले संकट के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन देते हुए यह कहा कि यह तो कश्मीर घाटी की जनता का गुस्सा है, उसे हम शांत कर देंगे। परिणामस्वरूप उन्हें मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कांग्रेस की सरकार उनकी अनुचित माँगे भी मानने लगी। परिणामस्वरूप ये अलगाववादी स्वर आतंकवाद का रूप लेकर राज्य के लिए विध्वंस एवं विनाश का कारण बन गए।

अनंतनाग, श्रीनगर, ऊधमपुर, राजौरी, पुंछ और डोडा जिले के कई नेता तो अपनी प्राणरक्षा के लिए जम्मू पलायन कर गए और जो रह गए उन्होंने चुप्पी साधकर अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का ही समर्थन किया। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने आतंकवाद को समाप्त करने का कोई ठोस निर्णय भी नहीं लिया। जब प्रदेश के अध्यक्ष गुलाम रसूलकार चुनावों के समय प्रवास में आए तो भद्रवाह के पीड़ित लोगों ने इन पर पथराव कर वहाँ से भगा दिया।

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने में राज्यपाल जगमोहन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही; किंतु केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उन्हें मुसलिम तुष्टीकरण के कारण वहाँ से हटा लिया। केंद्र की कांग्रेस सरकार के अनेक मंत्रियों का कश्मीर में प्रवास हुआ; किंतु आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बन सकी। सैनिक और अर्द्धसैनिक अगर कश्मीर में भेजे भी गए तो दिशा-निर्देशों की बेड़ियों में उसके हाथ जकड़ दिए गए। आतंकवादियों को छोड़ने की घटनाएँ भी कांग्रेस के शासनकाल में घटीं। मजबूरियाँ चाहे कुछ भी रही हों; किंतु इससे सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का पर्दाफाश होता है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका

नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण ही जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पल्लवित हुआ। कश्मीर को भारत से.अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मंशा एक ओर फारूख अब्दुल्ला के मन में पैदा हुई तो दूसरी ओर कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिलाने का नापाक इरादा पाकिस्तान पाल रहा था। पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. को इसे क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा। समय के साथ पाकिस्तान के कोख में पल रहा यह विष-वृक्ष आतंकवाद के रूप में पल्लवित-पुष्पित हुआ, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का संरक्षण प्राप्त है।

आतंकवादियों की हिंसक घटनाओं के विरोध में कभी भी बंद, धरने, हड़ताल का आयोजन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया और न ही हिंदू समाज के द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शनों में भाग लिया। किसी आतंकवादी के मारे जाने या सेना द्वारा किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बंद, धरने, प्रदर्शन आयोजित करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता तथाकथित आजादी के मुखर समर्थक हैं। भारत के साथ वे रहना नहीं चाहते हैं। डोडा के कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता श्री अताउल्ला सोरावर्दी यह कहते थे कि 'बंदूक से आजादी का मसला हल होनेवाला नहीं, हमको अन्य ढंग से आजादी का आंदोलन करना चाहिए।'

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सन् १९९६ का विधानसभा चुनाव स्वायत्तता, सन् १९५३ से पूर्व की स्थिति बहाल करने, बिल क्रमांक-९ इत्यादि माँगों के आधार पर लड़ा। सत्ता की कुरसी मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनाई।

भारतीय जनता पार्टी की भूमिका

भाजपा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की पीड़ा झेल रहे समाज के दुःख-दर्द को समझा और मातृभूमि की रक्षार्थ विस्थापन को रोकने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आ गया तथा समाज का नेतृत्व करने लगा।

भाजपा ने अपने समान विचारों के सामाजिक संगठनों के सहयोग से समाज के मनोबल को ऊँचा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित कीं। आतंकवादी गतिविधियों का विरोध किया। समाज को आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा करने और उसे हिम्मत देने के लिए प्रत्येक मोरचे पर संघर्ष किया। हड़ताल, धरना और प्रदर्शन प्रारंभ किए गए, जिससे समाज के मन में आतंकवाद का भय कम होने

लगा और संघर्ष करने का भाव जागा।

आतंकवाद की अत्यधिक बढ़ती घटनाओं के कारण भाजपा के नेताओं को धमकी भरे पत्र आने लगे। अधिकतर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भयग्रस्त होकर जिले से बाहर जम्मू में पलायन प्रारंभ कर दिया, जिससे समाज में निराशा का भाव उत्पन्न होने लगा। भाजपा ने यह नीति बनाई कि भाजपा का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता आतंकवाद से भयग्रस्त होकर पलायन नहीं करेगा। चाहे हमारे जीवन को कितना भी खतरा क्यों न हो।

भाजपा द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के कारण अनेक नेता आतंकवादियों के शिकार बन गए। आतंकवादियों ने चुन-चुनकर भाजपा नेताओं को निशाना बनाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिला मुख्यालय डोडा में रहनेवाले भाजपा के जिला महामंत्री श्री संतोष ठाकुर (अधिवक्ता) की १९ दिसंबर, १९९२ को न्यायालय से घर जाते समय संध्या ४.३० बजे गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश हिंदू रक्षा समिति के मंत्री और किश्तवाड़ निवासी श्री सतीश भंडारी की किश्तवाड़ के बाजार में १० मई, १९९३ को संध्या ७.४० बजे हत्या कर दी गई। इस समय प्रशासन की तरफ से दिए गए उनके दोनों अंगरक्षक रहस्यमय ढंग से लापता थे। भद्रवाह में जिला उपाध्यक्ष श्री स्वामीराज काटल की भद्रवाह नगर से अपने गाँव जाते समय आतंकवादियों ने ३१ मई, १९९४ को मोंडा में हमला करके हत्या कर दी। ७ जून, १९९४ को आतंकवादियों ने भद्रवाह मंडल के प्रधान श्री रुचिर कुमार की छाती को गोलियों से छलनी कर दिया।

जिले में बढ़ती आतंकवाद की घटनाओं का विरोध यहाँ की कई राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ऊधमपुर निवासी श्री लाला शिवचरण गुप्ता ने इसका नेतृत्व किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने संघ के संघचालक श्री वैद्य हरिराम की देखरेख में इनका इस कार्य में साथ दिया। इन्होंने प्रशासन पर जोर बनाए रखा और प्रशासन के द्वारा ग्रामीण सुरक्षा समितियों का गठन करवाया। अभी अनेक गाँवों में नई समितियों की आवश्यकता है। प्रशासन को गाँव के देशभक्त लोगों को शस्त्रों का प्रशिक्षण देना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में, मार्गों में सुरक्षा चौकियाँ स्थापित की जानी चाहिए। सीमा मार्गों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है, जिसमें आतंकवादियों का घुसपैठ रुक सके।

भारतीय गुप्तचर विभाग और सेना की रिर्पोट है कि आतंकवाद फैलानेवाली पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. ने अब अपना ध्यान जम्मू में केंद्रित

किया है। इस षड्यंत्र का खुलासा भारतीय सेना के सोलह कोर के कमांडर लेफ्टीनेंट जनरल श्री डी.एस. चौहान ने १६ जनवरी, १९९९ को जम्मू के एक संवाददाता सम्मेलन में किया। श्री चौहान का कहना था कि—'आई.एस.आई. ने आतंकवादियों को जम्मू क्षेत्र में हमले तेज करने के आदेश दिए हैं। वह जम्मू में अशांति फैलाकर दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि राज्य का यह हिस्सा भी उपद्रवग्रस्त है।'

भाजपा सांसदों का प्रवास

आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी होने, केंद्र द्वारा इसकी उपेक्षा करने, देश की संसद् को सच्चाई बताने, आतंकवाद से पीड़ित समाज का दुःख-दर्द महसूस करने और समाज का मनोबल ऊँचा उठाने के लिए भाजपा का चार सदस्यीय 'सांसद प्रतिनिधि मंडल' सांसद श्री विष्णुकांत शास्त्रीजी के नेतृत्व में जिला डोडा में सात दिवसीय प्रवास पर सन् १९९२ में आया, जिसमें श्री भुवनचंद खंडूरी, श्री चेतन चौहान और श्री अनंत मौर्य शामिल थे। उन लोगों ने डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन में जनसभाओं को संबोधित किया। आतंकवाद से संघर्ष करनेवाले नागरिकों का मनोबल ऊँचा किया, बलिदान देनेवालों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवादियों का साथ देनेवाले प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी दी। प्रतिनिधियों ने प्रवास के दौरान आतंकवाद की परिस्थितियों और वास्तविक घटनाओं की जानकारियाँ एकत्र कीं और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव से मिलकर स्थिति की जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने सदन को जिला डोडा में बढ़ते हुए आतंकवाद से अवगत कराया। जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश को बढ़ते हुए आतंकवाद और उससे पीड़ित समाज की जानकारी हुई।

इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री केदारनाथ साहनी का पाँच दिवसीय प्रवास २५ मई, १९९४ में प्रारंभ हुआ। इनके आने पर आतंकवादियों ने वहाँ दहशत का वातावरण बना दिया। २७ मई को किश्तवाड़ से सटे हड़ियाल गाँव में तीन हरिजन गरीब मजदूर युवकों का अपहरण कर हत्या कर दी। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। जिसके कारण किश्तवाड़ में जनसभा न हो सकी। डोडा के शेष भागों में इन्होंने जनसभाएँ कीं। ये जिले के आतंकवाद से पीड़ित परिवारों से मिले। इन्होंने यहाँ की वास्तविक स्थिति के संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं केंद्र सरकार को जानकारी दी। भाजपा ने डोडा की बिगड़ती हुई परिस्थितियों से पूरे देश को अवगत कराने के लिए देशव्यापी 'डोडा बचाओ आंदोलन' प्रारंभ किया। यह

आंदोलन २३ जून से ६ जुलाई, १९९४ तक चला। इस आंदोलन में सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी सहित अनेक शीर्ष नेताओं, सांसदों सहित देश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रतिदिन गिरफ्तारियाँ देने का अभियान प्रारंभ किया। इस आंदोलन में 'कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है' इसका चित्रण हुआ। इसे चरित्रार्थ करने के लिए अंडमान-निकोबार से भी एक कार्यकर्ता ने जम्मू आकर अपनी गिरफ्तारी दी और भारत की जम्मू कश्मीर के प्रति अखंडता को दरशाया। पंद्रह दिनों तक निरंतर रैली, जनसभाएँ, गिरफ्तारियाँ होती रहीं। जम्मू की सड़कें, गलियाँ 'भारतमाता की जय', 'जिस कश्मीर को खून ने सींचा वह कश्मीर हमारा है', 'सेना लाओ-कश्मीर बचाओ' आदि देशभक्तिपूर्ण नारों से गूँजती रहीं, जिसको देश-विदेश के संचार माध्यमों ने भी महत्त्व दिया और अपने-अपने समाचारपत्रों में प्रमुखता से छापा।

प्रदेश नेताओं का प्रवास

भाजपा से जुड़े राज्य के नेताओं ने भी समाज के मनोबल को बनाए रखने के लिए प्रवास किया। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री चमनलाल गुप्ता निरंतर जिले के दूरदराज क्षेत्रों का भी प्रवास करते रहे। जिले में कहीं भी, कोई भी आतंकवाद की घटना घटती है तो श्री गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ बिना किसी भय के वहाँ पहुँचते हैं। भाजपा को छोड़कर कश्मीर अन्य किसी भी राजनीतिक दल उसके नेताओं ने सन् १९८९ से अब तक बढ़ते आतंकवाद के विरोध में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया।

संसद् में कश्मीर

सांसद बनने के बाद लोकसभा में जब पहले दिन श्री चमनलाल गुप्ता को बोलने का समय दिया गया तो इन्होंने प्राथमिकता के साथ कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जताई। १० जून, १९९६ की रात्रि को ठाठरी के कलमाडी गाँव में आतंकवादियों ने एक ही परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी, तो श्री गुप्ता ने अगले ही दिन ११ जून, १९९६ को इस घटना पर संसद् में सवाल उठाया। इन्होंने समय-समय पर ग्रामीण सुरक्षा समिति का तेजी से गठन करने, पीड़ितों को सरकारी सहायता दिलवाने, विस्थापन रोकने, अधिक सुरक्षा बल भिजवाने एवं उन्हें अधिक अधिकार दिलवाने के लिए संसद् में सवाल उठाए हैं।

जब आतंकवादियों ने निर्दोषों की हत्याएँ करनी शुरू कर दीं तो बढ़ते

आतंकवाद पर चिंता जताते हुए श्री इंद्रकुमार गुजराल की केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर के एक मात्र भाजपा सांसद ने ३० जुलाई, १९९७ को लोकसभा में सवाल किया। उन्होंने पूछा—'जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, तब से राज्य में उन क्षेत्रों में भी आतंकवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया है जो क्षेत्र आतंकवाद से बिलकुल अछूते थे, विशेष रूप से राजौरी और पुंछ इलाकों में आतंकवाद ने भयानक रूप धारण कर लिया है। इसी सप्ताह स्वर्णकोट गाँव के पास गुंथल गाँव में तीन मुसलिम नौजवानों का अपहरण किया गया है। इसमें से एक को गाँव के बीच सबके सामने जिंदा जलाया गया और दूसरे का सिर काटकर उसकी लाश सड़क पर फेंकी गई। तीसरे के साथ क्या हुआ अभी तक इसका कोई पता नहीं चल सका है। हमारी सरकार इन तथ्यों को भी बाहर नहीं आने देती है। इसलिए मेरा गृहमंत्री जी से निवेदन है कि वे विशेष रूप से राजौरी और पुंछ की तरफ ध्यान दें।'

कलमाडी की त्रासदी—'आज भी कश्मीर में सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर वहाँ पर सरकार होती तो जिस तरह से डोडा जिले में आज हत्याएँ हो रही हैं तो क्या वे होतीं? मैं स्वयं कलमाडी गाँव गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक ही परिवार के सात लोगों को एक ही कमरे में बंद कर चाकू से हलाल कर दिया गया था। दो छोटी बच्चियाँ, जिसमें एक की उम्र दो साल की है, दूसरे की साढ़े तीन साल, वे जीवित लहू के तालाब में पड़ी हुई थीं। यह घटना वहाँ रात के ७.०० बजे घटित हुई, परंतु दूसरे दिन शाम ४.०० बजे वहाँ पुलिस पहुँची, सुरक्षा बल के जवान पहुँचे और ये दोनों छोटी बच्चियाँ लगातार पंद्रह घंटे तक अपने माँ-बाप की लाशों के साथ चिपकी रहीं, भगवान् ने उनको कैसे बचाया?'

सुरक्षा बलों की वापसी हेतु—मैं गृहमंत्री से माँग करता हूँ कि डोडा जिले से जो सुरक्षा बल हटाए गए हैं, उन्हें तुरंत वहाँ भेजा जाय। डोडा जिला इस समय आतंकवादियों से घिरा हुआ है। वहाँ पर भाड़े के विदेशी सैनिक इतनी संख्या में आए हुए हैं कि लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया है।

ग्रामीण सुरक्षा समिति बनाने हेतु—जब से प्रदेश में नई सरकार बनी है, तब से वहाँ पर ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ बनाना बंद कर दिया गया है, लोगों को हथियार देना बंद कर दिया गया है। ग्रामीण सुरक्षा समितियों को वहाँ कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि वहाँ पर ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ बनाई जाएँ और इन कमेटियों को वहाँ पर बाकायदा मानदेय दिया जाए, इन्हें हथियार मुहैया करवाए जाएँ, ताकि वे वहाँ पर अपना काम ठीक से कर सकें।

अन्य राजनीतिक दल

जिले में अन्य राजनीतिक दल जिनमें जनता दल, पैंथर पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि का अस्तित्व नगण्य है। इनकी भूमिका आतंकवाद के विषय में चुप्पी साधने की रही है। इनका आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने एवं समाज को साथ देने में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है। ये मात्र चुनावों के समय दिखाई पड़ते हैं।

सारांश

भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर आकर आतंकवाद का विरोध किया। आतंकवादियों के डर से भाजपा को छोड़कर प्रायः सभी दलों के नेताओं ने न केवल मौन धारण किया, अपितु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी किया। यहाँ तक कि पकड़े गए आतंकवादियों को छोड़ने के लिए सेना एवं प्रशासन पर दबाव भी डाला। पुंछ जिले के फैजलाबाद गाँव से २६ फरवरी, १९९८ को सेना ने लालहुसैन के भतीजे को आतंकवादियों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ब्लॉक प्रधान शबनम और गाँव के नंबरदार हमीद ने उसको छुड़वाने के लिए सेना पर दबाव डाला। आतंकवादियों का समर्थन करनेवाले नेताओं के कारण भी जम्मू कश्मीर के हालात खराब होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कुलदीप राज गुप्ता, जो राजौरी के रहनेवाले हैं, अपने सहयोगियों के साथ आतंकवाद के विरोध में संघर्ष में कर रहे हैं। उन्होंने २२ जनवरी, १९९९ को दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर उन्हें पूरी परिस्थिति की जानकारी दी। आतंकवाद के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभागीय संघचालक श्री हरदेव आतंकवाद से पीड़ित हिंदू समाज की सेवा में रात-दिन कार्यरत हैं।

□

आतंकवाद समाप्त करने के उपाय

आतंकवाद के खूनी पंजे से कश्मीर घाटी, डोडा, ऊधमपुर, राजौरी, पुंछ इत्यादि सभी जिलों की पवित्र भूमि लहूलुहान हो चुकी है, जिसके कारण कश्मीर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। कश्मीर का लगभग हर हिंदू परिवार आतंकवाद से पीड़ित है। अनेक हिंदू परिवार ये सब दुःख सहने के बाद भी अपनी धरती से विस्थापित होने को तैयार नहीं हैं। बलिदान दे रहे हैं। हिम्मत के साथ संघर्ष कर आतंकवादियों को मजा चखा रहे हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि आतंकवाद की दहशत से कश्मीर कब मुक्त होगा? कब निर्भय होकर सामान्य जन शांत-एकांत पहाड़ियों पर विचरण करेगा? आतंकवादी घटनाओं का विश्लेषण करने से उनकी मंशा स्पष्ट होती है। कश्मीर का आतंकवाद अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ेपन के कारण असंतुष्ट और नाराज कश्मीरियों का महज उग्र और हिंसक आंदोलन नहीं है, अपितु पाकिस्तान द्वारा कुत्सित मानसिकता के अंतर्गत भारत को कश्मीर से अलग करने का कुकृत्य है। इसीलिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पीड़ित समाज के दुःखों को समझने की आवश्यकता है। आतंकवाद से धरती की रक्षा करने की आवश्यकता है।

आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को एक साथ कई तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, अन्यथा ये दीमक की भाँति राष्ट्र की जड़ों को खा-खाकर खोखला कर देंगे। सरकार को आतंकवाद समाप्त करने के लिए एक व्यापक नीति बनानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक पहलू पर विचार हो, तभी देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सकती है।

सीमा पर चौकियाँ स्थापित करना

पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लेकर घुसपैठ करनेवाले आतंकवादी

पहाड़ों और जंगलों से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। डोडा जिले की सीमा कश्मीर के अनंतनाग जिले के साथ लगती है। पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के बाद आतंकवादी अत्याधुनिक हथियार लेकर इन्हीं रास्तों से प्रवेश कर जाते हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने के लिए सीमा के एक भाग में पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग करते हैं और दूसरी ओर से ये लोग घुसपैठ करते हैं। पर्याप्त संख्या में सीमा पर चौकियाँ स्थापित होने से यह घुसपैठ रुक जाएगी।

सीमा पर पुलिस गस्त बढ़ाने की व्यवस्था करना

आतंकवादी वारदातें करने के बाद सीमावर्ती हिमाचल प्रदेश, चंबा-पांगी घाटी और जंगलों में छिप जाते हैं। सेना द्वारा अधिक खोजबीन करने पर अनेक इनामी आतंकवादी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में जाकर शरण लेते हैं और वहाँ बम विस्फोट करते हैं। जम्मू कश्मीर से लगते अन्य प्रदेशों की सीमा पर पुलिस गस्त तेज करने और चौकियाँ स्थापित करने से आतंकवादी अन्य प्रदेशों में जाकर वारदातें नहीं कर पाएँगे।

सेना को अधिकार प्रदान करना

आतंकवाद पर अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस समर्थ नहीं है। इसके मुख्यत: दो कारण हैं, पहला तो यह है कि अधिकांश स्थानीय पुलिस कर्मी आतंकवाद के समर्थक हैं और दूसरा यह कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं। वास्तव में सैनिक एवं अर्धसैनिक बल ही इस आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। सुरक्षा बलों के आने से जम्मू कश्मीर के समाज में एक नई हिम्मत आई है। अगर डोडा, पुंछ, राजौरी आदि जिलों में सेना नहीं आती तो ये जिले भी कश्मीर घाटी की भाँति पूर्णत: विस्थापित हो चुके होते। लंबे समय से सेना की तैनाती के बावजूद आतंकवाद समाप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर भेजे गए सुरक्षा बलों को कार्यवाही का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। उनके हाथ बाँधकर रखे गए हैं। उनपर मानवाधिकार के नाम से आतंकवादियों के समर्थकों द्वारा मिथ्या आरोप लगाकर शोर मचाने पर मुकदमे चलाए जाते हैं। सेना को अधिकार संपन्न किए बिना आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकेगा।

प्रशासन और सुरक्षा बलों का आपसी समन्वय

स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों का आपस में

समन्वय स्थापित होना चाहिए, ताकि वे सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ कार्य कर सकें, जिससे परिणाम भी अच्छे आएँगे। समन्वय के अभाव में जब सेना किसी आतंकवादी को पकड़ती है तो स्थानीय प्रशासन उसे छोड़ देता है। दूसरी बात यह है कि सेना को क्षेत्र की सही जानकारी नहीं रहने के कारण काम करने में कठिनाई होती है। आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए समन्वय समिति बनाई जाए। जिसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हों। जो कि निश्चित समयावधि में सामूहिक रूप में बैठक कर योजना बनाएँ। यदि किसीको कोई कठिनाई आती है तो वह उसे आपस में एक-दूसरे की सहायता लेकर दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है।

जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा बल भेजे गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय राइफल, आसाम, मराठा, सिक्ख राइफल आदि के जवान राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात हैं; किंतु इन सबों के बीच समन्वय का अभाव है। अनेक स्थान तो ऐसे हैं जहाँ सेना और अर्द्धसैनिक बल आसपास ही विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। ऐसी स्थिति में कहीं कोई घटना घटने पर सबसे पहले कौन जाए? इस मुद्दे पर टाल-मटोल होने लगा है। इसी कारण आतंकवादी घटना कर भागने में सफल हो जाते हैं। सुरक्षा बल का कार्य करने का ढंग भी अपना-अपना रहता है। परिणामस्वरूप अलग-अलग दिशा में काम करने के कारण सेना की शक्ति बँट जाती है और आतंकवादियों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान भी नहीं हो पाता है। जिले के सभी नगरों में केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल स्थापित किया जाए, जिसका कार्य मात्र नगर तक ही सीमित रहे। गाँवों में चौकियों और ऑपरेशन कार्यवाही करने के लिए एकमात्र राष्ट्रीय राइफल को ही नियुक्त किया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय राइफल का गठन भी विशेष रूप से आतंकवाद समाप्त करने के लिए हुआ है। जिले में राष्ट्रीय राइफल को ही प्रमुख दायित्व दिया जाए।

देशद्रोही और देशभक्त की पहचान

राज्य में देशभक्त एवं देशद्रोही की पहचान करना आवश्यक है। कई नागरिक ऐसे हैं जो कि देशभक्ति का ढोंग रचकर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए बिना किसी जाति, धर्म, भाषा का भेदभाव किए इनकी पहचान करके देशभक्त को संरक्षण दिया जाए और देशद्रोही को दंडित किया जाए। इस कार्य को गति देने के लिए खुफिया विभाग को चुस्त-दुरुस्त करना पड़ेगा। आतंकवादियों की सूचना देनेवालों को संरक्षण देकर

प्रोत्साहित करना पड़ेगा। समाज के संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखनी पड़ेगी। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही सफलता मिलेगी। समाज में देशभक्ति की भावना जाग्रत् करने के लिए विविध कार्यक्रम करने होंगे। देशद्रोही और देशभक्त की पहचान करना कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं।

राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन में ऐसे अनेक अधिकारी हैं जो कि आतंकवादियों का साथ देते हैं। ये आतंकवादियों को प्रशासन की गुप्त सूचनाएँ पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि कई पुलिस अधिकारी अपने कार्यों के द्वारा उनको लाभ पहुँचाते हैं। सरकार के गुप्तचर विभाग के अनुसार कई सरकारी अधिकारी आतंकवादियों के समर्थक हैं। अत: जब प्रशासन के रक्षक ही भक्षक के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो आतंकवाद कैसे समाप्त हो सकता है? इसलिए प्रशासन में ऐसे लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। जिनके ऊपर ऐसा शक या आरोप है जो आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं, उन्हें क्षेत्र में नियुक्त न किया जाए। दूसरा, राज्य की भौगोलिक स्थिति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इनके जानकार को ही क्षेत्रों में तैनात किया जाए जिससे ये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें।

प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण देना

आतंकवाद की गतिविधियाँ तेज होने के कारण कई बार तो प्रशासन को यह समझ में ही नहीं आता है कि वे क्या करें? क्योंकि उन्हें तो सामान्य स्थिति में ही कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। जिसके कारण आतंकवादी अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का मुकाबला किस प्रकार किया जाए, आतंकवादी घटना होने पर कैसे कार्य करना चाहिए, समाज को विस्थापित होने से किस प्रकार रोका जाए, ऐसे अनेक विषयों का प्रशिक्षण प्रशासन के अधिकारियों को देना आवश्यक है। इससे प्रशासन पंगु न बनकर गतिशील होकर कार्य करेगा।

अधिकाधिक ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ बनाना

किसी भी देश की समस्या का समाधान उसके समाज के सहयोग के द्वारा ही संभव होता है। आतंकवाद की समस्या के विरोध में समाज के खड़े होने के कारण आतंकवाद को काफी धक्का लगा है। जब केंद्र सरकार ने सन् १९९६ में ग्रामीण सुरक्षा समितियों के गठन का आदेश दिया और समितियाँ बनाई गईं तो उसके सकारात्मक परिणाम निकले। प्रारंभ में ग्रामीण सुरक्षा समितियाँ बनने के

कारण आतंकवादियों ने जब इन गाँवों में आकर हमला किया तो समितियों के हथियार बंद सदस्यों ने उनसे मुकाबला किया, जिसमें आतंकवादियों को भागना पड़ा और अन्य कई घटनाओं में तो आतंकवादी घायल भी हुए और मारे भी गए। ये समितियाँ अत्यधिक संख्या में बनाई जानी चाहिए। इनके माध्यम से सरकार समाज का सहयोग लेने, उसे हिम्मत देने एवं उसे संघर्ष के लिए खड़ा करने का प्रयास कर सकती है। सरकार ने इन समितियों के सदस्यों को ३०३ बोर की पुरानी बंदूकें दी हैं। आठ या दस सदस्यीय प्रत्येक समिति को सरकार प्रतिमाह केवल एक हजार पाँच सौ रुपए देती है। इन समितियों को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पूर्व सैनिक एवं बेरोजगार युवकों को शामिल किया जाए।

जिन युवकों का राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र अच्छा हो तथा देशभक्ति की भावना हो, उन्हें आधुनिक शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक समिति को एक वायरलेस सेट देना चाहिए, जिसका संपर्क निकट की सेना टुकड़ी या चौकी के साथ हो, ताकि गाँव में आतंकवादियों का हमला होने पर सहायता के लिए सेना को सूचित किया जा सके। इन्हें वरदी दी जाए। इन समितियों में सम्मिलित युवक आतंकवादियों के निशाने पर चढ़ जाते हैं और फिर इनको अपनी जीविका के लिए अन्य कार्य करने में कठिनाइयाँ आने लगती हैं। अत: इन्हें उचित मानदेय दिया जाना चाहिए, ताकि इनका गुजर-बसर चल सके। समय-समय पर इनके अभ्यास वर्ग भी लगने चाहिए, जिसमें इन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। समिति के युवकों में चरित्र और अनुशासन का निर्माण हो, ताकि ये अनुचित कार्य न करें। गाँव के प्रत्यके व्यक्ति, महिला, युवक, युवती को शस्त्र प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे आतंकवादियों के साथ संघर्ष कर सकें। गाँववालों को भी इन समितियों के सदस्यों को सहयोग देकर आतंकवादियों से मुकाबला करना चाहिए।

स्थानीय युवकों को सेना में भरती करना

व्यक्ति की पहचान, मार्ग का ज्ञान, मौसम की प्रतिकूलता इत्यादि कारण से सेना के जवानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव स्थानीय युवक को सेना में भरती किया जाए तो सफलता मिलेगी। सेना में भरती के लिए राज्य के जिलों में भरती अभियान चलाए जाने चाहिए। फिर इन्हें प्रशिक्षण देकर जिलों में ही नियुक्त करने से आतंकवाद पर नियंत्रण करने में सुविधा रहेगी। क्षेत्र और व्यक्तियों की पहचान तथा प्रतिकूल मौसम में भी रहने के लिए अभ्यस्त होने

के कारण ये सफल सिद्ध होंगे। आतंकवादी कहीं भी भागें, छिपें, ये उन्हें अवश्य ही मार गिराएँगे। इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी और जिले से आतंकवाद को समाप्त करने में सफलता भी मिलेगी।

सैनिक छावनी की स्थापना

जम्मू कश्मीर की सामरिक, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति इस प्रकार की है कि ये हमेशा से संवेदनशील रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक सैनिक छावनी स्थापित करने का निर्णय किया। भद्रवाह के चिंता क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण किया गया। परंतु कार्य धीमी गति से चल रहा है, जबकि क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए हर जिले में छोटी-छोटी छावनी बनाने की आवश्यकता है।

आतंकवादी मारने पर पुरस्कार योजना

सेना एवं समाज के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार को 'नागरिक शौर्य सम्मान' प्रारंभ करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आतंकवादियों से संघर्ष करे, उन्हें नुकसान पहुचाएँ, किसी आतंकवादी को मारे या पकड़वाए, हथियार के भंडार पकड़वाए आदि कार्य करनेवाले व्यक्तियों और सेना के जवानों को 'नागरिक शौर्य सम्मान' से सम्मानित करना चाहिए। जिसमें उन्हें एक प्रतीक चिह्न और निश्चित नकद राशि प्रदान की जाए। यह सम्मान भव्य सार्वजनिक समारोह में दिया जाए। इससे समाज में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का हौसला बुलंद होगा।

सेना के द्वारा कार्यवाही में आतंकवादी मारे जाते हैं या फिर आत्मसमर्पण कर देते हैं। परंतु मात्र इतने से आतंकवाद की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं होगी, क्योंकि पूरे जिले में स्थान-स्थान पर आतंकवादियों के अत्याधुनिक शस्त्रों के भंडार एवं विस्फोट सामग्री जमा हैं। अत्याधुनिक शस्त्रों के कारण ही आतंकवादी अपनी बहादुरी दिखाते हैं। अत: इनके शस्त्रों एवं शस्त्र भंडारों पर छापा मारकर सब कब्जे में लेना चाहिए।

पीड़ित समाज की सहायता कर विस्थापन रोकना

आतंकवाद के कारण जो परिवार पीड़ित हो जाते हैं। उन परिवारों की सहायता सरकार को ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक लाख की नकद राशि और एक सदस्य को नौकरी तुरंत प्रदान करनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना

चाहिए। सरकार को पीड़ित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जिले में एक छात्रावास सहित 'शहीद परिवार शिक्षा संस्थान' की स्थापना करनी चाहिए। इसमें उनके पढ़ाई, वरदी, भोजन आदि का व्यय सरकार वहन करे। आतंकवादियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर जो परिवार विस्थापित होकर जिला या तहसील केंद्रों में आ जाते हैं उनकी सहायता भी प्रशासन को करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को 'आतंकवाद पीड़ित सहायता समिति' का गठन करना चाहिए।

शहीद परिवार का सम्मान करना

आतंकवाद से पीड़ित परिवार, जिनके किसी-न-किसी सदस्य की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की जाती है, उन्हें शहीद का सम्मान देना चाहिए। उनके परिवार को 'शहीद परिवार सम्मान' से विभूषित किया जाना चाहिए, जिसमें इन परिवारों को सार्वजनिक समारोह में एक प्रतीक चिह्न, बलिदान पत्र एवं निश्चित नकद राशि देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उस परिवार और आम नागरिकों का मनोबल बढ़ेगा। भारतमाता की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान के प्रति गौरवान्वित होगा।

राष्ट्रीय चेतना का जागरण और संस्कारों का भारतीयकरण

प्रारंभ से ही किसी भी सरकार ने कश्मीर में भारतीय मूल्यों को महत्त्व नहीं दिया। घाटी में इसलाम मजहब की जनसंख्या निवास करती है, उनका शिक्षा एवं संस्कारों के माध्यम से भारतीयकरण करना जरूरी है। उनके दिलों में हिंदुस्थान, हिंदुस्थानी और हिंदू के प्रति प्यार एवं भक्ति का भाव पैदा करने की आवश्यकता है। जय भारत, भारतमाता की जय, राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और भारतीय होने का गर्व हो, इसके लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए। यह भाव जगाना आवश्यक है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, देशभक्ति मजहब से बड़ी है। पूरा भारत एक है और अपना देश है। राज्य की विधानसभा में भी राष्ट्रीय गान, विद्यालयों में देशभक्ति के गीत, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर महापुरुषों के प्रेरणादायक वाक्य लिखे जाने चाहिए। युवकों को देश के विभिन्न भागों का दर्शन कराया जाना चाहिए। पाकिस्तान के झूठे प्रचार और कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवियों के गलत प्रचार से राज्य की मुसलिम जनता को दूर रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। घाटी के मुसलिम नागरिकों को इस ऐतिहासिक सत्य का अहसास करवाना होगा कि तुम

विदेशी आक्रमणकारियों तैमूर लंग या औरंगजेब की संतान नहीं हो। पूर्व में तुम सब हिंदू थे और तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। मजहब बदल लेने से पूर्वज नहीं बदल जाते। हिंदू और मुसलमान दोनों के माँ-बाप एक हैं, खून एक है। हिंदू आपकी पूजा पद्धति का सम्मान करते हैं। आप विदेशी नहीं हैं, भारतीय हैं।

वार्त्ता की सार्थकता

किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने के लिए वार्त्ता अर्थात् आपसी बातचीत की आवश्यकता पड़ती है। राज्य की समस्या के समाधान हेतु वार्त्ता के अनेक दौर चले हैं। लेकिन बातचीत केवल आतंकवादी नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि आतंकवाद से संघर्षरत समाज के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक नेताओं के साथ भी होनी चाहिए। पंजाब राज्य का उदाहरण देश के सामने है। जब राज्य में आतंकवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प सरकार ने किया तो उसने आतंकवादियों से कोई लंबी वार्त्ताएँ या एक तरफा संघर्ष विराम जैसे तरीके नहीं अपनाए। बल्कि वहाँ के संघर्षशील समाज को आतंकवाद के विरुद्ध तैयार करके आतंकवादियों को ढूँढ़-ढूँढ़कर मारा और उनके नेताओं को शक्तिहीन बना दिया। परिणामस्वरूप वहाँ फिर से अमन-चैन बहाल हुआ। उसके बाद शक्तिहीन अलगाववादी नेताओं के साथ की गई बातचीत भी सार्थक सिद्ध हुई। पंजाब का आतंकवाद भी कश्मीर की भाँति पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। इसलिए वार्त्ता की सार्थकता पर विचारपूर्वक योजना बनानी चाहिए।

आतंकवाद समर्थकों को कड़ी चेतावनी

केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश के सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दलों को और उनके नेताओं को तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर संयुक्त रूप से एक स्वर से आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। जो आतंकवादी और अलगाववादी लोग हैं या उनके विचारों का समर्थन करनेवाले लोग हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दे देनी चाहिए कि आप राष्ट्र की मुख्यधारा में वापस लौटकर भारतीय नागरिक की तरह रहें, नहीं तो आपके विरुद्ध देशद्रोह की कार्यवाही की जाएगी।

जनसंख्या-संतुलन स्थापित करना

कश्मीर को भाईचारे की मिसाल बनाने और इसको देश के अन्य राज्यों के

निकट लाने के लिए ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे देश के अन्य नागरिक राज्य में बस सकें, रह सकें, इससे जनसंख्या का संतुलन भी बना रहेगा। राज्य में अलग कानूनों के कारण यहाँ के लोगों के मन में अलगाव की भावना भी पनपती है। वे अपने आपको शेष भारत के नागरिकों से अलग समझने लगते हैं। इसलिए यह विशेष कानून समाप्त कर एक समान कानून लागू किए जाने चाहिए, ताकि कश्मीर हिंदू-मुसलिम भाईचारे की मिसाल बन सकें।

कश्मीर में धारा ३७० को हटाए बिना समाधान की दिशा में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर समस्या महज पाकिस्तान द्वारा उसे हड़पने की साजिश है। जनसंख्या संतुलित किए बिना इसका समाधान नहीं हो सकता। यह ऐतिहासिक सत्य है कि पंजाब, कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ कहीं भी हिंदुओं की आबादी कम हुई, वहाँ अलगाववाद ने सिर उठा लिया। शायद इसी को लक्ष्य करते हुए महाकवि आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा था—

> हिंदू घटा, बँटा भारत, यह तथ्य किसे है ज्ञात नहीं,
> फिर भी जो चुपचाप भ्रांति, को पाल रहे अनजान बने।
> क्या कहिए इनको, बेचारे हैं परिवार नियोजन में,
> वे दिन-दूने, रात-चौगुने रक्त बीज संतान जने।

संविधान की धारा ३७० को हटाकर यदि हिंदू आबादी को वहाँ बसा दिया जाए तो यह समस्या सदा के लिए मिट जाएगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण धारा ३७० जैसे विधान लागू किए गए। तब से चला आ रहा यह लाइलाज रोग अब भारत के लिए एक विकराल समस्या बन गया है। अब तो लाखों हिंदू कश्मीर से पलायन कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या संतुलन अब थोड़ा कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं।

धारा ३७० के संबंध में एक तथ्य और विचारणीय है। सन् १९४७ में पाकिस्तानी हमले के बाद कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया वहाँ पाकिस्तान सरकार ने क्या इस तरह ३७० धारा जैसा कोई प्रतिबंध लगाया? क्या पाकिस्तान किसी भी नागरिक को पाक अधिकृत कश्मीर में बसने से रोकती है? कदापि नहीं! तो फिर भारत में ही इस तरह का प्रावधान हम क्यों लागू करें? असल में सांप्रदायिक तुष्टीकरण की कांग्रेसी मानसिकता ने इस समस्या को विकराल बनाया है।

कश्मीर समस्या के समाधान के संबंध में एक बात और विचारणीय हो

सकती है। मान लीजिए, तत्काल धारा ३७० को हटाना संभव नहीं भी हो तो अवकाश-प्राप्त लाखों सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों को अत्याधुनिक हथियार देकर, लीज का मकान देकर कश्मीर में बसाया जा सकता है। धारा ३७० के कारण यदि कश्मीर की जमीन बाहर के लोगों को बेची नहीं जा सकती है तो कम-से-कम निन्यानबे वर्षों (जिसमें कोई वयस्क तीन पुस्त रह सकता है) के लिए लीज किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक जनसंख्या संतुलन नहीं होगा तब तक कश्मीर समस्या का समाधान पूर्णरूप से नहीं हो सकता है। इसलिए घाटी में जनसंख्या का संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है।

अंततोगत्वा

आतंकवाद एक ऐसी दीमक है जो धीरे-धीरे आंतरिक रूप से राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर देती है। अलगाववादी विचारों से आतंकवाद बढ़ने के कारण देश के अंदर ही देश के विरुद्ध एक सशस्त्र सेना खड़ी हो जाती है, जोकि राष्ट्र की शक्ति को क्षीण करने लगती है। परिणामस्वरूप राष्ट्र के प्रमुख नागरिक उस समस्या से परेशान होकर देश के उन्नति के कार्यों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। समाज भयग्रस्त जीवन जीता हुआ मानसिक रूप से अविकसित रह जाता है। यह हिंसा का वातावरण बदलना चाहिए। इसको बढ़ाने में, इसका साथ देने में या इसे क्षमा करते चले जाने से किसी का भी भला नहीं हो सकता। समय-समय पर अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु जिन्होंने इस आतंकवाद को बढ़ाया या आश्रय दिया, आँखें मूँदकर बैठे रहे, उन्हें भी इस आतंकवाद ने नहीं छोड़ा। इसको प्रमाणित करनेवाली घटनाएँ इतिहास में लिखित हैं। अत्याचार, व्यभिचार और हिंसा का परिणाम अंत में हानिकारक ही होता है।

आतंकवाद से धरती-धर्म की रक्षा करनेवाले बलिदानों की श्रृंखला प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। परंतु मात्र बलिदान देने से ही सबकुछ ठीक नहीं होगा। यदि सरकार ने उचित पग नहीं उठाए तो बलिदान देने के साथ-साथ बलिदानों का मूल्य भी चुकाना होगा। इसके लिए संपूर्ण जम्मू कश्मीर के प्रत्येक ग्राम व शहर के देशभक्त समाज को संगठित रूप से तैयार रहना होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार और दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को यह चाहिए कि वे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उपर्युक्त उपायों में अन्य उपाय सम्मिलित करके एक कठोर नीति बनाए और राष्ट्र समस्या के रूप में इसका समाधान करें, न कि मुसलिम समस्या के रूप में; अन्यथा जब माँ भारती की संतानें अपनी मातृभूमि व स्वाभिमान

की रक्षा करने के लिए सड़कों पर निकल आएँगे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी।

समाज को आशा का दीपक जलाए रखना है और अपने बलिदानी पूर्वजों से प्रेरणा लेनी है। विजय निश्चित ही सत्य की, देशभक्ति की होती है। यह प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक चीज एक सीमा तक बढ़ती है और अंत में उसका पतन होने लगता है। इसलिए आतंकवाद समाप्त होगा। फिर से केशर की क्यारियाँ खिलेंगी, खुशियों के पुष्प महकेंगे। देश के शत्रुओं का विनाश निश्चित है। माँ भारती का आह्वान हमें प्रेरणा दे रहा है—

उठो कि माँ पुकारती, माटी तिलक निहारती,
अरुण गगन-अखंड धरा, माँ की आरती उतारती॥

□

जनमानस के विचार

आई.एस.आई. ने अपना ध्यान अब जम्मू पर केंद्रित किया

(पत्रकार वार्त्ता पर आधारित)

—लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. चौहान

कमांडर, १६ कोर, जम्मू कश्मीर

१६ कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल श्री डी.एस. चौहान ने विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ''पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. ने अब घाटी से अपना ध्यान हटाकर जम्मू पर केंद्रित किया है और आनेवाले दिनों में यह अपनी आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि कर सकती है। वह जम्मू में अशांति फैलाकर दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि राज्य का यह हिस्सा भी उपद्रवग्रस्त है। पिछले तीन-चार महीनों के दौरान घटी घटनाएँ इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं कि आई.एस.आई. ने आतंकवादियों को इस क्षेत्र में हमले तेज करने के आदेश दिए हैं।''

विदेशी आतंकवादियों के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ''अब आई.एस.आई. को स्थानीय आतंकवादियों पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वह विदेशी आतंकवादियों को अपनी गतिविधियाँ बढ़ाने के निर्देश दे रही है। इस समय पीर पंजाल के दक्षिण में करीब छह सौ आतंकवादी सक्रिय हैं। जिनमें से आधे विदेशी आतंकवादी हैं।'' आतंकवादियों के साथ बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि ''सरकार किससे बात करे? पूर्वोत्तर में स्थानीय आतंकवादियों से बातचीत की जा सकती है; लेकिन यहाँ तो विदेशी आतंकवादी हैं और उनके लिए एक ही चीज 'गोली' है।''

मानवाधिकारों के हनन के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ''पाकिस्तान

कश्मीर के मुद्दे को जीवंत रखने के लिए हर जगह मानवाधिकार उल्लंघनों मुद्दा उठाता रहेगा। आतंकवादी घटनाओं में हमारे जवान भी मारे जाते हैं; क्योंकि पहली गोली हमारे जवानों को ही लगती है।''

पाकिस्तान द्वारा सीमा पर गोलाबारी और घुसपैठ की घटनाओं के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ''पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी की घटनाओं में तीन गुणा वृद्धि हुई है। पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का काम रोकना चाहता है, इसलिए बिना उकसावे के गोलाबारी जारी रखी। खुली सीमा का लाभ उठाकर ही बँगलादेशी नागरिक घुसपैठ करते हैं। पूरी सीमा की निगरानी कर पाना संभव नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कई स्थान ऐसे होते हैं, जहाँ निगरानी नहीं कर सकते हैं—केवल लोगों के सहयोग से ही घुसपैठ को रोका जा सकता है।''

आतंकवाद समाप्ति के बारे में उन्होंने कहा कि ''आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रामीण सुरक्षा समितियों ने अच्छा काम किया है। सेना अकेले ही आतंकवाद की समस्या को हल नहीं कर सकती। इसके लिए अन्य एजेंसियों का सहयोग भी चाहिए। घाटी के लोगों की सोच में बदलाव आने के कारण लोगों का सेना पर विश्वास बढ़ा है और वे आतंकवादियों के खिलाफ सूचनाएँ सुरक्षाबलों को देते हैं। लोगों में तथाकथित आजादी और जेहाद का रंग उतर चुका है और लोग शांति चाहते हैं। आतंकवादी अब सुरक्षाबलों से सीधा मुकाबला करने से डरते हैं, इसलिए दूरदराज के क्षेत्रों में नरसंहार जैसी घटनाएँ करके अपने अस्तित्व को दिखाने का प्रयास करते हैं।''

आतंकवाद देश को तोड़ने और भाईचारे को नष्ट करने का घिनौना षड्यंत्र है

—श्री कुप्.सी. सुदर्शन

सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

जुगरान : सुदर्शनजी! इस समय देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवाद एक चुनौती बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में इसने काफी खून-खराबा किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस आतंकवाद के बारे में क्या दृष्टिकोण है?

सुदर्शन : वैसे अगर हम आतंकवाद के बारे में विचार करेंगे तो ये आतंकवाद आर्थिक कारणों से पनपा आतंकवाद नहीं है। बल्कि ये अलगाववादी, कट्टरवादी और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के कारण दुनिया में फैला हुआ

दिखाई देता है। हिंदुस्थान में जम्मू कश्मीर का विचार करें तो ध्यान में आता है कि अगर ये आतंकवाद गरीबी-बेरोजगारी से पनपा होता तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अधिक पनपता। परंतु ये पंजाब, कश्मीर में पनपा, जहाँ गरीबी-बेरोजगारी नहीं है। ये आर्थिक आधार पर नहीं पनपा है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि जब आतंकवाद ने भयंकर रूप धारण किया तो उसमें बेरोजगार लड़कों का उपयोग किया गया। संघ ये मानता है कि प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है; परंतु प्रश्न यह उभरता है कि जम्मू कश्मीर में इसी मजहब के लोग आतंकवादी क्यों हैं? पाकिस्तान इसे शह दे रहा है, धन-हथियार दे रहा है। इससे यह लगता है कि ये सीमा पार से तथा अंदरूनी कट्टरपंथियों के षड्यंत्र से पनपा आतंकवाद है। इसके नारों में बेरोजगारी-गरीबी दूर करने के नारे नहीं बल्कि 'आजादी, निजामे मुस्तफा, हिंदुस्थानी कुत्तो वापस जाओ' के नारे हैं। राज्य के उन्नीस-बीस सामूहिक नरसंहारों में लगभग सभी हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार हुए हैं। ये देश को तोड़ने का, शांति, खुशहाली, भाईचारे को नष्ट करने का घिनौना षड्यंत्र है।'

जुगरान : राज्य में आतंकवाद अपनी गतिविधियाँ करता हुआ फैलता गया। राज्य और केंद्र सरकार की किन नीतियों के कारण ये आतंकवाद फैला? इसके लिए संघ किन-किन राजनैतिक दलों और नीतियों को दोषी मानता है?

सुदर्शन : पिछले चालीस-पचास वर्षों से केंद्र में कांग्रेस व उसकी मानसिकता के लोगों का शासन रहा है। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलग-अलग व मिली-जुली सरकारें रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला रूप मुसलिम कॉन्फ्रेंस का था। कांग्रेसी केंद्र सरकार की तो हमेशा से ये नीति रही है कि वहाँ के अलगाववादी मनोवृत्ति के लोगों को पालते रहे, खिलाते रहे, जिससे कांग्रेस की अपनी सरकार बनी रहे। इससे कश्मीर के मुसलिम लोगों में अलगाववादी मनोवृत्ति और बढ़ गई। आज भी इसके कई प्रमाण हैं—राज्य को धारा ३७० के अंतर्गत विशेष दर्जा देना; दो ध्वज, दो कानून बने रहना; राज्य में दो नागरिकताओं का होना। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर देश की संसद् में पारित प्रस्ताव तुरंत लागू नहीं होता है। इससे अलगाववादी कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहन मिलता रहा। प्रदेश की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की

सरकारों ने भी कश्मीर घाटी में हिंदू के साथ तथा जम्मू व लद्दाख क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण सौतेला व्यवहार किया। कांग्रेस वंशवाद से बँधी थी, इसलिए प्रदेश के अंदर उसने वंशवाद का विरोध नहीं किया। पं. नेहरू द्वारा महाराजा हरिसिंह को राज्य से निकाल देना और शेख अब्दुल्ला को सत्ता देना, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान का विरोध करनेवाले प्रजा परिषद् के आंदोलन को कुचलना और विश्व मानव बनने के चक्कर में यू.एन.ओ. में कश्मीर के विषय को ले जाना, केंद्र सरकार की कश्मीर के बारे में स्पष्ट नीति का न होना—ये कारण इस समस्या के दोषी रहे हैं।

जुगरान : देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और राज्य में आठ वर्षों के बाद लोकतंत्र की डॉ. फारूख अब्दुल्ला सरकार बनी है; केंद्र में भाजपा गठबंधन की सहयोगी दलों की सरकार बनी है। भाजपा की अपनी एक अलग विचारधारा है। भाजपा प्रारंभ से ही जम्मू कश्मीर की एकता का समर्थन और आतंकवाद का विरोध करती रही है। वर्तमान समय में दोनों सरकारों की नीतियाँ क्या राज्य में शांति लाने का प्रयास कर रही हैं?

सुदर्शन : जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली आतंकवाद फैलानेवाले अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के मुँह पर एक तमाचा है। आज की केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया, प्रजा परिषद् के आंदोलन में सहयोग किया और गोलियाँ खाईं। ये संघर्ष करते आए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री श्री आडवाणी ने सेना को 'खोजो और मारो' की नीति दी है; उन्होंने आतंकवाद को कुचलना प्रारंभ किया है। पाकिस्तान के प्रति भी दोगलापन नहीं है। नीति स्पष्ट है। केंद्र सरकार की इस नीति में राज्य सरकार को पूरा साथ देना चाहिए। पर लगता यह है कि प्रदेश सरकार बोलने में देशभक्ति की बातें करती है; परंतु करने में इसलामीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और आतंकवाद से जुड़े नेताओं और लोगों को आश्रय देने का काम कर रही है। आज केंद्र में अनेक दलों को साथ लेकर जो भाजपा की सरकार बनी है, इससे भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह विभिन्न विचारों के दलों को साथ लेकर चल सकती है। परंतु उन सबकी अपनी-अपनी वोट की मजबूरियों और कश्मीर के बारे में अपनी-अपनी नीति होने के कारण वर्तमान की केंद्र सरकार केवल भाजपा की नीतियों को लागू करनेवाली

सरकार नहीं है। प्रदेश सरकार को ये परहेज करना चाहिए कि मजहब के नाम पर केंद्र सरकार की नीतियों में जो रोड़ा बने, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद को कुचलने के लिए सेना को अधिक संख्या में भेजना और उन्हें अधिकार देना, पाकाधिकृत कश्मीर हमारा है—उसकी घोषणा करना, डोडा में छावनी का निर्माण, ग्रामीण सुरक्षा समितियों को मजबूत करना, पुलिस विभाग को अधिक सक्षम बनाना—ये ऐसे कारगर कदम हैं जिनके कारण ये विश्वास बनता है कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियाँ स्पष्ट भी हैं और कारगर भी।

जुगरान : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। ये सन् १९४२ से राज्य में कार्य कर रहा है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में संघ का काम करने का ढंग और उसकी भूमिका क्या रही है?

सुदर्शन : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहित में समर्पित एक विचार है। सर्वसामान्य उसका देश-विदेशों में काम है। देश की एकता व अखंडता के लिए समर्पित रहकर जाति-मजहब से ऊपर उठकर मानव कल्याण और समाज सेवा करने के भाव को जगाए रखने का कार्य संघ जम्मू कश्मीर में करता आ रहा है। सन् १९४७ में जब देश का विभाजन हुआ तो अरबों रुपयों की संपत्ति की रक्षा करना, बहू-बेटियों की इज्जत बचाना, लाखों लोगों को भारत में सुरक्षित ले आना, पंजाब पीड़ित सहायता समिति बनाकर पीड़ित-उजड़े लोगों को सहायता देने का कार्य संघ ने किया। सन् १९४७ में पाकिस्तान के पहले हमले की पूर्व जानकारी महाराज को देना, भारत के साथ विलय के लिए महाराजा को पू. गुरुजी (द्वितीय सरसंघचालक) द्वारा मनवाना, पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेनाओं के लिए जम्मू-पुंछ-कश्मीर में हवाई पट्टियों की मरम्मत करना, जब ये लगा कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को अलग करने का षड्यंत्र कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए प्रजा परिषद् का गटन करके एक ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन के द्वारा राज्य को हिंदुस्थान से अलग होने से रोकना। पिछले तीस-चालीस वर्षों से समय-समय पर केंद्र में जो भी सरकारें रहीं, उनको राज्य के हालात की सही-सही जानकारी देना, जब सन् १९८९ में आतंकवाद ने खुला रूप धारण कर लिया और कार्यवाही करने लगा तो ऐसे समय में राज्य के पीड़ित, दुःखी, बेसहारा, बेघर परिवारों के लिए संघ एक

आशा का दीप बनकर सामने आया और जम्मू कश्मीर सहायता समिति बनाकर विस्थापितों की सहायता करने के लिए करोड़ों रुपयों का संग्रह किया गया। स्वयंसेवकों ने अनेकों गतिविधियाँ की और अनेकों कार्यकर्ताओं का बलिदान भी हुआ। जैसे—टीका लाल टपलू, संतोष ठाकुर, सतीश भंडारी, रुचिर कुमार और स्वामीराज काटल जैसे अनेक प्रमुख कार्यकर्ता आतंकवाद से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। देश भर में सेव कश्मीर फ्रंट के नाम से आज भी जन जागरण करने का काम संघ कर रहा है।

जुगरान : अंत में, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि इस आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

सुदर्शन : आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कट्टरवाद का जहर घोलनेवाले मदरसों पर रोक लगाना, घुसपैठ को रोकना, आतंकवादियों को सख्ती से कुचलना, विदेशी षड्यंत्र को समझकर आतंकवाद के विरोध में कश्मीरी मुसलमानों का कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े होना, घाटी में जनसंख्या का संतुलन निर्माण करना, कुछ क्षेत्रों को आतंकवाद ग्रस्त घोषित करके सेना की स्थायी चौकियाँ बनाकर सेना को आतंकवाद कुचलने का अधिकार देना, अलगाववादी कानून, जो देश की एकता व अखंडता में बाधक है, उसको समाप्त करना, जनसाधारण का मनोबल पलायनकर्ता का न बनकर डटनेवाला बने, इसके उपाय करना और संघर्ष करनेवाले लोगों को सम्मानित करने के कार्य करने चाहिए।

जुगरान : सुदर्शनजी! आपका धन्यवाद।

आजादी के बाद सबसे अधिक बलिदान जम्मू कश्मीर में हुए

—श्री चमनलाल गुप्ता

केंद्रीय राज्यमंत्री

जुगरान : गुप्ताजी! राज्य में फैले आतंकवाद के विषय में आपकी क्या राय है?

गुप्ता : आतंकवाद एक पाकपरस्ती साजिश का नाम है। सन् १९४६, ६५ और ७१ के युद्धों में उसे तीन बार मुँह की खानी पड़ी। सन् १९७१ के युद्ध में तो तिरानबे हजार पाक सिपाही कैदी बन गए थे और उसका एक हिस्सा हमारे कब्जे में आ गया था। जब उसे लगा कि उसे मुँह की खानी पड़ रही है तब उसने आतंकवाद की नई योजना निकाली। यहाँ के

युवकों को प्रशिक्षण देकर हथियार पकड़ाए और भाड़े के विदेशी टट्टू भेजे, जिन्होंने अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कर दीं और विशेष रूप से हिंदू के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, जिसके कारण चार लाख लोग अपना घरबार छोड़कर जम्मू, दिल्ली, अमृतसर और देश के अन्य भागों में जान बचाने के लिए चले गए। इसके बाद दूसरा निशाना जिला डोडा बना। लेकिन तब तक भाजपा और अन्य राष्ट्रवादी दलों ने पाकिस्तान की चाल को समझने की कोशिश की। इसके लिए प्रयत्न शुरू किए। देश भर से सत्याग्रह के लिए कार्यकर्ता आए, जिन्होंने जम्मू में आकर गिरफ्तारियाँ दीं। ग्रामीण सुरक्षा समितियों और भद्रवाह में छावनी की माँग की गई। भाजपा के ये प्रयत्न करने से हिंदू डोडा से निकला नहीं। उसने मुकाबला किया। कई कार्यकर्ता मारे गए और उनका बलिदान रंग लाया। कश्मीर घाटी में सबसे पहले टीका लाल टपलू और फिर प्रेमनाथ भट्ट शहीद हुए। डोडा में संतोष ठाकुर, किश्तवाड़ में सतीश भंडारी, भद्रवाह में रुचिर कुमार और स्वामीराज काटल प्रमुख कार्यकर्ता थे, बाकी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है।

जुगरान : राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा देने में आप किन-किन को दोषी मानते हैं?

गुप्ता : जब पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली तो उसने नौजवानों को हथियारों का प्रशिक्षण देना शुरू किया। केंद्र सरकारों की भी ढुलमुल नीति बनी रही। मुफ्ती की बेटी के लिए पाँच आतंकवादियों के नाम से ग्यारह आतंकवादियों को रिहा कर दिया। उस समय तो ऐसा लगता था कि जैसे कश्मीर की सारी सड़कें रावलपिंडी जा रही हैं। कांग्रेस की नीति आतंकवाद को फैलाने की रही। सुरक्षा बलों को आज तक खुला हाथ नहीं दिया गया। उग्रवाद दो तरीके से काम कर रहा है। एक अपर-ग्राउंड, दूसरा अंडर-ग्राउंड। आई.एस.आई. ने राज्य के पदों पर अपने लोग बिठा दिए थे। राज्यपाल श्री जगमोहनजी ने इस अपर-ग्राउंड को खत्म करने का प्रयास किया था; परंतु उन्हें हटा दिया गया। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने १८ जनवरी, १९९० को त्यागपत्र दे दिया और उसका कारण जगमोहन को बताया। परंतु सच्चाई ये थी कि कुछ चीजें मुख्यमंत्री के काबू से बाहर हो गई थीं और वे उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे। आज भी ऐसी अनेकों बातें हो रही

हैं। आतंकवादियों को सहायता देने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोग सम्मिलित है।

जुगरान : आप भाजपा के सांसद हैं। आपकी यानी भाजपा की केंद्र सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

गुप्ता : पहले से अब आतंकवाद में काफी परिवर्तन हुआ है। आतंकवादियों के ऊपर दबाव बना है। राजौरी-पुंछ जिलों में पिछले छह महीनों में चार सौ आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ी है। भद्रवाह की काफी पुरानी छावनी की माँग पूरी की है, उसका काम प्रारंभ हो गया है। ऐसी ही छावनियाँ किश्तवाड़, डोडा, रामवन में भी बनेंगी। अभी प्रधानमंत्री अटलजी पाकिस्तान गए थे तो आतंकवादियों ने चार घटनाएँ कर दीं। सदभावना में ये रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आई.एस.आई. अब पाकिस्तान के कंट्रोल में भी नहीं है। सतर्कता न बरतने के कारण बाईस लोगों की हत्या हो गई, जिसमें महिलाएँ और बच्चे अधिक हैं। मानवाधिकार का शोर मचानेवाले, जो कि सेना के ऊपर प्रहार करते रहते थे, उनमें से कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है और न ही उनके लिए आवाज उठाई है।

जुगरान : आपके ऊपर कभी आतंकवादियों का जानलेवा हमला या धमकी-पत्र आए होंगे। आप किस प्रेरणा से काम करते हैं?

गुप्ता : धमकी-पत्र तो पचास के करीब और सौ बार टेलीफोन आए होंगे। दौरा करते समय मेरे ऊपर छह बार हमला भी किया; परंतु भगवान् की इच्छा से सफल नहीं हो सके। बचपन से संघ, जनसंघ, भाजपा के श्रेष्ठ पुरुषों से संपर्क रहा। डॉ. मुखर्जी का बलिदान एकता व अखंडता के लिए यहाँ हुआ। पं. प्रेमनाथ डोगराजी ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर की धरती बलिदानों की धरती है। आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता के लिए सबसे अधिक बलिदान जम्मू कश्मीर में हुए हैं। यही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। मेरे क्षेत्र में सत्रह विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें चौदह ऐसे हैं जो आतंकवाद से ग्रस्त हैं। फिर भी कभी भी मन के अंदर संकोच या डर नहीं आया। निर्भय होकर काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं।

जुगरान : अंत में, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि विस्थापित किस प्रकार से वापस जा सकते हैं और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार

को क्या करना चाहिए?

गुप्ता : कश्मीर में यदि कश्मीरी पंडित नहीं रहेंगे तो कश्मीर अधूरा है। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन्हें सम्मान के साथ वापस भेजा जाए। जो लोग कश्मीर में विस्थापितों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, वे नहीं चाहते कि वे वापस आएँ। इसलिए विस्थापितों की जायदाद को रजिस्टर करना चाहिए। कब्जा खाली करवाना पड़ेगा। विश्वास देना पड़ेगा, हम आपको वापस भेजना चाहते हैं। पहले इन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए, फिर अपने-अपने स्थानों पर भेजा जाए। वापसी के साथ प्यार व मोहब्बत भी होनी चाहिए। कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं तो ये लोग वापस जा सकते हैं। आतंकवाद समाप्त करने की जहाँ तक बात है, जिस व्यक्ति ने बंदूक उठाई है वह तो मरने-मारने के लिए तैयार है; इसलिए बंदूक का उत्तर बंदूक से ही देना चाहिए। आतंकवादी को समाप्त करना पड़ेगा। जो अब यह महसूस करके देश की एकता व अखंडता का समर्थन करते हैं और वापस आना चाहते हैं, उन्हें अपनाने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

जुगरान : गुप्ता जी! आपका धन्यवाद।

न हिंदुस्थान, न पाकिस्तान—मैं आजादी चाहता हूँ

—श्री हाई खतीब

अध्यक्ष, अजुक्न इसलामिया

जुगरान : हाई खतीब जी! ये जो आतंकवाद है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?

खतीब : आतंकवाद तो ये आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आजादी चाहते हैं कुछ लोग। इसको कुछ हिंदुस्थान ने खुद बढ़ाया, कुछ आजादी चाहनेवालों ने बढ़ाया। मैं पाकिस्तान नहीं चाहता हूँ, न हिंदुस्थान चाहता हूँ, मैं आजादी चाहता हूँ, ताकि हिंदुस्थान-पाकिस्तान फलें-फूलें।

जुगरान : अभी आपने कहा, आप आजादी चाहते हैं। अगर कश्मीर आजाद हुआ तो यह एक छोटा सा ही देश बन पाएगा, तो आप उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?

खतीब : छोटे-छोटे देश दुनिया में इस वक्त काफी हैं, वो भी चल रहे हैं, ये भी चलेगा। दोनों मुल्क इसको इमदाद करेंगे। आखिर ये हिंदुस्थान-पाकिस्तान

का ही एक हिस्सा होगा। ये दोनों कर्जा लेकर अपने आप को चलाते हैं। हम भी कर्जा लेकर चलाएँगे।

जुगरान : यहाँ पर जो खूनी जंग शुरू हुई, उसको बढ़ाने में किनका हाथ है?

खतीब : ये मसला सन् १९४७ से चल रहा है। मैंने कहा न आपसे, यह आजादी की जंग है। जो विलय २६ अक्तूबर, १९४७ को हुआ, उसे मैं नहीं मानता हूँ।

जुगरान : राज्य में फारूख अब्दुल्ला की सरकार बनी है। आपको क्या लगता है कि ये आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं।

खतीब : फारूख साहब और उसकी पार्टी इसको बढ़ाती है, इसका वो हल नहीं करते हैं। अगर हल करनेवाले होते तो अब तक ये मसले हल हो गए होते। लेकिन उसने इसको बढ़ाया है।

जुगरान : केंद्र में भाजपा के सहयोगी दलों की सरकार है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री हैं। क्या वो यहाँ शांति लाने में सफल हो सकेंगे?

खतीब : शांति यहाँ नहीं ला सकेंगे अटल जी! बजाते खुद अच्छे आदमी हैं, वो चाहते तो करते; बाकी जो इसके आवारी-मावारी हैं, वो इसको होने नहीं देंगे। ये बढ़ जाएगा, घट नहीं होगा। आतंकवाद आजादी की जंग कभी बढ़ती है, कभी कम होती है।

जुगरान : इस आतंकवाद को मजहबी इसलामिक आतंकवाद का नाम दिया जा सकता है?

खतीब : नहीं! यह इसलामिक मजहबी आतंकवाद नहीं। आजादी की जंग सबकी है।

जुगरानं : इस आतंकवाद में सबसे अधिक हत्याएँ हिंदू समाज की क्यों की गईं?

खतीब : हिंदुओं की अधिक नहीं हुईं। ज्यादातर मुसलमानों की हत्याएँ की गईं। जो भी आतंकवादियों के खिलाफ चलेगा उसको वो मार देंगे।

जुगरान : कुछ मुसलिम युवकों से मैं मिला। उन्होंने बताया कि यहाँ के मुसलिम नेता भड़काने का काम करते हैं और हमें फँसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं?

खतीब : मैं समझता हूँ कि वो खुद गलत काम करते हैं तभी दूसरों को बदनाम करते हैं। कोई नेता उनको नहीं कहता कि तुम जाओ और जंग लड़ो।

जुगरान : आप खूनी जंग के हक में हैं या उसके समर्थन में?

खतीब : मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन एक चीज है, आजादी की जंग होनी चाहिए।

जुगरान : आतंकवादियों ने रुचिर कुमार, स्वामीराज काटल आदि हिंदू नेताओं की हत्याएँ क्यों कीं?

खतीब : मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई खामियाँ (गलतियाँ) की होंगी तभी मारे गए।

जुगरान : आपके ऊपर कभी आतंकवादियों का जानलेवा हमला हुआ है?

खतीब : नहीं, कभी नहीं।

जुगरान : अंत में आप यह बताइए कि आतंकवाद समाप्त हो, भाईचारा कायम हो, शांति आए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?

खतीब : ये मसला किसी तरीके से हल किया जाए तो भाईचारा बहाल हो जाएगा। इसका हल यह है कि इसको आजाद छोड़ दें, न हिंदुस्थान के साथ, न पाकिस्तान के साथ।

जुगरान : परंतु केंद्र सरकार तो गुलाम कश्मीर को भी लेना चाहती है; फिर इसको छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

खतीब : वो जब करेगी तब देखेंगे। वो कहने की बातें होती हैं, करने की नहीं।

जुगरान : खतीबजी! आपका धन्यवाद।

आतंकवाद बरबादी का रास्ता है

—श्री अख्तर हुसैन

जिला डोडा, पूर्व आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन

जुगरान : आपका नाम?

हुसैन : अख्तर हुसैन।

जुगरान : कहाँ रहते हो?

हुसैन : किश्तवाड़ शहर में।

जुगरान : कितनी पढ़ाई की?

हुसैन : दसवीं तक।

जुगरान : हुसैनजी, ऐसा क्या आपके मन के अंदर आया कि आप आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े?

हुसैन : शुरू में जब आजादी की तहरीक शुरू हुई तो सभी के दिलों में जोश पैदा हुआ कि हम भी इसमें शामिल हो जाएँ। हमारा जहन (बुद्धि) इतना

तेज नहीं था। अभी दसवीं पास भी नहीं किया था और हम भी चले गए। यहाँ के जो बड़े नेता थे, उन्होंने भी हमें इस फंदे में डाल दिया।

जुगरान : मतलब आपको यह भी लगा कि आजादी मिल जाएगी तो हमें अधिक फायदा होगा?

हुसैन : हाँ, दरअसल वही बात थी।

जुगरान : आपने कहा कि यहाँ के कुछ बड़े नेताओं ने आपको गुमराह किया। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं, और उन्होंने क्या लालच दिया?

हुसैन : लालच कुछ नहीं दिया। जब आजादी की तहरीक शुरू हुई तो जहनी दबाव के कारण हमें फँसाया; जब हमने देखा कि वो अपने रास्ते से हट गए और हमें आगे डाल दिया। इसलिए हमने सोचा, यह रास्ता ठीक नहीं। बाकि उन नेताओं के नाम बताने की जरूरत नहीं है; उन्हें सभी जानते हैं, किश्तवाड़ के हैं।

जुगरान : आप घर से निकल गए, फिर आप कहाँ गए और किन-किन देशों में जाकर आपने हथियारों का प्रशिक्षण लिया और कितने समय तक?

हुसैन : ट्रेनिंग करने के लिए हम यहाँ से निकल गए श्रीनगर की तरफ। फिर वहाँ से हमें आजाद कश्मीर जाना पड़ा। हमने लगभग ढाई महीने की ट्रेनिंग की। फिर वापस श्रीनगर लौट आए।

जुगरान : जब आपने गुलाम कश्मीर जाने के लिए सीमा पार की, फिर वापस भी आए, तो सीमा पर कोई रोक-टोक नहीं हुई?

हुसैन : नहीं! हम सीधा निकल गए। सीमा सुरक्षा बल का कोई आदमी नहीं देखा, न कोई टिकट देखी। हम जैसे गए वैसे ही वापस भी आ गए।

जुगरान : वहाँ पर आपके विचारों को कैसे बदला गया, जहनी रूप से क्या बताया गया?

हुसैन : जेहनी (बुद्धि) रूप की उस वक्त तैयारी वहाँ नहीं कराते थे। हथियारों की ट्रेनिंग़ देकर जल्दी वापस करते थे। अगर दी जाती तो हम इस रास्ते से नहीं हटते।

जुगरान : आपकी क्या राय है—यह आतंकवाद वास्तव में आजादी की जंग है या बरबादी का रास्ता है?

हुसैन : मेरे खयाल से तो ये बरबादी का ही रास्ता है। अभी तक तो इतने साल हो गए और अभी तक तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो लोग बहुत आगे निकल गए थे वो भी वापस आ गए हैं।

जुगरान : आपने किस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़कर काम किया?

हुसैन : हिजबुल मुजाहिदीन। ये पहले आजादी हासिल करना चाहते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करेंगे।

जुगरान : क्या आजादी मिलने के बाद मुसलिम समाज अच्छे ढंग से रह सकता है या फिर आज जो भारत में रह रहा है वो अच्छे ढंग से रहा रहा है?

हुसैन : नहीं, वो सभी कुछ यहाँ ठीक है। मुसलमान अच्छी तरह जी रहा है, हिंदू भी अच्छी तरह जी रहे हैं। अब यही है कि आतंकवाद की वजह से थोड़ा सेना का दबाव है। इसीसे लोग भी थोड़ा डर रहे हैं।

जुगरान : वापस आने के लिए आपके मन में क्या भावना जगी? इसमें किन लोगों ने आपकी मदद की?

हुसैन : बाद में मैंने यह महसूस किया कि ये रास्ता गलत है; तो हमने ये रास्ता छोड़ दिया कि हम भी अच्छा सा अपना एक रास्ता पकड़ लें। फिर वापस लाने में हमारे घरवालों ने मदद की। चंद पुलिस अफसरों ने मदद की, कुछ अच्छे नेताओं ने भी मदद की।

जुगरान : पुलिस ने आपको पूरी सहायता दी है?

हुसैन : जी! अब मैं अपने घर में आराम से बैठा रहता हूँ। आराम से इधर-उधर घूम-फिर सकता हूँ। मैं अब एक दुकान करता हूँ।

जुगरान : जिन आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, उनसे आपको खतरा महसूस होता होगा?

हुसैन : नहीं! मुझे खतरा किसी से महसूस नहीं होता; क्योंकि मारनेवाला एक ही है और बचानेवाला भी वही है।

जुगरान : जो अभी भी आतंकवादी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?

हुसैन : हम यही कहेंगे कि उनको चाहिए कि वो ये रास्ता छोड़ दें। अपने घरों में वापस आ जाएँ। अपने माँ-बाप के साथ बैठें, भाई-बहन से मिलें, अपना कारोबार करें और आराम से घूम-फिर सकें।

जुगरान : भाईचारा बना रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

हुसैन : ये भाईचारा ईशा अल्लाह फिर कायम होगा। हालात फिर मामूम पर आएँगे। नेता लोग थोड़ा सा साथ दें तभी जाकर काबू में आ सकते हैं।

जुगरान : अंत में, आप यह बताइए कि यह आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए सरकार क्या करे?

हुसैन : सरकार को चाहिए, कोई नरम नीति अपनाए। जैसेकि जिसका भाई

आतंकवादी है उसके भाई को मत छेड़ो। उसके भाई को मत उठाओ। इससे उसके घरवाले तंग आ जाते हैं, वो भी तंग आ जाता है और जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाता है। इसलिए आतंकवादियों से निपटो, न कि घरवालों से।

जुगरान : सेना ऑपरेशन करें?

हुसैन : सेना ऑपरेशन करे, अपना काम करे। मगर उनकी लड़ाई आतंकवादियों से है वो उनसे लड़े, क्या करें, क्या न करें; लेकिन जो आम आदमी है उसे न छेड़ें।

जुगरान : हुसैनजी! आपका धन्यवाद।

□

आतंकवादी घटनाओं का विवरण

जम्मू कश्मीर में सन् १९९० से २००० तक आतंकवादी घटनाओं के सरकारी एवं गैर-सरकारी आँकड़े—

आतंकवादी घटनाएँ

नागरिक मारे गए	२९,१५१
सुरक्षा कर्मी मारे गए	५,१०१
कुल नागरिक मारे गए	३४,२५२
आतंकवादियों द्वारा घायलों की संख्या	१७,४८४
आतंकवादियों द्वारा अपहरण की संख्या	३,४३१
बम विस्फोट की घटनाएँ	४,७३०
आतंकवादियों से बरामद आग्नेय शस्त्र	४७,७००
आतंकवादियों से बरामद विस्फोटक सामग्री	४३,७०० कि.ग्रा.
सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादी (अलगाववादियों द्वारा प्राप्त आँकड़ा)	७०,०००
मंदिर जलाए	१३०
मसजिदें जलाईं	३५
गुरुद्वारे जलाए	२
धर्मशालाएँ जलाईं	३
कुल धार्मिक स्थल जलाए	१७०
सरकारी भवन जलाए	१,३००
शिक्षा संस्थान जलाए	८००

पुल जलाए	३५०
चिकित्सा केंद्र जलाए	८
दुकानें जलाई	१,६९८
नागरिकों के घर जलाए	१०,०००
लकड़ी भंडारों में शहतीरें जलाईं	३०० करोड़ से अधिक
बैंकों व कार्यालयों से सरकारी धन लूटा	२५० करोड़ से अधिक
व्यक्तिगत एवं सरकारी संपत्ति की अनुमानित क्षति	२,००० करोड़ रुपए

बम विस्फोट की घटनाएँ

आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत है। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाओं का ही वर्णन किया जा रहा है।

दिनांक	*स्थान*	*घटना*
वर्ष-१९८९		
२ अप्रैल, १९८९	भद्रवाह	भद्रवाह नगर के प्राचीन श्रीवासुकि नाग मंदिर में बम फेंककर क्षति पहुँचाई।
७ अप्रैल, १९८९	भद्रवाह	भद्रवाह-डोडा मार्ग पर जिला पुलिस अधीक्षक की जीप पर बम फेंका।
८ नवंबर, १९८९	किश्तवाड़	कुटोन गाँव के शिव मंदिर को बम विस्फोट करके ध्वस्त किया।
१३ दिसंबर, १९८९	किश्तवाड़	जिला भाजपा अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता के घर पर शाम ७.४५ बजे बम फेंका गया।
१६ दिसंबर, १९८९	किश्तवाड़	रा.स्व. संघ के जिला कार्यवाह श्री चुन्नी लाल परिहार के घर बम फेंका गया, जिससे सारा मकान ध्वस्त हो गया।
वर्ष-१९९०		
१० मार्च, १९९०	किश्तवाड़	किश्तवाड़ नगर के उच्च बालिका विद्यालय की भौतिकी प्रयोगशाला बम विस्फोट से नष्ट कर दी गई।
२४ मार्च, १९९०	किश्तवाड़	सरकारी मुरगीखाने पर रात में बमों से हमला कर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।
१४ अप्रैल, १९९०	किश्तवाड़	किश्तवाड़ पुलिस उपाधीक्षक घर में बम

		हमले से बाल-बाल बचे।
१८ अप्रैल, १९९०	किश्तवाड़	मत्ता गाँव में नेशनल प्रिंटिंग प्रेस पर शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ।
११ जून, १९९०	किश्तवाड़	जल्ना गाँव के पूर्व सैनिक श्री गणेशलाल के घर पर बम फेंका गया।
१७ जून, १९९०	भद्रवाह	नगर भद्रवाह के श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर में बम फेंका गया, जिसमें वहाँ के पुजारी घनश्याम एवं संजय गंभीर रूप से घायल हो गए।
१५ अगस्त, १९९०	किश्तवाड़	रात्रि ९.२५ बजे नगर के डाकघर में बम विस्फोट हुआ।
१ सितंबर, १९९०	किश्तवाड़	गृहमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की सभा के निकट बम विस्फोट।

वर्ष-१९९१

३१ जनवरी, १९९१	डोडा	डोडा नगर के दूरभाष केंद्र को विस्फोट से ध्वस्त किया।
३१ जनवरी, १९९१	डोडा	नियोजन कार्यालय में रात्रि में बम विस्फोट से काफी नुकसान हुआ।
३० नवंबर, १९९१	भद्रवाह	सैरी बाजार में विस्फोट से हानि हुई।

वर्ष-१९९२

२९ फरवरी, १९९२	किश्तवाड़	श्री सोमनाथ शर्मा के घर बम विस्फोट हुआ।
३० मार्च, १९९२	भद्रवाह	मुठोला गाँव में रात्रि ८.१५ बजे पर विस्फोट हुआ।
१२ अप्रैल, १९९२	भद्रवाह	उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर भद्रवाह में बम विस्फोट से क्षति पहुँची।
१२ अप्रैल, १९९२	भद्रवाह	नगर थाना पुलिस में विस्फोट से दीवार क्षतिग्रस्त हुई।
४ जुलाई, १९९२	भद्रवाह	अंग्रेजी शराब की दुकान पर बम फेंका गया, जिससे दुकानदार को नुकसान हुआ।
५ जुलाई, १९९२	भद्रवाह	रात्रि में उदराना गाँव में बम धमाका हुआ, तत्पश्चात् फायरिंग हुई।

१४ अक्तूबर, १९९२	भद्रवाह	नगर चौक पर अग्नि शमन पर बम फेंककर नुकसान किया गया।
६ दिसंबर, १९९२	डोडा	अयोध्या में बाबरी ढाँचा ध्वस्त होने पर जिले के चौदह मंदिरों में विस्फोट कर क्षति पहुँचाई।

वर्ष-१९९३

९ फरवरी, १९९३	भलेस	किश्तवाड़ से गंदों जा रही जे.के.यू. ६२८७ क्रमांक की बस पर बमों से हमला किया गया, जिसमें दो यात्री मारे गए और पंद्रह घायल हुए।
६ मई, १९९३	किश्तवाड़	केंद्रीय सुरक्षा बल के एक ट्रक को सड़क में माईन लगाकर विस्फोट किया गया। जिसमें एक जवान शहीद हुआ एवं तीन घायल हुए।
९ अक्तूबर, १९९३	डोडा	डोडा बस अड्डे पर बम विस्फोट, जिसमें मघर सिंह, भगवानदास और अनुराधा कुल तीन व्यक्ति घायल हुए।

वर्ष-१९९४

२५ फरवरी, १९९४	डोडा	डोडा मुख्यालय के जिला चिकित्सालय के पास बम विस्फोट में दस व्यक्ति घायल हुए।
अप्रैल १९९४	डोडा	पप्पी लैंड होटल के सामने बम विस्फोट में पंद्रह व्यक्ति घायल हो गए।

वर्ष-१९९५

१४ मई, १९९५	डोडा	डोडा नगर के श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर के द्वार पर हुए हथगोले के हमले से जोगिंद्र सिंह, पंचम सिंह, देवराज, लाल चंद कुल चार व्यक्ति घायल हुए।

वर्ष-१९९६

१५ अप्रैल, १९९६	डोडा	गाँव टुरंडी में विस्फोट से पाँच व्यक्ति घायल हुए।

१८ मई, १९९६	डोडा	केंद्रीय सुरक्षा बल एवं पुलिस लाईन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करके दो व्यक्तियों को घायल किया और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए।
४ जून, १९९६	डोडा	नगर के श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर में विस्फोट से दो व्यक्ति घायल हुए।
१२ जुलाई, १९९६	किश्तवाड़	किश्तवाड़ नगर के बस अड्डे पर विस्फोट से दो व्यक्ति घायल हुए।
८ अक्तूबर, १९९६	डोडा	पुलिस लाईन पर हथगोला फेंका गया।

वर्ष-१९९७

२६ मई, १९९७	किश्तवाड़	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय में बम फेंककर तीन व्यक्तियों को घायल किया।
१२ अगस्त, १९९७	डोडा	डोडा नगर में बम विस्फोट से दो व्यक्ति घायल एवं दो वाहन क्षतिग्रस्त हुए।

वर्ष-१९९८

१० मार्च, १९९८	डोडा	डोडा नगर के बस अड्डे पर विस्फोट से कई व्यक्ति घायल हुए।
९ मई, १९९८	गंदों	भलेस के मुख्यालय गंदों में त्वरित बल (एस.टी.एफ.) की पुलिस थाने में भरती हो रही थी, उसी समय आतंकवादियों ने वहाँ पर हथगोला फेंककर हमला किया और फायरिंग करने लगे।
१८ जुलाई, १९९८	भद्रवाह	नगर के तकिया चौक बाजार में आतंकवादियों ने बम फेंककर दस व्यक्तियों को घायल कर दिया। जिनमें से पाँच गंभीर रूप से घायल हुए।
जुलाई १९९८	किश्तवाड़	छात्रू क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों ने बम फेंककर हमला किया, जवाबी कार्यवाही में एक आतंकवादी मारा गया।

लूटपाट की घटनाएँ

आतंकवादियों द्वारा लूटपाट की कुछ ही घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है—

दिनांक	*स्थान*	*घटना*
वर्ष-१९९२		
१८ अगस्त, १९९२	किश्तवाड़	किश्तवाड़ नगर में कर्फ्यू के समय बस अड्डे पर स्थित विजय कुमार गुप्ता की दो लाख की दुकान लूट ली।
८-९ अक्तूबर, १९९२	भद्रवाह	रात्रि में नालठी गाँव में चोरी के रूप में लूटपाट हुई।
१० अक्तूबर, १९९२	डोडा	गिरधारी लाल, गाँव-जोधपुर, प्रभु दयाल, गाँव-औगाद के घर की संपत्ति लूट ली।
सन् १९९२	भलेस	तेरह परिवारों से बड़ी संख्या में सोना, चाँदी, कंबल, नकदी आदि लूटी गई।
वर्ष-१९९३		
९ जनवरी, १९९३	किश्तवाड़	जिला डोडा में प्रथम बड़ी लूटपाट किश्तवाड़ नगर के प्रसिद्ध व्यापारी एवं समाजसेवी श्री लालकृष्ण कुमार डोगरा के घर में हुई, जिसमें पाँच लाख नकद, केसर एवं अन्य सामान ए.के.-४७ की नोक पर लूटा गया।
१२ जनवरी, १९९३	भद्रवाह	भद्रवाह नगर के जम्मू कश्मीर बैंक से पंद्रह लाख रुपए दिन-दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटे।
११ मई, १९९३	किश्तवाड़	किश्तवाड़ नगर में कर्फ्यू के समय पुलिस प्रशासन के सहयोग से हिंदुओं की पंद्रह दुकानें पूर्ण रूप से लूटकर करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया।
१२ मई, १९९३	भद्रवाह	मार्ग में बस रोककर चालक, परिचालक एवं यात्रियों की पिटाई की और लूटा।
२३ जुलाई, १९९३	भद्रवाह	भद्रवाह के एक गाँव को रात्रि में लूटा।
४ अक्तूबर, १९९३	किश्तवाड़	बागना गाँव के अमरनाथ का घर लूटा।

१२ अक्तूबर, १९९३	डोडा	बजारनी गाँव के जेमल सिंह को लूटा।
२० अक्तूबर, १९९३	डोडा	जोधपुर गाँव के जियालाल को लूटा।
१० नवंबर, १९९३	डोडा	कोटी गाँव के दीवान चंद को लूटा।
सन् १९९३	किश्तवाड़	सराज गाँव के उनचालीस घरों को रात भर लूटा। जिसमें सोना, चाँदी, कंबल, कई हजार नकद, यहाँ तक कि बर्तन, चटाई आदि भी ले गए और लाखों की लूटपाट की।

वर्ष-१९९४

जुलाई १९९४	किश्तवाड़	नागसैनी में छज्जूराम के घर में घुसकर जेवर, कपड़े आदि कुल दो लाख की संपत्ति लूटकर ले गए।
सन् १९९४	रामबन	सुंबड गाँव में लाखों की लूटपाट हुई, घर एवं दुकानें लूटीं, लोग विस्थापित हो गए।

वर्ष-१९९५

१७ अक्तूबर, १९९५	डोडा	कुलहाडा गाँव के देवराज का घर लूटा।
२० अक्तूबर, १९९५	भलेस	गडैकडा गाँव से आतंकवादी साठ हजार रुपए लूटकर ले गए।
२१ अक्तूबर, १९९५	भलेस	जितौता क्षेत्र के पं. राजदेव, जयदयाल, बलवंत सिंह, जय किशन को लूटा।
२२ अक्तूबर, १९९५	ठाठरी	सेना के सामान से लदे तीन खच्चर प्रेमनगर में लूट लिये।
१६ नवंबर, १९९५	–	गाँव जेठली के सुखदेव, स्वामीराज, भारतभूषण और ओमप्रकाश के घरों को लूट लिया।

वर्ष-१९९६

२ मार्च, १९९६	डोडा	तरंगा गाँव को लूटा, लोग विस्थापित हो गए।
४ अप्रैल, १९९६	भद्रवाह	ठाकुर लाल एवं बालकृष्ण के घरों से नकदी, सोना आदि लूटा।
३ अगस्त, १९९६	किश्तवाड़	छात्रू से पैंतीस हजार रुपए लूटे।

वर्ष-१९९९

२१ जनवरी, १९९९	भद्रवाह	मरमत गाँव के तीन हिंदू घरों को लूटा।

आगजनी की घटनाएँ

आतंकवादियों द्वारा आगजनी की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ; जो इस प्रकार है—

दिनांक	*स्थान*	*घटना*
वर्ष-१९८९		
७ अप्रैल, १९८९	भद्रवाह	भद्रवाह में लकड़ी का एक पुल जला दिया।
वर्ष-१९९०		
२६ जनवरी, १९९०	भद्रवाह	नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के दो कमरों को जला दिया।
सन् १९९०	भद्रवाह	अटालगढ़ और सुपारनाग मंदिरों को जला दिया।
वर्ष-१९९२		
३ फरवरी, १९९२	भद्रवाह	श्रीवासुकि नाग मंदिर को जलाने की कोशिश की गई।
२९ फरवरी, १९९२	किश्तवाड़	शक्ति कुमार का घर जला दिया गया।
२७ जुलाई, १९९२	भद्रवाह	प्राथमिक विद्यालय को आग लगा दी गई, जिससे पूरा विद्यालय जल गया।
१८ अगस्त, १९९२	किश्तवाड़	विजय कुमार गुप्ता की दुकानों में लाखों का माल जला दिया।
२६ अक्तूबर, १९९२	भद्रवाह	उदराना गाँव की दस दुकानें जला दी गईं। गाँव जलते-जलते मुश्किल से बचा।
३ नवंबर, १९९२	भद्रवाह	शेर सिंह की दुकान का सामान जला दिया गया।
५ नवंबर, १९९२	भद्रवाह	रणजीत सिंह का मकान जला दिया गया।
२८ नवंबर, १९९२	भद्रवाह	गौरी चंद भगत की दुकान जला दी।
६ दिसंबर, १९९२	डोडा	अयोध्या में विवादित ढाँचा ध्वस्त होने के बाद दस मंदिर जला दिए गए—गाँव भरत, बजारनी, कादी, धंदल, काश्तीगढ़, कुलहाँड,

		हंबल, बरशाला, ओगाद, लाल द्रमण।

वर्ष-१९९३

१२ जनवरी, १९९३	भद्रवाह	सरकारी सिलाई कार्यालय को आग लगा दी।
२२ जनवरी, ११९३	किश्तवाड़	छात्रू क्षेत्र में लगभग दो सौ पचास आतंकवादियों ने एक ही समय अट्ठाईस सरकारी भवनों को जलाकर राख कर दिया।
२३-३० जनवरी, १९९३	डोडा	लगातार डोडा एवं उसके आसपास के जंगलों में प्रतिदिन आग की लपटें दिखाई देने लगीं जंगल धू-धूकर जलने लगे।
४ मार्च, १९९३	डोडा	पावर हाऊस के दो कमरे जला दिए गए।
मार्च १९९३	भद्रवाह	जंगलात एवं पर्यटक निवास और जाई के रमणीक क्षेत्र की धर्मशाला जला दी।
मार्च १९९३	भद्रवाह	कॉलेज छात्रावास, चिंता, भाला, पनैजा के उच्च माध्यमिक विद्यालय जला दिए गए।
३० मार्च, १९९३	रामबन	पत्निटाप पर्यटक स्थल के दो आवास जला दिए।
१ अप्रैल, १९९३	भद्रवाह	माध्यमिक बालिका विद्यालय जला दिया।
४ अप्रैल, १९९३	भद्रवाह	चिंता विद्यालय के कमरे जला दिए।

वर्ष-१९९४

२ मार्च, १९९४	भद्रवाह	गाँव के चार कंडू धास जला दिया।
८ मार्च, १९९४	भद्रवाह	प्रातः मानचंद भगत का स्टोर जला दिया।
११ मार्च, १९९४	किश्तवाड़	चार ट्रक राशन जला दिया।
२७ मार्च, १९९४	भद्रवाह	चिंता उच्च माध्यमिक विद्यालय का रिकॉर्ड जला दिया।
३ अप्रैल, १९९४	भद्रवाह	भालडा गाँव के उच्च विद्यालय को जला दिया।
८ जुलाई, १९९४	डोडा	दो करोड़ कीमत की सत्रह हजार शहतीरें और लकड़ियाँ जला दी गईं।
३१ अक्तूबर, १९९४	भलेस	रात को फायरिंग करके चौचलू गाँव का मंदिर जला दिया।

वर्ष-१९९६

३० जनवरी, १९९६	किश्तवाड़	पलमाड में चमनलाल शान का अट्ठाईस कमरोंवाला भव्य मकान जला दिया।
९ अप्रैल, १९९६	डोडा	देसा गाँव में बृजलाल के घर में आग लगा दी।

वर्ष-१९९७

५ अप्रैल, १९९७	ठाठरी	गाँव में एक हिंदू घर एवं दो दुकानें जला दीं।

वर्ष-१९९९

२१ जनवरी, १९९९	डोडा	मरमत गाँव में आतंकवादियों ने रात्रि में सोते समय गाँव के तीन हिंदुओं के घरों को आग लगा दी। जिनमें शेर सिंह, होशियार सिंह और चीर सिंह अपने-अपने परिवार सहित मुश्किल से जीवित बच पाए।

पुलिस चौकी लूटने की घटनाएँ

आतंकवादियों के द्वारा जिले की अधिकतर पुलिस चौकियाँ और हथियार लूट लिये गए। कुछ घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

दिनांक	*स्थान*	*घटना*
वर्ष-१९९१		
१० दिसंबर, १९९१	किश्तवाड़	मड़वा चौकी पर हमला करके समस्त हथियार लूट लिये।
वर्ष-१९९२		
७ अप्रैल, १९९२	किश्तवाड़	प्रातः ३.०० बजे छात्रू की पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया। जिसमें तीन हिंदू सिपाही मारे गए। चौकी की तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं हुई। आतंकवादी सभी ३०३ बोर की बंदूकें, पिस्तौल, वायरलेस सेट एवं गोला-बारूद यहाँ तक कि पुलिस की वर्दियाँ भी लूट ले गए।
१४ सितंबर, १९९२	भद्रवाह	नालठी के सड़क निर्माण संगठन के भंडार

		से, दुलहस्ती से, स्थानीय निर्माण विभाग से इतना अधिक जलाटीन, डेटोनेटर एवं अन्य विस्फोटक सामान लूटा जिससे पाँच हजार बम बन सकते थे।
२९ सितंबर, १९९२	ठाठरी	ठाठरी की पुलिस चौकी पर जब हमला किया गया तो पुलिस चौकी ने बिना संघर्ष के उन्हें ३०३, एस.एल.आर., कार्बाइन बंदूकें, पिस्तौल, वायरलेस सेट और हजारों राउंड गौलियाँ दे दीं। आतंकवादी 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहते बाजार से होते हुए आराम से निकल गए।
३ दिसंबर, १९९२	किश्तवाड़	दच्छन की पुलिस चौकी पर हमला कर सभी हथियार और गोला-बारूद ले गए, चौकी ने कोई संघर्ष नहीं किया।
१२ दिसंबर, १९९२	किश्तवाड़	छात्रू की पुलिस चौकी पर पुन: हमला हुआ परंतु थाना प्रभारी ने सिपाहियों को आतंकवादियों के ऊपर गोली चलाने से रोका।
२५ दिसंबर, १९९२	किश्तवाड़	पाडर क्षेत्र की अठोली पुलिस चौकी पर रात्रि में हमला किया। आतंकवादी बड़े आराम से बंदूकें, पिस्तौल, वायरलेस सेट लूट ले गए। थाना प्रभारी ने सिपाहियों को गोली चलाने एवं संघर्ष करने से रोका।

वर्ष १९९४

१ मई, १९९४	भलेस	भलेस के सोती गाँव में केंद्रीय मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद के घर की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस चौकी पर हमला किया। परंतु वहाँ उपस्थित पच्चीस सिपाहियों ने बिना गोली चलाए और संघर्ष के अपने सभी हथियार आतंकवादियों को सौंप दिए और इस घटना पर श्री आजाद चुप्पी साधे रहे।

वर्ष-१९९७

१० जुलाई, १९९७	भलेस	पुलिस चौकी पर हमला किया और बंदूकें लेकर भाग गए।

अपहरण, फायरिंग, मारपीट एवं अन्य घटनाएँ

आतंकवादियों के कारण पूरे जिले में अनेकों अपहरण, फायरिंग, मारपीट, पाकिस्तानी झंडा फहराना, राष्ट्रीय पर्वों का बहिष्कार आदि अन्य अनेकों आतंकी घटनाएँ होती रहती हैं। यहाँ कुछ ही घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ—

दिनांक	*स्थान*	*घटना*
वर्ष-१९९०		
१३ अगस्त, १९९०	किश्तवाड़	हथियारों से भरा एक ट्रक किश्तवाड़ के चिकित्सा मार्ग पर खालिद अहमद की दुकान पर खाली हुआ।
१५ अगस्त, १९९०	डोडा	स्वतंत्रता दिवस काले दिवस के रूप में मनाया और पूरे जिले में बंद की घोषणा की।
वर्ष-१९९१		
१० अक्तूबर, १९९१	किश्तवाड़	दो हजार चार सौ करोड़ से प्रारंभ होकर तीन हजार पाँच सौ करोड़ तक की लागत से बनी दुल हस्ती जल विद्युत् परियोजना में कार्यरत फ्रांसीसी अभियंता का अपहरण कर लिया।
१८ अक्तूबर, १९९१	भद्रवाह	भद्रवाह की मसजिद पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया।
वर्ष-१९९२		
८ जून, १९९२	भद्रवाह	मसजिद मोहल्ला में हिंदू घरों पर फायरिंग की गई।
१० जुलाई, १९९२	डोडा	डोडा शहर में आतंकवादियों ने धूआँधार फायरिंग की।
२३ जुलाई, १९९२	भद्रवाह	नगर के सिनेमा हॉल में गोली चलाई।
३ अगस्त, १९९२	भद्रवाह	चिंचौडा से वापस आती हुई बरात पर

		फायरिंग की, जिससे बरात आगे न जा सकी।
१४-१५ अगस्त, १९९२	भद्रवाह	दोपहर ३.३० बजे भद्रवाह शहर एवं उसके आसपास गाँवों से फायरिंग शुरू हुई, जो सत्रह घंटे लगातार चलती रही। हजारों की संख्या में गोलियाँ चलीं। सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर चले, लगभग चालीस हजार फायर हुए। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया।
१५ अगस्त, १९९२	किश्तवाड़	किश्तवाड़ शहर एवं उसके आसपास फायरिंग रात्रि ८.०० बजे शुरू हुई। केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल के शिविर में रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया गया। हिंदू घरों पर पूरे शहर में पथराव भी किया गया। हजारों की संख्या में फायरिंग हुई। किश्तवाड़ में इस घटना के बाद छह दिन तक कर्फ्यू लगा रहा।
१३ अक्तूबर, १९९२	भद्रवाह	डोडा से भद्रवाह आ रहा चौंसठ लाख का सरकारी खजाना फायरिंग करके नहीं आने दिया गया।
२५ अक्तूबर, १९९२	भद्रवाह	गुप्तगंगा मंदिर के पुजारी प्रेम लाल शर्मा के घर जाकर उसको निर्दयतापूर्वक यातनाएँ दीं और जलती हुई सिगरेटों से उसके शरीर में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिख दिया।

वर्ष-१९९३

३ फरवरी, १९९३	डोडा	जम्मू में एक आतंकवादी खालिद के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने पर, इसके विरोध में जिले की मसजिदों से बंद की घोषणा की और हिंदुओं की दुकानें जबरदस्ती बंद करवाईं।
५ फरवरी, १९९३	किश्तवाड़	शालामार नामक स्थान पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की चौकियों पर रात को फायरिंग की गई। दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

२५ मार्च, १९९३	किश्तवाड़	ईद के दिन हजारों मुसलमानों ने किश्तवाड़ के जामा मसजिद में एकत्र होकर एक विशाल जुलूस निकाला। इसमें सम्मिलित आतंकवादी एवं उनके समर्थकों ने आजादी, पाकिस्तान के समर्थन में और सुरक्षा बलों के विरोध में देशद्रोही नारे लगाए। प्रशासन चुपचाप देखता-सुनता रहा।
अप्रैल १९९३	भद्रवाह	सुमेश मन्हास फायरिंग से घायल हो गया।
अप्रैल १९९३	भद्रवाह	किला मोहल्ला नगर में फायरिंग से सुरक्षा बल के दो जवान घायल हो गए।
अप्रैल १९९३	डोडा	राज्यपाल के डोडा आने पर उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई।
अप्रैल १९९३	डोडा	आतंकवादियों के द्वारा घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई।
अप्रैल १९९३	रामबन	रामसू क्षेत्र के सेना शिविर के ऊपर फायरिंग की।
१२ जून, १९९३	किश्तवाड़	छात्रू पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर स्वचालित हथियारों से फायरिंग की, एक जवान घायल हो गया।
२५ जुलाई, १९९३	किश्तवाड़	चंद्रभाग (चिनाब) नगर में सीमा सुरक्षा बल के गस्ती दल पर हमला किया।
२५ जुलाई, १९९३	किश्तवाड़	पाडर के त्यारी गाँव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकी पर फायरिंग की।
१० अगस्त, १९९३	भद्रवाह	भद्रवाह की प्रसिद्ध कैलास यात्रा के पूज्य देवता वासुकि नाग के पवित्र निवास स्थल कम्लास पर स्थापित नाग मूर्तियों को भंग कर दिया, बैल काटकर पवित्र कुंड में फेंक दिया और मार्ग की निशानियों को तोड़ दिया।
१५ अगस्त, १९९३	डोडा	(क) पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस 'काला दिवस' के रूप में मनाया और सरकारी

		भवनों, मसजिदों पर पाकिस्तानी झंडे फहराए।
		(ख) आतंकवादियों के समर्थकों की प्रशासन में घुसपैठ होने के कारण डोडा शहर के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राष्ट्र ध्वज उलटा बाँधकर फहराया गया, जिसे समारोह के बाद ठीक किया गया।
	किश्तवाड़	किश्तवाड़ नगर में प्रशासन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के ध्वजारोहण के समय आतंकवादियों के द्वारा गोली-बम की वर्षा हुई और जिला अधिकारी राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सके।
	भलेस	गंदों में कर्फ्यू जैसा वातावरण बनाकर अल्पसंख्यक हिंदू समाज को भयभीत किया गया।
१० सितंबर, १९९३	किश्तवाड़	छात्रू में सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल पर घात लगाकर फायरिंग की गई जिसमें तीन जवान घायल हो गए।
२७ सितंबर, १९९३	किश्तवाड़	पलमाड क्षेत्र में आतंकवादी एवं सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई जिसमें कई जवान घायल हो गए।
२१ अक्तूबर, १९९३	किश्तवाड़	किश्तवाड़ से तेरह किलोमीटर दूर सेना के वाहन पर रॉकेट लॉन्चर एवं आधुनिक शस्त्रों से फायरिंग हुई जिसमें तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

वर्ष-१९९४

३० जनवरी, १९९४	डोडा	केंद्रीय गृहमंत्री के डोडा आगमन पर उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई।
१६ फरवरी, १९९४	भद्रवाह	द्रंगा गाँव को घेरकर फायरिंग की।
१७ मार्च, १९९४	भद्रवाह	हडल गाँव में फायरिंग की गई।
३० मार्च, १९९४	भद्रवाह	दो पूर्व सैनिकों का अपहरण कर लिया गया।

१ अप्रैल, १९९४	भद्रवाह	मंथला गाँव के रोमराज का अपहरण किया।
९ अप्रैल, १९९४	भद्रवाह	मंथला के मनोहर लाल पर हमला करके घायल कर दिया।
५ मई, १९९४	भद्रवाह	ग्वाडी गाँव के सैनिक शिविर पर हथगोला फेंककर हमला किया।
२० मई, १९९४	भलेस	कालजुगार क्षेत्र के गाँवों में आतंकवादियों ने हमला किया। कई घंटे फायरिंग चलती रही। दो गाँव फायरिंग एवं हथगोलों से लगी आग में जलकर नष्ट हो गए। परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक हिंदू समाज भयभीत होकर हजारों की संख्या में अपने घरबार छोड़कर सीमा से लगते हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में पैदल पहाड़ी मार्ग से विस्थापित होकर चला गया और यह विस्थापन जून तक होता रहा।
२७ मई, १९९४	भद्रवाह	सरतिंगल में एक चेतावनी पत्रक लगा, जिसमें हिंदुओं को धमकी देते हुए लिखा था कि 'हिंदू फौज की मदद करके हमें मरवाते हैं। सैनिकों को मदद करना छोड़ दो वरना परिणाम बुरा होगा।'
१० जून, १९९४	भद्रवाह	आतंकवाद का विरोध करने पर भद्रवाह में 'सनातन धर्म सभा' जिला डोडा के प्रधान पं. फकीर चंद राजदान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और देशभक्त हिंदू युवकों के सम्मन निकाले। प्रशासन के इस कुकृत्य के विरोध में तेरह दिन भद्रवाह में हड़ताल रही।
जून १९९४	भलेस	जून तक भलेस से अल्पसंख्यक हिंदू समाज के दस हजार लोग अपना सबकुछ छोड़कर हिमाचल प्रदेश के चंबा में विस्थापित हो गए।

जुलाई १९९४	भद्रवाह	रामप्रसाद एवं सुरेश का अपहरण किया गया।
२३ जुलाई, १९९४	डोडा	ब्योली गाँव के खजान सिंह, ज्ञानचंद, हरनाम सिंह—इन तीन व्यक्तियों का अपहरण कर लिया गया।
१५ अगस्त, १९९४	ठाठरी	स्वतंत्रता दिवस पर सेवा गाँव में आतंकवादियों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में पाकिस्तानी झंडा फहराकर उसे सलामी दी, पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर फायरिंग की।

वर्ष-१९९५

२७ जुलाई, १९९५	भलेस	पोरा गाँव के राजेंद्र कुमार का अपहरण किया।
१९ अगस्त, १९९५	डोडा	प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पर हमला करके देव मूर्तियाँ भंग कर दीं, चेलों (पुजारियों) से यात्रा निशानियाँ छीन लीं। यात्री बिना निशानियों के यात्रा करने गए। बाद में निशानियाँ टूटी हुई नडपियाल स्थान पर पड़ी मिलीं।
१५ अक्तूबर, १९९५	भलेस	गाँव सोती के रहनेवाले जंगलात अधिकारी नजामदीन के घर में छिपकर सेना के गश्ती दल के ऊपर फायरिंग की गई।
११ अक्तूबर, १९९५	भलेस	आतंकवादियों ने एक विद्यालय में जाकर हिंदू अध्यापकों को डराया, धमकाया और बुरी तरह से पीटा, जिससे दो अध्यापक प्रदीप कुमार एवं राजेंद्र कुमार बेहोश हो गए।

वर्ष-१९९६

२१ जनवरी, १९९६	भद्रवाह	नगर की जामा मसजिद में एक पत्रक चिपकाकर हिंदुओं से बदला लेने की धमकी दी गई, भद्रवाह छोड़कर छह दिन के अंदर भाग जाने को कहा गया। भद्रवाह में कर्फ्यू

		लग गया और ढोंसा पानी के परिवारों के अस्सी सदस्य विस्थापित होकर भद्रवाह नगर में आ गए और धर्मशाला में रहने लगे। इनके घर लूट लिये गए।
२४ जनवरी, १९९६	भद्रवाह	आतंकवादियों ने धरैजा गाँव के मुसलमान नागरिकों को साथ लेकर रात को मशालें लेकर भारत विरोधी नारे लगाए और हिंदू घरों पर पथराव किए। अटालगढ़ में हमला करने की कोशिश की गई।
२८ जनवरी, १९९६	भद्रवाह	हिंदू संगठनों के प्रमुख को मारने की धमकी दी गई। बीस परिवार जम्मू चले गए। २७ से २९ जनवरी तक कर्फ्यू लगा दिया गया।
जनवरी १९९	भद्रवाह	चिंता डुग्गा में एक युवक का अपहरण किया गया।
जनवरी १९९६	भलेस	आतंकवादियों का साथ न देने के कारण गंदों से मोहम्मद रमजान का अपहरण किया गया।
३१ जनवरी, १९९६	डोडा	आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियों के कारण डोडा से छत्तीस हिंदू परिवार विस्थापित हुए।
३ फरवरी, १९९६	डोडा	मरमत क्षेत्र में आतंकवादियों ने तेरह व्यापारियों को बंदी बनाया और सत्रह लाख रुपए लेकर छोड़ दिया, पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की।
८ फरवरी, १९९६	भद्रवाह	आतंकवादियों ने लिंगा गाँव में हमला किया, गाँव की ग्रामीण सुरक्षा समिति ने मुकाबला किया।
१२ फरवरी, १९९६	किश्तवाड़	रायथल मुगल मैदान (मुगल मज़ार) से एक युवक का अपहरण किया।
२३ फरवरी, १९९६	भलेस	गंदों में मोहम्मद असलम के घर से बड़ी

		मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद मिला। यहाँ आतंकवादी ठहरते थे।
२४ फरवरी, १९९६	किश्तवाड़	नांगनी क्षेत्र में सेना के साथ जबरदस्त मुठभेड़ होने पर पाँच खतरनाक आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
२५ फरवरी, १९९६	भद्रवाह	प्राणो एवं भाला मार्ग के बीच भद्रवाह जा रही एक यात्री बस पर फायरिंग की।
६ मार्च, १९९६	भद्रवाह	कन्सर गाँव पर हमला किया, ग्रामीण सुरक्षा समिति ने मुकाबला किया।
	किश्तवाड़	जिला पुलिस अधीक्षक ने पुछाल गाँव से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए।
२३ मार्च, १९९६	ठाठरी	जौडा क्षेत्र में सायं से प्रातः तक लगातार फायरिंग की। घायलों को प्रातःकाल ही चिकित्सा के लिए ले जाना संभव हुआ।
२६ मार्च, १९९६	ठाठरी	दो हिंदुओं का अपहरण कर लिया।
१ अप्रैल, १९९६	ठाठरी	आतंकवाद के समर्थन में मुसलमान समाज ने शहर को बंद रखा।
१२ अप्रैल, १९९६	किश्तवाड़	सरथल गाँव में घर से अपहरण करके योगराज को घायल किया।
४ जून, १९९६	भद्रवाह	सिच्चल, गोयला और हलारन गाँव में फायरिंग करके लोगों को विस्थापित किया।
५ जून, १९९६	भद्रवाह	मलैनी गाँव में आकर फायरिंग की, जिसका मुकाबला ग्रामीण सुरक्षा समिति ने किया।
२२ जुलाई, १९९६	भद्रवाह	मंथला मलैनी क्षेत्र को घेरकर रात्रि में चारों तरफ से फायरिंग की; जिसमें होशियार सिंह और अशोक कुमार घायल हो गए।
३ अगस्त, १९९६	किश्तवाड़	मुंशीराम और इकबाल मोहम्मद को बस से उतारकर लूटा।
१५ अगस्त, १९९६	भद्रवाह	लिंगा सुरक्षा समिति पर हमला किया।
अगस्त १९९६	डोडा	देसा से हलीफ हुसैन, अब्दुल रशीद और मोहम्मद इकबाल का अपहरण किया।

१ सितंबर, १९९६	रामबन	सिराज क्षेत्र से आतंकवादियों के अत्याचारों से पाँच हजार हिंदू विस्थापित हुए।
३ दिसंबर, १९९६	किश्तवाड़	मुगल मैदान से अल्ला बख्श और गुलाम रसूल का अपहरण कर लिया।

वर्ष-१९९७

९ जून, १९९७	भद्रवाह	काकोल गाँव के एक व्यक्ति को घायल किया।
१२ जून, १९९७	भद्रवाह	अठखार क्षेत्र से पचास मुसलिम युवक आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण लेने गए।
१४ जून, १९९७	भद्रवाह	बस्ती क्षेत्र से चालीस मुसलिम युवक आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने गए।
१९ जुलाई, १९९७	भद्रवाह	नगर में अब्दुल क्यूम बागवान के घर से विस्फोटक सामग्री मिली।
१६ सितंबर, १९९७	भलेस	काराह में ग्रामीण सुरक्षा समिति पर हमला करके परशुराम, सविता देवी और इनकी लड़की स्वर्णा देवी को घायल करके भाग गए।
१६ अक्तूबर, १९९७	डोडा	कुंडधार गाँव में हमला करके छह युवकों को घायल कर दिया।

वर्ष-१९९८

२६ मई, १९९८	ठाठरी	गाँव के ग्रामीण सुरक्षा समिति के चार सदस्यों का मार्ग से अपहरण किया।
अगस्त १९९८	भलेस	गंदों के एक गाँव में रात्रि ८.०० बजे आतंकवादियों ने ग्रामीण सुरक्षा समिति पर फायरिंग की।
२८ अगस्त, १९९८	ठाठरी	ठाठरी तहसील के सोलह गाँवों को घेरकर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस समय रात्रि में लोग सो रहे थे।
अगस्त १९९८	किश्तवाड़	ठकराई गाँव के ग्रामीण सुरक्षा समिति पर आतंकवादियों ने लगातार फायरिंग की।

२४ अक्तूबर, १९९८	किश्तवाड़	सेना शिविर के स्थानों पर जंगलों से फायरिंग की।
नवंबर १९९८	किश्तवाड़	हुल्लर गाँव से एक मुसलिम युवक का अपहरण किया।
१३ नवंबर, १९९८	भद्रवाह	चिनार मोहल्ला नगर में शाम से लेकर प्रातः १०.०० बजे तक लगातार आतंकवादी फायरिंग करते रहे।
१ दिसंबर, १९९८	डोडा	कोटी गाँव के दो हिंदुओं का अपहरण कर लिया।
वर्ष-१९९९		
२४ जनवरी, १९९९	डोडा	सालान गाँव में सेना ने बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार एवं विस्फोटक सामान पकड़ा।

देशभक्त नागरिकों की हत्या की घटनाएँ

आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष देशभक्त नागरिकों की हत्या बहुत ही दर्दनाक ढंग से की गईं। अल्पसंख्यक हिंदू समाज को इससे प्रभावित होना पड़ा। कुछ घटनाओं का वर्णन इस प्रकार है—ये सभी देशभक्त शहीद हैं—

दिनांक	*स्थान*	*घटना*
वर्ष-१९९२		
७ अप्रैल, १९९२	किश्तवाड़	छात्रू पुलिस चौकी पर प्रातः ३.०० बजे हमला किया गया, जिसमें तीन हिंदू पुलिस सिपाही शहीद हो गए, ये दच्छन, प्रेमनगर और ठाठरी क्षेत्र के रहनेवाले थे।
२३ जुलाई, १९९२	भद्रवाह	विनोद कुमार रामनगर से भद्रवाह नगर में किसीके विवाह में आया था, उसे आतंकवादियों ने सिनेमाघर के सामने घेरकर उसकी हत्या कर दी।
७ अगस्त, १९९२	डोडा	रात के अँधेरे में छह हिंदू पुलिस सिपाहियों की हत्या करके पुलिस प्रशासन को उपहार भेंट किया।

२० अगस्त, १९९२	किश्तवाड़	सुभाष भगत सुपुत्र प्रेमनाथ का संग्राम भाटा से अपहरण करके हत्या कर दी और शव सड़क पर फेंक दिया।
१९ दिसंबर, १९९२	डोडा	डोडा के नगरी गाँव के रहनेवाले अधिवक्ता डोडा जिला भाजपा के महामंत्री श्री संतोष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी।

वर्ष-१९९३

८ जनवरी, १९९३	डोडा	करतार सिंह के घर में घुसकर उसे फाँसी देकर हत्या कर दी।
९ जनवरी, १९९३	किश्तवाड़	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक जवान फायरिंग में शालामार में मारा गया।
२० जनवरी, १९९३	भद्रवाह	गाँव के शादीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी।
२९ जनवरी, १९९३	भद्रवाह	भद्रवाह नगर किला मोहल्ला में रहनेवाले पूर्व सैनिक श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा अपने घर पर बैठे थे कि शाम ७.०० बजे आतंकवादी ने दरवाजा खटखटाया, जैसे ही श्री राजेंद्र प्रसाद ने दरवाजा खोला तो आतंकवादी ने पिस्तौल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी।
३१ जनवरी, १९९३	भद्रवाह	प्राणों गाँव के रहनेवाले कश्मीरी सिंह की हत्या कर दी।।
७ फरवरी, १९९३	भद्रवाह	चक्राभत्ति गाँव के सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री मनोहर लाल की घर के मार्ग पर शाम ५.३० बजे गोली मारकर हत्या कर दी।
९ फरवरी, १९९३	भलेस	किश्तवाड़ से गंदों जा रही एक बस, जिसका क्रमांक जे.के.यू. ६२८७ था, उसपर बमों से हमला किया जिससे दो हिंदू मारे गए।
१९ फरवरी, १९९३	डोडा	बजारनी गाँव के रहनेवाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील कार्यवाह श्री

		मोहन सिंह को उनके घर में यातना देकर बाजार में कोऑपरेटिव की दुकान के बाहर फाँसी पर लटकाकर हत्या कर दी। शव तीन दिन तक लटका रहा।
२० फरवरी, १९९३	भद्रवाह	भाला गाँव के दवाई विक्रेता श्री दीवान चंद गुप्ता की दुकान पर एक आतंकवादी लड़की का वेश बनाकर बुरका ओढ़कर दवाई लेने आया और बुरके की आड़ से उसने गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी।
१५ अप्रैल, १९९३	भद्रवाह	चक्का गाँव के जल विभाग के चौकीदार सुंदरदास को रात्रि में पकड़कर उसकी आँखें निकालकर, शरीर के टुकड़े करके तड़पा-तड़पाकर हत्या कर दी और शव डाकबँगले के बाहर फेंक दिया।
१२ अप्रैल, १९९३	भद्रवाह	नगर भद्रवाह में रात्रि को अशोक कुमार जोगी के घर को घेरकर फायरिंग की, जिसमें अशोक मारा गया।
६ मई, १९९३	किश्तवाड़	केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल के एक वाहन को सड़क पर माईन लगाकर विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें एक युवक पवन मारा गया।
१० मई, १९९३	किश्तवाड़	हिंदू रक्षा समिति जम्मू कश्मीर के मंत्री किश्तवाड़ में रहनेवाले श्री सतीश भंडारी की बाजार में सरेआम शाम ७.४० बजे गोली मारकर हत्या कर दी।
१८ मई, १९९३	किश्तवाड़	सतीश भंडारी की हत्या के विरोध में निकले जनप्रदर्शन को दबाने के लिए थाना प्रभारी अब्दुल क्यूम डार ने फायरिंग करके मोहिंद्र सिंह, गाँव-मत्ता की हत्या कर दी।
२० मई, १९९३	किश्तवाड़	किश्तवाड़ के बेगाना गाँव के ओमप्रकाश

		की गोली मारकर हत्या कर दी।
२३ जून, १९९३	भद्रवाह	मलोठी गाँव के सूबेदार मदनलाल की हत्या कर दी।
२६ जून, १९९३	किश्तवाड़	किश्तवाड़ में अंधाधुंध फायरिंग करने के कारण सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और तीन हिंदू मारे गए।
१ जुलाई, १९९३	किश्तवाड़	दुल गाँव के दीवान चंद की हत्या उनके घर में घुसकर कर दी गई।
२२ जुलाई, १९९३	भद्रवाह	पूर्व सैनिक मनोहर लाल को दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी।
९ अगस्त, १९९३	किश्तवाड़	शिरवाल गाँव के जानकी नाथ की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी।
१४ अगस्त, १९९३	किश्तवाड़	प्रातः ६.३० बजे किश्तवाड़ से जम्मू जा रही जे.के.यू.-२००३ क्रमांक वाली बस को आतंकवादी हस्ती मार्ग पर से अपहरण कर सरथल मार्ग पर ले गए और वहाँ सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारकर मुसलमानों को अलग कर शेष सभी सोलह हिंदुओं की सामूहिक रूप से गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें—देवीदयाल, प्रेमनाथ, धर्मचंद, बंसीलाल (गाँव कुंतवाडा), श्याम लाल (गाँव टाकूद), अनूप कुमार (गाँव पलमाड), बलवान सिंह (गाँव पलमाड), जियालाल (गाँव मूल छितर), धर्मचंद (गाँव चिंगाम), हरीश कुमार, शिव कुमार, ए.एल. हुड्डा, राहुल चंद (जम्मू), जगदीशराज, रतनलाल, दीवान चंद (ऊधमपुर) आदि सम्मिलित थे।
७ सितंबर, १९९३	डोडा	देशराज की हत्या कर दी।
१० सितंबर, १९९३	किश्तवाड़	छात्रू में सुरक्षा बल का एक जवान मार दिया।

१७ सितंबर, १९९३	ठाठरी	कंठी गाँव के देशराज की गोली मारकर हत्या कर दी।
२२ सितंबर, १९९३	भद्रवाह	मोंडा गाँव के निकट सरतिंगल मार्ग पर भाजपा नेता स्वामीराज काटल के ऊपर हुए हमले में उनका अंगरक्षक हरबंस लाल मारा गया।
२२ सितंबर, १९९३	किश्तवाड़	पलमाड गाँव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग में एक गाँववासी पूर्व सैनिक की आतंकवादियों ने हत्या कर दी।
२२ सितंबर, १९९३	डोडा	कास्तीगढ़ क्षेत्र में महात्म सिंह की हत्या कर दी।
७ अक्तूबर, १९९३	डोडा	आतंकवादियों ने घात लगाकर सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल पर फायरिंग करके दो जवानों की हत्या कर दी।
८ अक्तूबर, १९९३	किश्तवाड़	एक दर्जन आतंकवादी चेरजी गाँव में पूर्व सैनिक कुंजलाल के घर रात्रि में आए। उन्होंने उनकी पत्नी प्रकाशो देवी को खाना बनाने के लिए कहा, खाना खाने के बाद उस महिला के साथ व्यभिचार किया और शोर मचाने पर कुंजलाल और प्रकाशो देवी की गोली मारकर हत्या कर दी।
१७ अक्तूबर, १९९३	किश्तवाड़	दुल गाँव के राकेश कुमार का घर से अपहरण कर उसके आधे चेहरे की खाल काट-काटकर उतार दी और तड़पाकर उसकी हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया।
सन् १९९३	भलेस	चिल्ली गाँव के शिवशरण को यातना देकर हत्या कर दी।
सन् १९९३	डोडा	जम्मू से वचनलाल बाबा डोडा आया तो उसकी हत्या कर दी गई।
		बगला गाँव के मोहिंद्र सिंह की गोली मारकर

		हत्या कर दी।
		पुलिस सब-इंस्पेक्टर ठाकुर विजय सिंह सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान की हत्या कर दी।
सन् १९९३	डोडा	सेना के एक जवान की हत्या कर दी।
सन् १९९३	रामबन	दीपावली की रात कुंडा गाँव के लोगों को एक विद्यालय के भवन में बंद कर उन्हें जिंदा जला डालने की धमकियाँ देने लगे, फिर उनको यातनाएँ दीं, बाद में सत्ताईस-अट्ठाईस वर्षीय साधुराम और नसीब सिंह को अपने पास रखकर शेष लोगों को छोड़ दिया, फिर साधुराम की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया।
23-12-1993 सन् १९९३	रामबन Manhoor Singh.	विभीषण नामक युवक का अपहरण कर उसे जंगल में ले गए जहाँ उसकी आँखें निकाल दीं, फिर उसका गुप्तांग काटकर तड़पा-तड़पाकर उसकी हत्या कर दी।

वर्ष-१९९४

२२ जनवरी, १९९४	किश्तवाड़	मध्यरात्रि में रमेश कुमार का उसके घर से अपहरण कर उसकी छाती चीरकर, उसका कलेजा बाहर निकालकर दर्दनाक ढंग से हत्या कर दी।
सन् १९९४	किश्तवाड़	नागसैनी के राकेश कुमार की आँखें निकालकर, उसके शरीर के अन्य अंग काटकर हत्या कर दी। उसका शव बागना में मिला।
१२ फरवरी, १९९४	किश्तवाड़	ठकराई क्षेत्र के केशवान गाँव से सोमनाथ शर्मा का अपहरण कर हत्या कर दी।
फरवरी १९९४	भद्रवाह	आँश्रूधार के किलाड में सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर पंद्रह जवानों की हत्या कर दी।

१६ फरवरी, १९९४	भद्रवाह	द्रंगा गाँव में रात्रि में फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी।
२५ फरवरी, १९९४	डोडा	साईं गाँव में रात को हमला करके दो व्यक्ति अशोक और बोधराज की हत्या कर दी।
२७ फरवरी, १९९४	भद्रवाह	थनाला गाँव में फायरिंग में एक सैनिक की हत्या कर दी।
८ मार्च, १९९४	किश्तवाड़	एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी।
२७ मार्च, १९९४	भद्रवाह	गाँव पनैजा से संघ के स्वयंसेवक महेश्वर सिंह और सुरजीत सिंह की होली की रात्रि को १०.३० बजे घर से अपहरण कर लिया, महेश्वर के विरोध करने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और सुरजीत को हलाल करके तड़पा-तड़पाकर मार डाला।
८ अप्रैल, १९९४	डोडा	बजारनी गाँव के धर्म सिंह की तड़पा-तड़पाकर हत्या कर दी।
३० अप्रैल, १९९४	भद्रवाह	सिरोरा गाँव में पूर्व सैनिक ओमराज के घर में घुसकर हत्या कर सामान लूट लिया।
अप्रैल १९९४	डोडा	देसा क्षेत्र में आतंकवादियों ने घात लगाकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को घेरकर भयंकर फायरिंग की और चौदह जवानों की हत्या कर दी।
१ मई, १९९४	रामबन	सुंबड गाँव से रंगील सिंह, गुलाब सिंह और अब्दुल गनी का अपहरण कर हत्या कर दी।
१४ मई, १९९४	भलेस	काकोरी गाँव के बालकृष्ण की हत्या कर दी।
१९ मई, १९९४	भलेस	ग्वालों गाँव के कुलदीप कुमार की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी।
२० मई, १९९४	भलेस	बिसरान गाँव के ठाकुर लाल और घिल

		गाँव के जसवंत सिंह की हत्या कर दी।
२७ मई, १९९४	किश्तवाड़	हड़ियाल गाँव के किशोरी लाल भगत, जीवन लाल भगत और रवींद्र लाल भगत तीन युवकों की रात्रि में निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी।
३० मई, १९९४	भद्रवाह	सरतिंगल मार्ग पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री स्वामीराज काटल की अपने गाँव जाते समय हत्या कर दी, उसी मार्ग से जा रहे कोंडरा गाँव के एक विद्यार्थी की भी इस हमले में हत्या हो गई।
७ जून, १९९४	भद्रवाह	नगर भद्रवाह के वासक डेरे में रहनेवाले भाजपा मंडल प्रधान रुचिर कुमार की खेत में काम करते समय छाती पर पैंतीस गोलियाँ दागकर हत्या कर दी।
१२ जून, १९९४	भद्रवाह	ओमप्रकाश कोतवाल की हत्या कर दी।
१९ जून, १९९४	भलेस	समाई गाँव की सीधी-साधी मीना देवी को पैंतीस-छत्तीस आतंकवादियों ने अपहरण करके बलात्कार किया और उसकी हत्या कर एक पेड़ से लटका दिया।
११ जून, १९९४	किश्तवाड़	विवाह समारोह में सुभाष सेन की गोली मारकर हत्या कर दी।
२६ जून, १९९४	डोडा	कास्तीगढ़ में सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी।
३० जुलाई, १९९४	भद्रवाह	प्राणों के कठियाड़ा गाँव के ओमप्रकाश का अपहरण कर हत्या करके शव एक बोरे में डालकर चंद्रभागा नदी में पत्थर बाँधकर लटका दिया, एक माह बाद मात्र हड्डियों का कंकाल मिला।
जुलाई १९९४	भद्रवाह	रामप्रसाद और सुरेश का अपहरण किया, रामप्रसाद तो बचकर भाग गया, परंतु सुरेश मारा गया।

१३ सितंबर, १९९४	किश्तवाड़	ठकराई के सेवाराम ठाकुर की बस में हत्या कर दी।
२६ सितंबर, १९९४	डोडा	ब[illegible]ी गाँव की शंकरी देवी की यातना देकर हत्या कर दी।
२ अक्तूबर, १९९४	डोडा	कास्तीगढ़ के प्रिय सिंह की हत्या कर दी।
६ अक्तूबर, १९९४	डोडा	शिब्बन लाल पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी।
७ नवंबर, १९९४	डोडा	गादी गाँव के बसंत सिंह की हत्या कर दी।
१३ दिसंबर, १९९४	भद्रवाह	किलाड़ गाँव के साठ वर्षीय वृद्ध शंकर लाल की अंग काटकर हत्या कर दी।
सन् १९९४	ठाठरी	चिराला क्षेत्र के ब्योली गाँव के ध्यान सिंह की हत्या कर, बारह वर्षीय गणेश को डंडों से पीट-पीटकर यातना देने लगे, पीड़ा से पीड़ित होकर उसने कहा मुझे डंडों से नहीं, गोली से मार दो, परंतु उसे तरह-तरह से यातनाएँ देकर उसकी भी हत्या कर दी।
२६ दिसंबर, १९९४	किश्तवाड़	नगर में शाम ५.०० बजे दुकान से घर जाते समय हिंदू रक्षा समिति के कार्यकर्ता प्रवीन गुप्ता (शेरू) की गोली मारकर हत्या कर दी।

वर्ष-१९९५

१० मार्च, १९९५	डोडा	कास्तीगढ़ के प्रीतम सिंह और यशपाल की हत्या कर दी।
११ मार्च, १९९५	डोडा	घट गाँव के रमेश कुमार की हत्या कर दी।
१५ अप्रैल, १९९५	डोडा	सैकना भागवा के धर्म सिंह की हत्या कर दी।
अप्रैल १९९५	डोडा	डोरी गाँव के एक घर में घुसकर एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की फायरिंग कर हत्या कर दी। जिनमें ठाकुर सिंह, उनकी पत्नी कांता देवी, बीस वर्षीय तेजराम, सुनीता देवी, बाईस वर्षीय चैन सिंह सम्मिलित हैं।

१४ मई, १९९५	डोडा	पूर्व सैनिक लेखराज की हत्या कर दी और देसा गाँव के स्वामीराज की हत्या कर दी।
२० मई, १९९५	डोडा	जिला उपायुक्त जब भद्रवाह से डोडा मुख्यालय आ रहे थे तो मार्ग में आतंकवादियों ने घात लगाकर उनपर हमला किया जिसमें वे बाल-बाल बच गए, परंतु उनका एक अंगरक्षक रमेश कुमार और सीमा सुरक्षा बल का एक जवान मारा गया।
मई १९९५	डोडा	गुंदना गाँव के पैंतालीस वर्षीय हंसराज की गोली मारकर हत्या कर दी।
१५ जुलाई, १९९५	डोडा	मरमत क्षेत्र के गाँव मंगोता के स्वामीराज की हत्या कर दी।
२१-२२ जुलाई, १९९५	भद्रवाह	पनैजा गाँव में असाम राइफल के शिविर पर मध्यरात्रि में देशी-विदेशी आतंकवादियों ने घेरकर हमला किया। जिसमें सोते हुए सेना के सात जवानों की हत्या कर दी। जिससे सेना को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और समाज का मनोबल कम हुआ। सरकार की आतंकवादियों के प्रति नरम नीति के कारण यह घटना हुई।
२६ जुलाई, १९९५	डोडा	गाँव हृदकोट के परशुराम के घर के अंदर घुसकर इसकी हत्या कर दी और दो बच्चों को घायल कर दिया।
१४ अगस्त, १९९५	भलेस	बुदली गाँव के पूर्व सैनिक दलीप सिंह को हलाल करके हत्या कर दी।
१४ अगस्त, १९९५	भलेस	कंठ गाँव के टेकचंद की गोली मारकर हत्या कर दी।
१८ सितंबर, १९९५	भद्रवाह	सुदर्शन कुमार, कुलदीप कुमार और रवींद्र बटोली गाँव में अपने रिश्तेदारों के घर गए थे, वहाँ पर आतंकवादियों ने इन्हें घेरकर इनकी हत्या कर दी। इस कांड में पुलिस

		प्रशासन ने भी संदिग्ध भूमिका निभाई।
८ अक्तूबर, ११९५	भलेस	बिसरान गाँव के तेजराम की हत्या कर दी।
२४ अक्तूबर, १९९५	भलेस	दिन के २.०० बजे डोडा से रवि कुमार का अपहरण कर हत्या कर दी।
१ नवंबर, १९९५	ठाठरी	प्रयोत गाँव के बालकृष्ण के घर सात आतंकवादी आए और इसे हलाल करके मार दिया। परिवारवाले रोते रह गए।
९ नवंबर, १९९५	भलेस	राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन रोहित कौशल को घेरकर उस समय हत्या कर दी जब वे भलेस के आतंकवादी प्रमुख के आत्मसमर्पण करनेवाले स्थान पर जा रहे थे।

वर्ष-१९९६

५ जनवरी, १९९६	ठाठरी	हिंदू गाँव बरशाला को आतंकवादियों ने रात्रि प्रारंभ होने पर घेर लिया और हिंदुओं को घरों से निकालकर एकत्र करके अपने साथ गाँव के विद्यालय में ले गए। वहाँ पर पंद्रह हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ आतंकवादी सेना की वरदी पहनकर आए थे। अगले दिन ११.०० बजे के बाद वहाँ सेना एवं पुलिस पहुँची।
८ जनवरी, १९९६	ठाठरी	सीमा सुरक्षा बल के दो जवान जंगलवाड़ की मुठभेड़ में मारे गए।
२० जनवरी, १९९६	भद्रवाह	ढोसा पानी गाँव में समसुद्दीन के घर आतंकवादियों का आना-जाना रहता था। एक दिन दोनों के बीच आपस में अनबन होने के कारण आतंकवादियों ने समसुद्दीन के घर के पाँच सदस्य और दो रिश्तेदार कुल सात लोगों की हत्या कर दी।
२७ जनवरी, १९९६	भद्रवाह	भद्रवाह नगर के बाजार में हिंदू रक्षा समिति के कार्यकर्ता मनोज गुप्ता की दुकान पर

		दिन के २.३० बजे आतंकवादियों ने हथगो फेंका और ए.के.-४७ से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे मनोज गुप्ता एवं उसका कर्मचारी घायल हो गए, जबकि दुकान पर आया हुआ सिरोरा गाँव का एक बालक नीरज शर्मा, जो अपने लिए कक्षा दसवीं की पुस्तकें खरीदने आया था, मारा गया। उसका सिर फटकर पूरा भेजा बाहर निकलकर गिर गया।
जनवरी १९९६	भलेस	गंदों से मोहम्मद रमजान का अपहरण करके हत्या कर दी, शव बिजली घर के बाहर पड़ा मिला।
८ फरवरी, १९९६	भद्रवाह	भारत्तोलन में कार्यरत सुरजीत सिंह जब अपने गाँव चक्राभत्ति जा रहा था तो आतंकवादियों ने मालनी बेररू गाँव के मार्ग पर उसे पकड़कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।
८ फरवरी, १९९६	डोडा	घाघरा गाँव के पास दो हिंदुओं के शव गोली से छलनी किए हुए पुलिस को पड़े मिले, जिन्हें आतंकवादियों ने यातना देकर मार दिया था।
१७ फरवरी, १९९६	रामबन	राजगढ़ गाँव के सुरेंद्र कुमार का अपहरण कर, उसकी नृशंस हत्या कर शव नाले में फेंक दिया।
२ मार्च, १९९६	भद्रवाह	कारी छतरा के कर्मचंद की हत्या कर दी। इनके पुत्र का भी अपहरण करके हत्या कर दी, शव गाँव से बाहर मिला।
२३ मार्च, १९९६	ठाठरी	जौडा गाँव के महात्म सिंह के घर रात्रि में घुसकर लूटपाट की, फिर इनका अपहरण करके हत्या कर दी।
२ अप्रैल, १९९६	किश्तवाड़	जगतराम, गुलाम हसन, गुलाम मोहम्मद इन तीन व्यक्तियों का अपहरण करके हत्या

		कर दी, शव जंगल में पड़े मिले।
४ अप्रैल, १९९६	भद्रवाह	मरमत क्षेत्र के दो व्यक्ति गुलाम हसन और गुलाम कादिर शाह का अपहरण कर हत्या कर दी।
१२ अप्रैल, १९९६	किश्तवाड़	सरथल गाँव के योगराज एवं लक्ष्मण दास का अपहरण कर लक्ष्मण दास की हत्या कर दी।
६ मई, १९९६	ठाठरी	तीन युवकों—लेखराज, शादीलाल और शंकरलाल का अपहरण कर इनकी हत्या कर दी। शव भद्रवाह के चिंता क्षेत्र के जाई स्थान पर मिले।
८ जून, १९९६	ठाठरी	कलमाडी गाँव में रेंजर अधिकारी जगन्नाथ के घर में रात्रि ९.०० बजे आतंकवादी घुसे और फायरिंग करके घर के सात सदस्यों की दर्दनाक हत्या कर दी।
८ जून, १९९६	भद्रवाह	किलाड़ क्षेत्र के डेरका गाँव के रहनेवाले एक अध्यापक माधव लाल की हत्या कर दी।
११ जुलाई, १९९६	डोडा	देसा गाँव के दो व्यक्ति विनय कुमार और मोहन लाल को गाँव से दूर ले जाकर दर्दनाक ढंग से हत्या कर दी।
१२ जुलाई, १९९६	भद्रवाह	धरपैठ गाँव के देसराज की हत्या उस समय कर दी गई जब वह जंगल में बकरियाँ चरा रहा था। आतंकवादी बकरियाँ भी लूटकर ले गए।
२२ जुलाई, १९९६	भद्रवाह	मंथला मलैनी क्षेत्र के हिंदू गाँवों में रात को एक साथ फायरिंग की और नरेश भगत नामक व्यक्ति की हत्या कर दी।
१८ अगस्त, १९९६	रामबन	संगलदान के दलीप सिंह और मोती राम की निर्दयता से हत्या कर दी।
२४ अगस्त, १९९६	भद्रवाह	सिच्चल गाँव के ग्रामीण सुरक्षा समिति पर

		घात लगाकर हमला किया, जिसमें सुरजीत सिंह और प्रेमचंद की हत्या कर दी गई।
१५ अक्तूबर, १९९६	भलेस	आतंकवादियों का साथ न देने के कारण मोहम्मद शरीफ का अपहरण करके हत्या कर दी।
३ नवंबर, १९९६	रामबन	धर्मकुंड के शेरसिंह ठाकुर को हलाल करके हत्या कर दी।
७ दिसंबर, १९९६	भद्रवाह	अजगर अली मोहम्मद का अपहरण करे हत्या कर दी।
३० दिसंबर, १९९६	डोडा	बजारनी गाँव के सेवा सिंह जब अपने घर जा रहे थे तो आतंकवादियों ने मार्ग में ही उनकी हत्या कर दी।

वर्ष-१९९७

१० मई, १९९७	रामबन	ज्योति प्रकाश एवं धर्म सिंह का अपहरण करके हत्या कर दी।
११ मई, १९९७	डोडा	जब एक ग्रामीण सुरक्षा समिति पर रात्रि में हमला किया तो उसका मुकाबला समिति ने किया, आतंकवादियों को भागना पड़ा। परंतु इस संघर्ष में अमर सिंह की हत्या हो गई।
७ अगस्त, १९९७	भलेस	चवरी गाँव की ग्रामीण सुरक्षा समिति पर हमला करके समिति के सदस्य एवं भाजपा कार्यकर्ता दलजीत सिंह की हत्या कर दी; इन्होंने कई घंटे तक संघर्ष किया।
२८ अगस्त, १९९७	भद्रवाह	मरमत क्षेत्र के मानचंद एवं उनकी पत्नी की हत्या कर दी।
१९ सितंबर, १९९७	बनिहाल	अवकाश प्राप्त अध्यापक गुलाम कादिर की बनिहाल में हत्या कर दी।
१६ अक्तूबर, १९९७	डोडा	कुंडधार गाँव की ग्रामीण सुरक्षा समिति पर हमला करके आतंकवादियों ने पाँच सदस्यों—कल्याण सिंह, जियालाल, नथू

		सिंह, जगत सिंह एवं त्रिलोक सिंह की हत्या कर दी।
२ दिसंबर, १९९७	ठाठरी	भेला गाँव की एक महिला और उसकी युवा लड़की की हत्या कर दी।

वर्ष-१९९८

१० जनवरी, १९९८	भद्रवाह	मिलाप नगर दुमैल में ठाकुर की हत्या कर दी।
१२ जनवरी, १९९८	भद्रवाह	ग्रामीण सुरक्षा समिति के राजेंद्र कुमार की हत्या कर द्री।
१८ मार्च, १९९८	ठाठरी	कोटी गाँव से भाजपा कार्यकर्ता सुरेश का अपहरण करके लोकसभा चुनाव से एक दिन पूर्व हत्या कर दी। प्रशासन एवं सरकार ने हत्या की प्रतिक्रिया करने पर इक्कीस हिंदू युवकों को गिरफ्तार कर लिया, परंतु हत्यारे आतंकवादी को नहीं पकड़ा।
१९ मई, १९९८	किश्तवाड़	नगर के चिकित्सालय में दोपहर ११.०० बजे श्री चमनलाल शान की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सेना को सहयोग देते थे।
मई १९९८	डोडा	जंगल के पैदल मार्ग से जब देसा गाँव के युवक ग्रामीण सुरक्षा समिति के हथियार ले जा रहे थे तो रास्ते में आतंकवादियों ने घात लगाकर उनपर हमला किया, जिसमें पाँच सदस्य मारे गए। जब गाँव के लोग इनके शव लेने पहुँचे और शव उठाकर शवयात्रा में चलने लगे तो दुबारा आतंकवादियों ने शवयात्रा पर फायरिंग की, जिसमें चार व्यक्ति और मारे गए, कुल नौ हिंदुओं की हत्या कर दी।
१९ जून, १९९८	डोडा	चापनाड़ी क्षेत्र में दो सामूहिक बरातों को घेरकर आतंकवादियों ने पच्चीस हिंदू बरातियों की सामूहिक हत्या कर दी। इसमें

		दोनों दूल्हे भी सम्मिलित थे। यह बरात विदा होकर वापस अपने घर प्रेमनगर क्षेत्र में जा रही थी, दोनों दुलहनों के माँग का सिंदूर ससुराल पहुँचने से पहले ही मिट गया।
२ जुलाई, १९९८	डोडा	(क) मूलराज का घर से अपहरण करके हत्या कर दी। (ख) मोरा गाँव के मोहम्मद असलम की आतंकवादियों से अनबन हो जाने के कारण उसकी हत्या कर दी।
९ जुलाई, १९९८	भलेस	समाई गाँव के हिंदू तेलाराम, मदनलाल, कृष्णलाल और इंद्र सिंह जब जंगल में लगी आग बुझाने गए तो आतंकवादियों ने बड़ी निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर दी।
२७ जुलाई, १९९८	किश्तवाड़	ठकराई क्षेत्र के दो हिंदू गाँव सन्ना और श्रावा को आतंकवादियों ने रात्रि में घेरकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों गाँवों के आठ-आठ यानी कुल सोलह हिंदुओं की सामूहिक हत्या कर दी।
सितंबर १९९८	भद्रवाह	किलाड़ गाँव का एक हिंदू युवक जंगल में अपना बैल ढूँढ़ने गया, जहाँ आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी।
	ठाठरी	चिराला में ग्रामीण सुरक्षा समिति पर हमला करके एक सदस्य की हत्या कर दी।
१ नवंबर, १९९८	किश्तवाड़	दच्छन क्षेत्र में एक मसजिद के इमाम की हत्या कर दी।
९ नवंबर, १९९८	किश्तवाड़	हुल्लर गाँव के मंजूर असगर का आतंकवादियों ने अपहरण करके हत्या कर दी।
नवंबर १९९८	किश्तवाड़	कुछाल गाँव के दो मुसलिम युवकों की हत्या कर दी।

वर्ष-१९९९

२ जनवरी, १९९९	किश्तवाड़	छात्रू क्षेत्र के एक हिंदू सरपंच की आतंकवादियों ने हत्या कर दी।
१९ जुलाई, १९९९	ठाठरी	दूर-दराज लिहोता गाँव में ग्रामीण सुरक्षा समिति के सदस्यों के ऊपर रात्रि में हमला करके पंद्रह हिंदुओं की सामूहिक हत्या कर दी।

वर्ष-2000

६ मार्च, २०००	ठाठरी	प्रेमनगर क्षेत्र के गाँव बोलियाँ अमृतगढ़ के दयाकृष्ण को सेना का साथ देने के कारण शौकत अली ने निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या कर दी।
१ अगस्त, २०००	बनिहाल	बनिहाल के निकट काजीकुंड के पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के उन्नीस हिंदू मजदूरों को एक पंक्ति में खड़ा करके उनकी सामूहिक हत्या कर दी।
२ अगस्त, २०००	बनिहाल	पोंगल गाँव के चौदह हिंदुओं की सामूहिक हत्या कर दी।
	रामबन	रामसू क्षेत्र के कुंडा गाँव के नौ हिंदुओं की सामूहिक हत्या कर दी।
२ अगस्त, २०००	किश्तवाड़	दच्छन क्षेत्र के ब्याल बाच्छल केयाड गाँव के ग्रामीण सुरक्षा समिति के सदस्य कुंजलाल, दूनीचंद, गोवर्धन, जगदीश, दीवानचंद, सतीश, जगदीश, शमत्रू सिंह— इन आठ हिंदुओं को सेना की वरदी पहनकर आए आतंकवादियों ने स्वयं को भारतीय सेना के सैनिक बताकर इनकी सामूहिक हत्या कर दी।
२१ नवंबर, २०००	बनिहाल	जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग में बनिहाल के शेरवानी सड़क मार्ग पर पाँच हिंदू ट्रक चालकों की हत्या कर दी।

२४ नवंबर, २०००	किश्तवाड़	दूरगम क्षेत्र पत्मिहाल में आतंकवादियों ने एक बस में हिंदू-मुसलमानों की पहचान करके, छह हिंदुओं का अपहरण कर निकट के जंगल में ले जाकर पाँच हिंदुओं की सामूहिक हत्या कर दी; छठा अपहृत हिंदू उनके चंगुल से भागने में सफल हो गया।

□□□